

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
प्राक्कथन	(i)
कार्यकारी सारांश	(iii)-(xii)
माँग सं. 32 - आर्थिक कार्य विभाग	1-21
माँग सं. 33 - वित्तीय सेवा विभाग	23-57
माँग सं. 38 - व्यय विभाग	59-69
माँग सं. 41- राजस्व विभाग	71-101
माँग सं. 42- प्रत्यक्ष कर	103-128
माँग सं. 43 - अप्रत्यक्ष कर	129-178
माँग सं. 44 - विनिवेश विभाग	179-185

प्राक्कथन

"परिणाम बजट" व्यय की योजना बनाकर, उपयुक्त लक्ष्य सुनिश्चित कर, प्रत्येक योजना की निहित क्षमता का आकलन करके "परिव्यय को परिणाम" में बदलने का सरकार का प्रयास है। "परिणाम बजट" सरकार के लोगों के प्रति जवाबदेह और पारदर्शी होने की एक कोशिश है।

कार्यकारी सारांश के अतिरिक्त परिणाम बजट 2011-12 में सात अध्याय विभिन्न मांगों से संबंधित हैं जिनके लिए परिणाम बजट तैयार किया जाना है। ये हैं, आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय, राजस्व, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और विनिवेश। इन अध्यायों में परिव्यय और परिणाम; सुधारात्मक उपाय; नीतिगत पहल और शुरू किए गए कार्यक्रम; पिछले निष्पादन की समीक्षा; 3 वर्षों की वित्तीय समीक्षा तथा सांविधिक और स्वायत्त निकायों के निष्पादन की समीक्षा संबंधी विवरणों पर परिचर्चा की गई है।

कार्यकारी सारांश

वित्त मंत्रालय केन्द्रीय सरकार के वित्त-साधनों के प्रबंध के लिए उत्तरदायी है। इसका संबंध ऐसे आर्थिक और वित्तीय विषयों से है जिनका देश पर समग्र रूप से प्रभाव पड़ता है। यह विकास के लिए संसाधन जुटाता है, केन्द्रीय सरकार के व्यय को नियंत्रित करता है तथा राज्यों को संसाधन अंतरण करने संबंधी मामलों पर कार्रवाई करता है। यह आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने, व्यय के लिए प्राथमिकताएं निश्चित करने, बजट के लिए संसदीय अनुमोदन प्राप्त करने तथा निधियों के उपयोग में औचित्य सुनिश्चित करने हेतु अन्य मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, भारतीय रिजर्व बैंक, लोक वित्तीय संस्थाओं और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ कार्य करता है। बहुपक्षीय एजेंसियों एवं विदेशी सरकारों के साथ इस मंत्रालय के स्ट्रेटेजिक संबंध होते हैं। यह मंत्रालय निम्नलिखित तरह मांगों का प्रबन्ध करता है:

मांग संख्या	विभाग
32	आर्थिक कार्य विभाग
33	वित्तीय सेवा विभाग
34	विनियोग - ब्याज अदायगियां
35	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्त-साधनों का अंतरण
36	सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि
37	विनियोग - ऋण की अदायगी
38	व्यय विभाग
39	पेंशन
40	भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग
41	राजस्व विभाग
42	प्रत्यक्ष कर
43	अप्रत्यक्ष कर
44	विनिवेश विभाग

छह मांगें अर्थात्; 34 - ब्याज अदायगियां, 35 - राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण, 36 - सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि, 37 - ऋण की अदायगी, 39 - पेंशन, और 40 - भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग विशेष रूप से, परिणाम बजट के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। इस मंत्रालय के अधीन सभी 13 मांगों के लिए बजटीय प्रावधानों का सारांश इस कार्यकारी सारांश के अनुबंध में दिया गया है।

मंत्रालय के परिणाम बजट 2011-12 का संक्षिप्त सार इस प्रकार है:

मांग संख्या 32 - आर्थिक कार्य विभाग

आर्थिक कार्य विभाग केन्द्रीय सरकार का नोडल विभाग है। यह देश की आर्थिक नीतियां और ऐसे कार्यक्रम बनाता है जिनका इन कार्यक्रमों का आर्थिक प्रबंधन के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं पर प्रभाव पड़ता है। यह विभाग वार्षिक केन्द्रीय बजट (रेल बजट को छोड़कर) और आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करता है।

कुछ मुख्य कार्यकलापों एवं कार्यक्रमों का उल्लेख इस प्रकार है:

- मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल पर अतिरिक्त लेवी के प्रति रेलवे सुरक्षा कार्यों (1040.63 करोड़ रुपए) के लिए अंशदान (आयोजना) - 2011-12 के दौरान इस योजना के अंतर्गत, रेल मंत्रालय ने 2500 स्थानों पर कार्मिकों की नियुक्ति करके, 1000 बैरियर हटाकर तथा 1000 स्थलों पर आधारभूत ढांचे की व्यवस्था करके लेवल क्रॉसिंग की सुरक्षा सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखा है। सभी फाटकों, जहां कार्मिक तैनात हैं, पर टेलीफोन लगाए जाएंगे। सीमित ऊंचाई वाले 225 सबवे और 300 रोड ओवर/अंडर ब्रिज का निर्माण किया जाना भी प्रस्तावित है;
- 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के लिए कुल व्यवहार्यता अंतर निधियन (वीजीएफ) परिव्यय 6973.00 करोड़ रुपए अनुमानित है। आधारभूत ढांचा क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रोत्साहित करने के लिए, 2010-11 में 480.26 करोड़ रुपए (आयोजना) का प्रावधान किया गया था। सिद्धांततः/अंतिम अनुमोदन दिए गए 67 प्रस्तावों के संबंध में अब तक वीजीएफ अनुदान की कुल स्वीकृत राशि 8289.42 करोड़ रुपए है। इन प्रस्तावों की वास्तविक वीजीएफ राशि का पता बोली प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद ही लग पाएगा;
- मध्य प्रदेश की 10 परियोजनाओं में, वित्तीय समापन की स्थिति हासिल की गई है। इनमें से, दो परियोजनाओं से ऋणात्मक अनुदान प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश की शेष आठ परियोजनाओं के लिए, 2007-08, 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान संवितरित वीजीएफ की राशि क्रमशः 23.00 करोड़ रुपए; 54.07 करोड़ रुपए, 41.28 करोड़ रुपए और दिसंबर 2010 तक 29.30 करोड़ रुपए थी;
- महाराष्ट्र सरकार और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक प्रस्ताव का वित्तीय समापन पूरा हो गया। मौजूदा वर्ष में 18.18 करोड़ रुपए एवं 34.33 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई। प्रायोजक प्राधिकारी की 1928.67 करोड़ रुपए की मांग के आधार पर, बजट अनुमान 2011-12 में 499.37 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित वीजीएफ की आवश्यकता इस प्रकार है - मध्य प्रदेश (27.73 करोड़ रुपए), राजस्थान (186.82 करोड़ रुपए), बिहार (99.76 करोड़ रुपए), हरियाणा (181.90 करोड़ रुपए), कर्नाटक (65.00 करोड़ रुपए), आंध्र प्रदेश (927.10 करोड़ रुपए), और महाराष्ट्र (440.36 करोड़ रुपए); और
- भारत विकास और आर्थिक सहायता योजना के तहत 2011-12 के दौरान, एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया को ब्याज समकरण सहायता के लिए 139.69 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह योजना 2003-04 में आरंभ की गई थी। इसके तहत, 57 विकासशील देशों को 137 ऋण श्रृंखलाओं की सहायता दी गई। इनमें कुल मिलाकर, 6414.97 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण राशि सम्मिलित रही। वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 (दिसंबर, 2010 तक) के दौरान इस योजना के अंतर्गत क्रमशः 191.57 करोड़ रुपए, 118.87 करोड़ रुपए और 62.03 करोड़ रुपए संवितरित किए गए हैं।

मांग संख्या 33 - वित्तीय सेवा विभाग

वित्तीय सेवा विभाग पब्लिक सेक्टर बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, कृषि ऋण, पब्लिक सेक्टर बीमा कंपनियों और पेंशन सुधारों से संबंधित विषयों के प्रति उत्तरदायी है। मुख्य कार्यकलापों का उल्लेख, संक्षेप में, इस प्रकार है:

- कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 के अंतर्गत, 2010-11 में 12000.00 करोड़ रुपए की बजटीय व्यवस्था की गई थी। दिसंबर 2010 तक, 11340.47 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। 2011-12 में इस योजना के लिए 6000.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
- अल्पावधिक सहकारी ऋण संरचना को सुदृढ़ करने हेतु, बजट अनुमान 2010-11 में 984.65 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इसे संशोधित अनुमान 2010-11 में बढ़ाकर 1014.65 करोड़ रुपए कर दिया गया। दिसंबर, 2010 तक 785.96 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।
- किसानों को अल्पावधिक ऋण उपलब्ध कराने हेतु ब्याज आर्थिक सहायता की योजना के अंतर्गत, बजट अनुमान 2010-11 में किए गए 3000.00 करोड़ रुपए के प्रावधान को संशोधित अनुमान 2010-11 में बढ़ाकर 4000.00 करोड़ रुपए कर दिया गया। दिसंबर, 2010 तक 1413.32 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। वर्ष 2011-12 में इस योजना के लिए 4868.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- बजट अनुमान 2010-11 में पब्लिक सेक्टर बैंकों के पूंजीकरण के लिए 16500.00 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई थी, ताकि पब्लिक सेक्टर बैंक जोखिम भारित आस्ति अनुपात में पूंजी का पर्याप्त स्तर बनाए रखें। इसे संशोधित अनुमान 2010-11 में बढ़ाकर 20147.00 करोड़ रुपए कर दिया गया था। सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों में भारत सरकार की शेयर पूंजी बढ़ाकर 58% करने के उद्देश्य के लिए, 2010-11 में 6000.00 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई गई है। दिसंबर, 2010 तक, जरूरतमंद पब्लिक सेक्टर बैंकों को 5691.04 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।
- सरकार भारत के निर्यात-आयात बैंक तथा भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड को इक्विटी सहायता प्रदान करती है, ताकि उनकी प्रदत्त पूंजी का स्तर उनकी प्राधिकृत पूंजी के स्तर तक बढ़ाया जा सके। भारत के निर्यात-आयात बैंक को दिसंबर, 2010-11 तक 300.00 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। 2011-12 में भी इस बैंक के लिए 300.00 करोड़ रुपए का प्रावधान है। भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड को दिसंबर, 2010 तक 200.00 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई, जबकि 2010-11 में इसके लिए 500.00 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था। इस कंपनी के लिए बजट अनुमान 2011-12 में 1000.00 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके जोखिम भारित आस्ति अनुपात में पूंजी समयबद्ध ढंग से बढ़ाकर 7% करने तथा उसे और बढ़ाकर मार्च, 2012 तक 9% करने में मदद करने हेतु इन बैंकों के पुनर्पूँजीकरण के लिए, संशोधित अनुमान 2010-11 में 350.00

करोड़ रुपए तथा बजट अनुमान 2011-12 में 500.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई।

- 'स्वावलम्बन' और 'स्वाभिमान' नामक दो नई योजनाएं 2010-11 में शुरू की गई थीं। 'स्वावलम्बन' योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करती है कि वे नई पेंशन योजना के अधीन अपने को नामांकित करके अपनी सेवानिवृत्ति के बाद के लिए बचत करें। इसमें उनके नई पेंशन योजना खाते में सरकार द्वारा 1000.00 रुपए के अंशदान की व्यवस्था है। इस योजना के लिए, संशोधित अनुमान 2010-11 में 110.00 करोड़ रुपए तथा बजट अनुमान 2011-12 में 220.00 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की गई है। 'स्वाभिमान' योजना वित्तीय समावेशन अभियान का हिस्सा है, ताकि बैंक-सुविधारहित लगभग 73000 बस्तियों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा सकें। इस योजना के लिए 2011-12 में 50.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

मांग संख्या 38 - व्यय विभाग

व्यय विभाग केंद्रीय सरकार में सरकारी व्यय प्रबंध प्रणाली के प्रति तथा राज्य वित्त-साधनों से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। यह केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में व्यय प्रबंध की निगरानी करता है तथा व्यय सुधार आयोग की सिफारिश के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों के परिणाम बजट का समन्वय करता है तथा विकास संबंधी कार्य निष्पादित करने के लिए राज्य सरकारों को निधियां जारी करता है तथा केंद्रीय आयोजना से संबंधित मामलों की मॉनीटरिंग करता है। मुख्य कार्यकलापों का उल्लेख, संक्षेप में, इस प्रकार है:

- राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम) की प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने हेतु केंद्रीय आयोजना स्कीम के लिए, 2011-12 में 5.00 करोड़ रुपए (राजस्व खंड के अंतर्गत 3.30 करोड़ रुपए और पूंजी खंड के तहत 2.00 करोड़ रुपए) के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी। इस व्यवस्था से बिजनेस मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीबीएम) - वित्त के लिए केंद्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के 50 अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले वर्ष, इस कार्यक्रम में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित 40 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। इस प्रावधान का उपयोग इस संस्थान में छात्रावास सुविधाओं, कक्षाओं आदि की अतिरिक्त आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए भी किया जा रहा है।
- वर्ष 2010-11 में आयोजना शीर्ष के अंतर्गत जिन महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाओं के लिए निधियों की व्यवस्था की गई थी, उनमें शामिल हैं - त्वरित सिंचाई प्रसुविधा कार्यक्रम (एआईबीपी), जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम), विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र/पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम, नेशनल ई-गवर्नेन्स प्रोग्राम, पिछड़ा क्षेत्र अंशदान निधि योजना, बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा न्यूनीकरण कार्यक्रम, आदि। वर्ष 2010-11 में आयोजनागत योजनाओं के लिए किए गए 74009.47 करोड़ रुपए के परिव्यय (सं.अनु. 2010-11) के मुकाबले, 11 फरवरी, 2011 की स्थिति के अनुसार 53,867.50 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। वित्त वर्ष 2011-12 के लिए राज्य आयोजनागत स्कीम हेतु 80,741.61 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है।

यह, बजट अनुमान 2010-11 के 70,156.25 करोड़ रुपए की तुलना में 15.09% अधिक है।

- 13वें वित्त आयोग के विभिन्न अनुदानों के लिए 26,706.00 करोड़ रुपए (9 फरवरी, 2011 तक) तथा एनडीआरएफ के अंतर्गत 2,109.71 करोड़ रुपए यानि कुल मिलाकर, 28,815.71 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। वित्त वर्ष 2011-12 के लिए आयोजना-भिन्न अनुदानों के वास्ते 49,298.62 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है। यह, बजट अनुमान 2010-11 से 48% अधिक है; और
- 1 जनवरी और 31 दिसम्बर, 2010 के बीच सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की 62 बैठकों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की आयोजना निवेश प्रस्तावों/योजनाओं पर विचार किया गया जिनकी लागत 3,88,061.00 करोड़ रुपए है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक निवेश बोर्ड के मामलों की 6 बैठकों का आयोजन किया गया और सिफारिश की गई। इन मामलों में 17,595.65 करोड़ रुपए की राशि शामिल थी।

मांग सं. 41 - राजस्व विभाग

राजस्व विभाग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से संबंधित सभी मामलों को दो सांविधिक बोर्डों, नामतः केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, के माध्यम से नियंत्रित करता है। मुख्य कार्यकलापों का सारांश इस प्रकार है:

- विभाग में मुख्य व्यय, केन्द्रीय बिक्री कर (सी.एस.टी.) को चरणों में समाप्त करने के कारण राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रतिपूर्ति देने पर होता है। इसके लिए 2011-12 के बजट में 12000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अन्य महत्वपूर्ण व्यय वैट संबंधी व्यय पर होता है। इसके लिए 2011-12 के बजट में 734 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। परिणाम बजट में शामिल अन्य आयोजना-भिन्न व्यय में शामिल हैं - वैट योजना के कार्यान्वयन, कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली (टीआईएनएक्सएसवाईएस) की स्थापना और सरकारी अफीम और क्षारोद कार्यों से संबंधित व्यय।
- सभी राज्यों में वैट का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन एक उपलब्धि रही है। वैट प्रतिपूर्ति के लिए राज्यों को 17,856.45 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। यह वर्ष 2005-06 में 2471.27 करोड़ रुपए, 2006-07 में 4092.13 करोड़ रुपए, 2007-08 में 3880.48 करोड़ रुपए, 2008-09 में 4361.95 करोड़ रुपए, 2009-10 में 3002 करोड़ रुपए और 2010-11 में 48.62 करोड़ रुपए (31 दिसम्बर, 2010 तक) जारी की गई। 31 दिसम्बर, 2010 तक 717.62 करोड़ रुपए की राशि के दावे लंबित थे।
- केन्द्रीय बिक्री कर की दर 1 अप्रैल, 2007 से 4% से घटाकर 3% और 1 जून, 2008 से 3% से घटाकर 2% कर दी गई है। राज्यों को 21,249.92 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति राशि जारी की गई थी। यह 2007-08 में 2168.88 करोड़ रुपए, 2008-09 में 1950 करोड़ रुपए, 2009-10 में 8735.18 करोड़ रुपए और 2010-11 में (31 दिसम्बर, 2010 तक), 8395.86 करोड़

रुपए जारी की गई थी। दिसम्बर, 2010 की समाप्ति पर, 1538.66 करोड़ रुपए की राशि के दावे लंबित थे।

- राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कराधान अध्ययन के लिए दो संस्थानों की स्थापना/उन्नयन सहित राज्य कर प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए, वैट कार्यान्वयन से संबंधित व्यय और वैट तथा केन्द्रीय बिक्री कर के कारण होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति के लिए बजट अनुमान 2011-12 में कुल 12734 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। वैट/केन्द्रीय बिक्री कर योजना के कार्यान्वयन तथा वैट से संबंधित व्यय के प्रति राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को प्रतिपूर्ति के लिए होने वाला व्यय, इस अनुदान के अंतर्गत 2010-11 में कुल व्यय का करीब 95.97% और 2011-12 में 95.34% बैठता है।
- राज्य सरकारों के वाणिज्यिक करों के प्रशासन के कम्प्यूटरीकरण की मिशन मोड परियोजना 1133.41 करोड़ रुपए की कुल लागत से अनुमोदित की गई थी। इसके लिए 31 दिसम्बर, 2010 तक केन्द्रीय अंश के रूप में 275.64 करोड़ रुपए यानि 2009-10 में 145 करोड़ रुपए और 2010-11 में 130.64 करोड़ रुपए जारी किए गए।
- गाजीपुर और नीमच स्थित सरकारी अफीम एवं क्षारोद कार्य केन्द्र निर्यात के लिए कच्ची अफीम को संसाधित करते हैं, अफीम क्षारोद का विनिर्माण करते हैं और अन्य संबंधित कार्य करते हैं। उन्होंने, 2009-10 में बजट अनुमान के 300.97 करोड़ रुपए की तुलना में, 299.86 करोड़ रुपए के राजस्व की वसूली की। 2010-11 में (दिसम्बर, 2010 तक) 308.00 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में, 180.87 करोड़ रुपए के राजस्व की वसूली की गई।
- पोस्ट खेतिहरों के लिए स्मार्ट कार्य परियोजना को 2007-08 में विस्तारित कर दिया गया है जिससे कि सभी 17 अफीम प्रभाग इसमें शामिल किए जा सकें। एक बार, इस परियोजना के पूर्णतः और सफलतापूर्वक कार्यान्वित होने से, विभिन्न खेतिहर गतिविधियों की निगरानी की जा सकेगी तथा नीति स्तरीय निर्णयों के लिए भी यह उपयोगी होगी।
- प्रशासनिक एवं समन्वय यूनिटों द्वारा परिणाम बजट से संबंधित अपनी-अपनी मदों के संबंध में मासिक रिपोर्ट देने की प्रणाली प्रारंभ की गई है। परिणाम बजट के तहत व्यय की प्रवृत्ति एवं प्रगति की मासिक एवं त्रैमासिक समीक्षा विभाग/मंत्रालय के स्तर पर की जाती है। प्रमुख परियोजना विषयों के संबंध में कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए परियोजना मानिटरिंग/कार्यान्वयन समिति स्थापित की गई है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के विशाल कम्प्यूटरीकरण उद्यम हेतु समन्वित प्रयासों तथा तेजी से निर्णय लेने के लिए, एक सशक्त समिति भी कार्य कर रही है। इसमें निजी क्षेत्र के श्रेष्ठ विशेषज्ञ भी सदस्य हैं।

मांग संख्या 42 - प्रत्यक्ष कर

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) एक शीर्ष संस्था है। इसे भारत में प्रत्यक्ष कर कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 16 निदेशालयों द्वारा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की सहायता

की जाती है। ये निदेशालय इसके संबद्ध कार्यालय के रूप में काम करते हैं। पूरे देश में, अनेक मुख्य आयकर आयुक्त प्रत्यक्ष करों के संग्रहण का पर्यवेक्षण करते हैं और करदाता सेवाएं प्रदान करते हैं। आयकर महानिदेशक (जांच), कर अपवंचन को रोकने एवं बेहिसाबी धन का पर्दाफाश करने के उद्देश्य से, जांच तंत्र का पर्यवेक्षण करते हैं। अपील तंत्र भी हैं जिसमें आयकर आयुक्त (अपील) शामिल हैं। ये कर-निर्धारण अधिकारियों के आदेशों के खिलाफ अपीलों का निर्णय करने का अर्ध-न्यायिक कार्य सम्पन्न करते हैं। मुख्य कार्यकलापों का उल्लेख संक्षेप में इस प्रकार है:

- 'सूचना प्रौद्योगिकी' के अन्तर्गत 2011-12 के बजट अनुमान में 225.00 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। इसे अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ, निम्नलिखित मुख्य कार्यक्रमों/योजनाओं पर खर्च किया जाएगा:
 - आयकर विभाग में व्यापक कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के चरण-III के लिए संदर्शी योजना
 - कर सूचना नेटवर्क (टिन)
 - करदाता सेवाएं
 - बंगलुरु में आयकर विवरणियों का केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग केन्द्र
 - रिफंड बैंकर
 - बिजनेस प्रोसेस रिइंजीनियरिंग (बीपीआर)
- राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर में एक उन्नत प्रशिक्षण केन्द्र एवं एक नए छात्रावास के निर्माण समेत, अलग-अलग स्थानों पर कार्यालय आवास के क्रय/निर्माण के लिए 2011-12 के बजट अनुमान में पूंजी खण्ड के अन्तर्गत 877.70 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।
- मुम्बई, पुणे एवं जम्मू में आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए 2011-12 के बजट अनुमान में पूंजी खंड के अन्तर्गत 27.00 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।
- विभाग द्वारा किए गए उपायों एवं पहलों का उद्देश्य है - कर कानूनों एवं प्रक्रियाओं को सरल बनाना, करदाताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना और करदाताओं एवं पदाधिकारियों के बीच मानव इन्टरफेस को न्यूनतम करना। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं: आयकर विवरणी ऑन लाइन पर तैयार करने एवं दायर करने की सुविधाएं, बंगलुरु में केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग केन्द्र, रिफंड बैंकर स्कीम, प्रतिदायों (रिफंडों) का इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन (ईसीएस), मुम्बई एवं दिल्ली में विशाल कर दाता यूनिटों (एलटीयू) की स्थापना, कर विवरणी तैयारकर्ता योजना (टीआर पीएस), ज्ञान प्रबंधन प्रणाली (केएमएस) आदि।
- परिसम्पत्ति रजिस्टर तैयार करने एवं मानीटर करने के लिए, आयकर विभाग के अवसंरचना निदेशालय ने एक तंत्र स्थापित किया है। इस रजिस्टर में ऐसी/ऐसे भूमि, कार्यालय भवनों, आवासीय क्वार्टरों, वाहनों एवं फर्नीचर आदि जैसी परिसम्पत्तियों का ब्यौरा होता है, जिसका अंकित मूल्य 2.00 लाख रुपए से अधिक है। 31.3.2010 की स्थिति के अनुसार, ऐसी परिसम्पत्तियों का मूल्य 2241.26 करोड़ रुपए है।

इस अनुदान के अंतर्गत 2009-10 में वास्तविक व्यय, 2840.40 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान के मुकाबले, 2737.15 करोड़ रुपए

हुआ जो 96.30% का उपयोग दर्शाता है। वर्ष 2010-11 में 31 दिसम्बर, 2010 तक वास्तविक व्यय, 4345.31 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान के मुकाबले 2615.18 करोड़ रुपए हुआ है, जो 60.18% के उपयोग को दर्शाता है।

मांग सं.43 - अप्रत्यक्ष कर

यह मांग केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन फील्ड प्रतिष्ठानों की स्थापना, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के अधिग्रहण एवं संग्रहण, तस्करी एवं कर चोरियों के निवारण से संबंधित नीति-निर्माण के विषय में है। मुख्य कार्यकलाप का उल्लेख संक्षेप में इस प्रकार है:

- आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना समेकन परियोजना के लिए 598.97 करोड़ रुपए के संशोधित खर्च की मंजूरी दे दी है और अब यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। व्यापक तौर पर कम्प्यूटरीकरण किया गया है जिसमें शामिल हैं- वृहद क्षेत्रीय/स्थानीय क्षेत्रीय नेटवर्किंग जिससे सभी कार्यालयों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, कंटेनर डिपो को सम्पर्क सूत्र में जोड़ा गया है और डाटावेयर हाउस केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में आटोमेशन की प्रक्रिया शुरु हो गई है तथा जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है जिससे कि आयात आदि का तेजी से क्लियरेंस किया जा सकता है। अधिकांश घटक तो लगभग पूरे हो गये हैं शेष घटकों के मार्च, 2011 तक पूरा हो जाने की संभावना है। वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 में क्रमशः 84.46 करोड़ रुपए, 167.17 करोड़ रुपए और 186.41 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वर्ष 2010-11 में दिसम्बर, 2010 तक, 53.17 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।
- सभी प्रमुख सीमा शुल्क पत्तनों/वायुपत्तनों पर जोखिम प्रबंधन प्रणाली चालू कर दी गई है जिसके अंतर्गत भारत का 85% से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कवर होता है। इस प्रणाली का एक उन्नत संस्करण 47 स्थानों पर चालू हो गया है।
- कार्गो क्लीयरेंस हेतु 7 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक कंटेनर स्कैनर (3 मोबाइल गामा रे स्कैनर और 4 फिक्स्ड एक्स-रे स्कैनर) प्राप्त करने का प्रयास चल रहा है। मोबाइल स्कैनरों के वर्ष 2011-12 में और फिक्स्ड स्कैनरों के वर्ष 2012-13 में चालू हो जाने की संभावना है। जल सीमा-क्षेत्र में तस्करी-रोधी प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए 109 जलयान प्राप्त किए जा रहे हैं। दिसम्बर, 2010 तक, 95 जलयान प्राप्त किए जा चुके हैं। सभी जलयानों के जून, 2011 तक प्राप्त हो जाने की आशा है। वर्ष 2011-12 के लिए कुल 83.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन स्कीमों के अंतर्गत, वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के लिए क्रमशः 27.42 करोड़ रुपए और 99.88 करोड़ रुपए और 78.64 करोड़ रुपए खर्च कि जा चुके हैं।
- उत्पाद शुल्क, आय कर/कारपोरेट कर और सेवा कर का भुगतान करने वाले बड़े कर दाताओं के लिए बंगलुरु, चेन्नई, मुम्बई और दिल्ली में सिंगल विंडो सेवा केन्द्र की स्थापना की गई है। कोई भी व्यक्ति अथवा कम्पनी, जिसने पिछले किसी भी वर्ष 10 करोड़ रुपए से अधिक आयकर/कारपोरेट कर अथवा 5 करोड़ रुपए का उत्पाद शुल्क अथवा 5 करोड़ रुपए का सेवा कर का भुगतान किया है,

संबंधित बड़ी करदाता यूनिट को सहमति देकर बड़े करदाता के रूप में कार्य करने के विकल्प का चयन कर सकता है।

- वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान संग्रहित क्रमशः 71.42 करोड़ रुपए और 113.63 करोड़ रुपए के 1% वृद्धिशील राजस्व का उपयोग करके, विभिन्न क्षेत्रीय यूनिटों की अवसंरचना में क्षमता निर्माण और सुधार शुरु किया गया है। वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के व्यय बजट में इस पर क्रमशः 29.41 करोड़ रुपए, 16.12 करोड़ रुपए और 27.70 करोड़ रुपए खर्च किये गये हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान विभिन्न योजनाओं के लिए 25.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

मांग संख्या 44 - विनिवेश विभाग

विनिवेश विभाग, अन्य विषयों के साथ, केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यमों में केंद्रीय सरकार की इक्विटी के विनिवेश से संबंधित सभी मामलों पर कार्यवाई करता है।

- सरकार ने, नवंबर, 2005 में, 'राष्ट्रीय निवेश कोष' (एनआईएफ) का गठन किया था। इसे भारत की संचित निधि से बाहर रखा गया है। इसमें केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यमों के विनिवेश से प्राप्त आय को जमा किया जाएगा। इस कोष की राशि स्थाई प्रकृति की है और इसकी प्रबंध व्यवस्था व्यावसायिक आधार पर की जाती है, ताकि इसकी धनराशि को कम किए बगैर, स्थाई प्रतिलाभ प्राप्त किया जा सके। इस कोष से प्राप्त होने वाली आय का उपयोग सामाजिक क्षेत्र की ऐसी योजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए किया जाएगा जिनसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बढ़ावा मिलता हो तथा उनके विस्तार/विविधीकरण और वित्तपोषण के लिए लाभप्रद एवं पुनरुद्धार लायक केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यमों की पूंजी निवेश संबंधी आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके।
- तथापि, 2008-09 की विश्वव्यापी मंदी के कारण कठिन आर्थिक स्थिति तथा भयंकर सूखा, जिससे 11वीं योजना विकास निष्पादन पर विपरीत रूप से प्रभाव पड़ने की संभावना थी, को देखते हुए, सरकार ने नवंबर, 2009 में यह निर्णय लिया कि अप्रैल, 2009 से मार्च, 2012 तक की तीन वर्षों की अवधि में राष्ट्रीय लोक कोष में जमा की गई केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यमों के निवेश से प्राप्त सारी आय का उपयोग योजना आयोग/व्यय विभाग द्वारा निश्चित की गई सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं की पूंजीगत व्यय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जाएगा। अप्रैल, 2012 के बाद यथा-पूर्व स्थिति बहाल कर दी जाएगी।

वर्ष 2010-11 (दिसंबर, 2010 तक) के दौरान, छः सार्वजनिक पेशकश पूरी की गई; अर्थात्:

- प्रारम्भिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से, सरकार की शेयर पूंजी में से सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 10.03% निर्गमपूर्व प्रदत्त पूंजी का विनिवेश। इससे सरकार को 1062.47 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई।

- अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से, भारत सरकार की शेयर पूंजी में से इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की 10% इक्विटी पूंजी का विनिवेश सरकार को 959.65 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई।

- अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से पावरग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा 10% की नई इक्विटी के निर्गम के संयोजन में इस निगम की 10% निर्गमपूर्व प्रदत्त पूंजी का विनिवेश। सरकार को 3721.17 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई।

- प्रारम्भिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से, मैंगनीज, लौह-अयस्क इंडिया लिमिटेड की 20% प्रदत्त पूंजी का विनिवेश - भारत सरकार द्वारा 10% तथा मध्य प्रदेश राज्य सरकार और महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा 5-5%। इससे भारत सरकार को 618.76 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई।

- सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से सरकार की शेयर पूंजी में से कोल इंडिया लिमिटेड की 10% प्रदत्त पूंजी का विनिवेश। सरकार को 15,199.44 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई।

- अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से, कंपनी में 10% के नए इक्विटी निर्गम के संयोजन से शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड में भारत सरकार की इक्विटी के 10% का विनिवेश। सरकार को इससे 582.45 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई।

रिटेल हिस्से सहित उपर्युक्त सभी छः सार्वजनिक पेशकश अत्याभिदत्त हुईं। इन लेनदेनों में अप्लीकेशन मनी पर ब्याज के रूप में 92.73 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई।

- इसके अतिरिक्त, सरकार ने, 8 अप्रैल, 2010 को, घरेलू बाजार में सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से, सरकार की शेयर पूंजी में से कंपनी की 10% प्रदत्त इक्विटी पूंजी के दो बार में विनिवेश के संयोजन से भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा नई इक्विटी का 10% निर्गम अनुमोदित किया। पहले ट्रांशे में सरकार की बिक्री के लिए 5% पेशकश के साथ कंपनी द्वारा नए निर्गम का 5% शामिल है।

- सरकार ने, 15 जून, 2010 को, घरेलू बाजार में एक अतिरिक्त सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से, सरकार की शेयर पूंजी में से कंपनी की 10% प्रदत्त इक्विटी पूंजी के विनिवेश के साथ हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा नई इक्विटी का 10% निर्गम अनुमोदित किया।

- सरकार ने, 1 दिसम्बर, 2010 को, सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से, सरकार की शेयर धारिता से, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड की 5% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का विनिवेश अनुमोदित किया।

- सरकार ने, 10 फरवरी, 2011 को अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से कम्पनी द्वारा 15 प्रतिशत निर्गम पूर्व प्रदत्त पूंजी के अनुरूप विद्युत वित्त निगम लि. के 5 प्रतिशत निर्गम पूर्व प्रदत्त पूंजी के 5 प्रतिशत के विनिवेश को अनुमोदित किया है।

विवरण	वास्तविक 2009-10			बजट अनुमान 2010-11			संशोधित अनुमान 2010-11			बजट अनुमान 2011-12		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
मांग संख्या 38												
व्यय विभाग												
जोड़-राजस्व भाग	1.80	72.46	74.26	3.30	84.00	87.30	2.31	102.96	105.27	3.00	96.97	99.97
भारित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स्वीकृत	1.80	72.46	74.26	3.30	84.00	87.30	2.31	102.96	105.27	3.00	96.97	99.97
जोड़-पूंजी भाग	3.20	0.00	3.20	7.20	26.35	33.55	7.20	0.00	7.20	2.00	0.00	2.00
भारित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स्वीकृत	3.20	0.00	3.20	7.20	26.35	33.55	7.20	0.00	7.20	2.00	0.00	2.00
जोड़ (राजस्व एवं पूंजी)	5.00	72.46	77.46	10.50	110.35	120.85	9.51	102.96	112.47	5.00	96.97	101.97
भारित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स्वीकृत	5.00	72.46	77.46	10.50	110.35	120.85	9.51	102.96	112.47	5.00	96.97	101.97
मांग संख्या 39												
पेंशन												
जोड़-राजस्व भाग	0.00	17850.15	17850.15	0.00	16000.00	16000.00	0.00	16000.00	16000.00	0.00	17000.00	17000.00
भारित	0.00	67.35	67.35	0.00	69.71	69.71	0.00	69.71	69.71	0.00	80.00	80.00
स्वीकृत	0.00	17782.80	17782.80	0.00	15930.29	15930.29	0.00	15930.29	15930.29	0.00	16920.00	16920.00
जोड़-पूंजी भाग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भारित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स्वीकृत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़ (राजस्व एवं पूंजी)	0.00	17850.15	17850.15	0.00	16000.00	16000.00	0.00	16000.00	16000.00	0.00	17000.00	17000.00
भारित	0.00	67.35	67.35	0.00	69.71	69.71	0.00	69.71	69.71	0.00	80.00	80.00
स्वीकृत	0.00	17782.80	17782.80	0.00	15930.29	15930.29	0.00	15930.29	15930.29	0.00	16920.00	16920.00
मांग संख्या 40												
भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग												
जोड़-राजस्व भाग	0.00	2382.61	2382.61	0.00	2079.95	2079.95	0.00	2258.49	2258.49	0.00	2388.88	2388.88
भारित	0.00	63.59	63.59	0.00	64.48	64.48	0.00	71.87	71.87	0.00	74.52	74.52
स्वीकृत	0.00	2319.02	2319.02	0.00	2015.47	2015.47	0.00	2186.62	2186.62	0.00	2314.36	2314.36
जोड़-पूंजी भाग	0.00	2.70	2.70	0.00	10.20	10.20	0.00	18.35	18.35	0.00	9.68	9.68
भारित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स्वीकृत	0.00	2.70	2.70	0.00	10.20	10.20	0.00	18.35	18.35	0.00	9.68	9.68
जोड़ (राजस्व एवं पूंजी)	0.00	2385.31	2385.31	0.00	2090.15	2090.15	0.00	2276.84	2276.84	0.00	2398.56	2398.56
भारित	0.00	63.59	63.59	0.00	64.48	64.48	0.00	71.87	71.87	0.00	74.52	74.52
स्वीकृत	0.00	2321.72	2321.72	0.00	2025.67	2025.67	0.00	2204.97	2204.97	0.00	2324.04	2324.04

विवरण	वास्तविक 2009-10			बजट अनुमान 2010-11			संशोधित अनुमान 2010-11			बजट अनुमान 2011-12		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
मांग संख्या 41												
राजस्व विभाग												
जोड़-राजस्व भाग	0.00	12347.27	12347.27	0.00	11122.12	11122.12	0.00	15481.94	15481.94	0.00	13339.01	13339.01
भारित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02
स्वीकृत	0.00	12347.27	12347.27	0.00	11122.10	11122.10	0.00	15481.92	15481.92	0.00	13338.99	13338.99
जोड़-पूंजी भाग	0.00	1.47	1.47	0.00	0.77	0.77	0.00	27.87	27.87	0.00	17.89	17.89
भारित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स्वीकृत	0.00	1.47	1.47	0.00	0.77	0.77	0.00	27.87	27.87	0.00	17.89	17.89
जोड़ (राजस्व एवं पूंजी)	0.00	12348.74	12348.74	0.00	11122.89	11122.89	0.00	15509.81	15509.81	0.00	13356.90	13356.90
भारित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02
स्वीकृत	0.00	12348.74	12348.74	0.00	11122.87	11122.87	0.00	15509.79	15509.79	0.00	13356.88	13356.88
मांग संख्या 42												
प्रत्यक्ष कर												
जोड़-राजस्व भाग	0.00	2725.85	2725.85	0.00	2845.00	2845.00	0.00	2735.31	2735.31	0.00	2975.85	2975.85
भारित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स्वीकृत	0.00	2725.85	2725.85	0.00	2844.98	2844.98	0.00	2735.31	2735.31	0.00	2975.85	2975.85
जोड़-पूंजी भाग	0.00	9.30	9.30	0.00	1679.00	1679.00	0.00	1610.00	1610.00	0.00	905.70	905.70
भारित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स्वीकृत	0.00	9.30	9.30	0.00	1679.00	1679.00	0.00	1610.00	1610.00	0.00	905.70	905.70
जोड़ (राजस्व एवं पूंजी)	0.00	2735.15	2735.15	0.00	4524.00	4524.00	0.00	4345.31	4345.31	0.00	3881.55	3881.55
भारित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स्वीकृत	0.00	2735.15	2735.15	0.00	4523.98	4523.98	0.00	4345.31	4345.31	0.00	3881.55	3881.55
मांग संख्या 43												
अप्रत्यक्ष कर												
जोड़-राजस्व भाग	0.00	3043.43	3043.43	0.00	2743.30	2743.30	0.00	2984.66	2984.66	0.00	3251.34	3251.34
भारित	0.00	0.01	0.01	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50
स्वीकृत	0.00	3043.42	3043.42	0.00	2742.80	2742.80	0.00	2984.16	2984.16	0.00	3250.84	3250.84
जोड़-पूंजी भाग	0.00	85.14	85.14	0.00	264.20	264.20	0.00	132.00	132.00	0.00	127.55	127.55
भारित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स्वीकृत	0.00	85.14	85.14	0.00	264.20	264.20	0.00	132.00	132.00	0.00	127.55	127.55
जोड़ (राजस्व एवं पूंजी)	0.00	3128.57	3128.57	0.00	3007.50	3007.50	0.00	3116.66	3116.66	0.00	3378.89	3378.89
भारित	0.00	0.01	0.01	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50
स्वीकृत	0.00	3128.56	3128.56	0.00	3007.00	3007.00	0.00	3116.16	3116.16	0.00	3378.39	3378.39

विवरण	वास्तविक 2009-10			बजट अनुमान 2010-11			संशोधित अनुमान 2010-11			बजट अनुमान 2011-12		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
मांग संख्या 44												
विनिवेश विभाग												
जोड़-राजस्व भाग	0.00	41.48	41.48	0.00	63.36	63.36	0.00	63.36	63.36	0.00	62.63	62.63
भारित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स्वीकृत	0.00	41.48	41.48	0.00	63.36	63.36	0.00	63.36	63.36	0.00	62.63	62.63
जोड़-पूंजी भाग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भारित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स्वीकृत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़ (राजस्व एवं पूंजी)	0.00	41.48	41.48	0.00	63.36	63.36	0.00	63.36	63.36	0.00	62.63	62.63
भारित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स्वीकृत	0.00	41.48	41.48	0.00	63.36	63.36	0.00	63.36	63.36	0.00	62.63	62.63
कुल जोड़												
जोड़-राजस्व भाग	63255.08	339989.59	403244.67	73531.57	363087.45	436619.02	69245.96	369929.89	439175.85	82107.87	390827.92	472935.79
भारित	0.00	253425.87	253425.87	0.00	284437.73	284437.73	0.00	281493.24	281493.24	0.00	321783.94	321783.94
स्वीकृत	63255.08	86563.72	149818.80	73531.57	78649.72	152181.29	69245.96	88436.65	157682.61	82107.87	69043.98	151151.85
जोड़-पूंजी भाग	7873.11	3093969.87	3101842.98	7650.90	3404640.22	3412291.12	18425.64	2780456.78	2798882.42	17301.37	3171775.94	3189077.31
भारित	7824.06	3085791.90	3093615.96	7163.44	3383664.56	3390828.00	10413.44	2760447.71	2770861.15	0.00	3155216.93	3155216.93
स्वीकृत	49.05	8177.97	8227.02	487.46	20975.66	21463.12	8012.20	20009.07	28021.27	17301.37	16559.01	33860.38
जोड़ (राजस्व एवं पूंजी)	71128.19	3433959.46	3505087.65	81182.47	3767727.67	3848910.14	87671.60	3150386.67	3238058.27	99409.24	3562603.86	3662013.10
भारित	7824.06	3339217.77	3347041.83	7163.44	3668102.29	3675265.73	10413.44	3041940.95	3052354.39	0.00	3477000.87	3477000.87
स्वीकृत	63304.13	94741.69	158045.82	74019.03	99625.38	173644.41	77258.16	108445.72	185703.88	99409.24	85602.99	185012.23

आर्थिक कार्य विभाग

प्रस्तावना

आर्थिक कार्य विभाग देश की आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों, जिनका आर्थिक प्रबन्धन के आंतरिक और बाहरी पहलुओं पर असर होता है, को तैयार और उन्हें मॉनीटर करना है। इस विभाग की एक प्रमुख जिम्मेदारी प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय बजट (रेल बजट को छोड़कर) और आर्थिक समीक्षा को तैयार करना है। अन्य मुख्य कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- बृहत आर्थिक नीतियों को तैयार और मॉनीटर करना जिनके अंतर्गत शामिल हैं - राजकोषीय नीति और लोक वित्त, मुद्रास्फीति, लोक ऋण प्रबंधन और पूंजी बाजार एवं स्टॉक एक्सचेंजों के कार्यकरण से संबंधित मामले; तथा बाजार उधारों और लघु बचतों के जरिए आंतरिक संसाधन जुटाने के लिए अर्थोपाय;
- बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय सरकारी विकास सहायता और सार्वभौम विदेशी उधारों, विदेशी निवेशों के जरिए विदेशी संसाधनों की मॉनीटरिंग एवं उन्हें जुटाना तथा भुगतान संतुलन सहित विदेशी मुद्रा संसाधनों की मॉनिटरिंग करना;
- विभिन्न मूल्यवर्गों के बैंक नोटों एवं सिक्कों, डाक लेखन सामग्री, डाक टिकटों इत्यादि का उत्पादन करना।
- भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के अधिकारियों का संवर्ग प्रबन्धन, कैरियर प्लानिंग और प्रशिक्षण।

इस विभाग का कार्य निम्नलिखित प्रभागों/इकाइयों द्वारा संचालित किया जाता है:

सहायता लेखा और लेखा परीक्षा प्रभाग

- बहुपक्षीय/द्विपक्षीय दाता एजेंसियों से प्राप्त ऋणों और अनुदानों के संवितरण; बहुपक्षीय/द्विपक्षीय दाताओं का ऋण समय पर चुकाने; और विदेशी सहायता का लेखांकन।
- निर्यात संवर्धन, लेखा-परीक्षा और क्रेडिट डिवीजनों को प्रबंध सूचना उपलब्ध कराना।

प्रशासन प्रभाग

- विभाग का प्रशासन एवं स्थापना संबंधी मामले, जिनके अंतर्गत प्रोटोकॉल एवं स्टाफ के लिए कल्याणकारी उपाय भी शामिल हैं और विभाग में सरकारी राजभाषा नीति का क्रियान्वयन।

द्विपक्षीय सहयोग प्रभाग

- सभी जी-8 देशों से द्विपक्षीय विकास सहायता।
- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की मानीटरिंग।
- अल्पावधिक विदेशी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।
- अन्य विकासशील देशों को रियायती ऋण श्रृंखला मुहैया कराना।

बजट प्रभाग

- भारत सरकार का बजट बनाना तथा बाजार उधारों, लेखाकरण व लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं एवं राज्य सरकारों के साथ वित्तीय सहयोग जैसे अन्य संबद्ध मुद्दे।
- राष्ट्रीय बचत संस्थान (एनएसआई) के माध्यम से लघु बचतों को जुटाना।

पूंजी बाजार प्रभाग

- प्रतिभूति बाजार (अर्थात शेयर, ऋण एवं व्युत्पन्न) और विदेशी वाणिज्यिक उधार के विकास संबंधी नीतिगत विषय। विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 का प्रबंध।
- भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विनिर्दिष्ट उपक्रम (सूटी)/ भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी)/ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) और वित्तीय कृतिक कार्य बल (एफएटीएफ) के प्रशासनिक मामले।

आर्थिक प्रभाग

- अर्थव्यवस्था के बृहत प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आर्थिक सलाह देना।

अवसंरचना और निवेश प्रभाग (आईएंडआई)

- सड़कों, पत्तनों, नौवहन, अंतर्देशीय जल परिवहन, शहरी विकास, विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, रेलवे, दूरसंचार क्षेत्र संबंधी ढांचागत क्षेत्रों के सभी नीतिगत मामले, जिन्हें आर्थिक कार्य विभाग के पास भेजा जाता है।
- अवसंरचना क्षेत्रों में ढांचागत वित्तपोषण और निवेश संवर्धन संबंधी विषय।
- सरकारी निजी भागीदारी से संबंधित सभी नीतिगत मामले।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के सभी प्रस्तावों, जो स्वतः अनुमोदित मार्ग से संबद्ध नहीं हैं, पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के अनुमोदन के लिए कार्रवाई।
- द्विपक्षीय निवेश संरक्षण और संवर्धन करार (बीआईपीए)।
- मुद्रा और सिक्का संबंधी सभी विषय।

एकीकृत वित्त प्रभाग

- आर्थिक कार्य विभाग और वित्तीय सेवा विभाग के सरकारी व्यय संबंधी सभी विषयों पर वित्तीय सलाह देना। इन विभागों के बजट तैयार करना और विस्तृत अनुदान-मांगों का प्रबंधन करना।
- वित्त मंत्रालय की ब्यौरेवार अनुदान मांग और परिणाम बजट तैयार करना/संकलन/मुद्रण कार्य।

भारतीय आर्थिक सेवा प्रभाग

- भारतीय आर्थिक सेवा के कांडर संचालन से संबंधित सभी विषय।

बहुपक्षीय संस्था प्रभाग

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी), अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) और विश्व बैंक समूह संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी), वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) संबंधी मामले।
- एशियाई विकास बैंक/अफ्रीकी विकास बैंक संबंधी मामले।

बहुपक्षीय संबंध प्रभाग

- जी-20/जी-24/जी-8 संबंधी मामले।
- यूएन, यूएनडीपी, ईएससीएपी, भारत-यूरोपीय संघ बृहद आर्थिक वार्ता संबंधी मामले।

- सार्क; ओईसीडी; विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) संबंधी मामले।
- रूसी संघ और सीआईएस देश; एशिया (जापान को छोड़कर), मध्य एशिया; दक्षिण और उत्तरी अमरीका।
- विदेशी व्यापार, सेज, ईपीजेड, गैट, डब्ल्यूटीओ आदि संबंधी कार्य।

मिडल आफिस (ऋण प्रबंध)

- सरकार की ऋण क्षमताओं को बढ़ाना और सरकार के ऋण पोर्टफोलियो में जोखिम को नियंत्रित करना।

परिव्यय और परिणाम का विवरण 2011 - 12

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12 (₹ करोड़)			प्रमात्रात्मक प्रदाय/ वास्तविक उपलब्धियां	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
1	2	3	4(i)	4(ii)	4(iii)	5	6	7	8
			आयोजना- भिन्न	आयोजना	सी.ई. बी. आर.*				
1.	मुख्य शीर्ष 3054 - मोटर स्ट्रिट तथा उच्च गति डीजल पर अतिरिक्त उद्ग्रहणों के लिए रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों के लिए अंशदान। (आयोजना)	यातायात के लिए निर्बाध और सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराने के लिए इस योजना के तहत केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत धनराशि का प्रयोग मानव रहित लेवल क्रॉसिंग्स पर रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों और रेलवे उपरि सेतुओं/ अधोसेतुओं के निर्माण के वित्तपोषण हेतु किया जाएगा।	...	1040.63	...	- 2500 स्थानों पर पहरेदारों की तैनाती। - 1000 स्थानों पर मूलभूत अवसंरचना। - सभी मानवयुक्त गेटों पर टेलीफोन सुविधा प्रदान की जानी है। - 325 स्थानों पर अन्तःपाशन। - सीमित ऊंचाई वाले 225 सबवे का निर्माण। - 300 सड़क उपरिसेतुओं / अधोसेतुओं का निर्माण।	मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर सुरक्षा सुनिश्चित करना और यातायात के लिए निर्बाध रास्ता प्रदान करना। जहां उपरि सेतु/ अधोसेतु बनाए जाते हैं वहां ईंधन में बचत होती है और कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है।	- मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को मानव युक्त बनाने के लिए फाटकों/ उत्थापक अवरोधों का निर्माण किया जाना है और चौकीदारों के लिए ड्यूटी कुटीरों/ फाटकों और लॉजों का निर्माण हो गया है। चिकित्सीय रूप से उत्तीर्ण उपयुक्त इच्छुक चौकीदारों का चयन किया जाना है और फाटकों पर उन्हें तैनात किया जाना है। - स्टेशन से लेवल क्रॉसिंग स्थान तक केबल बिछाना, सिग्नल प्रणाली और टेलीफोनों को लेवल क्रॉसिंग स्थान से जोड़ना।	- रेलवे उपरिसेतुओं/ अधोसेतुओं का निर्माण करना रेलवे और राज्य सरकारों/ स्थानीय निकायों का संयुक्त कार्य है। - दूर-दराज के स्थानों में सामग्री और ठेकेदारों की अनुपलब्धता। - संविदा संबंधी समस्याएं/भूमि अधिग्रहण और अतिक्रमण हटाने में विलम्ब। - गैटमेन-भर्ती में देरी।
2.	मुख्य शीर्ष 5475 - अवसंरचना विकास के लिए सहायता अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) (आयोजना स्कीम)	व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण के प्रावधान के माध्यम से अवसंरचना क्षेत्र में सरकारी निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।	...	499.37	...	अब तक सिद्धान्ततः/अंतिम रूप से अनुमोदित 67 प्रस्तावों हेतु व्यवहार्यता अन्तराल वित्तपोषण (वीजीएफ) अनुदान के लिए कुल ₹8289.42 करोड़ के अनुमोदन हैं। एक बार बोली प्रक्रिया पूरी होने पर इन प्रस्तावों की वीजीएफ राशि के वास्तविक स्तर का पता लग जाएगा।	सरकारी निजी भागीदारी के माध्यम से अवसंरचना का विकास।	सिद्धान्ततः अनुमोदन और अंतिम संवितरण की अनुमति के बीच समयान्तर होता है। प्रायोजन अधिकारी द्वारा व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण की आवश्यकता 1928.67 करोड़ रुपए है। वीजीएफ आवश्यकता का अलग-अलग विवरण इस प्रकार है: मध्य प्रदेश (₹27.73 करोड़), राजस्थान (₹186.82 करोड़), बिहार (₹99.76 करोड़),	संवितरण तभी हो सकता है जब परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो चुका हो तथा निजी पक्षकार का चयन प्रति-स्पर्धात्मक बोली लगाने के जरिए हो गया हो और उसने अपना इक्विटी शेयर निवेश कर दिया हो।

सी.ई.बी.आर.* - प्रतिपूरक बजट बाह्य संसाधन अर्थात् केन्द्र सरकार के अलावा अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा प्रतिबद्ध व्यय।

1	2	3	4	5	6	7	8	
			4(i) आयोजना- भिन्न	4(ii) आयोजना	4(iii) बजट- बाह्य संसाधन			
						हरियाणा (₹181.90 करोड़), कर्नाटक (₹65.00 करोड़), आंध्र प्रदेश (₹927.10 करोड़) और महाराष्ट्र (₹440.36 करोड़)।		
3.	मुख्य शीर्ष 3475 - भारतीय निर्यात आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता(आयोजना-भिन्न)	भारतीय विकास एवं आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस)। इसका उद्देश्य भारत के नीतिगत आर्थिक हितों को विदेशों में बढ़ावा देना और दीर्घावधिक आर्थिक सम्बन्धों को विकसित करना है। यह योजना, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत सरकार समर्थित ऋण सहायता हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता भी प्रदान करती है।	139.69 भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए निर्यात-आयात बैंक के माध्यम से अन्य विकासशील देशों को क्रेडिट श्रृंखलाएं प्रदान करना।	भारत सरकार समर्थित भारतीय आयात निर्यात बैंक ऋण सहायता के संबंध में भारतीय एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता भारत सरकार द्वारा दी जाती है। अंगोला, बुर्किना फासो कम्बोडिया, चाड, कांगो, कोट डी आइवर, जिबूती, गिनी बिसाऊ, गुयाना, आदि जैसे विकासशील देशों के साथ भारतीय निर्यात को बढ़ाने, सामरिक तथा आर्थिक संबंधों के विकास हेतु ऋण श्रृंखला प्रदान की जाती है।	इस प्रावधान का उपयोग 31 मार्च, 2012 तक किया जाना है।	यदि प्राप्तकर्ता देश अदायगी नहीं करता है, भारत सरकार एग्जिम बैंक को राशि की अदायगी करेगी क्योंकि भारत सरकार की प्रति-गारंटी एग्जिम बैंक को ऋण श्रृंखलाओं के संबंध में दी गई है।
4.	मुख्य शीर्ष 3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग; कोलम्बो योजना के अंतर्गत दक्षिण-पूर्व एशिया को तकनीकी सहायता; अंशदान (आयोजना-भिन्न)	कोलम्बो योजना के तहत, भारतीय संस्थानों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के जरिए मानव संसाधन विकास को सहायता उपलब्ध कराते हुए, देशों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।	3.00 कोलम्बो योजना से संबंधित कार्य अप्रैल, 2010 से विदेश मंत्रालय को अंतरित हो गया है। विभिन्न कोलम्बो प्लान देशों से जिन विद्यार्थियों ने 2009-10 के दौरान भारत में स्थित संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उनके बारे में शेष वित्तीय देनदारियों को पूरा करने के लिए बजट व्यवस्था की जाती है।	कोलम्बो योजना देशों को तकनीकी सहायता जारी रखते हुए दीर्घावधिक आर्थिक संबंधों का विकास करना।	भारत में अनुमोदित संस्थानों में चल रहे प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षार्थियों को वायु किराया, ट्यूशन फीस, आवास और जीवनयापन भत्ता प्रदान किया जाता है।	इसमें कोई जोखिम शामिल नहीं है क्योंकि धन का उपयोग कालम 3 में वर्णित उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

सुधार उपाय तथा नीतिगत पहल

1.1 आधारभूत ढांचा विकास हेतु सहायता (आयोजना)

यह योजना व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण हेतु आधारभूत ढांचा क्षेत्र में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) के एक नवीन वित्तपोषण तंत्र को लागू करने के लिए है। सरकार देश में महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचे की उपलब्धता और स्तर में काफी अधिक सुधार करने की जरूरत को स्वीकारती है ताकि अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और इसे उच्च वृद्धि के मार्ग पर अग्रसर किया जा सके। अधिक निवेश करके भौतिक आधारभूत ढांचे के विकास की गति बढ़ाने के लिए आधारभूत ढांचा क्षेत्र में सरकारी-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। आधारभूत ढांचे के विभिन्न क्षेत्रों जैसे सड़कें, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, रेलवे, सम्मेलन केन्द्र, विद्युत, जलापूर्ति, शहरी क्षेत्रों में मल जल निपटान और ठोस अपशिष्ट पदार्थ निपटान इत्यादि में सरकारी-निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण की सहायता हेतु प्रावधान किया गया है। राज्य एवं नगरपालिका स्तर पर सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण को त्वरित एवं सुदृढ़ बनाने तथा राज्य स्तर पर क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों में सरकारी निजी भागीदारी के बारे में क्षमता निर्माण कार्यक्रम को समेकित करने हेतु, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा विश्व बैंक और केएफडब्ल्यू विकास बैंक के सहयोग से, एक बृहद राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम बनाया गया है। इसे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, और चौदह राज्य प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थानों तथा केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के लिए आनलाइन टूलकिट, जोखिम एवं आकस्मिक देयता ढांचा तथा सरकारी निजी भागीदारी के लिए सम्प्रेषण कार्यनीति बनायी गयी है। ये पीपीपी पर आर्थिक कार्य विभाग की वेबसाइट www.pppinindia.com पर उपलब्ध हैं। सरकारी निजी भागीदारी टूलकिट एक वेब आधारित साधन है जिसे भारत में सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के ढांचे के लिए निर्णय लेने तथा भारत में क्रियान्वित की जा रही सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के ढांचे की गुणवत्ता में सुधार करने में सहायता के लिए बनाया गया है।

1.2 भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ) (आयोजना-भिन्न)

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2007-08 के अपने बजट भाषण में परियोजना तैयारी की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ₹100 करोड़ की समग्र राशि से आवर्ती निधि की स्थापना की घोषणा की थी। भारत सरकार ने राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों को योजना एवं स्तरीय परियोजना विकास क्रियाकलापों हेतु वित्तीय सहायता प्रारंभ करने हेतु भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि हेतु दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं। इसका उद्देश्य परामर्शदाता तथा लेनदेन सलाहकार को नियोजित करने की लागत सहित सरकारी निजी भागीदारी परियोजनाओं के परियोजना विकास व्ययों का वित्तपोषण करना है ताकि सफल सरकारी निजी भागीदारी की गुणवत्ता तथा मात्रा में वृद्धि हो सके तथा अच्छी व्यवहार्यता रिपोर्टों के आधार पर सरकार विवेकपूर्ण निर्णय

ले सके। भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि उन परियोजनाओं में सहायता करेगी जो सरकारी निजी भागीदारी परियोजना का चयन करने तथा उसे तैयार करने में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को आधार बनाए। अब तक ₹27.19 करोड़ की कुल परियोजना लागत पर और 20.39 करोड़ रुपए की आईआईपीडीएफ सहायता से 27 परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदित किया जा चुका है। इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2008-09 में 1.32 करोड़ रुपए और 2009-10 में ₹7.55 करोड़ की राशि संवितरित की जा चुकी है। वर्ष 2010-11 में दिसम्बर, 2010 तक 1.38 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गयी है।

1.3 अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग - भारत के निर्यात-आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता

"भारतीय विकास और आर्थिक सहायता स्कीम" के तहत, भारतीय निर्यात-आयात बैंक के माध्यम से रियायती ऋण-श्रृंखला दिए जाने से संबंधित भाग लागू है। इसके अंतर्गत, भारत सरकार ब्याज समकरण सहायता (अर्थात् भारत के निर्यात-आयात बैंक की ब्याज-दर और उस रियायती ब्याज दर जिस पर ऋण-श्रृंखला दी जाती है, के बीच अंतर) प्रदान करती है। अधिकांश मामलों में, मूल राशि की अदायगी और ब्याज-अदायगी की भारत सरकार की प्रति गारंटी भी एक्जिम बैंक को दी जाती है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2010 तक ₹62.03 करोड़ की ब्याज समकरण सहायता मुहैया कराई गई। इस अवधि के दौरान, इस विभाग ने भारत के एक्जिम बैंक की भारत सरकार समर्थित 14 ऋण-श्रृंखलाओं को मंजूरी दी है। इनकी कुल राशि 1298.33 मिलियन अमरीकी डालर बैठती है।

1.4 करेंसी निदेशालय

करेंसी निदेशालय की स्थापना की गई है। इसे भारतीय बैंक नोट की विद्यमान प्रतिभूति विशेषताओं की अक्षतता की मानीटरी व समीक्षा; अन्य देशों की संबंधित विशेषताओं में सुधारों एवं सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का अध्ययन; और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के विश्लेषण के आधार पर प्रतिभूति विशेषताओं को संशोधित करने एवं उन्हें अद्यतन बनाने की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा करने हेतु अधिदेश प्राप्त है। यह निदेशालय अनुसंधान एवं विकास कार्य करने तथा करेंसी एवं सिक्का निर्माण जैसे - प्रतिभूति कागज, स्याही, प्रतिभूति विशेषताएं, हाई एंड मशीनरी, साफ्टवेयर एवं प्रौद्योगिकियों के स्वदेशीकरण के लिए अपेक्षित सभी मुख्य वस्तुओं के विषय में अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी अंतरण हेतु समाशोधन केन्द्र के रूप में भी कार्य करेगा।

1.5 आर्थिक एवं व्यावसायिक स्कन्ध, भारतीय दूतावास, बीजिंग

सलाहकार (आर्थिक) की अध्यक्षता में भारतीय दूतावास बीजिंग, चीन में एक आर्थिक एवं व्यावसायिक स्कन्ध मई, 2010 में बनाया गया है। आशा है कि यह स्कन्ध भारत की वार्ता क्षमताओं में सहयोग एवं संवर्धन करेगा तथा चीन के साथ और अधिक सहयोग के लिए हमारे मिशन की संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ करेगा।

2009-10 के परिव्ययों के संदर्भ में परिणाम की प्रास्थिति

क्र. सं.	स्कीम/कार्य का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2009-10 (₹ करोड़)		प्रमानात्मक प्रदाय/वास्तविक उपलब्धियां	प्रक्रियाएं/ समय सीमा	जोखिम कारक	31 मार्च, 2010 तक की स्थिति
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
1.	मुख्य शीर्ष 3054 - मोटर स्पिरिट तथा उच्च गति डीजल पर अतिरिक्त उद्ग्रहणों के लिए रेलवे सुरक्षा निर्माण के लिए अंशदान। (आयोजना)	इस स्कीम के अधीन केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत उपकर धनराशि का प्रयोग मानव-रहित ब्यस्त रेलवे क्रासिंग्स पर ऊपर के और नीचे के पुलों के निर्माण में वित्त पोषण हेतु किया जाएगा।	958.36 (+अतिरिक्त बजटीय सहायता के रूप में ₹241.64 करोड़)	827.11 (+अतिरिक्त बजटीय सहायता के रूप में ₹241.64 करोड़)	- 355 स्थानों पर आदमियों की तैनाती - 374 स्थानों पर उठाए जाने वाले अवरोध - 1310 स्थानों पर आधारभूत अवसंरचना - 449 स्थानों पर इंटरलॉकिंग - 300 स्थानों पर टेलीफोन - सीमित ऊंचाई वाले 139 सबवे का निर्माण। - सड़क के उपर के/नीचे के 120 पुलों का निर्माण।	- मानवरहित लेवल क्रॉसिंग के संचालन के लिए, गेटेड/ लिफ्टिंग बैरियर्स का निर्माण किया जाना है और ड्यूटी हट्स/गेट लॉजों का निर्माण गेटकीपरों के लिए किया जाना है। योग्य/ उपयुक्त इच्छुक चौकीदारों का चयन किया जाना है और उन्हें फाटकों पर तैनात किया जाना है। - सिग्नल प्रणाली और टेलीफोनों को लेवल क्रॉसिंग स्थान से जोड़ने हेतु स्टेशन/लेवल क्रॉसिंग स्थान के बीच केबल बिछाना।	सड़क के ऊपर/नीचे पुलों का निर्माण करना रेलवे तथा राज्य सरकार/ स्थानीय निकायों का संयुक्त कार्य है। कभी-कभी राज्य सरकार/ स्थानीय निकायों द्वारा, अनधिकृत कब्जों/वित्तीय साधनों की कमी आदि की वजह से कार्य को समय पर न शुरू किए जाने के कारण निर्माण कार्य में विलम्ब हो जाता है।	₹827.11 करोड़ (+ अतिरिक्त बजटीय सहायता के रूप में ₹241.64 करोड़) के पूरे परिव्यय की राशि जारी की जा चुकी है। निम्नलिखित उपलब्धियां हुई हैं: - 377 स्थानों पर आदमियों की तैनाती। - 416 स्थानों पर लिफ्टिंग बैरियर्स। - 2572 स्थानों पर बुनियादी अवसंरचना का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। - 474 स्थानों पर इंटरलॉकिंग। - 316 स्थानों पर टेलीफोन। - सीमित ऊंचाई वाले 102 सबवेज का निर्माण कार्य पूरा हुआ। - सड़क के ऊपर/ नीचे 80 पुलों का निर्माण कार्य पूरा हुआ। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा किया गया सम्पर्क सड़कों का निर्माण कार्य सम्मिलित है।

1	2	3	4	5	6	7	8	
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
2.	मुख्य शीर्ष 5475 - अवसंरचना विकास के लिए सहायता, अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी)	व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण का प्रावधान करके अवसंरचना क्षेत्र में सरकारी निजी भागीदारी को बढ़ावा देना	150.00 (आयोजना)	45.95 (आयोजना)	इस स्कीम के अंतर्गत 53 प्रस्तावों को सशक्त संस्था द्वारा सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान किया गया। 25 प्रस्तावों में बोली की प्रक्रिया पूरी हो गयी है और 9 प्रस्तावों के संबंध में, बोली की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, कुछ परियोजनाओं में प्रीमियम था और व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण की आवश्यकता नहीं थी।	‘सिद्धांततः’ अनुमोदित और अंतिम संवितरण के बीच समयांतर होता है। सामान्यतः किसी प्रस्ताव को सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान करने के पश्चात, बोली की प्रक्रिया और वित्तीय समापन में 12 से 18 माह का समय लगता है।	परियोजना निर्माण कार्य शुरू होने के बाद, निधि का संवितरण किया जाता है, और प्रतिस्पर्धात्मक बोली के जरिए निजी पक्षकार अपनी इक्विटी शेयर का निवेश करता है।	इस योजना के तहत 53 प्रस्तावों को सशक्त संस्था द्वारा मार्च, 2010 तक सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान किया गया था। इनमें से, 5 प्रस्तावों को अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया था। परियोजनाओं के प्रायोजनकारी प्राधिकरणों द्वारा सुझाए गए संवितरण लक्ष्यों की जांच-पड़ताल के पश्चात, ब.अनु. 2009-10 में किए गए 150.00 करोड़ रुपए के बजट आवंटन को सं.अनु. 2009-10 में घटाकर ₹ 45.95 करोड़ कर दिया गया। निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए वर्ष 2009-10 के दौरान ₹45.85 करोड़ की राशि संवितरित की गई: i) भोपाल-देवास सड़क परियोजना- ₹21.93 करोड़; ii) मटकुली-तामिया छिंदवाड़ा सड़क परियोजना - ₹12.02 करोड़; iii) चांदपुर-अलीराजपुर कुकक्षी-बाडवाणी परियोजना - ₹7.23 करोड़; और iv) गोमती-ब्यावर सड़क परियोजना - ₹4.67 करोड़।

1	2	3	4	5	6	7	8	
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
3.	मुख्य शीर्ष 3475 - भारतीय एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता	इसका उद्देश्य भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक हितों को विदेशों में बढ़ावा देना और स्थायी आर्थिक संबंध विकसित करना है। इस स्कीम में, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत सरकार समर्थित ऋण श्रृंखला हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता भी प्रदान करने की व्यवस्था है।	278.00	139.41	अंगोला, बुर्किना, फासो, कम्बोडिया, चाड, कांगो, कोट डी आइवर, जीबूती आदि जैसे देशों के साथ भारतीय निर्यातों में वृद्धि, नीतिगत एवं आर्थिक संबंधों को विकसित करने के लिए प्रदत्त भारत सरकार समर्थित एक्जिम बैंक क्रेडिट श्रृंखलाओं के संबंध में भारतीय एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता भारत सरकार द्वारा दी जाती है।	इन निधियों का उपयोग 31 मार्च, 2010 तक किया जाना है।	यदि प्राप्तकर्ता देश द्वारा अदायगी में चूक हो जाती है तो भारत सरकार एक्जिम बैंक को इस राशि का वापसी भुगतान करेगी क्योंकि ऋण श्रृंखलाओं के लिए एक्जिम बैंक को भारत सरकार की प्रति गारंटी दी हुई है।	वर्ष 2009-10 के दौरान ब्याज समकरण सहायता के तौर पर ₹118.87 करोड़ की राशि भारतीय निर्यात आयात बैंक को अदा कर दी गई है।
4.	मुख्य शीर्ष 3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग, कोलंबो योजना के अंतर्गत तथा दक्षिण पूर्व एशिया को तकनीकी सहायता; अंशदान	भारतीय संस्थानों द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों के जरिए मानव संसाधन विकास को सहायता उपलब्ध कराते हुए, कोलंबो प्लान के अंतर्गत देशों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।	6.00	8.95	कोलंबो प्लान देशों से प्रत्येक वर्ष 410 विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के जरिए मानव संसाधन विकास।	कोलम्बो प्लान देशों को अनवरत तकनीकी सहायता के जरिए स्थायी आर्थिक संबंधों का संवर्धन।	इसमें कोई जोखिम कारक शामिल नहीं है क्योंकि निधियों का उपयोग कालम 3 में बताए गए उद्देश्य के लिए किया जा रहा है।	वर्ष 2009-10 के दौरान विभिन्न कोलम्बो योजना देशों से लगभग 450 विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के संबंध में वित्तीय देनदारियों को पूरा करने के लिए ₹ 9.01 करोड़ की राशि खर्च की गई है।

2010-11 के परिव्ययों के संदर्भ में परिणाम की प्रास्थिति

क्र. सं.	स्कीम/कार्य का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11 (₹ करोड़)		प्रमानात्मक प्रदाय/वास्तविक उपलब्धियां	प्रक्रियाएं/ समय सीमा	जोखिम कारक	31 मार्च, 2010 तक की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
1.	मुख्य शीर्ष 3054 - मोटर स्फिरिट तथा हाई-स्पीड डीजल पर अतिरिक्त उद्ग्रहणों के लिए रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों के लिए अंशदान (आयोजना)	इस स्कीम के अधीन केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम के अंतर्गत धनराशि का प्रयोग मानवरहित रेलवे क्रासिंग्स पर रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों और रेलवे उपरि-सेतुओं/अधोसेतुओं के निर्माण के वित्त पोषण हेतु किया जाता है ताकि यातायात के लिए सहज और सुरक्षित मार्ग मुहैया कराया जा सके।	876.73	932.81	- 800 स्थानों (संशोधित लक्ष्य 1000) पर आदमियों की तैनाती। - 272 स्थानों पर उठाए जाने वाले अवरोधक। - 1626 स्थानों पर बुनियादी अवसंरचना। - तैनाती वाले सभी गेटों पर टेलीफोन उपलब्ध कराए जाएंगे। - 333 स्थानों पर इंटरलॉकिंग। - सीमित ऊंचाई वाले 150 सबवे का निर्माण। - सड़क के ऊपर/नीचे के 100 पुलों का निर्माण।	- मानवरहित लेवल क्रॉसिंग के संचालन के लिए फाटकों/ उठाए जाने वाले अवरोधकों का, और गेटकीपरों के लिए ड्यूटी कुटीरों/ फाटकों लॉजों का निर्माण किया जाना है। योग्य/ उपयुक्त इच्छुक चौकीदारों का चयन करके उन्हें फाटकों पर तैनात किया जाना है। - सिग्नल प्रणाली और टेलीफोन को आपस में जोड़ने के लिए स्टेशन/ लेवल क्रॉसिंग स्थल के बीच केबल बिछाना।	सड़क के ऊपर/नीचे के पुलों का निर्माण करना रेलवे तथा राज्य सरकार/ स्थानीय निकायों का संयुक्त कार्य है। कभी-कभी संविदागत समस्याओं, भूमि की अनुपलब्धता के कारण, तथा वित्तीय तंगी/ अनधिकृत कब्जों इत्यादि की वजह से राज्य सरकार/ स्थानीय निकायों के समय पर कार्य न शुरू किए जाने के कारण निर्माण कार्य में विलम्ब हो जाता है।	दिसंबर, 2010 तक ₹657.54 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। निम्नलिखित उपलब्धियां हुई हैं: - 1129 स्थानों पर आदमी तैनात किए गए - 110 स्थानों पर उठाए जाने वाले अवरोधक प्रदान किए गए। - 1402 स्थानों पर बुनियादी अवसंरचना का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। - 306 स्थानों पर इंटरलॉकिंग हुई। - 219 स्थानों पर टेलीफोन लगाए गए। - दिसम्बर, 2010 तक सीमित ऊंचाई वाले 178 सबवेज का निर्माण कार्य पूरा हुआ। - सड़क के ऊपर/नीचे के 41 पुलों का निर्माण कार्य पूरा हुआ।

1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.			
2.	मुख्य शीर्ष 5475 - अवसंरचना विकास के लिए सहायता, अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) (आयोजना)	व्यवहार्यता अंतराल वित्त-पोषण का प्रावधान करके, अवसंरचना क्षेत्र में सरकारी निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।	480.26 (आयोजना)	125.00 (आयोजना)	67 प्रस्तावों को सशक्त संस्था द्वारा सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान किया गया। 25 प्रस्तावों के संबंध में बोली की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 9 प्रस्तावों के संबंध में बोली की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रीमियम था इसलिए वीजीएफ की आवश्यकता नहीं थी।	सिद्धांततः अनुमोदित और अंतिम संवितरण के बीच समयांतर होता है और सामान्यतः किसी प्रस्ताव में सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान करने के पश्चात, बोली की प्रक्रिया से/ वित्तीय समापन तक 12 से 18 माह का समय लगता है।	परियोजना बना निर्माण कार्य शुरू हो जाने, तथा प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए चयनित निजी पक्षकार के अपने इक्विटी शेयर का निवेश कर दिए जाने के बाद, संवितरण होता है। (i) दामोह-जबलपुर सड़क परियोजना - ₹12.63 करोड़; (ii) बीना-खीमलासा सड़क परियोजना - ₹5.09 करोड़; (iii) सागर-दामोह सड़क परियोजना - ₹5.31 करोड़; (iv) भिंड-गोपालपुर सड़क परियोजना - ₹6.27 करोड़; (v) गोमती-ब्यावर सड़क परियोजना - ₹34.33 करोड़; और (vi) जालना-फाथा सड़क परियोजना - ₹19.18 करोड़; यह कमी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं हरियाणा (जिनकी बोली की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है) सरकारों के प्रस्तावों को अंतिम रूप से अनुमोदन प्रदान न किए जाने और कर्नाटक सरकार के प्रस्तावों के संबंध में बोली विफल हो जाने के कारण हुई है। इसलिए इन परियोजनाओं के लिए वर्ष 2010-11 में कोई मांग नहीं है।

1	2	3	4	5	6	7	8	
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
3.	मुख्य शीर्ष 3475 - भारतीय निर्यात आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता (आयोजना-भिन्न)	इसका उद्देश्य भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक हितों को विदेशों में बढ़ावा देना और स्थायी आर्थिक सम्बन्ध विकसित करना है। यह स्कीम, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत सरकार समर्थित ऋण श्रृंखला हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता भी प्रदान करती है।	130.00	127.77	अंगोला, बुर्किना फासो, कम्बोडिया, चाड, कांगो, कोट-डी-आइवर, जिबूती आदि जैसे देशों के साथ भारतीय निर्यातों में वृद्धि, नीतिगत और आर्थिक संबंध विकसित करने आदि के लिए प्रदान की गई भारत सरकार समर्थित भारतीय आयात बैंक ऋण श्रृंखलाओं के संबंध में भारतीय एक्जिज बैंक को ब्याज समकरण सहायता भारत सरकार द्वारा दी जानी है।	इन निधियों का उपयोग 31 मार्च, 2011 तक किया जाना है।	यदि प्राप्तकर्ता देश द्वारा वर्ष 2010-11 के दौरान 31 दिसम्बर, 2010 तक, ब्याज समीकरण सहायता के तौर पर ₹62.03 करोड़ की राशि का भुगतान एक्जिज बैंक को किया गया है।	
4.	मुख्य शीर्ष 3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग, कोलंबो योजना के अंतर्गत तथा दक्षिण पूर्व एशिया को तकनीकी सहायता। अंशदान	भारतीय संस्थानों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के माध्यम से मानव संसाधन विकास को सहायता प्रदान करके, कोलंबो योजना के अंतर्गत देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करना ।	8.45	7.95	कोलंबो योजना देशों से प्रत्येक वर्ष 410 विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा देकर मानव संसाधन विकास।	कोलम्बो प्लान देशों अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, फिजी, इंडोनेशिया, ईरान, कोरिया, मलेशिया, लाओस, नेपाल, मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार, श्रीलंका, पापुआ, न्यू गिनी, थाईलैंड और वियतनाम को अनवरत तकनीकी सहायता के जरिए स्थायी आर्थिक संबंधों का संवर्धन।	इसमें कोई जोखिम कारक अंतर्विष्ट नहीं है क्योंकि निधियों का उपयोग कालम 3 में उल्लिखित उद्देश्य हेतु किया जा रहा है ।	कोलम्बो योजना से संबंधित कार्य अप्रैल, 2010 से विदेश मंत्रालय को अंतरित हो गया है। विभिन्न कोलम्बो प्लान देशों के लगभग 450 विद्यार्थियों के संबंध में शेष वित्तीय देनदारियों को पूरा करने के लिए वर्ष 2010-11 के दौरान दिसम्बर, 2010 तक ₹2.20 करोड़ व्यय किए गए हैं। इन विद्यार्थियों को 2009-10 में भारत के भिन्न-भिन्न संस्थानों में प्रशिक्षण दिया गया।

अनुदान सं.32 - आर्थिक कार्य विभाग के तहत योजनाओं की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़)

क्र.सं.	योजना	2009-2010			2010 - 2011			2011-2012
		ब.अनु.	सं.अनु.	वास्तविक	ब.अनु.	सं.अनु.	वास्तविक (दिसम्बर 2010 तक)*	ब.अनु.
1.	अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी), व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) (मु.शीर्ष 5475) - आयोजना	150.00	45.95	45.85	480.26	125.00	82.81	499.37
2.	मोटर स्परिट और हाईस्पीड डीजल पर अतिरिक्त लेवी के लिए रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों के लिए अंशदान; और अतिरिक्त बजटीय सहायता (मु.शीर्ष 3054)- आयोजना	958.36	827.11	827.11	876.73	932.81	657.54	1040.63
		241.64	241.64	241.64
		1200.00	1068.75	1068.75	876.73	932.81	657.54	1040.63
3.	भारत के निर्यात आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता (मु.शीर्ष 3475) - आयोजना-भिन्न	278.00	139.41	118.87	130.00	127.77	62.03	139.69
4.	अन्य देशों के साथ तकनीकी आर्थिक सहयोग - कोलम्बो योजना के तहत दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया को तकनीकी सहायता (मु.शीर्ष 3605) आयोजना-भिन्न	6.00	8.95	9.01	8.45	7.95	2.20	3.00
	जोड़	1634.00	1263.06	1242.48	1495.44	1193.53	804.58	1682.69

* अनन्तिम

वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के ब.अनु. और सं.अनु. की स्थिति की तुलना में वास्तविक व्यय दर्शाने वाला विवरण

विवरण	मुख्य शीर्ष	ब.अनु.	2008-09		ब.अनु.	2009-10		ब.अनु.	2010-11	
			सं.अनु.	वास्तविक		सं.अनु.	वास्तविक		सं.अनु.	वास्तविक (दिसम्बर 2010 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
भाग-क आयोजना-भिन्न मदें										
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	2052	41.15	53.07	49.89	66.37	66.18	62.89	70.37	79.30	51.46
अन्य राजकोषीय सेवाएं										
राष्ट्रीय बचत संस्थान	2047	12.10	11.02	9.75	11.07	11.61	11.10	11.48	12.25	8.51
अनिवार्य जमा (आयकर दाता योजना, 1974) के अन्तर्गत जमाराशियों पर ब्याज	2047	0.20	0.15	0.03	0.15	0.10	0.05	0.10	0.05	0.02
आईएमएफ को ईएसएफ/पीआरजीएफ न्यास सब्सिडी खाते के लिए अंशदान	2047	3.93	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य व्यय	2047	0.20	0.21	0.18	0.21	0.21	0.17	0.21	0.21	0.02
जोड़	2047	16.43	15.64	14.22	11.43	11.92	11.32	11.79	12.51	8.55
अन्य प्रशासनिक सेवाएं										
13वां वित्त आयोग	2070	11.95	14.44	14.23	13.80	13.59	12.81	0.00	0.00	0.00
निवेश आयोग	2070	0.94	0.71	0.07	0.90	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य व्यय (एसएटी)	2070	2.43	1.88	2.44	3.26	3.76	3.54	3.72	3.88	2.39
जोड़	2070	15.32	17.03	16.74	17.96	18.10	16.35	3.72	3.88	2.39
विविध सामान्य सेवाएं										
गारंटी मोचन निधि	2075	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
अन्य कार्यक्रम	2075	0.04	0.56	0.53	0.12	0.07	0.02	0.03	0.01	0.00
जोड़	2075	0.04	0.56	0.53	300.12	300.07	300.02	300.03	300.01	300.00
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण										
संरक्षित बचत स्कीमें (अन्य प्रभार)	2235	0.01	0.01	0.13	0.01	0.10	0.14	0.10	0.14	0.00
जोड़	2235	0.01	0.01	0.13	0.01	0.10	0.14	0.10	0.14	0.00
अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी)										
आईएफएडी को अतिरिक्त पूरक अंशदान	2416	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	41.83	40.00	35.52	35.52
जोड़	2416	0.00	0.00	0.00	45.01	45.00	41.83	40.00	35.52	35.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अन्य परिवहन सेवाएं										
लाभांश राहत और अन्य रियायतों के लिए रेलवे को सब्सिडी	3075	1707.69	1735.17	1700.91	2086.43	2243.44	2155.86	2829.88	2190.87	1886.58
महत्वपूर्ण (स्ट्रैटेजिक) रेलवे लाइनों के संचालन पर हानियां	3075	500.00	646.00	646.00	600.00	654.48	654.48	600.00	648.97	400.00
इराक में परियोजनाओं के निष्पादन के लिए राइट्स को दी गई प्रति गारंटी राशि का निपटान करने के लिए रेल मंत्रालय को सहायता	3075	0.00	166.62	166.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
इराक में इरकान को दी गई प्रति गारंटी राशि का निपटान करने के लिए रेल मंत्रालय को सहायता	3075	0.00	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़	3075	2207.69	2570.51	2536.25	2686.43	2897.92	2810.34	3429.88	2839.84	2286.58
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं										
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय निर्धारण प्रभार प्राकृतिक आपदाओं के लिए आपातकालीन सहायता	3466	0.00	0.00	0.00	0.35	0.38	0.38	2.19	0.22	0.00
अफगानिस्तान पुनर्निर्माण न्यास निधि	3466	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39	4.42	4.37	0.00	0.00
विश्व बैंक (तकनीकी सहायता ऋण)	3466	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.92	1.00	0.93	0.93
विश्व बैंक सीएचएसटी ट्रस्ट फंड	3466	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.11	12.50	5.99	0.48
साउथ एक्सपीरियंस विनिमय न्यास निधि (एसईईटीएफ)	3466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.39
जोड़	3466	0.00	0.00	0.00	4.74	8.80	5.78	15.69	9.55	3.80
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं										
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	3475	8.22	13.31	11.94	13.81	9.42	9.28	9.23	19.33	1.00
अन्य प्रभार/आईईएस/भारतीय दूतावास, टोक्यो और वाशिंगटन/बीजिंग	3475	9.20	9.44	7.94	12.80	12.34	10.40	11.61	16.58	5.26
भारत निवेश केंद्र को अनुदान	3475	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य संस्थाओं को सहायता अनुदान	3475	2.85	2.08	1.98	2.23	2.74	2.59	2.60	2.77	1.27
यूएन एजेंसियों में गैर-भारतीय कार्मिकों पर सीमाशुल्क और आयात शुल्क	3475	0.03	0.03	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.00
अनिवासी भारतीय बांडों के अंतर्गत मुद्रा हानि	3475	0.50	0.50	0.13	0.50	0.50	0.03	0.50	0.50	2.81
सरकारी निजी भागीदारी हेतु विश्व बैंक अनुदान	3475	0.53	1.01	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता	3475	232.00	209.75	191.57	278.00	139.41	118.87	130.00	127.77	62.03
तुर्कमेनिस्तान को दिए गए एलओसी के समक्ष बकाया देयों एवं बकाया ऋणों पर ब्याज की राशि को बट्टे खाते डालना	3475	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50	0.00
जोड़		253.34	236.12	214.48	307.37	164.44	141.20	153.97	191.46	72.37
अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग										
यूएनडीपी को अंशदान	3605	22.05	20.26	20.26	22.05	22.43	22.43	22.55	21.59	21.56
अन्य देशों के साथ सहयोग (जीईएफ समेत)	3605	16.01	16.88	18.37	16.56	20.01	19.62	19.51	18.58	12.29
अन्य व्यय	3605	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विकास सहायता	3605	5.00	1.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
जोड़	3605	43.07	38.14	38.63	38.62	42.45	42.05	42.07	40.18	33.85
मुद्रा, सिक्का और टकसालों का पूंजी परिव्यय										
एसपीएमसीआईएल से सिक्कों की खरीद	4046	500.00	885.20	885.19	894.00	894.00	894.00	1063.20	1852.00	955.53
अन्य विविध सेवाओं पर पूंजी परिव्यय										
बजट प्रेस के लिए मशीनरी की खरीद	4075	3.00	2.04	2.04	3.00	3.00	0.25	3.00	2.50	0.04
सामान्य वित्तीय और व्यापार संस्थाओं में निवेश										
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)	5465	0.00	1000.00	998.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश										
अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को अभिदान	5466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
एशियाई विकास बैंक को अभिदान	5466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.19	199.85	199.85
अफ्रीकी विकास निधि को अभिदान	5466	0.00	0.00	0.00	14.51	14.51	14.50	14.93	37.37	13.39
अफ्रीकी विकास निधि को बहुपक्षीय ऋण सहायता का भुगतान	5466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अफ्रीकी विकास बैंक को अभिदान	5466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	5.21	0.00
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अभिदान (प्रतिभूतियों में)	5466	0.00	0.00	0.00	3035.60	3094.26	0.00	0.01	0.00	0.00
मूल्य अनुरक्षण दायित्व (एमओवी)	5466	0.00	0.00	0.00	3653.93	12836.26	3653.93	0.01	0.00	0.00
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उधार संसाधनों के लिए भारत का अंशदान	5466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.67	63.67	2.85
जोड़	5466	0.00	0.00	0.00	6704.04	15945.03	3668.43	294.83	306.11	216.09
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय										
पीपीपी के मुख्य क्रियाकलाप	5475	0.00	0.60	0.32	2.10	2.10	0.66	2.10	1.12	0.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ)	5475	0.01	12.01	1.32	10.50	7.00	7.55	7.00	7.00	1.38
जोड़	5475	0.01	12.61	1.64	12.60	9.10	8.21	9.10	8.12	1.68
भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) के निगमीकरण हेतु ब्याज मुक्त ऋण	7465	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विदेशी सरकारों को अग्रिम ऋण										
(क) श्रीलंका	7605	0.00	10.51	11.16	0.01	2.84	2.61	0.01	0.00	0.00
(ख) कंबोडिया	7605	4.00	4.30	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़	7605	4.00	14.81	15.45	0.01	2.84	2.61	0.01	0.00	0.00
जोड़ आयोजना-भिन्न		3084.07	4845.74	4773.29	11091.71	20408.95	8005.42	5437.76	5681.11	3967.87
भाग-ख योजनागत मदें										
विविध सामान्य सेवाएं										
असंगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि	2235	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00
सड़कें एवं पुल	3054	1547.80	1547.80	1547.80	2158.36	1895.86	1895.86	1753.46	1865.62	1315.08
अवसंरचना विकास के लिए सहायता-वीजीएफ	5475	92.10	61.67	54.07	150.00	45.95	45.85	480.26	125.00	82.81
कुल आयोजनागत		1639.90	1609.47	1601.87	2308.36	1941.81	1941.71	3233.72	2990.62	1397.89
कुल योग		4723.97	6455.21	6375.16	13400.07	22350.76	9947.13	8671.48	8671.73	5365.76

वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान व्यय का विलेखण

आयोजना-भिन्न

मुख्य शीर्ष 2052 - सचिवालय सामान्य सेवाएं

इस शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान आर्थिक कार्य विभाग के सचिवालय, जी-20 सचिवालय एवं करेंसी निदेशालय के व्यय के लिए रखा गया है। 2008-09 में संशोधित अनुमान छठे केन्द्रीय वेतन आयोग, जिसमें बकायों का भुगतान शामिल है, की सिफारिशों के क्रियान्वयन के कारण बढ़ा दिया गया है। 60% बकाया राशि के भुगतान एवं हवाई मार्ग द्वारा यात्रा की हकदारी के कारण अपेक्षित अधिक निधियों के कारण बजट अनुमान 2009-10 में वृद्धि की गई है। 2010-11 के दौरान, संशोधित अनुमान, नए बने करेंसी निदेशालय के लिए बढ़ा दिया गया है। दिसम्बर, 2010 तक व्यय का प्रवाह संतोषजनक है।

मुख्य शीर्ष 2047 - अन्य राजकोषीय सेवाएं

इस शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान राष्ट्रीय बचत संस्थान और इसके तहत क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क के व्यय के लिए है। इसमें आईएमएफ के पीआरजीएफ के (पूर्व ईएसएएफ) ट्रस्ट सब्सिडी खाते में अंशदान और अनिवार्य निक्षेप (आयकर दाता) योजना, 1974 के अधीन जमाराशियों पर ब्याज के संबंध में प्रावधान भी शामिल है। ब.अ. 2008-09 की तुलना में, ब.अ. 2009-10 तथा ब.अ. 2010-11 में कमी, आर्थिक अनुदेशों के अनुसरण में आयोजना-भिन्न व्यय में कटौती/एनएसआई के स्टाफ में कमी और 2008-09 के बाद आईएमएफ के पीआरजीएफ ट्रस्ट सब्सिडी खाते में समाप्त किए जा रहे अंशदान के कारण हुई है। दिसम्बर, 2010 तक व्यय का प्रवाह संतोषजनक है।

मुख्य शीर्ष 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं

इस शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान निवेश आयोग, 13वें वित्त आयोग और प्रतिभूति अपील अधिकरण के व्यय के लिए है। वर्ष 2010-11 में व्यय में कमी, जनवरी, 2010 में 13वें वित्त आयोग के समापन तथा निवेश आयोग के समापन के कारण हुई है।

मुख्य शीर्ष - 2075 - विविध सामान्य सेवाएं

इस शीर्ष में प्रावधान कालातीत मामलों में केन्द्रीय प्रतिभूतियों पर ब्याज अदायगियों तथा सरकारी लेखाओं में जमा की गई दावा न की गयी प्रतिभूतियों में भुगतान के लिए है। वर्ष 2009-10 से, ₹300.00 करोड़ का प्रावधान गारंटी शोधन निधि के अंतरण के लिए रखा जा रहा है। इससे पहले के वर्षों के लिए, यह प्रावधान वित्तीय सेवा विभाग के अनुदान में किया जाता था। वर्ष 2008-09 के दौरान ₹0.01 करोड़ का सांकेतिक प्रावधान किया गया था ताकि यूनडीपी सहायता के अंतर्गत देश सहयोग ढांचे-II के लिए अम्ब्रेला सहायता परियोजना हेतु शेष भुगतान किया जा सके। यह परियोजना अब पूर्ण हो गई है। इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत, वर्ष 2008-09 के लिए ₹0.01 करोड़ और वर्ष 2009-10 के लिए ₹0.10 करोड़ का सांकेतिक प्रावधान किया गया था और यह इस विभाग के सहायता लेखा और लेखा-परीक्षा प्रभाग की संस्थागत मजबूती व क्षमता निर्माण के लिए था। यह परियोजना अब पूर्ण हो गयी है।

मुख्य-शीर्ष 2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

यह प्रावधान संरक्षित बचत योजनाओं के लिए किया गया है। वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान सांकेतिक प्रावधान रखा गया है। इसे संशोधित अनुमान 2009-10 में बढ़ाकर ₹0.10 करोड़ तथा बजट अनुमान 2010-11 में किए गए ₹0.10 करोड़ के प्रावधान को संशोधित अनुमान 2010-11 में बढ़ाकर ₹0.14 करोड़ किया गया है।

मुख्य-शीर्ष 2416 - कृषि वित्तीय संस्थाएं

भारत आईएफएडी का एक संस्थापक देश है और उसने 7वीं भराई तक आईएफएडी संसाधनों में अब तक 79 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान किया है। आठवें आपूरण के लिए, भारत ने 25 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान करने का वचन दिया है। यह भुगतान तीन किस्तों में किया जाएगा। वर्ष 2009-10 के लिए यह किस्त 9 मिलियन अमरीकी डालर तथा 2009-10 व 2011-12 के लिए 8-8 मिलियन अमरीकी डालर होगी। आईएफएडी को दो किस्तों का भुगतान कर दिया गया है। तीसरी और अंतिम किस्त का भुगतान 2011-12 में किया जाएगा। विनियम दर घट-बढ़ के कारण कम व्यय हुआ है।

मुख्य शीर्ष 3075 - अन्य परिवहन सेवाएं (रेलवे को लाभांश राहत और अन्य रियायतों के लिए सब्सिडी)

लाभांश राहत और अन्य रियायतों के संबंध में यह सब्सिडी चल रहे पूंजीगत कार्य पर निर्भर करती है। इसी प्रकार, महत्वपूर्ण (स्ट्रेटजिक) लाइनों के संचालन पर होने वाली हानियों की भरपाई ऐसी लाइनों के संचालन पर रेलवे के कार्यशील व्ययों पर निर्भर करती है। वर्ष 2008-09 के दौरान, 189.34 करोड़ की राशि अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच में प्राप्त की गई थी ताकि राइट्स को प्रदत्त प्रति गारंटी राशि ₹166.62 करोड़ तथा ईरान में परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए इरकान इन्टरनेशनल लिमिटेड को (₹22.72 करोड़) के भुगतान के लिए रेल मंत्रालय को आस्थगित आधार पर सहायता उपलब्ध करायी जा सके। इस शीर्ष के तहत आबंटन लगातार बढ़ता रहा है।

मुख्य शीर्ष 3466- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं

यह प्रावधान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय वार्षिक निर्धारण प्रभारों, प्राकृतिक आपदाओं के लिए आपातक सहायता हेतु अंशदान, अफगान पुनर्निर्माण न्यास निधि, विश्व बैंक तकनीकी सहायता ऋण और दक्षिण-दक्षिण एक्सपीरियंस विनिमय न्यास निधि के लिए है। प्राकृतिक आपदा आपातक सहायता के बारे में प्रतिबद्ध राशि की सभी किस्तों का भुगतान 2009-10 तक कर दिया गया है। इसलिए 2010-11 के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। अफगानिस्तान पुनर्निर्माण न्यास निधि के लिए ₹1.00 करोड़ और विश्व बैंक तकनीकी सहायता ऋण हेतु ₹3.00 करोड़ के प्रावधान हेतु 2009-10 की अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच में सांकेतिक अनुदान प्राप्त हो गया था। संशोधित अनुमान 2010-11 में, विश्व बैंक तकनीकी सहायता ऋण के लिए यह प्रावधान कम मांग के कारण घटा दिया गया था। दक्षिण-दक्षिण एक्सपीरियंस विनिमय न्यास निधि में विश्व बैंक को भारत के अंशदान के रूप में 500,000 अमरीकी डालर का एकमुश्त भुगतान करने के लिए 2010-11 की अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच में सांकेतिक अनुपूरक प्राप्त किया गया।

मुख्य शीर्ष 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

इस शीर्ष के अधीन, इस प्रावधान में तकनीकी सहायता के लिए राष्ट्रमंडल निधि, और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, वाशिंगटन, टोकियो और बीजिंग में भारतीय दूतावास के आर्थिक स्कन्ध, भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण, एशियाई विकास बैंक में भारत न्यास निधि, विनिमय अंतर और अन्य संस्थाओं को सहायता-अनुदान और एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता का प्रावधान आता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में एशियाई विकास बैंक के तकनीकी कार्यक्रमों की मदद करने के लिए एशियाई विकास बैंक में भारत न्यास निधि के सृजन के विषय में एकमुश्त अंशदान (4.30 करोड़ रुपए) को संशोधित अनुमान 2008-09 में शामिल किया गया है। एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता के लिए प्रावधान बजट अनुमान 2008-09 में

₹232.00 करोड़ किया गया था, जिसे, कम दावे प्राप्त होने के कारण, संशोधित अनुमान 2008-09 में घटकार ₹209.75 करोड़ कर दिया गया था। इसी प्रकार बजट अनुमान 2009-10 में किए गए ₹278.00 करोड़ रुपए के प्रावधान को संशोधित अनुमान 2009-10 में घटाकर ₹139.41 करोड़ कर दिया गया। बजट अनुमान 2010-11 के लिए यह प्रावधान ₹130.00 करोड़ किया गया है। वर्ष 2008-09 और 2009-10 में वार्षिक व्यय क्रमशः ₹191.57 करोड़ और ₹118.87 करोड़ रुपए हुआ। संशोधित अनुमान 2010-11 में इस मुख्य शीर्ष के अंतर्गत, भारतीय दूतावास के नए बने आर्थिक और वाणिज्यिक स्कंध, बीजिंग; भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी के प्रशिक्षण पर अधिक हुए व्यय; अफ्रीकी विकास बैंक के साथ तकनीकी सहयोग के संबंध में अंशदान (₹10.00 करोड़); वर्ष 2010 के लिए एफएटीएफ को 15000 यूरो (₹0.10 करोड़) के स्वैच्छिक सदस्यता अंशदान; और भारत सरकार द्वारा तुर्कमेनिस्तान सरकार को दी गई रियायती ऋण श्रृंखला के लिए बकाया देय राशियों, ब्याज और दण्ड ब्याज (₹24.50 करोड़) की माफी; के कारण कुल मिलाकर वृद्धि हुई।

मुख्य शीर्ष 3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग

इस शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), कोलम्बो योजना के अंतर्गत वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) तकनीकी सहायता के लिए अंशदान शामिल है। सहायता विकास के अधीन बजट अनुमान 2008-09 में किया गया ₹5.00 करोड़ का यह प्रावधान संशोधित अनुमान 2008-09 में घटाकर ₹1.00 करोड़ रुपए कर दिया गया क्योंकि यह योजना आंशिक रूप से क्रियान्वित की गई तथा पूरी तरह से लागू नहीं हुई है। वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान केवल ₹0.01 करोड़ का सांकेतिक प्रावधान किया गया है। कोलम्बो योजना के अंतर्गत दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया को तकनीकी सहायता संबंधी यह योजना अप्रैल, 2010 से विदेश मंत्रालय को अंतरित कर दी गई है। तथापि, विभिन्न कोलम्बो योजना देशों से वर्ष 2009-10 के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से संबंधित लम्बित बिलों का भुगतान करने हेतु संशोधित अनुमान 2010-11 में प्रावधान किया गया है। इस शीर्ष के अंतर्गत व्यय संतोषजनक है।

मुख्य शीर्ष 4046 - करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल का पूंजी परिव्यय

यह प्रावधान भारत प्रतिभूति मुद्रा तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड से सिक्कों की खरीद के लिए है। बजट अनुमान 2008-09 में रखा गया ₹500.00 करोड़ का प्रावधान संशोधित अनुमान 2008-09 में बढ़ाकर ₹885.20 करोड़ किया गया है और उसका पूर्णतः उपयोग कर लिया गया है। इसी प्रकार, वर्ष 2009-10 के लिए किए गए ₹894.20 करोड़ के प्रावधान का पूर्णतः उपयोग कर लिया गया है। बजट अनुमान 2010-11 में किए गए ₹1063.20 करोड़ के प्रावधान को संशोधित अनुमान 2010-11 में बढ़ाकर ₹1852.00 करोड़ कर दिया गया है। इस पर कोई नकद खर्च नहीं होगा क्योंकि सम्पूर्ण राशि सिक्कों के प्रचालन से भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त ऋण से वसूली के रूप में काट ली जाएगी।

मुख्य शीर्ष 4075 - विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

श्री नाइफ कटिंग मशीन खरीदने के लिए बजट अनुमान 2008-09 में ₹3.00 करोड़ का प्रावधान किया गया था। मशीन की लागत के रूप में ₹2.04 करोड़ की राशि का उपयोग कर लिया गया। वर्ष 2009-10 के लिए, गैदरिंग मशीन की खरीद हेतु ₹3.00 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इस राशि का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि निविदा प्रक्रिया में कुछ और जानकारी की आवश्यकता थी। इसलिए बजट अनुमान और संशोधित अनुमान 2010-11 में गैदरिंग मशीन की खरीद के लिए ₹3.00 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

मुख्य शीर्ष 5465 - सामान्य वित्तीय तथा व्यावसायिक संस्थाओं में निवेश

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के लिए संशोधित अनुमान 2008-09 में ₹1000.00 करोड़ का प्रावधान किया गया था। भारत सरकार इक्विटी के

लिए ₹4.90 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई थी। इसमें से, ₹3.00 करोड़ की राशि का उपयोग कर लिया गया था। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की कार्पस निधि के लिए ₹995.10 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई थी, जिसे पूर्णतः उपयोग कर लिया गया है। बाद वाले वर्षों में इसके लिए और कोई प्रावधान करना जरूरी नहीं था।

मुख्य शीर्ष 5466 - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश

इसके अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए), एशियाई विकास बैंक (एडीबी), अफ्रीकी विकास बैंक, अफ्रीकी विकास निधि और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को अंशदान के लिए प्रावधान है। ये उपबन्ध, 2009-10 में, वित्तीय सेवा विभाग से आर्थिक कार्य विभाग में अंतरित हो गए हैं। वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में क्रमशः ₹3094.26 करोड़ एवं ₹11327.15 करोड़ के आबंटन आईएमएफ में भारत कोटा बढ़ने के संबंध में (एकमुश्त) प्रत्याशित भुगतान के लिए किए गए हैं। तथापि, आईएमएफ के करार अनुच्छेद के संशोधन "वाइस और भागीदारी" के समर्थन न किए जाने के कारण, यह राशि अभी तक खर्च नहीं की गई है। बजट अनुमान 2009-10 में ₹3653.93 करोड़ का प्रावधान आईएमएफ द्वारा प्राप्य भारतीय रुपयों के मूल्य समायोजन के संबंध में मूल्य बनाए रखने हेतु आईएमएफ को अभिदान के लिए किया गया था। यह प्रावधान संशोधित अनुमान 2009-10 में बढ़ाकर ₹12836.26 करोड़ कर दिया गया था। तथापि, ₹3653.93 करोड़ की राशि का उपयोग किया गया है। 2010-11 के लिए ₹0.01 करोड़ का सांकेतिक प्रावधान रखा गया है। इसे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं हुई क्योंकि भारत ने रुपए के पक्ष में एसडीआर विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण भुगतान प्राप्त किए हैं। अफ्रीकी विकास निधि में अभिदान के लिए, 2009-10 में ₹14.51 करोड़ का प्रावधान किया गया था। बजट अनुमान 2010-11 में किए गए ₹14.93 करोड़ के प्रावधान को, संशोधित अनुमान 2010-11 में बढ़ाकर ₹37.37 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस मुख्य शीर्ष में एशियाई विकास बैंक में किया जाने वाला अभिदान भी शामिल है। इसके लिए, बजट अनुमान 2010-11 में किया गया ₹216.19 करोड़ का प्रावधान, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण, संशोधित अनुमान 2010-11 में कम करके ₹199.85 करोड़ कर दिया गया है। बजट अनुमान 2010-11 में, आईएमएफ के उधार संसाधनों में अंशदान के लिए ₹63.67 करोड़ का उपबन्ध किया गया है। यह प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक को ब्याज के रूप में प्राप्त एसडीआर के समतुल्य रुपए के अंतरण के लिए किया जाता है। संशोधित अनुमान 2010-11 में, अफ्रीकी विकास बैंक में अभिदान के लिए ₹5.21 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

मुख्य शीर्ष 5475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

यह प्रावधान इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना विकास निधि के लिए तथा सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के मुख्य कार्यकलापों के लिए है। आईआईपीडीएफ के लिए बजट अनुमान 2008-09 में किए गए ₹0.01 करोड़ के सांकेतिक प्रावधान के मुकाबले, संशोधित अनुमान 2008-09 में ₹12.01 करोड़ की व्यवस्था की गई थी। परियोजनाओं को अनुमोदन न मिलने के कारण, केवल ₹1.32 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। बजट अनुमान 2009-10 में किए गए ₹10.50 करोड़ के प्रावधान को, प्रायोजक अधिकारियों द्वारा इंगित कम मांगों और परियोजना की प्रास्थिति के कारण, घटकार ₹7.00 करोड़ कर दिया गया। वर्ष 2010-11 में ₹7.00 करोड़ की व्यवस्था की गई है। बजट अनुमान 2009-10 में सार्वजनिक-निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के मुख्य कार्यकलापों के लिए 2.10 करोड़ उपलब्ध कराए गए हैं जबकि संशोधित अनुमान 2008-09 में अनुपूरक मांग के जरिए ₹0.60 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी। बजट अनुमान 2010-11 में किए गए ₹2.10 करोड़ के प्रावधान को, परामर्शी सेवाओं को अनुमोदन न मिलने के कारण, संशोधित अनुमान 2010-11 में घटाकर ₹1.12 करोड़ कर दिया गया है।

मुख्य शीर्ष 7465 - सामान्य वित्तीय एवं व्यापार संस्थाओं के लिए ऋण

प्रतिभूति मुद्रणालय, प्रतिभूति कागज कारखाना और भारत सरकार टकसालों के निगमीकरण के लिए ब्याज-मुक्त ऋण की व्यवस्था करने हेतु, वर्ष 2008-09 के लिए इस शीर्ष में ₹1.00 लाख का सांकेतिक प्रावधान किया गया था। चूंकि और कोई आवश्यकता नहीं हुई, इसलिए वर्ष 2009-10 और 2010-11 में इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

मुख्य शीर्ष-7605 - विदेशी सरकारों को अग्रिम

यह प्रावधान भारत से वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को संवर्धित करने के लिए सरकार से सरकार ऋण श्रृंखला के माध्यम से विदेशी सरकारों को अग्रिम देने के लिए है। चूंकि विदेशों को सहायता प्रदान करने की यह योजना 2003-04 से बन्द कर दी गई है, कोई नई ऋण श्रृंखलाएं अनुमोदित नहीं की जा रही हैं। पिछली ऋण श्रृंखलाओं के संबंध में संवितरण जारी हैं। इसलिए 2008-09 और 2009-10 में इस प्रावधान में क्रमिक रूप से कमी हुई है। वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में, श्रीलंका सरकार से संबद्ध दावों के निपटान के लिए क्रमशः ₹10.51 करोड़ एवं ₹2.84 करोड़ का प्रावधान किया गया था। बजट अनुमान 2010-11 में ₹0.01 करोड़ का सांकेतिक प्रावधान किया गया, और संशोधित अनुमान 2010-11 के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

आयोजना

मुख्य शीर्ष 2235 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अनुसरण में, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए, बजट अनुमान 2010-11 में ₹1000.00 करोड़ का प्रारंभिक आबंटन करके राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना की गई है।

मुख्य शीर्ष-3054 - सड़क और पुल


यह प्रावधान रेल सुरक्षा कार्य के लिए है। पेट्रोल और डीजल पर उद्ग्रहीत किया जा रहा उपकर, रेलवे ओवर/अंडर ब्रिजों एवं अन्य सुरक्षा कार्यों के निर्माण में वित्तपोषण हेतु केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के

प्रावधानों के अनुसार आवंटित किया जाता है। यह प्रावधान रेलवे से प्राप्त आवश्यकताओं तथा उपकर संग्रहणों के उनके हिस्से के अनुसार ही किया जाता है। अंतर खाता अंतरण के रूप में, समतुल्य राशि केंद्रीय सड़क प्रारक्षित निधि में अंतरित की जाती है। इस संबंध में रेलवे से प्राप्त आवश्यकताओं के अनुसार ही, यह प्रावधान किया जाता है। वर्ष 2009-10 में ₹958.36 करोड़ का प्रावधान किया गया है जबकि 2008-09 में इसके लिए ₹773.90 करोड़ का प्रावधान किया गया था। अंतर खाता अंतरण के रूप में, समतुल्य राशि केंद्रीय सड़क प्रारक्षित निधि में अंतरित की जाती है। बजट अनुमान 2009-10 के दौरान, रेलवे सुरक्षा कार्यों के लिए अतिरिक्त बजट सहायता के रूप में ₹241.64 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। यह प्रावधान संशोधित अनुमान 2009-10 में कम करके ₹827.11 करोड़ कर दिया गया है। वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में इसका पूर्णतः उपयोग कर लिया गया है। 2010-11 में, ₹876.73 करोड़ की व्यवस्था की गई है। संशोधित अनुमान 2010-11 में, रेलवे से अधिक मांग प्राप्त होने के कारण, इसे बढ़ाकर ₹932.81 करोड़ कर दिया गया है। मौजूदा वर्ष में भी व्यय संतोषजनक है।

मुख्य शीर्ष 5475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

यह प्रावधान अवसंरचना विकास - व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) के लिए सहायता देने के संबंध में है। वर्ष 2008-09 में किए गए ₹92.10 करोड़ के बजट प्रावधान को संशोधित अनुमान 2008-09 में घटाकर ₹61.67 करोड़ कर दिया गया था क्योंकि सभी परियोजनाओं में प्रीमियम बिडिंग थी। मध्य प्रदेश की चार सड़क परियोजनाओं के लिए वीजीएफ के रूप में वास्तविक खर्च ₹54.07 करोड़ हुआ। वर्ष 2009-10 में किए गए ₹150.00 करोड़ के बजट अनुमान प्रावधान को, अर्थव्यवस्था में सामान्य मंदी की वजह से घटाकर ₹45.95 करोड़ कर दिया गया था। मंदी की वजह से तीन परियोजनाओं के लिए बोलियां प्राप्त नहीं की जा सकीं। वर्ष 2009-10 में इस पर वास्तविक व्यय ₹45.85 करोड़ हुआ। वर्ष 2010-11 में किए गए ₹480.26 करोड़ के प्रावधान को संशोधित अनुमान 2010-11 में कम करके ₹125.00 करोड़ कर दिया गया है। ₹82.81 करोड़ की वीजीएफ सहायता राशि दिसम्बर, 2010 तक दी गयी है।

2010-11 में आर्थिक कार्य विभाग के अनुदान के मद शीर्षवार मुख्य संघटक



- निवेश - मुख्य अंश, एशियाई विकास बैंक और अफ्रीकी विकास निधि में अंशदान के भुगतान के लिए है।
- सब्सिडी - सब्सिडी का मुख्य अंश, लाभांश राहत एवं अन्य रियायतों के लिए रेलवे को तथा एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता के लिए जाता है।
- मुख्य कार्यों के लिए निधि, रेलवे उपरि/अधोसेतुओं और अन्य रेलवे सुरक्षा कार्यों के निर्माण में वित्तपोषण के लिए है।
- अंतर-खाता अंतरण, असंगठित क्षेत्र कामगार और गारंटी मोचन निधि के लिए केंद्रीय सड़क निधि, सामाजिक सुरक्षा निधि में निधियों के अंतरण के लिए है।
- अन्य पूंजी व्यय, एसपीएमसीआईएल से सिक्कों की खरीद तथा आईएमएफ से प्राप्त ब्याज की अदायगी आरबीआई को करने के लिए है।
- विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय निकायों और संगठनों को अंशदान।
- अन्य - इसमें वेतन एवं अन्य स्थापना व्यय शामिल है।
- एकमुश्त पूंजी, व्यवहार्यता अंतराल निधि के माध्यम से अवसंरचना के विकास में सरकारी निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए है।

आर्थिक कार्य विभाग के अधीन सांविधिक एवं स्वायत्तशासी निकाय

इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) एकमात्र स्वायत्तशासी निकाय है। इसे कोई सरकारी अनुदान नहीं दिया जाता है। आर्थिक कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारत प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड सरकारी स्वामित्व वाला निगम है। इस संगठन का विवरण इस प्रकार है :

भारत प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

- सभी नौ टकसालों/ मुद्रणालयों/कारखाना के निगमीकरण के बाद भारत प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड का निगमन 13 जनवरी, 2006 को किया गया था। यह वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग के अधीन भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है। इसके प्रमुख, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक हैं। सरकार और प्रयोक्ता विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशकों के अलावा, निगम के बोर्ड में तीन कार्यात्मक निदेशक हैं।
- वर्ष 2009-10 के दौरान निगम की कुल आय एवं व्यय क्रमशः ₹3206.05 करोड़ एवं ₹2409.00 करोड़ रहा। कर के पश्चात लाभ ₹542.25 करोड़ हुआ। पिछले वर्ष 2008-09 में आय, व्यय और कर पश्चात लाभ क्रमशः 2557.18 करोड़, ₹1912.44 करोड़ और ₹433.83 करोड़ रहा था। वर्ष 2009-10 में कर पश्चात लाभ, वर्ष 2008-09 की अपेक्षा, 25% बढ़ा है। तथापि निगम ने, सभी नौ यूनिटों में उत्पादन प्रणालियों के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण पर होने वाले पूंजीगत व्यय की अपनी प्रतिबद्धताओं के कारण, वर्ष 2009-10 के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया।
- 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार, निगम की कुल आस्तियां ₹4708.44 करोड़ हैं। इनमें ₹884.68 करोड़ की स्थायी आस्तियां और ₹3558.21 करोड़ की चालू आस्तियां हैं। ₹3558.21 करोड़ रुपए की चालू आस्तियों में से, ₹931.09 करोड़ और ₹946.16 करोड़ की आस्तियां क्रमशः 'माल-सूचियों' और विविध देनदारों के समक्ष दर्शायी गयी हैं। वर्ष 2009-10 में, निगम 'माल-सूची' का स्तर काफी कम करने में सफल रहा। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि औसत माल-सूची पण्यावर्त पिछले तीन वर्षों (2006-07 में 280 दिन, 2007-08 में 171 दिन एवं 2008-09 में 159 दिन) के मुकाबले, इस वर्ष (2009-10) में घटकर 112 दिन रह गया है। वर्ष 2009-10 में प्रति कर्मचारी बिक्री और प्रति कर्मचारी पीएटी की राशि क्रमशः ₹20.32 लाख एवं ₹3.63 लाख रही, जबकि 2008-09 में ये क्रमशः ₹14.72 लाख एवं ₹2.73 लाख थी।
- इस निगम की नौ यूनिटें प्रतिभूति कागज के उत्पादन, प्रतिभूति दस्तावेजों के मुद्रण और सिक्कों, मेडलों आदि का निर्माण कार्य करती हैं। मौजूदा वर्ष में निर्मित मुख्य उत्पादों का ब्यौरा इस प्रकार है:

01 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2010 की अवधि के दौरान उत्पादन का ब्यौरा

क्र. सं.	उत्पाद	उत्पादन (मिलियन संख्या)
1.	बैंक नोट	4308.177
2.	सिक्के	4573.71
3.	पोस्टकार्ड	108.936
4.	लिफाफे	31.986
5.	रजिस्ट्रेशन लिफाफे	0.200
6.	अंतरदेशीय पत्र कार्ड	40.344
7.	डाक टिकट और भारतीय पोस्टल आर्डर	39.052
8.	स्मारक टिकट	6.271
9.	चिपकने वाले स्टाम्प	6.922
10.	एन.जे. एवं संबद्ध स्टाम्प	211.774
11.	बचत लिखतें	35.136
12.	एमआईसीआर-भिन्न चेक	1.093
13.	एमआईसीआर चेक	39.734
14.	विविध प्रतिभूति फॉर्म व न्यायालय की स्टाम्प्स	44.604
15.	पासपोर्ट एवं संबद्ध पुस्तिकाएं	3.788
16.	स्टीकर्स/लेबल/पहचान-पत्र/मोहरें	4.463
17.	प्रतिभूति कागज	2145 मी.टन

01 अप्रैल, 2009 से 31 दिसंबर, 2010 की अवधि के दौरान मुख्य उत्पादों की बिक्री का ब्यौरा

क्र. सं.	मुख्य उत्पाद	बिक्री (₹ करोड़)
1.	बैंक नोट	606.37
2.	सिक्के एवं मेडल	921.71
3.	प्रतिभूति कागज	128.11
4.	अन्य प्रतिभूति उत्पाद	341.26
जोड़		1997.45

- इस निगम ने प्रतिभूति कागज कारखाने के आधुनिकीकरण, प्रतिभूति कागज उत्पादन की क्षमता बढ़ाने, टकसालों एवं करेंसी मुद्रण यूनिटों के आधुनिकीकरण और परम्परागत ढंग से किए जा रहे विभिन्न क्रियाकलापों के स्वचालन हेतु अनेक कदम उठाए हैं। बैंक नोट पेपर, स्याही और अनुसंधान एवं विकास आदि के स्वदेशीकरण के माध्यम से नकली करेंसी से बचने के लिए नीतिगत प्रयासों को पूरा करने हेतु, अनेक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। ब्यौरा इस प्रकार है:

भारत प्रतिभूति मुद्रा और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड के बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही एवं स्वीकृत परियोजनाएं

(₹ राशि: करोड़)

परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत	पूरा होने की नियत तारीख	वर्ष के शुरु होने तक कुल संचयी व्यय	2011-12 के दौरान आयोजनागत कुल व्यय	पूरा होने की संभावित तारीख	उपलब्धि/ परिणाम	अभ्युक्तियां
स्टाक प्रिपरेशन प्लांट, प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद	59	31.12.2009	55	4	30.06.2011	25 मी.टन/ दिन	पुराने मौजूदा संयंत्र के स्थान पर।
प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद में वन लाइन-कागज कारखाना	490	31.10.2013	89	-	31.10.2013	4000 मी. टन/वर्ष	पुराने मौजूदा संयंत्र के स्थान पर।
प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद में प्रयोगशाला उपकरण	2	30.06.2011	-	2	30.06.2011		अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलाप के तौर पर करेंसी पेपर सुविधाओं का उन्नयन।
नया प्रतिभूति कागज कारखाना लगाने के लिए बीआरबीएन एमपीएल के साथ संयुक्त उद्यम	1200	30.04.2014	100	200	30.04.2014	6000 मी. टन/वर्ष	बीआरबीएनएमपीएल के साथ संयुक्त उद्यम में आयात विकल्प के रूप में कागज का उत्पादन।
मुम्बई में स्वर्ण शोधन संयंत्र	10	31.03.2012	-	10	31.03.2012		मुम्बई में शोधन क्षमता के निर्माण हेतु।
बैंक नोट प्रेस, देवास में वन लाइन-मुद्रणालय की स्थापना और उसे चालू करना	250	31.01.2012	-	250	31.01.2012		पुराने मुद्रणालय के स्थान पर।
बैंक नोट प्रेस/ करेंसी नोट प्रेस में ऑनलाइन निरीक्षण प्रणाली/ ऑनलाइन जॉगिंग उपकरण	15	31.03.2012	-	15	31.03.2012		करेंसी मुद्रण मशीन का उन्नयन।
ऑटोमैटिक फिनिशिंग मशीन, लाइन-II	9	31.03.2012	-	9	31.03.2012		हाथ से होने वाले कार्य को कम करने हेतु आधुनिकीकरण।
प्रूफ मेडलों और सिक्कों के लिए बहु-विधि मेडल मुद्रणालय	7	31.03.2012	-	7	31.03.2012		बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त क्षमता निर्माण
विभिन्न यूनिटों में सिक्का ढलाई वाले 10 मुद्रणालय	70	30.09.2012	-	30	30.09.2012		पुरानी मशीनों को बदलना, अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करना।
6 कलर आफसेट शीट युक्त मशीन	20	31.03.2012	-	20	31.03.2012		पुरानी मशीनों को बदलना।
अर्ध-फिनिशिंग मशीनें (गिनाई, बैंडिंग, थ्रिक रेप एवं लेबलिंग मशीन)	12	31.03.2012	-	12	31.03.2012		कट नोटों की धराई-उठाई कम करने हेतु आधुनिकीकरण।
कम्प्यूटर की सहायता से डिजाइन (सीएडी) और कम्प्यूटर टू आफसेट प्लेट (सीटीओपी)	14	31.03.2012	-	14	31.03.2012		अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमलाप के रूप में अपने यहां ही बैंक नोटों का डिजाइन करने हेतु क्षमता निर्माण।
कम्प्यूटर टू इनटैगलियो प्लेट (सीटीआईपी)	12	31.03.2012	-	12	31.03.2012		अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमलाप के रूप में अपने यहां ही बैंक नोटों का डिजाइन करने हेतु क्षमता निर्माण।
जोड़	2170		244	585			

वित्तीय सेवाएं विभाग प्रस्तावना

वित्तीय सेवाएं विभाग सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), कृषि ऋण, वित्तीय संस्थाओं, सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों, पेंशन सुधारों आदि से जुड़े मुद्दों के लिए उत्तरदायी है।

विभाग के विभिन्न प्रभागों/इकाईयों के मुख्य प्रकाय नीचे दिए गए हैं :

स्थापना एवं सामान्य प्रशासन - स्थापना, समग्र प्रशासन एवं प्रबंधन से संबंधित सभी मामले।

बैंकिंग परिचालन I - भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर/डिप्टी गवर्नर, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों (सीएमडी) और कार्यपालक निदेशकों (ईडी), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) की नियुक्ति, भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एग्जिम बैंक), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में बोर्ड स्तरीय नियुक्तियां, आरबीआई, सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों (एफआई) के निदेशक मंडल का गठन।

बैंकिंग परिचालन II - सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के कामकाज, बैंकिंग क्षेत्र सुधार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बीच तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं अन्य सरकारी विभागों/ लोक उद्यमों (पीएसई) के बीच विवाद एवं माध्यस्थता, करेंसी चेस्ट सहित बैंकों के प्रशासनिक कार्यालयों का खोला जाना एवं स्थानांतरण, बैंकिंग लोकपाल, सेवा में खामी से संबंधित शिकायतों सहित सरकारी/निजी क्षेत्र के बैंकों एवं विदेशी बैंकों से संबंधित शिकायतों का निवारण, वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित अधिनियम एवं कानून (उन मामलों को छोड़कर जिनमें अन्य प्रभागों द्वारा विशेष रूप से कार्यवाही की जाती है) और कोलकाता में न्यायालयीन परिसमापक का कार्यालय।

बैंकिंग परिचालन एवं लेखा - अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संबंध, लाइसेंसिंग, समामेलन, पुनर्निर्माण, अधिस्थगन निधियां और निजी क्षेत्र के बैंकों का अधिग्रहण, भारतीय बैंकों की ओवरसीज शाखाएं, भारत में विदेशी बैंकों का परिचालन, आरबीआई द्वारा की जाने वाली सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की वार्षिक वित्तीय समीक्षाओं सहित पीएसबी के कामकाज की वार्षिक समेकित समीक्षा, पीएसबी/एफआई के कराधान मामले, पीएसबी द्वारा केन्द्रीय सरकार को देय लाभांश, बैंकों का पूंजीगत पुनर्गठन और पीएसबी की शेयर पूंजी में सरकार का अंशदान।

कृषि ऋण - नाबार्ड और कृषि वित्त निगम (सेवा मामलों के सिवाय) से संबंधित मामले, सहकारी बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 और ग्रामीण/कृषि ऋण।

ऋण नीति - बैंकों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार, अजा/अजजा एवं अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों को उधार, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम तथा अन्य संबंधित मामले, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम (एनएमडीएफसी), परिवहन, शिक्षा, रोजगार सृजन स्कीम तथा अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों शैक्षणिक ऋणों के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं और दंगों से प्रभावित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता।

वित्तीय समावेशन - वित्तीय समावेशन और शाखा विस्तार संबंधी कार्य, अग्रणी बैंक स्कीम तथा सर्विस एरिया एप्रोच, जिला एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी), बैंकिंग नेटवर्क का क्षेत्रीय असंतुलन, व्यवसाय सम्पर्कियों/ व्यवसाय सुलभकर्ताओं तथा मोबाइल बैंकिंग से संबंधित मामले।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के संबंधित विधायी मामले और तदन्तर्गत नियमों का बनाया जाना; आरआरबी के निदेशक-मंडल में गैर-सरकारी निदेशकों का नामांकन और अध्यक्ष की नियुक्ति, आरआरबी के निष्पादन की समीक्षा, बैंक सिक्यूरिटी और सतर्कता, आरआरबी की जनशक्ति-आयोजना तथा सेवा मामले तथा सभी आरआरबी की वार्षिक रिपोर्टों का रखा जाना।

औद्योगिक संबंध - बैंकिंग उद्योग, आरबीआई और वित्तीय संस्थाओं में औद्योगिक संबंध, औद्योगिक विवाद अधिनियम से संबंधित मामले, बैंकिंग उद्योग में संघों और परिसंघों से संबंधित मामले, पीएसबी/एफआई के सेवा मामले, पीएसबी में जनशक्ति, द्विपक्षीय समझौते, बैंकों में स्थानांतरण, पदोन्नति और मानव संसाधन विकास (एचआरडी) की नीति, अधिकारियों के सेवा विनियम, पीएसबी/एफआई के अनुशासन एवं अपील विनियम तथा पेंशन विनियम।

औद्योगिक वित्त-I - एग्जिम बैंक, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनांस कंपनी लि. (आईआईएफसीएल) तथा सिंचाई एवं जल संसाधन वित्त निगम (आईडब्ल्यूआरएफसी), इंडस्ट्रियल फायनांस कारपोरेशन ऑफ इंडिया (आईएफसीआई) लि., इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फायनांस कारपोरेशन (आईडीएफसी) लि. से संबंधित परिचालनात्मक नीति, बजटीय एवं अन्य मामले, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, टेक्सटाइल्स आदि जैसे सेक्टर-आधारित मामले, एग्जिम बैंक अधिनियम का प्रशासन तथा एफआई से संबंधित संसदीय/ विधायी कार्य।

औद्योगिक वित्त-II - एनएचबी और आवास नीति से संबंधित मामले, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) से संबंधित मामले, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण (एएआईएफआर) के लिए अपीलीय प्राधिकारी, रुग्ण औद्योगिक कंपनियों (विशेष उपबंध) अधिनियम (एसआईसीए), लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) सिडबी, राज्य वित्त निगम (एसएफसी), सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि, क्रेडिट गारंटी स्कीम तथा अन्य संबद्ध मामले।

पेंशन सुधार प्रभाग - नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) सहित पेंशन सुधार से संबंधित नीतियां, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) से संबंधित विधायी मामले तथा अंतरिम पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (अंतरिम पीएफआरडीए) से संबंधित प्रशासनिक मामले।

बीमा प्रभाग - बीमा क्षेत्र से संबंधित नीतियां और राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनियों का निष्पादन, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) अधिनियम, 1999 के अंतर्गत नियमों का बनाया जाना, आईआरडीए के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनियों के निदेशक-मंडल में मुख्य कार्यपालकों एवं निदेशकों के सेवा की नियम एवं शर्तें तथा नियुक्ति, विभिन्न बीमा अधिनियमों का प्रशासन तथा सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम (यूएचआईएस), वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (यूपीबीवाई) आदि जैसे कार्यक्रमों एवं स्कीमों का प्रशासन।

ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) - बैंक एवं वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 के अंतर्गत ऋण की वसूली करने के लिए ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) और ऋण वसूली अपीलीय अधिकरणों (डीआरटी) की स्थापना, डीआरटी अधिनियम के उपबंधों का क्रियान्वयन करने के लिए नियमों को

बनाना या उनमें संशोधन करना, डीआरटी/डीआरएटी से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक मामले, डीआरटी/डीआरएटी द्वारा मामलों की प्रगति एवं निपटान करना।

आंकड़ों का विश्लेषण - इस इकाई का संबंध भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण नीति से है-व्यस्त सीजन - मंदा सीजन और चयनित ऋण नियंत्रण, वित्तीय क्षेत्र आकलन तथा प्रक्षेत्रीय ऋण विश्लेषण, बैंक जमा एवं अग्रिम के आंकड़े तथा ब्याज दरें, परिणामों का प्रचार-प्रसार और और आरबीआई से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, भारतीय बैंक संघ (आईबीए), बैंकिंग सुधार पर अध्ययन, भारत में बैंकिंग सेक्टर से संगत अन्य अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों का विश्लेषण तथा वित्तीय सेक्टर सुधार समितियों की रिपोर्टों का विश्लेषण।

प्रमुख स्कीमें

(i) किसानों के लिए कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत स्कीम (एडीडब्ल्यूडीआरएस), 2008 - वर्ष 2008-09 में सरकार ने किसानों के लिए एडीडब्ल्यूडीआरएस की घोषणा की। इसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), सहकारी बैंकों (शहरी सहकारी बैंकों सहित) और लोकल एरिया बैंकों के द्वारा 31 मार्च 2007 तक संवितरित ऐसे सभी कृषि ऋणों को कवर किया गया था जो 31 दिसंबर, 2007 की स्थिति के अनुसार अतिदेय थे और 29.02.2008 तक जिनका भुगतान नहीं किया गया था। इन अवधियों के दौरान कवर किए गए ऋणों के लिए "छोटे एवं सीमांत किसानों" के लिए पूर्ण माफी है जबकि "अन्य किसानों" के लिए एकबारगी निपटारा (ओटीएस) स्कीम है। ओटीएस स्कीम में 75% की शेष धनराशि का भुगतान करने पर 25% की रियायत दी जाती है। इस स्कीम में किसानों के खातों को 30 जून, 2008 तक पूरी तरह भारमुक्त कर देने की परिकल्पना की गई है जिससे कि वे उधारदाता संस्थाओं से नए ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र हो सकें। यह स्कीम इसकी नियत तिथि 30.6.2008 तक क्रियान्वित की गई थी। लेकिन, ओटीएस स्कीम के अंतर्गत "अन्य किसानों" द्वारा 75% हिस्से का भुगतान करने की अंतिम तिथि 30.06.2010 तक बढ़ा दी गई थी।

उधारदाता संस्थाओं को दावों की प्रतिपूर्ति संबंधित नोडल एजेंसियों यानि आरबीआई और नाबार्ड के माध्यम से विधिवत रूप से प्रमाणित एवं लेखा-परीक्षित दावों के आधार पर किस्तों में की जाती है। स्कीम के अंतर्गत उधारदाता संस्थाओं को 2008-09 के दौरान 25,000 करोड़ रु., 2009-10 के दौरान 15,000 करोड़ रु. और 2010-11 (दिसंबर, 2010 तक) के दौरान 11,340.47 करोड़ रु. की प्रतिपूर्ति की गई।

(ii) कृषि ऋण माफी और ऋण राहत स्कीम (एडीडब्ल्यूडीआरएस) के क्रियान्वयन के लिए उधारदाता संस्थाओं को ब्याज - उधारदाता संस्थाओं के दावों की प्रतिपूर्ति करने के लिए तैयार की गई भिन्नकालिक अनुसूची की वजह से भारत सरकार ने स्कीम के अंतर्गत दावों की पहली किस्त की प्रतिपूर्ति किए जाने के उपरांत उधारदाता संस्थाओं को ब्याज का भुगतान करने का अनुमोदन कर दिया। इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा 3 अक्टूबर, 2008 को 3,872 करोड़ रु. की धनराशि अनुमोदित की गई। ब्याज के भुगतान के रूप में 2008-09 के दौरान 149.79 करोड़ रु. की अदायगी की गई। वर्ष 2010-11 के लिए 1,434 करोड़ रु. का बजटीय प्राक्कलन वर्ष 2011-12 में 287.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया।

(iii) अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) सुदृढ़ करने के लिए अनुदान देना - राज्यों में अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना को दुरुस्त करने के लिए सरकार द्वारा प्रोफेसर ए. वैद्यनाथन की अध्यक्षता में गठित कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा 13,596 करोड़ रु.

के पैकेज का अनुमोदन किया गया। इस व्यय का भारत सरकार, राज्य सरकारों और सहकारी ऋण समितियों द्वारा 68:28:4 के अनुपात में वहन किया जाना है। इसमें 25 राज्यों यथा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, गुजरात, हरियाणा, जम्मू व काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडू, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल द्वारा नाबार्ड एवं भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के साथ तेजी आई है। दिसंबर 2010 तक भारत सरकार के 9245.28 करोड़ रु. के हिस्से में से 9016.59 करोड़ रु. रिलीज किए गए हैं।

(iv) किसानों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करने के लिए ब्याज सहायता -सरकार ब्याज सहायता स्कीम के माध्यम से किसानों को दिए गए ऋणों पर ब्याज दर में सब्सिडी देती है जिससे कि किसानों को 3.00 लाख रु. तक के अल्पकालिक फसल ऋण 7% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर उपलब्ध हो सकें। वर्ष 2010-11 में उन किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 2 प्रतिशत की अतिरिक्त सहायता देने की अनुमति दी गई जो अपना अल्पकालिक फसल ऋण समय पर चुकाते हों। इस तरह, उन किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर कम होकर 5 प्रतिशत हो जाएगी। भारत सरकार ने इस स्कीम का वर्ष 2010-11 के लिए अनुमोदन कर दिया और तदनुसार बजट प्राक्कलन 2010-11 में उपलब्ध कराए गए 3,000/- करोड़ रु. को संशोधित प्राक्कलन 2010-11 में 4000.00 करोड़ रु. कर दिया गया। 2010-11 (दिसंबर, 2010 तक) के दौरान 1,413.32 करोड़ रु. की धनराशि रिलीज की गई है।

(v) दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) का पुनरुज्जीवन- वैद्यनाथन कार्यबल-II, की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा 26.02.2009 को दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) का अनुमोदन किया गया। एलटीसीसीएस के क्रियान्वयन के लिए कुल परिव्यय 3070.00 करोड़ रु. है (भारत सरकार के लिए 2206.00 करोड़ रु., राज्य सरकार के लिए 482.00 करोड़ रु. तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के लिए 382.00 करोड़ रु. है) वर्ष 2008-09 के दौरान इस पैकेज का क्रियान्वयन करने के लिए नाबार्ड को 20.00 करोड़ रु. की धनराशि रिलीज की गई। बजट प्राक्कलन 2010-11 में 1000.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया। हालांकि, भारत सरकार ने एडीडब्ल्यूडीआरएस, 2008 और एसटीसीसीएस पैकेज के क्रियान्वयन का एलटीसीसीएस की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया था। कार्यबल की रिपोर्ट को ध्यान में रख कर एलटीसीसीएस के लिए पैकेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(vi) वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि (एफआईटीएफ) - सरकार ने दो निधियों यथा, वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए विकासपरक एवं प्रचारात्मक इंटरवेंशनों की लागत को पूरा करने के लिए दीर्घकालिक "वित्तीय समावेशन निधि" और प्रौद्योगिकी अपनाए जाने की लागत को पूरा करने के लिए "वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि" का गठन किया था। ये निधियां नाबार्ड में रखी गई हैं और यह 500.00 करोड़ रु. की समग्र प्रारंभिक निधि से बनी है जिसमें निधियों के उपयोग के आधार पर पाँच वर्षों की कालावधि में चरणबद्ध तरीके से 40:40:20 के अनुपात में भारत सरकार, आरबीआई और नाबार्ड द्वारा योगदान दिया जाएगा। तदनुसार, उन दोनों निधियों का सृजन करने के लिए भारत सरकार के प्रारंभिक अंशदान के रूप में 2007-08 में नाबार्ड को 10.00 करोड़ रु. प्रत्येक की धनराशि रिलीज की गई। वर्ष 2009-10 में उन दोनों

निधियों के लिए नाबार्ड को 10 करोड़ रु. प्रत्येक की धनराशि रिलीज की गई। बजट प्राक्कलन 2010-11 के प्रत्येक निधि के लिए 10 करोड़ रु. उपलब्ध है।

(vii) **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजीगत सहायता** - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अर्थव्यवस्था की ऋण जरूरतों में सहयोग देने के लिए जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर)का सुविधाजनक स्तर बनाए रखने में सक्षम हो सकें और बासेल-II मानदण्ड का अनुपालन भी सुनिश्चित हो सके, उनके लिए सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के टीएस-I लिखतों में निवेश करने के माध्यम से 4,600.00 करोड़ रु. की पूंजीगत निधि लगाने का निर्णय लिया। इसके अंतर्गत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (1,400.00 करोड़ रु.) यूको बैंक (1,200.00 करोड़ रु.) विजया बैंक (1,200.00 करोड़ रु.) और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (800.00 करोड़ रु.) को पूंजीगत निधि प्रदान की गई। यह समस्त राशि इन बैंकों को दिसम्बर, 2010 तक जारी कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त, पीएसबी के पूंजीकरण के लिए बजट प्राक्कलन 2010-11 में 15,000 करोड़ रु. प्रदान किए गए। इस प्रयोजन के लिए 4191.04 करोड़ रु. (दिसंबर, 2010 तक) रिलीज किए गए। इसके अलावा, जरूरतमंद पीएसबी में इक्विटी समर्थन के माध्यम से अतिरिक्त पूंजी डालने के लिए योजना के अंतर्गत संशोधित प्राक्कलन 2010-11 और बजट 2011-12 में 6,000 करोड़ रु. प्रत्येक के अतिरिक्त प्रावधान का अनुमोदन किया है जिससे कि वे अपना टीयर 1 सीआरएआर 8% तक बरकरार रखने में सक्षम हो सकें और सभी पीएसबी में भारत सरकार की धारिता (होल्टिंग) 58% तक बढ़ाई जा सके।

(viii) **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्पूजीकरण (आरआरबी)** - आरआरबी के सीआरएआर को एक समयबद्ध तरीके से कम से कम 7% करने और आगे मार्च, 2012 तक 9% करने के लिए उपाय सुझाने के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, डा. के.सी. चक्रवर्ती की अध्यक्षता में गठित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्पूजीकरण समिति की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्पूजीकृत करने का निर्णय लिया। तदनुसार, 2010-11 के दौरान 350.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया और बजट प्राक्कलन 2011-12 में 500.00 करोड़ रु. की धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

(ix) **10.00 लाख रु. तक के गृह ऋण पर ब्याज सहायता** - इस स्कीम के अंतर्गत 10.00 लाख रु. तक के गृह ऋणों पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ पंजीकृत गृह वित्त कंपनियों को नोडल एजेंसियों अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से 1% की ब्याज सहायता प्रदान की जाती है। ब्याज सब्सिडी डेढ़ वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध होगी।

(x) **वित्तीय समावेशन योजना - स्वाभिमान स्कीम** - वित्तीय समावेशन अभियान को "स्वाभिमान" नाम दिया गया है। बैंकों ने 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले लगभग 73,000 निवास स्थानों को मार्च 2012 तक बैंकिंग सुविधाएं देने के लिए अभिचिन्हित किया है। यह अनुमान है कि लगभग 5 करोड़ ग्रामीण परिवार इस वित्तीय समावेशन अभियान के तहत बैंक खाते खोलेंगे। बैंक जमा, आहरण तथा धन प्रेषण जैसी आधारभूत सेवाएं कारोबार सम्पर्क की सेवाओं का प्रयोग करते हुए प्रदान करेंगे।

(xi) **नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत स्वावलंबन स्कीम** - चूंकि कुल कार्य-बल का केवल लगभग 12-13 प्रतिशत ही किसी औपचारिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली से कवर किया जाता है, देश में

एक सुदृढ़ एवं टिकाऊ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए भारत में पेंशन क्षेत्र सुधारों की शुरुआत की गई। पर्याप्त सेवानिवृत्ति आमदनी उपलब्ध कराने के प्रयोजन से भारत सरकार द्वारा नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) शुरु की गई और इसे 1 जनवरी 2004 से सरकार (सशस्त्र सेनाओं के सिवाय) में होने वाली नई भर्तियों के लिए अनिवार्य बना दिया गया।

जैसाकि वर्ष 2010-11 के बजट भाषण में घोषणा की गई थी, असंगठित क्षेत्र को एनपीएस का लाभ देने के लिए सरकार द्वारा "स्वावलंबन स्कीम" अनुमोदित की गई। स्कीम का उद्देश्य है- एनपीएस के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के लोगों को अपने आपको पंजीकृत करवा कर अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक रूप से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना। असंगठित क्षेत्र के जो कोई भी नागरिक न्यूनतम 1,000 रु. और अधिकतम 12,000 रु. के वार्षिक अंशदान के साथ एनपीएस ज्वाइन करते हैं, सरकार उनके एनपीएस खाते में 1,000 रु. का अंशदान देगी। इस तरह, भारत सरकार प्रत्येक नागरिक की वृद्धावस्था आमदनी सुरक्षा में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होगी। यह स्कीम वर्ष 2013-14 तक के लिए उपलब्ध है।

(xii) **सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना (यूएचआईएस)** - यूएचआईएस सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। इसमें समूचे परिवार के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर होने वाले खर्च के लिए अस्थायी आधार पर 30,000/- तक के चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति करने, परिवार के कमाऊ मुखिया की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 25,000/- के मृत्यु कवर तथा कमाऊ सदस्य की कमाई का नुकसान होने पर 50/- रु. प्रतिदिन की दर से अधिकतम 15 दिनों की प्रतिपूर्ति करने की व्यवस्था की गई है। यूएचआईएस गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए ग्राह्य है और इसे सरकार से सब्सिडी प्राप्त करने के संघटक के साथ क्रियान्वित करने के लिए तैयार किया गया था। सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों ने सितंबर, 2008 में आगे इसमें और संशोधन कर दिया है जिसमें प्रीमियम में कमी कर दी गई है और मातृत्व हितलाभ उपलब्ध करा कर, 70 वर्षों की आयु तक कवरेज देकर, पूर्व-विद्यमान रोगों को शामिल करके और बीमित व्यक्ति के पति/पत्नी को वेतन के नुकसान की भरपाई करने का फायदा देकर हितलाभों के कवरेज को बढ़ा दिया गया है। नवंबर, 2010 तक 45,068 पालिसियां जारी की गई थीं जिनमें 6,85,571 परिवार कवर किए गए हैं। इसमें 19.23 करोड़ रु. का व्यय निहित है। बजट प्राक्कलन 2010-11 में 20.00 करोड़ रु. का प्रावधान रखा गया था जिसे वर्ष के दौरान 6.66 लाख परिवारों को कवर करने के प्रयोजन से संशोधित प्राक्कलन चरण पर बढ़ा कर 25.00 करोड़ रु. और बजट प्राक्कलन 2011-12 में 20.00 करोड़ रु. कर दिया गया है।

(xiii) **वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई)** - 55 वर्ष और अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के निमित्त वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई) 14.7.2003 को शुरु की गई थी और 09.07.2004 को हटा ली गई थी। स्कीम के अंतर्गत पेंशनभोगी निवेश पर 9% प्रतिवर्ष की प्रभावी प्राप्ति प्राप्त करता है। पेंशनभोगी को प्रदत्त 9% की प्रभावी प्राप्ति और एलआईसी द्वारा अर्जित प्राप्ति के बीच के अंतर की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा एलआईसी को की जाती है। संशोधित प्राक्कलन 2010-11 में 175.70 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है और बजट प्राक्कलन 2011-12 में 199.61 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

परिव्यय और परिणाम का विवरण 2011-12

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12 (रूपए करोड़ में)			मात्रात्मक प्रदाय/ वास्तविक परिणाम	परकल्पित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	अभ्युक्तिताएं/ जोखिम कारक
1	2	3	4(i) गैर- योजना	4(ii) योजना	4(iii) सीईबीआर*	5	6	7	8
1.	मुख्य शीर्ष 2235- किसानों के लिए कृषि ऋण माफी और ऋण राहत (एडीडब्ल्यूडीआर) योजना, 2008 के कार्यान्वयन के लिए किसान ऋण राहत निधि	ऋण माफी प्राप्त होने पर, किसान सामान्य नियमों के अनुरूप बैंकों से नए कृषि ऋण प्राप्त करने के पात्र हो जाएंगे।	6000.00	-	-	इस योजना में 31 मार्च 2007 तक ऋणदात्री संस्थानों द्वारा संवितरित सभी कृषि संबंधी ऋणों, जो 31 दिसम्बर 2007 तक अतिदेय थे तथा जिनका दिनांक 29.02.2008 तक भुगतान नहीं किया गया है, को सम्मिलित किया गया है। इस योजना में छोटे और सीमांत किसानों का ऋण पूर्णतया माफ है जबकि अन्य किसानों के लिए इन अवधियों के दौरान सम्मिलित ऋणों के लिए एकबारगी निपटान (ओटीएस) योजना है। ओटीएस में शेष 75% की राशि के भुगतान पर 25% की छूट सम्मिलित है।	किसानों के 30 जून, 2008 तक के ऋण संबंधी खातों को समाप्त करना ताकि वे ऋणदात्री संस्थाओं से नए ऋण लेने के पात्र हो जाएं।	इस योजना को ऋण माफी के लिए इसकी अंतिम तिथि अर्थात् 30.06.2008 तक कार्यान्वित कर दिया गया था। जहां तक ऋण राहत का संबंध है, अन्य किसानों को भुगतान करने और 2.44 करोड़ छोटे एवं देय राशि पर 25 प्रतिशत की सीमांत किसानों तथा रियायत प्राप्त करने के लिए 31.27 लाख अन्य किसानों को फायदा पहुंचा है जिसमें 30.06.2010 तक का समय 49,889.60 करोड़ रु. की धनराशि निहित है।	यह किसानों के लिए एक सब्सिडी है। इसमें कोई जोखिम कारक सम्मिलित नहीं है।
2.	मुख्य शीर्ष 2235- किसानों के लिए कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 के लिए ऋणदात्री संस्थाओं को ब्याज का भुगतान।	शेष प्रतिपूर्ति योग्य दावों पर ब्याज के भुगतान की संस्वीकृति होने से ऋणदात्री संस्थाओं को उनके प्रतिपूर्ति योग्य दावों के लिए कोई प्रावधान नहीं करना पड़ेगा जैसाकि आरबीआई द्वारा अपेक्षित किया गया है।	287.00	-	-	एडीडब्ल्यूडीआरएस के अंतर्गत ऋणदात्री संस्थाओं के दावों की प्रतिपूर्ति के लिए लंबी अवधि के कार्यक्रम के कारण, सरकार ने इन ऋणदात्री संस्थाओं को दूसरी, तीसरी और चौथी किस्तों के लिए ब्याज का भुगतान करने का निर्णय लिया है। सरकार ने 2009-10 से 2011-12 तक की अवधि के लिए इस प्रयोजन के लिए 3872.00 करोड़ रु. अनुमोदन किया है।	यह भुगतान एडीडब्ल्यूडी- मार्च, 2012 तक आरएस, 2008 में कार्यान्वयन के लिए है।	योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा बैंकों को किए गए भिन्नकालिक प्रतिपूर्ति पर बैंकों को ब्याज का भुगतान है। कोई जोखिम निहित नहीं है।	

* सीईबीआर - पुरक इतर बजटीय यानि केन्द्रीय सरकार से इतर संगठनों द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रतिबद्ध व्यय।

1	2	3	4	5	6	7	8	
			4(i) गैर- योजना	4(ii) योजना	4(iii) सीईवीआर			
3.	मुख्य शीर्ष 2416- किसानों को अल्पावधि ऋण देने के लिए ब्याज सहायता।	अल्पावधि उत्पादन ऋण पर किसानों को ब्याज राहत।	4868.00	-	-	3.00 लाख रुपये की राशि तक किसानों को 7% ब्याज दर पर अल्पावधि उत्पादन ऋण प्रदान करना। उन किसानों को 3% की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी जो अपना फसल ऋण समय पर चुका देते हैं।	किसान अल्पावधि ऋणों पर कार्यान्वयन की अवधि वार्षिक निहायत ही जरूरी ब्याज आधार पर बढ़ाई गई है। राहत का लाभ उठाएंगे।	यह किसानों के लिए सब्सिडी है। इसमें कोई जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं है।
4.	मुख्य शीर्ष 2416- अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे (एसटीसीसीएस) के पुनरुद्धार के लिए सहायता अनुदान	देश में अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे का पुनरुद्धार करना।	0.01	-	-	पैकेज को कार्यान्वित करने के इच्छुक राज्यों में अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे का पुनरुद्धार करने के लिए।	25 राज्यों ने इस पैकेज को कार्यान्वित करने के लिए नाबार्ड और भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ष 2010-11 (दिसम्बर 2010 तक) के दौरान नाबार्ड को 785.96 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।	यह देश में अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे के पुनरुद्धार के लिए एक अनुदान है। इसमें कोई जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं है।
5.	मुख्य शीर्ष 2416- दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचे (एलटीसीसीएस) के पुनरुद्धार के लिए सहायता अनुदान	देश में दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचे का पुनरुद्धार करना।	1000.00	-	-	दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचे के पुनरुद्धार के लिए पुनरुद्धार पैकेज प्रदान करना।	देश में दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा।	पैकेज में ऐसे कतिपय परिवर्तन किए जाने जरूरी थे जिन्हें सरकार का अनुमोदन मिलना अभी शेष है।
							यह देश में सहकारी ऋण ढांचे के लिए एक सब्सिडी है। इसमें कोई जोखिमकारक अंतर्ग्रस्त नहीं है। सरकार ने कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यू-डीआरएस) 2008 के कार्यान्वयन और एलटीसीसी एस की वित्तीय स्थिति पर एसटीसीसीएस पैकेज के	

1	2	3	4	5	6	7	8	
			4(i) गैर- योजना	4(ii) योजना	4(iii) सीईवीआर			
6.	मुख्य शीर्ष 2416- अनुदान सहायता - वित्तीय समावेशन निधि (एफआईटीएफ)	विशेष रूप से कमजोर वर्गों, अल्प आय समूहों और पिछड़े क्षेत्रों / अब तक बैंक सुविधा रहित क्षेत्रों में अधिक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करना।	10.00	-	-	वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने की दृष्टि से व्यावसायिक एवं विकासात्मक कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कमजोर वर्गों, और अल्प आय समूहों को वहन करने योग्य लागत पर समय से और पर्याप्त ऋण तथा वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	वित्तीय रूप से वंचित समूहों को बैंकिंग सेवा प्रदान की जा रही है। यह निधि वर्ष 2007-2008 से वित्तीय रूप से वंचित समूहों को बैंकिंग सेवा प्रदान की जा रही है।	प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया था। उस कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जो सरकार द्वारा स्वीकृत कर ली गई है। पैकेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
7.	मुख्य शीर्ष 2416 - सहायता अनुदान - वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि (एफआईटीएफ)	वित्तीय सेवा प्रदाताओं/ प्रयोक्ताओं की प्रौद्योगिकीय आमेलन क्षमता बढ़ाते हुए, वित्तीय समावेशन में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के अंतरण को प्रोत्साहित करने वाले वित्तीय समावेशन के संवर्द्धन पर लक्षित सूचना प्रसार प्रौद्योगिकी में निवेश बढ़ाना।	10.00	-	-	वित्तीय समावेशन में अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी के अंतरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूहों को वहनीय लागत पर समय से और पर्याप्त ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकीय विकास के अंतर्गत सुविधा देना।	वित्तीय रूप से वंचित समूहों को बैंकिंग सेवा प्रदान की जा रही है। यह निधि वर्ष 2007-08 से वित्तीय रूप से वंचित समूहों को बैंकिंग सेवा प्रदान की जा रही है।	गठित की गई इस निधि का रखरखाव नाबार्ड द्वारा किया जाएगा, जिसमें भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड की हिस्सेदारी 40:40:20 के अनुपात में होगी। भारत सरकार के अंश के रूप में वर्ष 2007-08 और 2009-10 में 10.00 करोड़ रु प्रत्येक जारी किए गए थे।

1	2	3	4	5	6	7	8	
			4(i) गैर- योजना	4(ii) योजना	4(iii) सीईवीआर			
							रु. प्रत्येक की राशि वर्ष 2007-08 और 2009-2010 में जारी की गयी थी।	
8.	मुख्य शीर्ष 4416 - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनर्पूजीकरण	जोखिम-भारत परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी-अनुपात (सीआरएआर) को समयबद्ध तरीके से बढ़ा कर कम से कम 7% और मार्च, 2012 तक आगे और 9% करना।	-	500.00	-	40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूजीकरण से उनके सीआरएआर को कम से कम 7% तक लाने में मदद मिलेगी।	आरआरबी की वित्तीय स्थिति एक वर्ष बेहतर करना जिससे कि वे अपनी हानि कम कर सकें और उधार देने की अपनी क्षमता बढ़ा सकें।	यह सरकारी निवेश है। कोई भी जोखिम कारक अंतर्गत नहीं है।
9.	मुख्य शीर्ष 3465 - प्रतिभूति मोचन निधि में अंशदान	भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयर के अधिकार निर्गम, 2008 में अंशदान के लिए जारी की गई विक्रय प्रतिभूति के मोचन के लिए प्रतिभूति मोचन निधि में योगदान करना।	-	625.00	-	यह भारतीय स्टेट बैंक को उसके अधिकार निर्गम, 2008 में अंशदान करने के लिए जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियां-2024 का मोचन करने के लिए सृजित की गई प्रतिभूति मोचन निधि में एक अंशदान है।	इन प्रतिभूतियों के मोचन वर्ष 2024 तक के लिए सृजित इस निधि में सरकार द्वारा 625.00 करोड़ रुपए की राशि का अंशदान प्रतिवर्ष किया जाना है।	कोई जोखिम कारक अंतर्गत नहीं है क्योंकि यह इस प्रयोजन के लिए पहले से गठित प्रतिभूति मोचन निधि में किया जाने वाला एक अंशदान है।
10.	मुख्य शीर्ष 5465 - सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का पुनर्पूजीकरण	इक्विटी समर्थन के जरिए पीएसबी का पुनः पूंजीकरण करना जिससे कि वे अपना टीयर 1 सीआरएआर 8% बनाए रख सकें और सभी पीएसबी में भारत सरकार की शेयरधारिता बढ़ कर 58% हो सके।	-	6000.00	-	सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को टीयर-1 सीआरएआर का सहज स्तर बनाए रखने में समर्थ करना तथा सभी पीएसबी में सरकारी शेयरधारिता को 58% तक बढ़ाना।	सीआरएआर के सुविधाजनक स्तर से सरकारी क्षेत्र के बैंक अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की ऋण जरूरतों का अनुसमर्थन करने में सक्षम हो पाएंगे जिससे अन्य बातों के साथ-साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और देश के समग्र जीडीपी में बढ़ोतरी होगी।	यह पीएसबी में सरकार द्वारा किया गया निवेश है जिससे कि वे देश की बढ़ती ऋण जरूरतों को सकारात्मक एवं प्रभावी रूप से पूरा कर सकें।

1	2	3	4	5	6	7	8	
			4(i) गैर- योजना	4(ii) योजना	4(iii) सीईवीआर			
11.	मुख्य शीर्ष 3465- "स्वाभिमान स्कीम" के अंतर्गत "नो फ्रिल्स" खाते खोलने के लिए बैंकों को सहयोग देना	यह लगभग 73.00 अर्बिचिन्हित - वाससथानों में 5 करोड़ "नो फ्रिल्स" खाते खोलने के लिए वित्तीय सहायता है।	-	50.00	-	यह वित्तीय समावेशन योजनाओं के भाग के रूप में उपर्युक्त प्रौद्योगिकीय अनुसमर्थन के साथ कारोबार सम्पर्क (बीसी) एवं अन्य मॉडलों के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने पर लक्षित है।	आम आदमी के लिए बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना।	कोई जोखिम कारक अंतर्गस्त नहीं है क्योंकि यह केवल "नो फ्रिल्स" खातों को खोलने की एककालिक नियत लागत को पूरा करने के लिए है।
12.	मुख्य शीर्ष 4885- इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि. (आईआई-एफसीएल) की शेयर पूंजी के लिए अंशदान	वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं के लिए उपलब्ध दीर्घावधि-वित्त सुविधा का सम्पूरण करना।	-	1000.00	-	आईआईएफसीएल दीर्घावधि अवसंरचना वित्त सुविधा में जो कमी है उसे पूरा करेगी, क्योंकि बैंक और अन्य संस्थाएं इसे पूरा नहीं कर पाती।	प्रदत्त पूंजी को 1000.00 करोड़ रुपए तक बढ़ाना। इससे कंपनी अपने ऋण पोर्टफोलियो को विस्तारित करने और अपनी बुनियादी स्थिति को सुदृढ़ करने में सक्षम हो पाएगी।	वित्तीय मध्यवर्ती संगठन के रूप में आईआई-एफसीएल लि. ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम का सामना करती है।
13.	मुख्य शीर्ष 4885- एक्विजि बैंक की शेयर पूंजी के लिए अंशदान करना।	एक्विजि बैंक का इक्विटी आधार सुदृढ़ बनाना	-	300.00	-	वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान निर्यात ऋण व्यवस्था (एलओसी) के अंतर्गत बैंक का संवितरण बढ़ा कर 600 मिलियन यूएस डालर करना (वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान एलओसी के अंतर्गत किए गए अनुमानित 500 मिलियन यूएस डालर के संवितरण की तुलना में लगभग 20% की बढ़ोतरी)	अन्य देशों में भारत के एक वर्ष निर्यात को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी।	ऋण जोखिम, चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम एवं विदेशी मुद्रा जोखिम।
14.	मुख्य शीर्ष 2232- वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना हेतु जीवन बीमा निगम को भुगतान	वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना के लिए सब्सिडी देना	-	199.61	-	योजना के तहत पेंशनर 9% का प्रभावी प्रतिफल प्राप्त करते हैं।	लगभग 3.5 लाख वरिष्ठ योजना को 09.07.2004 से नागरिक योजना के अंतर्गत नामांकित हुए थे, जो इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं।	कोई जोखिम अंतर्गस्त नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	
			4(i) गैर- योजना	4(ii) योजना	4(iii) सीईवीआर			
15.	मुख्य शीर्ष 2235- समुदाय आधारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना (यूएचआईएस) के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को भुगतान	बीपीएल परिवारों के स्वास्थ्य लाभ की पहुंच में सुधार करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की चार साधारण बीमा कंपनियां यूएचआईएस को क्रियान्वित कर रही है।	20.00	-	-	6.66 लाख परिवारों को कवर करना	गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों (बीपीएल) के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त स्वास्थ्य बीमा	यह गरीबों के लिए कल्याण योजना है। कोई जोखिम अंतर्गत नहीं है।
16.	मुख्य शीर्ष 2235- "स्वाभिमान योजना"	नई पेंशन प्रणाली के तहत लाख अभिदाताओं को कवरेज प्रदान करना	20	-	-	यह योजना असंगठित क्षेत्र के लोगों को एनपीएस के तहत स्वयं को नामांकित करके अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने पर लक्षित है।	योजना के तहत 10 लाख नामांकन का स्तर एग्रीगेटर्स के निष्पादन पर आधारित होगा। तीन वर्ष	औपचारिक श्रम बाजार स्थिति, आंतरायिक आय और कम वित्तीय ज्ञान
17.	मुख्य शीर्ष 2885- एजेंसियों अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय आवास बैंक को आर्थिक सहायता का भुगतान	नोडल एजेंसियों अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय बैंक के माध्यम से 15.00 लाख रुपए तक के आवास ऋणों पर 1% की ब्याज सहायता देने के लिए प्रावधान	500.00	-	-	यह ब्याज सहायता अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा राष्ट्रीय आवास बैंक में पंजीकृत आवास वित्त कम्पनियों के माध्यम से प्रदान की जाएगी।	आवास जनसंख्या की मार्च, 2012 तक आधारभूत आवश्यकता है। आवास क्षेत्र में सीमेंट तथा स्टील उद्योगों के लिए अतिरिक्त मांग का निर्माण करके अप्रत्यक्ष रूप से तथा रोजगारोन्मुख कार्यकलापों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन की व्यापक संभावना है।	कोई जोखिम कारक अन्तर्गत नहीं है।

सुधार उपाय तथा नीतिगत पहलें

सरकार द्वारा प्रारम्भ किए गए वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधारों को, बैंकों की कुशलता एवं उत्पादकता बढ़ाने, बासेल-II मानदण्डों को आसानी से अपनाने के लिए पूंजी के संवर्धन हेतु अतिरिक्त विकल्प प्रदान करने, ऋण सूचना सुकर बनाने, संदाय एवं निपटान प्रणाली की सरल एवं जोखिम मुक्त कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने, न्यूनतम जोखिम के साथ बैंकिंग परिचालनों में उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करने और वित्तीय समावेशन को प्राथमिकता देने के लिए किया गया है।

केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) संबंधी परिचालन प्रशिक्षण

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) की तकनीकी सहायता से, नागरिकों की शिकायतों का तुरन्त एवं कारगर निपटान करने के लिए केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) नामक एक पोर्टल विकसित किया है। शिकायतों के निवारण के प्रयोजन से वित्तीय सेवाएं विभाग को एक केन्द्रीय एजेंसी के रूप में नामित कर दिया गया है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, बैंकिंग ओम्बड्समैन कार्यालय, आरबीआई, नाबार्ड आदि पोर्टल से जुड़े हुए हैं।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूँजीकरण

अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने तथा बासेल-II खण्ड का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) की पूंजी का सहज स्तर बनाए रखने में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को समर्थ करने के लिए सरकार ने टीयर-I लिखतों में निवेश के जरिए राष्ट्रीयकृत बैंकों - सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया (1,400.00 करोड़ रुपए), यूको बैंक (1,200.00 करोड़ रुपए), विजया बैंक (1,200.00 करोड़ रुपए) तथा युनाइटेड बैंक आफ इंडिया (800.00 करोड़ रुपए) में 4,600.00 करोड़ रुपए की राशि वाली पूंजी निधियां लगाने का निर्णय लिया है। सरकारी क्षेत्र के बैंक जिन्हें लगभग 8% का सीआरएआर बनाए रखते हुए अर्थव्यवस्था की ऋण जरूरतें पूरी करने के लिए ऐसी निधियों की आवश्यकता है, के पुनर्पूँजीकरण के लिए बजट अनुमान 2010-11 में 15,000 करोड़ रुपए की एक राशि उपलब्ध कराई गई। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपना टीयर-I सीआरएआर 8% तक बनाए रखने तथा साथ ही सभी पीएसबी में भारत सरकार की धारिता को 58% तक बढ़ाने के लिए इक्विटी सहायता के माध्यम से पीएसबी के पुनर्पूँजीकरण के उद्देश्य के लिए योजना के अंतर्गत संशोधित अनुमान 2010-11 तथा बजट अनुमान 2011-12 प्रत्येक में 6,000.00 करोड़ रुपए का एक प्रावधान किया गया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कृषि, ग्रामीण उधार तथा वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(i) **नई शाखाएं खोलना** - आरआरबी को कवर न किए गए जिलों तथा बैंक सेवारहित क्षेत्रों को कवर करने के लिए शाखाओं का विस्तार करने की सलाह दी गई है। यह निर्णय लिया गया कि सभी आरआरबी मार्च 2011 तक 2000 नई शाखाएं खोलेंगे। आरआरबी ने मार्च 2007 से मार्च 2010 तक की अवधि के दौरान 955 शाखाएं खोली हैं। स्पर्धात्मक कुशलता बढ़ाने/सुधार करने, ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने तथा आरआरबी द्वारा वित्तीय समावेशन और बढ़ाने के लिए सभी प्रायोजक बैंकों को सितम्बर 2011 तक उनके द्वारा प्रायोजित आरआरबी में कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। दिसम्बर 2010 तक, कुल 82

आरआरबी में से 22 आरआरबी में सीबीएस पूर्णतः क्रियान्वित है तथा शेष 60 आरआरबी में यह कार्य प्रगति पर है।

(ii) **आरआरबी का पुनर्पूँजीकरण** - आरआरबी के सीआरएआर की जांच करने तथा समयबद्ध रूप से आरआरबी के सीआरएआर को कम से कम 7% तक लाने तथा मार्च 2012 तक 9% तक लाने के लिए आरबीआई के उप गवर्नर डॉ. के. सी. चक्रवर्ती की अध्यक्षता में आरआरबी के पुनर्पूँजीकरण पर गठित समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार सरकार ने 40 आरआरबी के पुनर्पूँजीकरण का निर्णय लिया है। तदनुसार, संशोधित अनुमान 2010-11 तथा बजट अनुमान 2011-12 में क्रमशः 350.00 करोड़ रुपए तथा 500.00 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है।

पेंशन सुधार - पर्याप्त सेवानिवृत्ति आय प्रदान करने की दृष्टि से, भारत सरकार द्वारा 01 जनवरी, 2004 से नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की शुरुआत की गई है तथा सरकारी सेवा में आने वाले सभी कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए अनिवार्य बनाया गया है। इसमें एक रुप परिवर्तन हुआ है जिसमें एक परिभाषित लाभ प्रणाली पेंशन को एक परिभाषित अंशदान आधारित पेंशन प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। 25 राज्य सरकारों और 02 संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अधिसूचित किया है तथा इसमें शामिल हुए हैं। आज की स्थिति में, अनिवार्य सरकारी क्षेत्र के लिए अभिदाता आधार 7000.00 करोड़ रुपए के कार्पस सहित 1.1 मिलियन को पार कर गया है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने हाल ही में एनपीएस-लाइट नामक एक कम लागत वाला स्वरूप आरम्भ किया है जो लोगों के समूह को पर्याप्त रूप से कम लागत पर एनपीएस में शामिल होने में सक्षम बनाता है। पीएफआरडीए ने एनपीएस-लाइट योजना क्रियान्वित करने के लिए 9 एग्रीगेटर्स को भी प्राधिकृत किया है।

सरकार ने 2010 में **स्वावलंबन योजना** की घोषणा की है जिसमें असंगठित क्षेत्र का कोई नागरिक जो न्यूनतम 1000.00 रुपए तथा अधिकतम 12,000.00 रुपए के वार्षिक अंशदान सहित एनपीएस में शामिल होता है, अपने एनपीएस खाते 1000.00 रुपए का सरकारी अंशदान प्राप्त करेगा। इस योजना के साथ ही भारत सरकार प्रत्येक नागरिक की वृद्धावस्था आय सुरक्षा में एक प्रत्यक्ष शेरधारक बन गया है। इस समय यह योजना 2010-11 से अगले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2013-14 तक उपलब्ध है तथा देश में पेंशन संस्कृति को बढ़ावा देने में और आगे जाएगी। केन्द्र और राज्य सरकारों के स्वायत्त निकायों तथा संगठित क्षेत्र जैसे नए खण्डों तक एनपीएस की पहुंच का विस्तार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पीएफआरडीए, अनेक राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों तथा उपक्रमों के कर्मचारियों तक एनपीएस की पहुंच बढ़ाने के लिए बातचीत कर रहा है। बजट अनुमान 2010-11 में स्वावलंबन योजना के लिए 110.00 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है तथा बजट अनुमान 2011-12 में 220.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

वित्तीय समावेशन योजना - 'स्वाभिमान योजना'

'आम आदमी' तक बैंकिंग सेवाओं के लाभ उपलब्ध करवाने की दृष्टि से, भारतीय रिजर्व बैंक ने अग्रणी बैंक योजना पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति की सिफारिशों के सजग मूल्यांकन तथा आरबीआई के परामर्श के बाद सरकार ने 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले निवास स्थानों के लिए उपयुक्त बैंकिंग सेवाएं प्रदान किए जाने हेतु फरवरी 2011

में स्वाभिमान योजना की शुरुआत की है। 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले 73,000 निवास स्थानों को मार्च 2012 तक चरणबद्ध रूप से उपयुक्त प्रौद्योगिकी बैक-अप सहित कारोबार सम्पर्की (बीसी) तथा अन्य माडलों के जरिए बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए चिह्नित किया गया है। लगभग 48,000 निवास स्थानों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा तथा 25,000 निवास स्थानों को गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/सहकारी बैंकों द्वारा कवर किया जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत मजदूरी का धन-प्रेषण तथा बैंकिंग चैनलों

के माध्यम से लक्षित लाभार्थियों के अन्य भुगतानों जैसे अन्य सेवाओं तथा बीमा को भी बैंकिंग चैनलों के माध्यम से दिए जाने का प्रस्ताव है।

सरकार वित्तीय समावेशन प्रयासों के एक भाग के रूप में 'नो फ्रिल' खाते खोलने के लिए बैंकों की सहायता करेगी जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी आधार (वैकबोन) की लागत, हाथ में ले जाने वाला सूक्ष्म एटीएम उपकरण, कोर बैंकिंग समाधान सेवा, एकबारगी निपटान लागत, स्मार्ट कार्ड लागत आदि कवर किए जाएंगे। यह अनुमान है कि 73,000 चिह्नित निवास स्थानों में 5 करोड़ 'नो फ्रिल' खाते खोले जाएंगे।

विगत कार्यनिष्पादन की समीक्षा

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर और ग्राम उद्योगों, हस्तकरघा और अन्य ग्रामीण शिल्प के संवर्धन और विकास के लिए ऋण को सुकर बनाता है। वर्ष 2008-09 के दौरान वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 2,80,000 करोड़ रुपए के कृषि ऋण लक्ष्य के मुकाबले 456.10 लाख किसानों को 3,01,908 करोड़ रुपए का ऋण वित्तपोषित किया है। वर्ष 2009-10 के दौरान 3,25,000 करोड़ रुपए के कृषि ऋण लक्ष्य की तुलना में उक्त बैंकों ने 482.30 लाख किसानों को कवर करते हुए 3,84,514 करोड़ रुपए का ऋण संवितरित किया था। वर्ष 2009-10 के दौरान 90.92 लाख किसानों को बैंकिंग प्रणाली के तहत लाया गया।

आरबीआई और नाबार्ड ने सूचित किया है कि 2.44 करोड़ लघु एवं सीमांत किसान तथा 31.27 लाख 'अन्य किसानों' को एडीडब्ल्यूडीआरएस, 2008 के तहत 49,889.60 करोड़ रुपए की सीमा तक लाभ प्राप्त हुआ है।

अल्पावधिक सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) के पुनरुज्जीवन के लिए एक पैकेज नाबार्ड द्वारा देश में लगभग 96% एसटीसीसीएस को कवर करते हुए क्रियान्वित किया जा रहा है। दिसम्बर 2010 तक सरकार ने इस पैकेज के क्रियान्वयन के लिए नाबार्ड को कुल 9016.59 करोड़ रुपए (2006-07 में 1,425 करोड़ रुपए, 2007-08 में 2045.37 करोड़ रुपए, 2008-09 में 3,960.26 करोड़ रुपए, 2009-10 में 800 करोड़ रुपए तथा 2010-11 में 785.96 करोड़ रुपए) जारी किए हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

सरकार ने 2007 से 2009 के दौरान ऋणात्मक निवल आय वाले 27 आरआरबी को पुनर्पूजीकृत किया है। पुनर्पूजीकरण की कुल राशि 1795.97 करोड़ रुपए थी। केन्द्रीय सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों तथा प्रायोजक बैंक से अंशदान के हिस्से के जारी होने के साथ-साथ 897.98 करोड़ रुपए के अपने हिस्से का अंशदान जारी कर दिया।

82 आरआरबी में से 79 आरआरबी ने 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार 2514.83 करोड़ रुपए की सीमा तक लाभ अर्जित (कर-पूर्व) किया है। आरआरबी का कुल लाभ वर्ष 2008-09 में 1823.54 करोड़ रुपए से 2009-10 के दौरान बढ़कर 2514.83 करोड़ रुपए हो गया है। हानि दर्ज करने वाले आरआरबी की संख्या 2008-09 में 6 से 2009-10 में तीन रह गई। 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार हानियां 55.58 करोड़ रुपए घटकर 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार 35.91 करोड़ रुपए रह गईं और आगे चलकर 31.03.2010 के अनुसार 5.65 करोड़ रुपए रह गईं (आंकड़े अनंतिम)।

आईडीबीआई बैंक लि. की देयताओं की पुनर्संरचना

सरकार ने फरवरी 2005 में वर्ष 2003-04 से 2007-08 के दौरान आईडीबीआई लि. (अब आईडीबीआई बैंक लि.) की उच्च लागत देयताओं को पूरा करने के लिए ब्याज विभेद को अदा करके 2,521.89 करोड़ रुपए राशि की सहायता प्रदान करने के लिए अनुमोदन दिया है। वर्ष 2007-08 तक आईडीबीआई बैंक लि. को 2,367.56 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। शेष 154.33 करोड़ रुपए की राशि भी बैंक को 2010-11 के दौरान जारी की गई थी।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का पुनर्पूजीकरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं में सहायता करने के लिए सीआरएआर का सहज स्तर

बनाए रखने और बासेल-II की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने में सक्षम बनाने के लिए, सरकार ने चार राष्ट्रीयकृत बैंकों नामतः सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया (1,400 करोड़ रुपए), यूको बैंक (1,200 करोड़ रुपए), विजया बैंक (1,200 करोड़ रुपए) और युनाइटेड बैंक आफ इंडिया (800 करोड़ रुपए) में उनके टीयर-1 लिखतों में निवेश करके 4600 करोड़ रुपए की राशि की पूंजीगत निधियां लगाने का निर्णय लिया। 2008-09 में 1900 करोड़ रुपए, 2009-10 में 1200 करोड़ रुपए तथा 2010-11 (दिसम्बर 2010 तक) में 1500 करोड़ रुपए की राशि इन बैंकों में लगाई गई है। 02.01.2009 को घोषित द्वितीय प्रोत्साहन पैकेज के एक भाग के रूप में सरकार ने उन पीएसबी को पूंजी सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है जिन्हें 8% का सीआरएआर बनाए रखते हुए अर्थव्यवस्था की ऋण जरूरतें पूरी करने के लिए सक्षम बनाने हेतु ऐसी निधियों की आवश्यकता है और तदनुसार बजट अनुमान 2010-11 में 15000 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। इसके अलावा, इक्विटी सहायता के माध्यम से जरूरतमंद पीएसबी को अपना टीयर-I सीआरएआर 8% पर बनाए रखने में सक्षम बनाने के लिए तथा सभी पीएसबी में सरकारी धारिता को 58% तक बढ़ाने के लिए 6,000.00 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि संशोधित अनुमान 2010-11 तथा बजट अनुमान 2011-12 में प्रदान की गई है।

नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

पर्याप्त सेवानिवृत्ति आय प्रदान करने की दृष्टि से सरकार द्वारा एनपीएस की शुरुआत की गई है तथा सरकारी सेवा में आने वाले सभी नए कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए 01 जनवरी, 2004 से एनपीएस को अनिवार्य बनाया गया है। 25 राज्य सरकारों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अधिसूचित किया है और इसमें शामिल हुए हैं। अनिवार्य सरकारी क्षेत्र के लिए अभिदाता आधार 7000 करोड़ रुपए के कार्पस सहित 1.1 मिलियन को पार कर गया है।

असंगठित क्षेत्र के लोगों को एनपीएस का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा बजट अनुमान 2010-11 में की गई घोषणा के अनुसरण में "स्वावलंबन योजना" का अनुमोदन किया गया है। असंगठित क्षेत्र में दिसम्बर 2010 की स्थिति के अनुसार, लगभग 34,000 अभिदाता एनपीएस में स्वैच्छिक आधार पर शामिल हुए हैं। असंगठित क्षेत्र के कामगारों सहित सभी नागरिकों के लिए फिलहाल एनपीएस 35 बिट्टी केन्द्रों की लगभग 5000 सेवा प्रदाता शाखाओं के माध्यम से उपलब्ध है।

आम आदमी बीमा योजना (एबीवाई)

एबीवाई ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के मुखिया को प्राकृतिक मृत्यु के साथ-साथ दुर्घटना मृत्यु और आंशिक/स्थायी अपंगता के लिए बीमा प्रदान करने के लिए 02 अक्टूबर, 2007 को शुरु की गई थी। इस योजना में लाभार्थियों के 9वीं से 12वीं कक्षा के बीच अध्ययन कर रहे अधिकतम दो बच्चों तक प्रति बच्चा प्रति तिमाही 300.00 रुपए की दर पर छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने का (एड-आन) लाभ भी परिकल्पित है। प्रति सदस्य देय वार्षिक प्रीमियम 200.00 रुपए है जिसमें 50% केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा शेष 50% राज्य सरकार द्वारा चुकाया जाएगा। योजना की वार्षिक लागत को ध्यान में रखते हुए योजना की कार्पस निधियों में 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान प्रत्येक वर्ष 1000.00 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए।

जनश्री बीमा योजना (जेबीवाई)

यह योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले तथा गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर रहने वाले ग्रामीण और शहरी लोगों को जीवन बीमा सुशुभा प्रदान करती है। यह प्राकृतिक मृत्यु पर 30,000 रुपए, दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा

स्थायी अपंगता पर 75,000 रुपए तथा आंशिक स्थायी अपंगता पर 37,500 रुपए प्रदान करती है। शुल्क मुक्त एड-आन लाभ के रूप में छात्रवृत्ति भी प्रत्येक बच्चे के लिए प्रतिमाह 100.00 रुपए की दर पर 9वीं से 12वीं कक्षा के बीच अध्ययन कर रहे लाभार्थियों के अधिकतम दो बच्चों के लिए प्रदान की जाती है। योजना के तहत प्रीमियम 200.00 रुपए प्रति वर्ष है जिसका 50% लाभार्थी/राज्य सरकार/नोडल एजेंसी द्वारा अंशदान किया जाता है तथा शेष 50% एलआईसी द्वारा बनाई गई तथा भारत सरकार द्वारा अंशदान की गई सामाजिक सुरक्षा निधियों से आहरित की जाती है।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना (यूएचआईएस)

सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों द्वारा कार्यान्वित की गई सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना में समस्त परिवार के सदस्यों को अस्पताल में भर्ती होने पर फ्लोटर आधार पर 30,000 रुपए तक के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, परिवार के मुख्य अर्जक की दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 25,000 रुपए के मृत्यु बीमा, तथा अर्जक सदस्य की अर्जन हानि के कारण अधिकतम 15 दिन तक 50.00 रुपए प्रतिदिन की दर पर प्रतिपूर्ति देने का प्रावधान है। योजना को सितम्बर 2008 में आशोधित किया गया जिसमें मातृत्व लाभ, 70 वर्ष की आयु तक कवरेज पूर्व विद्यमान बीमारियों को शामिल करके तथा बीमित की पत्नी/पति की मजदूरी की हानि के लाभ को बढ़ाकर लाभ के कवरेज को बढ़ाया गया है जिसमें प्रीमियम को कम किया गया है। **नवम्बर 2010** तक इस योजना के तहत **6,85,571** परिवारों को कवर करते हुए **45,068** पालिसियां जारी की गई हैं।

इस योजना में प्रधान मंत्री राहत कोष से 500.00 रुपए तथा भारत सरकार से 300 रुपए की आर्थिक सहायता के साथ तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, केरल एवं पुदुचेरी के सुनामी प्रभावित क्षेत्रों के बीपीएल परिवारों को शामिल किया गया था। 2010-11 के दौरान (अक्टूबर 2010 तक) तमिलनाडु में 38,284 परिवार (5 जिले), आन्ध्र प्रदेश में 65,126 (9 जिले), केरल में 1,26,888 (7 जिले) तथा पुदुचेरी में 10,979 परिवारों (2 जिले) को कवर किया गया है।

ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)/ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (डीआरएटी)

ऋणों के त्वरित न्यायनिर्णयन तथा त्वरित वसूली के लिए बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के तहत 33 डीआरटी तथा 5 डीआरएटी स्थापित किए गए हैं। डीआरटी/डीआरएटी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को ऋणों की प्रभावी वसूली के लिए बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। डीआरटी की भूमिका वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (एसएआरएफएईएसआई), 2002 के अधिनियमन से और बढ़ गई है क्योंकि यह अधिनियम व्यथित पक्षों को डीआरटी के समक्ष अपील करने का अवसर देते हैं।

अनंतिम आंकड़ों के अनुसार डीआरटी द्वारा 01.01.2010 से 31.12.2010 की अवधि के दौरान 21,079.33 करोड़ रुपए सहित 11,801 मामलों को निपटाया गया।

परिव्यय और परिणाम 2009-10 के संदर्भ में परिणामी स्थिति

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2009-2010 परिव्यय (रूपए करोड़ में)	मात्रात्मक प्रदाय/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	अभ्युक्तियां/ जोखिम कारक	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान			
1.	मुख्य शीर्ष-2235 किसानों के लिए कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना, 2008 के क्रियान्वयन के लिए किसान ऋण राहत कोष	ऋण माफ किए जाने पर किसान सामान्य नियमों के अनुसार बैंकों से नए कृषि ऋण के लिए पात्र हो जाएंगे।	15000.00	15000.00	यह योजना 31 मार्च, 2007 तक ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा संवितरित सभी कृषि ऋण जो 31 दिसम्बर, 2007 तक बकाया थे तथा 29.02.2008 तक अतिदेय थे और जो 29.02.2008 तक चुकाए नहीं गए, को कवर करती है। लघु तथा सीमांत किसानों के लिए पूर्ण माफी है जबकि इस अवधि के दौरान कवर किए गए ऋणों के लिए अन्य किसानों हेतु एकबारगी निपटान योजना है। एकबारगी निपटान में 75% के भुगतान पर 25% की राहत दी जाती है।	ऋण माफी के लिए यह योजना अपनी देय तिथि सब्सिडी है। कोई जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं है। अर्थात् 30.06.2008 को क्रियान्वित की गई। ऋण राहत के संबंध में अन्य किसानों को अपना भुगतान करके शेष राशि पर 25% की राहत प्राप्त करने के लिए 30.06.2010 तक समय बढ़ाया गया।	एक 2009-10 के दौरान 15,000.00 करोड़ रुपए की सकल राशि जारी की गई।
2.	मुख्य शीर्ष-2235 किसानों के लिए कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना, 2008 के लिए ऋणदात्री संस्थाओं को भुगतान	शेष प्रतिपूर्ति योग्य दावों पर ब्याज का भुगतान किए जाने पर, ऋणदात्री संस्थाओं को जैसा आरबीआई द्वारा अपेक्षित है, अपने प्रतिपूर्ति योग्य दावों के लिए प्रावधान नहीं करने पड़ेंगे।	2151.00	2151.00	एडीडब्ल्यूडीआरएस के अंतर्गत ऋणदात्री संस्थाओं के प्रतिपूर्ति योग्य दावों के लिए भिन्नकालिक भुगतान के कारण, सरकार ने एडीडब्ल्यूडीआरएस के अंतर्गत दूसरी, तीसरी और चौथी किस्तों के लिए इन ऋणदात्री संस्थाओं के लिए 3872.00 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया है।	मार्च 2012 तक इस योजना के अंतर्गत बैंकों को सरकार द्वारा किए गए स्थिति के अनुसार भिन्नकालिक प्रतिपूर्ति पर बैंकों को ब्याज का एक भुगतान है। से कोई जोखिम अंतर्ग्रस्त नहीं है। अनुसार 458.85 करोड़ रुपए जारी किए गए।	

1	2	3	4	5	6	7	8	
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
3.	मुख्य शीर्ष-2235 सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को समुदाय आधारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए सब्सिडी	गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की स्वास्थ्य रक्षा में सुधार करने के लिए चार सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियां यूएचआईएस का क्रियान्वयन कर रही हैं।	6.39	28.00	2.6 लाख परिवारों को कवर करने के लिए	-	सब्सिडी होने के कारण कोई जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं है।	28.00 करोड़ रुपए की सकल राशि जारी की गई। 18,72,283 व्यक्तियों और 5,60,678 परिवारों को कवर करते हुए 1,78,186 पालिसियां जारी की गई।
4.	मुख्य शीर्ष-2235 वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान	वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना के लिए सब्सिडी देना	172.00	270.82	इस योजना के अंतर्गत पेंशनभोगी 9% वार्षिक प्रभावी आय प्राप्त करते हैं।	-	सब्सिडी होने के कारण कोई जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं है।	270.76 करोड़ रुपए जारी किए।
5.	मुख्य शीर्ष-2416 - अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे को पुनरुज्जीवन हेतु अनुदान सहायता	देश में सहकारी ऋण ढांचे (अल्पावधि) का पुनरुज्जीवन	0.00	800.00	जो राज्य इस पैकेज के कार्यान्वित करने के तथा इस उद्देश्य के लिए समझौता ज्ञापन पर सहमत हैं, उनमें अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे को पुनः अर्थक्षम बनाना।	राज्यों की इच्छा एवं सहायता पर निर्भर करते हुए एसटीसीसीएस को पुनः अर्थक्षम बनाने का कार्य अगले 1-2 वर्ष के अंदर होना है।	यह देश में सहकारी ऋण संरचना के लिए एक अनुदान है। कोई जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त का प्रावधान।	वर्ष 2009-10 के दौरान 800.00 करोड़ रुपए का अनुदान।
6.	मुख्य शीर्ष-2416 - दीर्घावधिक सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) के पुनरुज्जीवन के लिए सहायता अनुदान	देश में एलटीसीसीएस को पुनरुज्जीवित करना	1000.00	1.00	देश में एलटीसीसीएस को पुनरुज्जीवित करने के लिए पुनरुज्जीवन सहायता प्रदान करना।	एलटीसीसीएस को पुनरुज्जीवन के लिए प्रारूप पैकेज सरकार के समक्ष विचाराधीन है।	कोई जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं है।	भारत सरकार ने एलटीसीसीएस की वित्तीय स्थिति पर एसटीसीसीएस पैकेज और एडीडब्ल्यूडी-आरएस, 2008 के क्रियान्वयन के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है। एलटीसीसीएस के लिए सहायता पर निर्णय को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

1	2	3	4	5	6	7	8	
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
7.	मुख्य शीर्ष-2416 - अल्पावधि उत्पादन ऋण पर किसानों को अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सहायता	अल्पावधि उत्पादन ऋण पर किसानों को ब्याज राहत	2011.00	2011.00	किसानों को 3.00 लाख रुपए की राशि तक 7% की दर पर अल्पावधि उत्पादन ऋण देना।	क्रियान्वयन की अवधि वार्षिक आधार पर बढ़ाई गई है।	किसानों को अल्पावधिक ऋणों पर अत्यंत आवश्यक ब्याज राहत का लाभ मिलेगा। कोई जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं है।	2009-10 में 2011.00 करोड़ रुपए का सम्पूर्ण प्रावधान जारी किया गया।
8.	मुख्य शीर्ष-2416 - वित्तीय समावेशन निधि (एफआईटीएफ) के गठन के लिए सरकारी अंशदान	अधिकतम वित्तीय समावेशन, विशेषकर कमजोर वर्गों, कम आय समूहों और पिछड़े क्षेत्रों/बैंक सुविधारहित क्षेत्रों में, सुनिश्चित करने की दृष्टि से वृद्धि कारक और विकासमान कार्यक्रमों को सहायता	0.00	10.00	649.54 लाख किसान परिवारों की वित्तीय सेवाएं और समयबद्ध एवं पर्याप्त ऋण सुविधा तक पहुंच सुनिश्चित करना।	पांच वर्ष	649.54 लाख किसान परिवारों को वहनीय दर पर वित्तीय सेवा और ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी।	2007-08 में सरकार से प्रारंभिक अंशदान के रुप में 10.00 करोड़ रुपए जारी किए गए। 10.00 करोड़ रुपए की राशि अन्य किस्त 2009-10 के दौरान जारी हुई।
9.	मुख्य शीर्ष-2416 - वित्तीय समावेशन निधि के गठन के लिए सरकार का अंशदान	वित्तीय सेवा प्रदाताओं/प्रयोक्तों की अवशोषण क्षमता में सुधार करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा तथा वित्तीय समावेशन में अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी के अंतरण को प्रोत्साहित करना।	0.00	10.00	649.54 लाख किसान परिवारों को प्रौद्योगिकीय विकास के अंतर्गत सुविधा देना, जो सुविधा से बाहर थे।	पांच वर्ष	649.54 लाख किसान परिवार इस योजना के तहत कवर किए जाएंगे।	2007-08 में सरकार से प्रारंभिक अंशदान के रुप में 10.00 करोड़ रुपए जारी किए गए। 10.00 करोड़ रुपए की राशि अन्य किस्त 2009-10 के दौरान जारी हुई।
10.	मुख्य शीर्ष-4885 - एक्जिम बैंक का इक्विटी आधार एक्जिम बैंक की शेयर पूंजी के लिए अंशदान	एक्जिम बैंक का इक्विटी आधार सुदृढ़ करना।	300.00	300.00	निर्यात और आयात वित्तपोषण में संलग्न संस्थाओं के कार्यकरण में समन्वय करने में बैंक के पास एक आधार होगा।	बैंक की चूकता पूंजी को बढ़ाना।	निवेश ऋण रेटिंग को बनाए रखना। कोई जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं।	बैंक की चुकता पूंजी को 1700.00 करोड़ रुपए तक बढ़ाने के लिए 2009-10 में 300.00 करोड़ रुपए जारी किए गए।

1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान			
11.	मुख्य शीर्ष-4885 - दीर्घावधि अवसंरचना वित्त आईआईएफसीएल की शेर पंजी के लिए अभिदान	500.00	500.00	कंपनी दीर्घावधिक अवसंरचना के लिए अंतर को भरेगी जिसे बैंक आस्ति और देयताओं में एकरूपता न होने से संबंधित चिंताओं के प्रदान करने की स्थिति में नहीं होता है।	कंपनी की चुकता पूंजी को कोई ज्यादा जोखिम परिकल्पित 500.00 करोड़ रुपए तक बढ़ाना।	कोई ज्यादा जोखिम परिकल्पित बैंक की चुकता पूंजी को 1800.00 करोड़ रुपए तक बढ़ाने के लिए 2009-10 में 500.00 करोड़ रुपए जारी किए गए।	
12.	मुख्य शीर्ष-5465 - भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी भारतीय स्टेट बैंक के शेयरों के अधिकार निर्गम में इक्विटी शेयरों के अधिकार निर्गम में प्रतिभूतियों के मोचन हेतु प्रतिभूति मोचन निधि में अंशदान।	625.00	625.00	यह नियत समय पर एसबीआई का इसके अधिकार निर्गम, 2008 के अभिदान के लिए एसबीआई को जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियां 2024 का मोचन करने के लिए निर्मित प्रतिभूति मोचन निधि के लिए अंशदान है।	एसबीआई द्र 2008 के कोई जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त इक्विटी शेयर के अधिकार नहीं है क्योंकि यह इस उद्देश्य निर्गम में अभिदान के लिए पहले से निर्मित प्रतिभूति जारी की गई प्रतिभूतियों को 2024 में मोचित किया जाना है।	वर्ष 2009-10 के दौरान प्रतिभूति मोचन निधि के लिए 625.00 करोड़ रुपए अंतरित किए गए।	
13.	मुख्य शीर्ष-5465 - बैंकिंग क्षेत्र सुधारों पर नरसिंहमन नाबार्ड (योजना) में आरबीआई पण की लागत का अर्जन	1100.00	1450.00	इस लेनदेन से नाबार्ड में आरबीआई का पण सरकार को अंतरित हो जाएगा।	मार्च 2010	कोई जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं है।	नाबार्ड में आरबीआई की शेयर धारिता को सरकार में अंतरण के लिए प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को इस बजटीय प्रावधान का प्रयोग किए जाने हेतु अंतिम रुप नहीं दिया जा सका।

परिव्यय और परिणाम 2010-11 के संदर्भ में परिणाम स्थिति

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2009-2010 परिव्यय (रूपए करोड़ में)	मात्रात्मक प्रदाय/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	अभ्युक्तियां/ जोखिम कारक	31 दिसम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार उपलब्धियां	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
1.	मुख्य शीर्ष 2235 — कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूएडीआरएस) 2008 के कार्यान्वयन के लिए किसान ऋण राहत निधि।	ऋण माफी संस्वीकृत करने पर किसान सामान्य नियमावली के अनुसार बैंकों से नये ऋण लेने के हकदार हो जाएंगे।	12000.00	12000.00	इस योजना में 31 मार्च, 2007 तक ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा संवितरित सभी कृषि संबंधी ऋणों, 31 दिसम्बर 2007 तक बकाया ऋणों तथा जिनका दिनांक 29.02.2008 तक भुगतान नहीं किया गया है, को सम्मिलित किया गया है। इस योजना में छोटे और सीमांत किसानों का ऋण पूर्णतया माफ है जबकि अन्य किसानों के लिए इन अवधियों के दौरान सम्मिलित ऋणों के लिए एकबारगी निपटान (ओटीएस) योजना है। ओटीएस में शेष 75% की राशि के भुगतान पर 25% की छूट सम्मिलित है।	इस योजना को ऋण माफी के लिए देय तिथि अर्थात 30.06.2008 तक कार्यान्वित किया गया था। जहां तक ऋण राहत का संबंध है इसमें भुगतान करने के लिए और देय राशि का 25% का राहत लेने के लिए दिनांक 30.6.2010 तक का समय विस्तार दिया गया था।	यह किसानों के लिए एक सखिडी है। इसमें कोई जोखिम कारक सम्मिलित नहीं है।	11,340,17 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
2.	मुख्य शीर्ष 2235 - किसानों के लिए कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूएडीआरएस) 2008 के लिए ऋणदात्री संस्थाओं को ब्याज का भुगतान।	शेष प्रतिपूर्ति योग्य दावों पर ब्याज का भुगतान अनुदत करने पर, ऋणदात्री संस्थाओं को उनके प्रति-पूर्ति योग्य दावों के लिए प्रावधान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा आरबीआई द्वारा अपेक्षित है।	1434.00	1434.00	एडीडब्ल्यूएडीआरएस के अंतर्गत ऋणदात्री संस्थाओं के दावों की प्रतिपूर्ति के लिए लंबे कार्यक्रम के कारण सरकार ने एडीडब्ल्यूएडीआरएस के अंतर्गत भुगतान की दूसरी, तीसरी, और चौथी किरतों के भुगतान के लिए इन संस्थानों के लिए इन संस्थाओं को 3872.00 करोड़ रु के ब्याज का भुगतान करने का निर्णय लिया था।	मार्च, 2012 तक	यह बैंकों को इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बैंकों को लंबी अवधि में की गई प्रतिपूर्ति पर ब्याज का भुगतान है। इसमें कोई जोखिम नहीं है।	31.12.2010 की स्थिति के अनुसार आरबीआई और नाबार्ड से दावों की प्राप्ति नहीं होने के कारण कोई निधि जारी नहीं की गई है।

1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान			
3.	मुख्य शीर्ष 2235 - बीपीएल परिवारों की स्वास्थ्य सेवा समुदाय आधारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना (यूएचआईएस) के लिए सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को भुगतान	20.00	25.00	6.66 लाख परिवारों को बीमा सुरक्षा प्रदान करना।		सब्सिडी होने के कारण कोई जोखिम कारक शामिल नहीं है।	6,85,571 परिवारों को बीमा सुरक्षा प्रदान करते हुए दिनांक 30.12.2010 की स्थिति के अनुसार 45,068 पॉलिसियां जारी की गई थी।
4.	मुख्य शीर्ष 2235 - वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान	209.32	175.70	इस योजना के तहत पेंशनभोगियों को 9% वार्षिक की प्रभावी आय मिलती है।	एक वर्ष इस योजना को 09.07.2004 से बंद कर दिया गया है।	इस योजना के अंतर्गत उन पेंशनभोगियों को सब्सिडी प्रदान की जाती है जो इस पेंशन योजना में अंशदान करते हैं। कोई जोखिम कारक शामिल नहीं है।	70.05 करोड़ रुपए जारी किए गए।
5.	मुख्य शीर्ष 2416 - अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे किसानों को अल्पावधि ऋण देने (एसटीसीसीएस का पुनरुज्जीवन ।	984.65	1014.65	उन राज्यों में, जो इस पैकेज को कार्यान्वित करते हैं और इस उद्देश्य के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हैं, एसटीसीसीएस को पुनरुज्जीवित करने के लिए	एसटीसीसीएस का पुनरुज्जीवन अगले 1 से 2 वर्षों में पूरा किया जाना है जो राज्यों की स्वेच्छा और सहायता पर निर्भर करता है।	देश की अल्पावधि सहकारी समितियों को यह एक अनुदान है। इसमें कोई जोखिम कारक नहीं है।	785.96 करोड़ रुपए जारी किए गए। 25 राज्यों ने इस पैकेज के कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड और भारत सरकार वें साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
6.	मुख्य शीर्ष 2416- किसानों को अल्पावधि ऋण देने के लिए ब्याज सहायता	3000.00	4000.00	किसानों को 3.00 लाख रुपए की राशि तक अल्पावधि ऋण 7% प्रतिवर्ष पर प्रदान करना। वर्ष 2010-11 के दौरान ऋणदात्री संस्थाओं को उनकी स्वयं की निधियों से किसानों को प्रदान किए गए ऋणों के लिए 1.5% की ब्याज सहायता प्रदान की गयी है।	कार्यान्वयन की अवधि वार्षिक आधार पर बढ़ाई जाती है।	यह किसानों को एक सब्सिडी है। कोई जोखिम कारक शामिल नहीं है।	1413.32 करोड़ रुपए जारी किए गए। अल्पावधि ऋणों पर काफी आवश्यक ब्याज सहायता के कारण किसानों को लाभ हो रहा है।

1	2	3	4	5	6	7	8	
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
7.	मुख्य शीर्ष 2416- सहकारी ऋण ढांचे (दीर्घावधि) को पुनरुज्जीवित करना।	देश के दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचे को पुनरुज्जीवित करना।	1000.00	500.00	एलटीसीसीएस के पुनरुज्जीवन हेतु पुनरुज्जीवन सहायता प्रदान करना। पैकेज का मसौदा सरकार के विचाराधीन है।	एलटीसीसीएस के पुनरुज्जीवन के संशोधित ऋण ढांचे को एक सब्सिडी है। पैकेज का मसौदा सरकार के विचाराधीन है।	ये देश में दीर्घावधि सहकारी सरकार ने एलटीसीसीएस की वित्तीय स्थिति पर एडीडब्ल्यूडी-आर योजना 2008 तथा एलटीसीसीएस की वित्तीय स्थिति पर एसटीसीसीएस पैकेज के कार्यान्वयन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक कार्यबल गठित किया था। कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। तदनुसार संशोधित पैकेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है।	
8.	मुख्य शीर्ष 2416 - वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ)	और अधिक वित्तीय समावेशन हासिल करने को ध्यान में रखते हुए, विशेषकर कमजोर वर्गों, निम्न आय वर्गों और पिछड़े क्षेत्रों /अब तक बैंक रहित क्षेत्रों में, संवर्धनात्मक और विकासात्मक गतिविधियों को सहायता देना।	10.00	10.00	649.54 लाख कृषक- परिवारों के लिए वित्तीय सेवाओं हेतु पहुंच तथा समय पर और पर्याप्त ऋण सुविधा सुनिश्चित करना।	निधि को वर्ष 2007-08 से कार्यान्वित किया जा रहा है और 5 वर्ष के भीतर पूरा किया जाना है।	भारत सरकार, आरबीआई और नाबार्ड द्वारा 40:40:20 के अनुपात में अंशदान से नाबार्ड में निधि अनुरक्षित की जा रही है। कोई जोखिम कारक अवेक्षित नहीं है।	भारत सरकार द्वारा 20 करोड़ रु जारी किया गया है (वर्ष 2007-08 और 2009-10 प्रत्येक में 10.00 लाख रु)। वर्ष 2010-11 के दौरान कोई राशि जारी नहीं की गई।
9.	मुख्य शीर्ष 2416 - वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि (एफआईटीएफ)	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में निवेश बढ़ाने और वित्तीय सेवाएं प्रदाताओं/ प्रयोक्ताओं की आमेलन क्षमता में सुधार लाने के लिए वित्तीय समावेशन में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी अंतरण को उत्प्रेरित करना।	10.00	10.00	649.54 लाख कृषक- परिवारों को प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से वित्तीय सेवाओं तक पहुंच तथा समय पर और पर्याप्त ऋण सुविधा सुनिश्चित करना।	यह निधि वर्ष 2007-08 से कार्यान्वित की जा रही है और समय सीमा 5 वर्ष है।	भारत सरकार, आरबीआई और नाबार्ड द्वारा 40:40:20 के अनुपात में अंशदान से नाबार्ड में निधि अनुरक्षित कि जा रही है। कोई जोखिम कारक अवेक्षित नहीं है।	भारत सरकार द्वारा 20 करोड़ रु जारी किया गया है (वर्ष 2007-08 और 2009-10 प्रत्येक में 10.00 लाख रु)। वर्ष 2010-11 के दौरान कोई राशि जारी नहीं की गई।

1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान			
10.	मुख्य शीर्ष 2885- नोडल एजेंसियों अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक को सब्सिडी का भुगतान।	यह प्रावधान नोडल एजेंसियों अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से 10 लाख रु तक के आवास ऋणों पर 1% की ब्याज सहायता प्रदान करने के लिए है।	700.00	100.00	यह सहायता अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और राष्ट्रीय आवास वित्त कंपनियों के माध्यम से दी जाएगी।	कोई जोखिम कारक शामिल नहीं है।	नोडल एजेंसियों से प्राप्त दावों के आधार पर 8.41 करोड़ रु जारी किए गए।
11.	मुख्य शीर्ष 2885- इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (आईडीबीआई) को अनुदान	आईडीबीआई बैंक लि. को उनकी उच्च लागत देयताओं को पूरा करने के लिए ब्याज अंतर के रूप में 2521.89 करोड़ रु की सहायता प्रदान करना।	154.33	154.33	इससे बैंक को अपनी उच्च लागत वाली देयताओं की संभावित हानि को पूरा करने में सहायता मिलेगी	कोई जोखिम कारक शामिल नहीं है।	वर्ष 2010-11 के दौरान 154.33 करोड़ रु जारी कर भारत सरकार ने आईडीबीआई को 2521.89 करोड़ रु का कुल परिकल्पित ब्याज अंतर जारी कर दिया।
12	मुख्य शीर्ष 3465- प्रतिभूति मोचन निधि में अंशदान	भारतीय स्टेट बैंक ने इक्विटी शेयर के अधिकार निर्गम, 2008 में अंशदान के एवज में जारी की गई एसएलआर विक्रय प्रतिभूति के मोचन के लिए प्रतिभूति मोचन निधि में अंशदान	625.00	625.00	यह भारतीय स्टेट बैंक को उसके अधिकार निर्गम 2008 में अंशदान करने के लिए जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियां-2024 का मोचन करने के लिए सृजित की गई प्रतिभूति मोचन निधि में एक अंशदान है।	कोई जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं है।	इस निधि में राशि जारी करना विचाराधीन है।
13	मुख्य शीर्ष 3465 - बैंक सुविधा-रहित शाखाएं खोलना	देश के बैंक सुविधा-रहित शाखाओं में प्रत्येक बैंक शाखाएं खोलना	129 50.00	50.00	- देश के बैंक सुविधा - रहित 129 शाखाओं में प्रत्येक शाखाएं खोलना-	कोई जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं है।	इस वर्ष अब तक 2 बैंक सुविधा- रहित शाखाएं खोलना शामिल कर दिए गए हैं।
14	मुख्य शीर्ष 4885 - निर्यात-आयात बैंक की शेयर पूंजी में अंशदान	एक्जिम बैंक के इक्विटी को सुदृढ बनाना	300.00	300.00	वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान निर्यात ऋण व्यवस्थाओं (एलओसी) के अन्तर्गत बैंक का संवितरण वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान 414 मिलियन अमेरिकी डालर के एल ओ सी संवितरणों का 20% अधिक करना।	ऋण जोखिम, नकदी जोखिम, ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम	चुकता पूंजी को 2000.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाने के लिए 300.00 करोड़ रुपये जारी किए गए। बैंक ने अप्रैल से दिसम्बर 2010 की अवधि के दौरान अपनी निर्यात ऋण व्यवस्थाओं के अन्तर्गत

1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान			
							कुल 365.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर का संवितरण किया ।
15	मुख्य शीर्ष 4885 इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी आईआई-एफसीएल की शेयर पूंजी में अंशदान	अवसंरचना परियोजनाओं के लिए दीर्घावधि वित्तीय सहायता में सुधार करना	500.00	500.00	कंपनी दीर्घावधि अवसंरचना वित्त के लिए अंतर को पूरा करेगी जिसे बैंक और अन्य संस्थाएं प्रदान करने की स्थिति में नहीं हैं ।	वित्तीय मध्यस्थ के रूप में कंपनी ऋण जोखिम, नकदी जोखिम और परिचालन जोखिम है।	आई आई एफ सी एल को 200.00 करोड़ रुपये जारी किए गए । दिसम्बर 2010 के अंत में कंपनी द्वारा दी गयी संचयी संस्वीकृतियों 168 परियोजनाओं में 30127 करोड़ रुपये थीं
16	मुख्य शीर्ष 4885 राष्ट्रीयकृत बैंकों की पूंजीगत निधियों का संवर्धन करने हेतु उनके टीयर 1 लिखत के लिए अंशदान	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक, विजया बैंक, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया की पूंजीगत निधियों को बढ़ाने हेतु	1500.00	1500.00	सीआरएआर स्तर को सुविधापूर्ण बनाए रखने के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, विजया बैंक, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया की शेयरपूंजी को बढ़ाना	सरकार द्वारा पीएसबी में यह एक निवेश है जिससे वे देश की बढ़ती ऋण जरूरतों पर सकारात्मक एवं कारगर रूप से प्रतिक्रिया करने में समर्थ हो सकें ।	यह 1500.00 करोड़ रु के पूरे प्रावधान को जारी कर दिया गया।
17	मुख्य शीर्ष 5465-विश्व बैंक ऋण वेग द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूँजीकरण	अर्थव्यवस्था की ऋण जरूरतों को पूरा करने तथा सीआरएआर को लगभग 8% बनाए रखने के लिए पूंजी सहायता प्रदान करना।	1500.00	18657.00	बासेल II दौर का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पीएसबी को करीब 8% के सीआरएआर का सुविधापूर्ण स्तर बनाए रखने को सुगम करना।	सरकार द्वारा पीएसबी में एक बढती ऋण जरूरतों पर सकारात्मक एवं कारगर रूप से प्रतिक्रिया करने में समर्थ हो सकें । कोई जोखिम कारक अन्तर्ग्रस्त नहीं है।	एक 4191.04 करोड़ रु निवेश है जिससे वे देश की जारी किए गए।
18	मुख्य शीर्ष 5465-एसएआरएफएईएस-आई अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय इलैक्ट्रानिक रजिस्ट्री की स्थापना हेतु पूंजी के लिए सरकार का अंशदान	धोखाधडियां कम करने, प्रतिभूतिकरण एवं बंधक बाजारों में सुधार लाने के लिए सहायता प्रदान करना।	25.00	25.00	वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित के सृजन से संबंधित लेनदेन के पंजीकरण हेतु।	कोई जोखिम कारक अन्तर्ग्रस्त नहीं है।	केन्द्रीय इलैक्ट्रानिक रजिस्ट्री की स्थापना हेतु प्रारंभिक अंशदान के रूप में 0.05 करोड़ रु जारी किए गए।

मांग संख्या - 33 के अन्तर्गत योजनाओं की संक्षिप्त स्थिति वित्तीय सेवाएं विभाग

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम	2009-10			2010-11			2011-12
		बजट	संशोधित	वास्तविक	बजट	संशोधित	वास्तविक	बजट
		अनुमान	अनुमान				दिस., 2010 तक	अनुमान
1	कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआरएस), 2008-किसान ऋण राहत निधि को अंतरण (मुख्य शीर्ष - 2235)	15000.00	15000.00	15000.00	12000.00	16000.00	11340.47	2000.00
2	एडीडब्ल्यूडीआरएस, 2008 के लिए ऋण दात्री संस्थाओं के माध्यम से ऋण राहत/ऋण माफी (मुख्य शीर्ष-2235)	15000.00	15000.00	15000.00	12000.00	12000.00	11340.47	6000.00
3	एडीडब्ल्यूडीआरएस, 2008 के लिए ऋण दात्री संस्थाओं को ब्याज का भुगतान (मुख्य शीर्ष- 2235)	2151.00	2151.00	458.85	1434.00	1434.00	0.00	287.00
4	सामुदायिक आधारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को सब्सिडी (मुख्य शीर्ष-2235)	6.39	28.00	28.00	20.00	25.00	13.53	20.00
5	वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना हेतु एलआईसी को ब्याज सब्सिडी (मुख्य शीर्ष - 2235)	172.00	270.82	270.76	209.32	175.70	70.05	199.61
6	असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों को नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्वावलम्बन योजना							
	6.1 स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अभिदाताओं को सरकार का अंशदान (मुख्य शीर्ष-2235)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	200.00
	6.2 स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत नामांकन एवं अंशदान हेतु संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक कार्यकलापों हेतु निधीयन सहायता (मुख्य शीर्ष-2235)	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00
7	अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) के सुदृढीकरण हेतु नाबार्ड के माध्यम से अनुदान (मुख्य शीर्ष-2416)	0.00	800.00	800.00	984.65	1014.65	785.96	0.01
8	किसानों को अल्पावधि ऋण प्रदान करने के लिए ब्याज सहायता (मुख्य शीर्ष-2416)	2011.00	2011.00	2011.00	3000.00	4000.00	1413.32	4868.00
9	दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) का पुनरुज्जीवन (मुख्य शीर्ष-2416)	1000.00	1.00	0.00	1000.00	500.00	0.00	1000.00
10	वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) में अंशदान (मुख्य शीर्ष-2416)	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00
11	वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि (एफआईएफ) में अंशदान (मुख्य शीर्ष-2416)	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00
12	नोडल एजेंसियों अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक एवं राष्ट्रीय आवास बैंक को आवास ऋण के लिए 1% की सब्सिडी के रूप में सब्सिडी का भुगतान (मुख्य शीर्ष-2885)	0.00	0.00	0.00	700.00	100.00	8.41	500.00
13	स्ट्रैन्ड ऐसेट स्टेबलाइजेशन फंड (एसएसएफ) को जारी प्रतिभूतियों का मोचन (मुख्य शीर्ष-2285)	0.00	400.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम	2009-10			2010-11			2011-12
		बजट	संशोधित	वास्तविक	बजट	संशोधित	वास्तविक	बजट
		अनुमान	अनुमान				दिस., 2010 तक	अनुमान
14	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लि. (आईडीबीआई) (मुख्य शीर्ष- 2885)	0.00	0.00	0.00	154.33	154.33	154.33	0.00
15	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लि. (आईआईएफसीएल) को इक्विटी सहायता (मुख्य शीर्ष-4885)	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	200.00	0.00
16	गोवान बैंक को आर्थिक सहायता (मुख्य शीर्ष-2885)	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.00	0.08
17	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के पुनर्पूजीकरण हेतु अंशदान (आरआरबी) (मुख्य शीर्ष-4416)	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
18	भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयरों के अधिकार निर्गम में अभिदान हेतु प्रतिभूति मोचन निधि में अंशदान (मुख्य शीर्ष- 3465)	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	0.00	625.00
19	भारतीय आयात निर्यात बैंक की शेयर पूंजी में अभिदान (मुख्य शीर्ष - 4885)	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00
20	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूजीकरण (मुख्य शीर्ष- 5465)	0.00	2466.00	2466.00	16500.00	14157.00	5691.00	0.00
21	एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के तहत सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री की स्थापना हेतु पूंजी के लिए सरकार का अंशदान (मुख्य शीर्ष- 5465)	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.05	0.00
22	भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) को विश्व बैंक सहायता (मुख्य शीर्ष- 5465)	0.00	0.00	0.00	0.00	420.12	0.00	14.00
	योग गैर-योजना	36765.47	39572.90	37779.69	49472.38	52210.88	31317.59	15753.70
	आयोजना							
23	एनएचबी में आरबीआई के पण की अधिग्रहण लागत (मुख्य शीर्ष - 5465)	442.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
24	नाबार्ड में आरबीआई के पण की अधिग्रहण लागत (मुख्य शीर्ष - 5465)	1100.00	1450.00	0.00	0.00	1430.00	1430.00	0.00
25	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूजीकरण (मुख्य शीर्ष- 5465)	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	0.00	6000.00
26	बैंक सुविधारहित खंडों में बैंक शाखाएं खोलने हेतु सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सहायता (मुख्य शीर्ष -3465)	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
27	वित्तीय समावेशन योजना के भाग के रूप में स्वाभिमान योजना के अंतर्गत "नौ फ्रिल्स" खाते खोलने हेतु बैंकों को वित्तीय सहायता (मुख्य शीर्ष - 3465)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
28	भारतीय आयात निर्यात बैंक की शेयर पूंजी के लिए अभिदान (मुख्य शीर्ष - 4885)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
29	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लि. (आईआईएफसीएल) के लिए इक्विटी सहायता (मुख्य शीर्ष-2885)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
30	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्पूजीकरण हेतु अंशदान (आरआरबी) (मुख्य शीर्ष-4416)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	योग गैर योजना	1542.00	1450.00	0.00	50.00	7930.00	1430.00	7850.00
	सकल योग	38307.47	41022.90	37779.69	49522.38	60140.88	32747.59	23603.70

वित्तीय सेवाएं विभाग के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अर्जित निवल लाभ तथा अदा किए गए लाभांश

क्रम सं.	बैंक का नाम	31.03.2010 के अनुसार कुल चुकता पूंजी	31.03.2010 के अनुसार चुकता पूंजी में सरकार का अंश	2009-10 में करोपरान्त लाभ	2009-10 में अदा किया गया लाभांश	2010-11 में लाभांश की अदायगी हेतु बजट अनुमान	2010-11 में लाभांश की अदायगी हेतु बजट अनुमान	2011-12 में लाभांश की अदायगी हेतु बजट अनुमान
1.	इलाहाबाद बैंक	446.70	246.70	1206.33	135.69	60.00	135.69	115.00
2.	आंध्रा बैंक	485.00	250.00	1045.85	242.50	105.00	242.50	210.00
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	364.27	196.00	3058.33	294.00	170.00	294.00	250.00
4.	बैंक ऑफ इंडिया	525.18	338.58	1741.07	237.01	119.00	237.01	205.00
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	430.52	330.52	439.58	66.10	50.00	66.10	50.00
6.	केनरा बैंक	410.00	300.00	3021.43	300.00	215.00	300.00	250.00
7.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	404.14	324.14	1058.23	71.31	30.00	70.90	60.00
8.	कार्पोरेशन बैंक	143.44	82.00	1170.25	135.30	90.00	135.30	120.00
9.	देना बैंक	286.82	146.82	511.25	29.36	15.00	29.36	25.00
10.	इंडियन बैंक	429.77	343.82	1554.99	223.48	69.05	187.53	200.00
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	544.80	333.60	706.96	116.76	135.00	116.76	100.00
12.	ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स	250.54	126.00	1134.68	116.48	85.00	116.48	100.00
13.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	183.06	183.06	508.80	-	-	0.00	0.00
14.	पंजाब नेशनल बैंक	315.30	182.24	3905.35	400.93	170.00	368.69	350.00
15.	सिंडीकेट बैंक	521.97	346.97	813.32	104.09	95.00	104.09	80.00
16.	यूको बैंक	549.36	349.36	1012.19	52.40	30.00	52.40	40.00
17.	युनियन बैंक ऑफ इंडिया	505.12	280.00	2074.92	154.00	125.00	154.00	130.00
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	316.43	266.43	322.36	53.29	0.00	53.29	35.00
19.	विजया बैंक	433.52	233.52	507.30	58.38	20.00	58.38	50.00
20.	भारतीय स्टेट बैंक	634.88	377.21	9166.05	1131.62	620.00	1004.41	1000.00
21.	आईडीबीआई बैंक लि.	724.78	381.78	1031.13	114.53	85.00	114.53	100.0
22.	भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)	5.00	5.00	20618.45	1030.92	998.50	1077.47	1147.94
23.	भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी)	430.00	430.00	1774.61	352.60	137.60	177.00	190.00
24.	नेशनल इश्योरेंस कं. लि. (एनआईसीएल)	100.00	100.00	219.89	43.98	44.00	44.00	66.00
25.	न्यू इंडिया इश्योरेंस कं. लि. (एनआईसीएल)	200.00	200.00	404.70	85.00	100.00	100.00	130.00
26.	युनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कं. लि. युआईआईसीएल	150.00	150.00	707.79	142.00	138.00	138.00	144.00
27.	ओरियन्टल इश्योरेंस कं. लि. (ओआईसीएल)	100.00	100.00	-44.25	0.00	25.00	25.00	30.00
	कुल	9460.68	6605.75	59671.56	5691.73	3731.15	5402.89	5177.94

वित्तीय समीक्षा

वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के बजट अनुमान/संशोधित अनुमान में किए गए प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	मदों/योजनाओं का विवरण	मुख्य शीर्ष	2008-09			2009-10			2010-11		
			बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
भाग क -गैर-योजना मदें:											
1	सचिवालय सामान्य सेवाएं	2052	8.00	12.92	10.06	13.28	13.61	12.89	12.40	14.17	10.82
2	अन्य व्यय (विशेष न्यायालय और अभिरक्षण का कार्यालय)	2047	5.19	8.05	6.91	10.42	8.56	7.52	8.44	7.64	5.39
अन्य प्रशासनिक सेवाएं											
3	औद्योगिक और वित्तीय पुननिर्माण संबंधी अपीलीय प्राधिकरण	2070	2.18	2.77	1.99	3.21	2.23	2.18	2.20	2.45	1.55
4	औद्योगिक और वित्तीय पुननिर्माण बोर्ड	2070	7.95	8.59	7.66	10.25	9.47	8.16	8.43	13.04	7.20
5	ऋण वसूली अधिकरण	2070	29.03	38.86	32.65	50.18	42.89	40.52	38.78	41.05	30.17
6	पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण	2070	6.30	5.20	4.50	16.00	16.00	11.70	16.00	16.00	8.00
	कुल अन्य प्रशासनिक सेवाएं		45.46	55.42	46.80	79.64	70.59	62.56	65.41	72.54	46.92
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं											
7	अन्य व्यय (न्यायालय परिसमापक का कार्यालय, कोलकाता)	3475	0.82	1.00	0.80	1.10	0.57	0.56	0.47	1.54	0.36
8	मुद्रा हानि के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रतिपूर्ति	3475	36.66	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	सामान्य आर्थिक सेवाएं		37.48	37.66	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लोक निर्माण संबंधी पूंजीगत परिव्यय											
9	ऋण वसूली अधिकरण										
9.01	डीआरटी, चंडीगढ़ के लिए भवन का निर्माण	4059	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.02	डीआरटी, चंडीगढ़ के लिए भवन निर्माण हेतु भूमि की खरीद		0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं											
10	इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (आईडीबीआई) को अनुदान	2885	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.33	154.33	154.33
11	नोडल एजेंसियों अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक को आवास ऋण के लिए 1% सब्सिडी के रूप में सब्सिडी का भुगतान	2885	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	100.00	8.41
12	स्ट्रैड ऐसेट स्टेबलाइजेशन फंड (एसएसएफ) को जारी की गई प्रतिभूतियों का मोचन	2885	0.00	1500.00	1225.00	0.00	400.00	300.00	0.00	300.00	0.00
13	इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. को अनुदान	2885	433.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	भारतीय निर्यात-आयात बैंक को शेयर पूंजी के लिए अंशदान	4885	100.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00

क्रम सं.	मदों/योजनाओं का विवरण	मुख्य शीर्ष	2008-09			2009-10			2010-11		
			बजट	संशोधित	वास्तविक	बजट	संशोधित	वास्तविक	बजट	संशोधित	वास्तविक
			अनुमान	अनुमान		अनुमान	अनुमान		अनुमान	अनुमान	दिस.10 तक
15	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कं. लि. (आईआईएफसीएल) को व्यय और ईक्विटी सहायता की प्रतिपूर्ति	2885	0.00	0.00	0.00	1.61	1.61	1.60	0.00	0.00	0.00
		4885	200.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	200.00
	कुल औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं		733.40	2300.00	2025.00	801.61	1201.61	1101.60	1654.33	1354.33	662.74
	कृषि वित्तीय संस्थाएं										
16	बाह्य सहायता प्राप्त संघटक के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को अनुदान	2416	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) को सुदृढ़ बनाने के लिए नाबार्ड के जरिए अनुदान	2416	3542.00	3960.26	3960.26	0.00	800.00	800.00	984.65	1014.65	785.96
18	किसानों को अल्पावधि ऋण देने के लिए ब्याज सहायता	2416	1600.00	2600.00	2600.00	2011.00	2011.00	2011.00	3000.00	4000.00	1413.32
19	दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचे को पुनः अर्थक्षम बनाना	2416	600.00	599.09	20.00	1000.00	1.00	0.00	1000.00	500.00	0.00
20	वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) के लिए अंशदान	2416	25.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
21	वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि के लिए अंशदान (एफआईटीएफ)	2416	25.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
22	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के पुनर्पूजीकरण के लिए अंशदान	4416	594.87	594.87	594.87	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
	कुल कृषि वित्तीय संस्थाएं		6387.78	7755.13	7176.04	3011.00	2832.00	2831.00	5004.65	5884.65	2199.28
	सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएं										
23	भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयरों के अधिकार निर्गम में अभिदान के लिए प्रतिभूति मोचननिधि में अंशदान	3465	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00
		5465	0.00	625.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूजीकरण	5465	0.00	0.01	1900.00	0.00	2466.00	2466.00	16500.00	14157.00	5691.04
25	एसएआरएफएईएसआई अधिनियम 2002 के अंतर्गत सेन्द्रल इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्री की स्थापना हेतु पूंजी में सरकार का अंशदान	5465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.05
26	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को विश्व बैंक की सहायता	5465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.12	0.00
27	गोवान बैंक को ब्याज सब्सिडी	2885	0.08	0.23	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.00
	कुल सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएं		0.08	625.24	2525.08	625.08	3091.08	3091.08	17150.08	15227.20	5691.09

क्रम सं.	मदों/योजनाओं का विवरण	मुख्य शीर्ष	2008-09			2009-10			2010-11		
			बजट	संशोधित	वास्तविक	बजट	संशोधित	वास्तविक	बजट	संशोधित	वास्तविक
			अनुमान	अनुमान		अनुमान	अनुमान		अनुमान	अनुमान	दिस.10 तक
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण											
28	कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआर), 2008										
	i. आरक्षित निधियों में अंतरण	2235	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii. ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा ऋण राहत/माफी	2235	0.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	12000.00	16000.00	11340.47
29.	एडीडब्ल्यूडीआर योजना के लिए ऋणदात्री संस्थाओं को ब्याज का भुगतान	2235	0.00	0.00	149.79	2151.00	2151.00	458.85	1434.00	1434.00	0.00
30.	समुदाय पर आधारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को सब्सिडी	2235	25.00	8.00	2.00	6.39	28.00	28.00	20.00	25.00	13.53
31.	वर्षिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना हेतु जीवन बीमानिगम को ब्याज सब्सिडी	2235	200.00	150.00	155.63	172.00	270.82	270.76	209.32	175.70	70.05
32.	ऋण के दबाव वाले आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं महाराष्ट्र राज्यों में अतिदेय ऋणों पर ब्याज की माफी	2235	640.00	460.00	454.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	असंगठित क्षेत्र के लोगों को नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्वावलम्बन योजना	2235									
	33.1 स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अभिदाताओं को सरकार का सह-अंशदान		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	33.2 स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत नामांकन एवं अंशदान हेतु संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक कार्यकलापों हेतु निधीयन सहायता		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
	कुल सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण		865.00	40618.00	40762.38	32329.39	32449.82	30757.61	25663.32	29744.70	22764.52
सामान्य वित्त एवं व्यापारिक संस्थाओं के लिए ऋण											
34	आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) के कार्यान्वयन के लिए प्रीमियम के भुगतान हेतु सरकार के अंशदान का हिस्सा	7465	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विविध सामान्य सेवाएं											
34.	गारंटी मोचन निधि में अंतरण	2075	125.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्रम सं.	मदों/योजनाओं का विवरण	मुख्य शीर्ष	2008-09			2009-10			2010-11		
			बजट	संशोधित	वास्तविक	बजट	संशोधित	वास्तविक	बजट	संशोधित	वास्तविक
			अनुमान	अनुमान		अनुमान	अनुमान		अनुमान	अनुमान	दिस.10 तक
35	विशेष रूप से उल्लिखित न की गई अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं से संबंधित विविध योजनाएं/कार्यक्रम		25.46	5002.46	1717.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल गैर-योजना मदें		8232.87	57714.89	55607.44	36871.54	39667.84	37864.82	49559.10	52306.77	31381.12
भाग ख - आयोजना मदें											
1	नाबार्ड में भारतीय रिजर्व बैंक के पण की अधिग्रहण लागत	5465	1450.00	1450.00	0.00	1100.00	1450.00	0.00	0.00	1430.00	1430.00
2	राष्ट्रीय आवास बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक के पण की अधिग्रहण लागत	5465	450.00	450.00	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
3	बैंक शाखाएं खोलने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सहायता	3465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
4	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूजीकरण	5465	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	0.00
	कुल आयोजना		1900.00	1900.00	0.00	1542.00	1450.00	0.00	50.00	7930.00	1430.00
	कुल योग (सकल)		10132.87	59614.89	55607.44	38413.54	41117.84	37864.82	49609.10	60236.77	32811.12
	संशोधित अनुमान के सन्दर्भ में प्रतिशत				93.28%			92.09%			57.47%

वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के बजट अनुमान/संशोधित अनुमान प्रावधानों की तुलना में वस्तु शीर्ष-वार वास्तविक व्यय

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	2008-09			2009-10			2010-11		
		बजट	संशोधित	वास्तविक	बजट	संशोधित	वास्तविक	बजट	संशोधित	वास्तविक
		अनुमान	अनुमान		अनुमान	अनुमान		अनुमान	अनुमान	10 दिस. तक
1.	वेतन	28.39	42.38	38.04	54.60	50.49	49.17	43.12	48.14	39.12
2.	मजदूरी	0.22	0.22	0.17	0.29	0.23	0.17	0.26	0.26	0.1
3.	समयोपरि भत्ता	0.22	0.17	0.14	0.25	0.15	0.11	0.18	0.16	0.07
4.	चिकित्सा उपचार	0.96	0.94	0.46	1.07	0.72	0.48	0.84	1.01	0.41
5.	घरेलू यात्रा व्यय	1.12	1.09	1.10	1.43	1.21	0.96	1.40	1.31	0.70
6.	विदेश यात्रा व्यय	0.32	0.27	0.11	0.40	0.36	0.14	0.40	0.40	0.17
7.	कार्यालय व्यय	6.70	5.83	6.71	8.00	7.52	7.17	8.31	8.45	5.21
8.	किराया दरें एवं कर	10.40	14.05	9.32	15.69	11.23	9.77	10.59	14.44	7.50
9.	प्रकाशन	0.30	0.23	0.15	0.33	0.25	0.20	0.30	0.30	0.09
10.	अन्य प्रशासनिक व्यय	0.23	0.25	0.46	0.25	0.23	0.20	0.25	0.25	0.15
11.	विज्ञापन एवं प्रचार	0.17	3.00	0.13	0.18	0.33	0.34	0.23	0.35	0.07
12.	गौण कार्य	0.30	0.06	0.04	0.28	0.25	0.19	0.27	0.26	0.14
13.	वृत्तिक सेवाएं	1.65	1.30	1.21	2.45	2.19	1.16	2.44	1.23	0.58
14.	सहायता अनुदान	3983.11	3966.37	3965.67	16.00	816.00	811.70	1204.98	1244.98	948.29
15.	अंशदान	52.71	533.26	1159.55	0.00	20.00	645.00	645.00	745.00	0.00
16.	सब्सिडी	2432.76	3655.72	2862.71	3189.47	2310.90	2309.84	4929.40	4800.78	1505.31
17.	एकमुश्त	0.82	1.00	0.80	1.10	0.57	0.56	0.47	1.54	0.36
18.	विनिमय भिन्नता	36.66	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	ब्याज	0.01	0.00	149.79	2151.00	2151.00	458.85	1434.00	1434.00	0.00
20.	अन्य प्रभार	641.59	26964.72	26683.82	15003.73	15403.23	15302.79	12001.67	12301.80	11341.26
21.	अंतर लेखा अंतरण	125.00	15300.00	15300.00	15000.00	15000.00	15000.00	12000.00	16000.00	11340.47
	जोड़ राजस्व खंड	7323.62	50527.52	50217.04	35446.52	35776.84	34598.82	32284.10	36604.65	25190.01
	पूंजी खण्ड									
22.	निवेश	2809.25	8087.37	4390.40	2967.02	5341.00	3266.00	17325.00	23632.12	7621.04
23.	ऋण	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जोड़ पूंजी खंड	2809.25	9087.37	5390.40	2967.02	5341.00	3266.00	17325.00	23632.12	7621.04
	कुल जोड़ (सकल)	10132.87	59614.89	55607.44	38413.54	41117.84	37864.82	49609.10	60236.77	32811.12

वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान बजट प्रावधान और वास्तविक व्यय का विश्लेषण


वर्ष 2008-09 के दौरान बजट अनुमान में 10,132.87 करोड़ रु (राजस्व खण्ड के अंतर्गत 7,323.62 करोड़ रु और पूंजीगत खण्ड के अंतर्गत 2,809.23 करोड़ रु) का प्रावधान किया गया था। राजस्व खण्ड एवं पूंजीगत खण्ड के अंतर्गत प्रावधानों को संशोधित अनुमान में बढ़ाकर क्रमशः 50,527.52 करोड़ रु और 9,087.37 करोड़ रु किया गया। वास्तविक व्यय 55,607.44 करोड़ रु हुआ था (राजस्व खण्ड के अंतर्गत 50,217.04 करोड़ रु और पूंजीगत खण्ड के अंतर्गत 5,390.40 करोड़ रु) जो बजटीय प्रावधान का 93.28% था। वर्ष 2008-09 के दौरान हुए कुल व्यय में से 99% से अधिक औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, कृषि वित्तीय संस्थाओं, सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थाओं और सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण से संबंधित भिन्न भिन्न कार्यक्रमों में और 1% से भी कम सचिवालयीन एवं अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर खर्च हुआ है।

वर्ष 2009-10 के दौरान बजट अनुमान में 38,413.54 करोड़ रुपए (राजस्व के अंतर्गत 35,446.52 करोड़ रुपए और पूंजीगत खण्ड के अंतर्गत 2,967.02 करोड़ रु) का प्रावधान किया गया। संशोधित अनुमान में इसे बढ़ाकर 41,117.84 करोड़ रु कर दिया गया (राजस्व खण्ड बढ़ कर 35,776.84 करोड़ रु और पूंजीगत खण्ड 5,341.00 करोड़ रु हो गया)। वास्तविक व्यय 37,864.82 करोड़ रु हुआ (राजस्व खण्ड के अंतर्गत 34,598.82 करोड़ रु और पूंजीगत खण्ड के अंतर्गत 3,266.00 करोड़ रु) जो बजटीय प्रावधान

का 92.09% था। वर्ष 2009-10 के दौरान भी 99% से भी अधिक व्यय औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, कृषि वित्तीय संस्थाओं, सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थाओं तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण से संबंधित भिन्न-भिन्न कार्यक्रमों के लिए था तथा 1% से भी कम सचिवालयीन एवं अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर हुआ।

वर्ष 2010-11 के दौरान बजट अनुमान में 49,609 करोड़ रु (राजस्व के अंतर्गत 32,284.10 करोड़ रु तथा पूंजी वर्ग के अंतर्गत 17,325.00 करोड़ रु) का प्रावधान था। यह संशोधित अनुमान में 60,236.77 करोड़ रु (राजस्व वर्ग को 36,604 करोड़ रु तथा पूंजी वर्ग को 23,632.12 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया) दिसम्बर, 2010 तक वास्तविक व्यय 32,811.12 करोड़ रु (राजस्व के अंतर्गत 25,190.01 करोड़ रु तथा पूंजी वर्ग के अंतर्गत 7,621.04 करोड़ रु) था। वर्ष 2010-11 के दौरान भी, 99% से ज्यादा तक की निधियां औद्योगिक वित्त संस्थाओं, कृषि वित्त संस्थाओं, सामान्य वित्तीय स्थिति तथा व्यापारिक संस्थानों तथा सामाजिक सुरक्षा और कल्याण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए खर्च किया गया है तथा सचिवालय और अन्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए खर्च 1% से कम है।

विगत तीन वर्षों (2008-09 से 2010-11) के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित व्यय का समग्र रुझान निम्नवत पाई चार्ट में परिलक्षित होता है।



वित्त मंत्रालय के अंतर्गत सांविधिक और स्वायत्तशासी अभिकरणों के प्रदर्शनों की समीक्षा

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड):

नाबार्ड, कृषि, लघु और कुटीर तथा ग्राम उद्योग और ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बद्ध गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कर एकीकृत ग्रामीण विकास को समुन्नत करता है तथा राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी), राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी), अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा कृषि विकास के लिए प्रदत्त ऋण का पुनर्वित्तियन करता है तथा केन्द्र सरकार द्वारा यथा अनुमोदित अनेक प्रकार की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, कृषि परिचालन, फसलों का विपणन, कृषि निविष्टियों का विपणन एवं वितरण, उत्पादन, एकत्रीकरण, कुटीर, ग्राम और लघु पैमाने के औद्योगिक सहकारी समितियों की बाजार गतिविधियां, प्राथमिक और उच्च बुनकर समितियों और राज्य हैंडलूम और हस्तशिल्प विकास निगमों को प्रदत्त अल्पकालिक ऋण के लिए पुनर्वित्तियन प्रदान करता है। वाणिज्यिक बैंकों को भी राज्य हस्तकरघा विकास निगम की कार्यकारी पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, अल्पकालिक पुनर्वित्तियन प्रदान किया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान प्रदत्त पुनर्वित्तियन निम्न प्रकार से था:

अभिकरण	2008-09		2009-10		2010-11 (21.01.2011 की स्थिति के अनुसार)	
	संस्वीकृत बकाया	अधिकतम बकाया	संस्वीकृत बकाया	अधिकतम बकाया	संस्वीकृत बकाया	अधिकतम बकाया
सहकारी						
बैंक	20053.25	17412.37	18286.59	17617.44	22510.56	17965.59
आरआरबी	4829.26	4068.65	7374.13	7098.03	9550.78	7581.69
कुल	24882.51	21481.02	25660.72	24715.47	32061.34	25547.28

उन किसानों जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण बैंकों को उत्पादन ऋण बकायों का भुगतान करने में असमर्थ हैं, को सहायता देने के लिए सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मध्यावधि पुनर्वित्तियन भी प्रदान किए जाते हैं। किसानों और उद्यमियों को उत्पादन और आय-वृद्धि में बढ़ोतरी करने वाले कृषि और गैर-कृषि कार्यक्रमों में निवेश के उद्देश्य के लिए वाणिज्यिक बैंकों सहित सभी ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्तियन प्रदान किया जाता है। वित्तपोषित निवेश में सूक्ष्म सिंचाई, भूमि विकास, कृषि यंत्रिकरण, पौध-रोपण तथा बागवानी जैसी संबंधित गतिविधियां, डेयरी, मुर्गीपालन, भेड़/बकरी/सुअर/मत्स्य पालन, भंडारण तथा बाजार परिसर, ग्रामीण आवास, गैर-कृषि कार्यक्रम इत्यादि शामिल हैं। इत्यादि ग्रामीण क्षेत्रों में निजी पूंजी संरचना को बढ़ावा देते हैं। बैंक द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसे उद्देश्यों के लिए प्रदान किए गए पुनर्वित्तियन एसएचजी वित्त पोषण सहित) निम्न प्रकार से है:-

अभिकरण	2008-09 के दौरान वितरित		2009-10 के दौरान वितरित		2010-11 के लिए लक्ष्य		2010-11 (21.01.11 तक) के दौरान संवितरण)	
	एससीएआरडीबी	1986.54	2221.30	2159.78	1801.91			
एससीबी	801.51	1251.95	1403.73	748.95				
वाणिज्यिक								
बैंक	5867.19	6057.19	7051.91	7051.91				
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1879.04	2457.46	2288.49	1832.98				
पीयूबी/एडीएफसी	1.01	21.18	76.00	45.81				
कुल	10535.29	12009.08	12979.91	11481.56				

पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)

भारत सरकार द्वारा नई पेंशन योजना (एनपीएस) सरकार में आने वाले सभी नए कर्मचारियों (सशस्त्र सेना को छोड़कर) के लिए 01 जनवरी, 2004 से अनिवार्य बना दिया गया था तथा यह 1 मई, 2009 से स्वैच्छिक आधार पर सभी नागरिकों के लिए भी खोल दी गई है।

पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), पेंशन क्षेत्र के लिए एक विनियामक निकाय के रूप में स्थापित, पूरी एनपीएस संरचना के संबंध में अभी तक की गई पहलों को समेकित करने तथा एनपीएस संवितरण नेटवर्क की पहुंच बढ़ाने में लगा है। एनपीएस को सभी नागरिकों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में उपस्थिति केन्द्रों (पीओपी) के रूप में अट्टाईस संस्थागत संस्थाओं, जो पेंशन खाता खोलने और वसूली केन्द्रों के रूप में कार्य करेंगे, सहित एनपीएस बिचौलियों, केन्द्रीकृत रिकार्ड कीपिंग और लेखा एजेंसी (सीआरए) तथा निवेशकों की पेंशन संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए छः पेंशन निधि प्रबंधकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता पड़ी। पीएफआरडीए ने सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुरूप एनपीएस बिचौलियों के चयन के लिए पारदर्शी, गैर-भेदकारी, प्रतिस्पर्धात्मक बोली की प्रक्रिया अपनाई, जिसने एनपीएस अभिदाताओं को इष्टतम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया।

अब तक, 27 राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार एनपीएस में शामिल हो गए हैं। इनमें से 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों ने नई पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए एनपीएस ट्रस्ट और सीआरए के साथ करार पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। अन्य राज्य एनपीएस के कार्यान्वयन की तैयारी के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्र और विभिन्न राज्य सरकारों के 12 लाख से अधिक कर्मचारी पहले से ही एनपीएस का हिस्सा हैं। एनपीएस के तहत प्रबंधित कार्पस 7000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।

सभी नागरिकों के लिए एनपीएस के तहत, एक अभिदाता को डाक विभाग सहित पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त की गई 35 पीओपी की पंजीकृत शाखाओं (अब तक 4948 शाखाएं) से किसी भी शाखा में एनपीएस खाता खोलने की सुविधा प्राप्त है। प्रारंभ में पीओपी, एनपीएस का प्रस्ताव सीमित शाखाओं में कर रहे हैं। तथापि, यथा समय इन शाखाओं की संख्या में वृद्धि होगी और देश का प्रत्येक भाग इसमें शामिल होगा। सरकारी क्षेत्र के लिए नियुक्त तीन पेंशन निधि प्रबंधकों ने शुरुआत से उनके द्वारा प्रबंधित राशि पर 11.88% का भारित औसत वार्षिक प्रतिफल प्रदान किया।

पीएफआरडीए ने पेंशन क्षेत्र के विकास हेतु तथा पेंशन क्षेत्र के विनियमन एवं पर्यवेक्षण के क्षेत्र में विचारों के आदान प्रदान हेतु अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भाग लेने में काफी रुचि दिखाई है और पीएफआरडीए पेंशन पर्यवेक्षकों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आईपीओ) की कार्यकारी समिति का एक सदस्य निर्वाचित हो गया है।

बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण

बीमा क्षेत्र को बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधिनियमन के साथ गैर-सरकारी भागीदारी के लिए खोला गया था। वर्तमान में आईआरडीए अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अंशकालिक सदस्यों से बना है। यह प्राधिकरण हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश स्थिति अपने मुख्यालय से कार्य कर रहा है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यों में (i) बीमाकर्ताओं तथा बीमा बिचौलियों को लाइसेंस प्रदान करना; (ii) वित्तीय तथा विनियामक पर्यवेक्षण; (iii) प्रीमियम दरों का नियंत्रण एवं विनियमन; और (iv) पालिसीधारकों के हितों की रक्षा करना इत्यादि सम्मिलित हैं। बीमा क्षेत्र के विकास को सुकर बनाने की दृष्टि से प्राधिकरण ने पालिसीधारकों के हितों की रक्षा के

लिए; ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के संबंध में उत्तरदायित्वों; सूक्ष्म बीमा तथा एजेंटों, कारपोरेट एजेंटों, ब्रोकरों और तृतीय पक्ष प्रशासकों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए विनियम जारी किए हैं। यह बीमा कंपनियों के पंजीकरण के लिए, शोधक्षमता अंतर को बनाए रखने के लिए निवेश तथा वित्तीय रिपोर्टिंग अपेक्षाओं इत्यादि के लिए विनियामक ढांचे संबंधी प्रावधान के अतिरिक्त है।

भारतीय आधारभूत ढांचा वित्त कंपनी लि. (आईआईएफसीएल)

भारतीय आधारभूत ढांचा वित्त कंपनी लि. (आईआईएफसीएल), भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसकी स्थापना 5 जनवरी, 2006 को हुई तथा अप्रैल, 2006 से परिचालनगत हुई। कंपनी, आईआईएफसीएल के जरिए (जिसे सामान्यतः एसआईएफटीआई के रूप में जाना जाता है) व्यवहार्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए योजना के अनुसार व्यवहार्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराती है। कंपनी की अधिकृत पूंजी और चुकता पूंजी 2000.00 करोड़ रुपए है।

अप्रैल, 2006 में इसका परिचालन शुरू होने से दिसम्बर, 2010 तक कंपनी ने 168 आधारभूत ढांचा परियोजनाओं, जिसकी परियोजना लागत 2,56,970 करोड़ रु. है, को 30,127 करोड़ रु का ऋण संस्वीकृत किया है। इनमें से 144 परियोजनाओं में वित्तीय पहुंच प्राप्त हो गई है और 21 परियोजनाओं ने वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) प्राप्त कर ली है। 116 परियोजनाओं में 10,240 करोड़ रु. का संघयी संवितरण किया गया है।

वित्तीय उल्लेख पैकेज के भाग के रूप में आईआईएफसीएल को बैंकों को उनके आधारभूत ढांचा ऋणों, जिसके लिए 31 जनवरी 2009 तक बोली प्रस्तुत की जा चुकी है, को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए कर मुक्त बांड जारी कर 10000 करोड़ रु की उगाही करने की अनुमति दी गयी थी। 31 दिसम्बर 2010 तक कंपनी ने विद्युत वित्त निगम और ग्राम विद्युतीकरण निगम को 2000 करोड़ रु का पुनर्वित्त प्रदान किया है।

बैंक के निवेश और आस्ति देयता विसंगति अवरोध का निवारण कर आधारभूत ढांचा क्षेत्र का वर्द्धनात्मक ऋण सुसाध्य कर आईआईएफसीएल ने अंतरण वित्तपोषण कार्यान्वित किया है। इस योजना के अंतर्गत आईआईएफसीएल ने सात परियोजनाएं संस्वीकृत की हैं, जिसमें 1517 करोड़ रु की राशि लगी है। इसके अलावा, चार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अंतरण वित्तपोषण के लिए आईआईएफसीएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारतीय निर्यात आयात बैंक (एक्विज्म बैंक)

भारतीय निर्यात आयात बैंक (एक्विज्म बैंक) की स्थापना भारतीय विदेशी व्यापार को वित्त पोषण सुविधा-सेवा देने, संवर्धन करने के उद्देश्य से, संसद के अधिनियम द्वारा, वर्ष 1982 में की गयी थी, जो निर्यात और आयात के वित्त पोषण में लगे संस्थानों के कार्यों के समन्वयन के लिए देश की प्रधान संस्था है। एक्विज्म बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है। एक्विज्म बैंक विदेशी संस्थाओं, राष्ट्रीय सरकारों, क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं (एलओसी), और वाणिज्यिक बैंकों को ऋण व्यवस्था प्रदान करने पर विशेष जोर देता है। वर्ष 2009-10 के दौरान एक्विज्म बैंक ने भारत से परियोजनाओं, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को सहायता प्रदान करने के लिए 753.31 अमेरिकी डालर की 22 ऋण व्यवस्थाएं कीं। इनमें से कई व्यवस्थाएं भारत सरकार की ओर से किए गए।

वर्ष 2008-09 के 33628 करोड़ रु. की तुलना में वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक ने 38,843 करोड़ रुपए के ऋण का अनुमोदन किया है। पिछले वर्ष के 28933 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष 33,248 करोड़ रुपए की राशि संवितरित हुई। 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार ऋण आस्ति 34156 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार 39,036 करोड़ रु हो गई। एक्विज्म बैंक भारतीय कंपनियों द्वारा, उनके वैश्विक बाजारों में बढ़ी हुई पहुंच के प्रयास को विदेशों में सक्रिय रूप से

सहायता देता है, निवेशों को सक्रिय सहायता और सुसाध्य करता है। वर्ष 2009-10 के दौरान 18 कंपनियों को छः देशों में उनके विदेशी निवेश के अंश वित्त पोषण के लिए कुल 10.54 बिलियन रु की निधि आधारित और गैर निधि आधारित सहायता संस्वीकृत की गई। एक्विज्म बैंक ने अब तक आस्ट्रिया, कनाडा, चीन, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली, मलेशिया, मारीशस, मोरक्को, नीदरलैंड, ओमान, रोमानिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, श्रीलंका, यूएई, और अमेरिका सहित 64 देशों में 209 से अधिक कंपनियों द्वारा शुरू किए गए 259 उद्यमों को वित्त पोषण प्रदान किया है।

राष्ट्रीय आवास बैंक

राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 द्वारा, आवास वित्त संस्थानों (एचएफसी) का संवर्द्धन करने और ऐसे संस्थानों को वित्तीय और दूसरी सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक प्रधान एजेंसी के रूप में की गई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक की मुख्य गतिविधियों में, बैंकों और आवास वित्त निगमों को पुनर्वित्त, शामिल हैं। वर्तमान में 54 आवास वित्त निगम राष्ट्रीय आवास बैंक से विनियमित हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक भारत में आवास वित्त तंत्र के विकास और संवर्द्धन के लिए पहल करने के अलावा बैंकों और आवास वित्त निगमों को पुनर्वित्त और सरकारी एजेंसियों और स्वयं सहायता समूहों को परियोजना वित्त भी प्रदान करता है। इस समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित राष्ट्रीय आवास बैंक की चुकता पूंजी 450.00 करोड़ रुपए है।

(करोड़ रुपए में)

निष्पादन

वित्तीय वर्ष (जुलाई-जून)	2008-09	2009-10	2010-11
ऋण और अग्रिम वितरण	16,850.96	19836.66	आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि
कुल आस्तियां	10,889.03	8,159.29	अवधि जुलाई, 2010 से, जून, 2011 तक है।
निवल अनुपयोज्य आस्तियां	24,476.35	22,471.72	
करोपरसंत लाभ	
सीआरएआर (%)	235.62	280.25	
	18.19	19.59	

इस समय निम्नलिखित कार्यक्रम राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यान्वयन के अंतर्गत है-

निष्पादन

(करोड़ रुपए में)

कार्यक्रम	सरकारी सहायता	2008-09	2009-10	2010-11 (जुलाई से दिस. तक)
1. स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास पुनर्वित्त योजना (जेआरएचआरएस) निगसानी एवं पुनर्वित्त	...	718.44	1680.00	2916.31
2. नियमित पुनर्वित्त योजना	4760.33 (आरएचएफ)	439.89 3979.81 (एसआरएफ)	4311.94 100.00 (एसआरएफ)	3471.85 733.45 (आरएचएफ)
		1761.48 (आरएचएफ)	2015.82 (आरएचएफ)	
3. एमएफआई सहित परियोजना वित्त योजना (मुख्यतः ईडब्ल्यूएस/एसआईजी के लिए)		35.41	51.53	80.73

एनएचबी की ग्रामीण आवास निधि (आरएचएफ), (ख) विपरीत बंधक ऋण (ग) विपरीत बंधक ऋण प्रदत्त वार्षिकी (आरएमएलइए) (घ) 10 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर 1% की ब्याज सहायता (इ) निवास बंधक समर्थित प्रतिभूतिकरण पर सूचना/स्थिति निम्नलिखित है:

(क) **ग्रामीण आवास निधि (आरएचएफ)**: आरएचएफ के प्रथम वर्ष अर्थात् वर्ष 2008-09 (जुलाई से जून) में एनएचबी ने आरएचएफ के अंतर्गत, इस अवधि के दौरान प्राप्त 1760.33 करोड़ रु की राशि की तुलना में, 1761.48 करोड़ रु संवितरित किए थे। वर्ष 2009-10 के दौरान 2000 करोड़ रुपए की आबंटित राशि के तुलना में एनएचबी ने 2015.82 करोड़ रु संवितरित किए। चालू वर्ष 2010-11 के दौरान एनएचबी ने अब 2,000.00 करोड़ रु की आवंटित राशि की तुलना में 733.45 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं।

(ख) **विपरीत बंधक ऋण (आरएमएल)** : एनएचबी ने अनन्य रूप से वरिष्ठ नागरिकों के स्वामित्व वाले मकानों को शामिल करने के लिए विपरीत बंधक ऋण (आरएमएल) की संकल्पना की है। एनएचबी ने आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) और बैंकों के साथ गहन विचार-विमर्श करने के बाद मई 2007 में विपरीत बंधक ऋण के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश अधिसूचित किए। इसके अतिरिक्त, एनएचबी में प्रतिष्ठित वैध फर्मों से परामर्श करके एचएफसी और बैंकों द्वारा विपरीत बंधक ऋण के तहत उनके उधार के संबंध में उपयुक्त रूप से अपनाए जाने हेतु ऋण दस्तोतवर्जों के मॉडल प्रारूप तैयार करके परिचालित किए।

माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2008-09 के केन्द्रीय बजट में आयकर अधिनियम के लिए प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में दो प्रमुख घोषणाएं की थीं। ये हैं (i) आयकर अधिनियम की धारा 47 के लिए नई उपधारा (XVI) जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि विपरीत बंधक रखा जाना "अंतरण" नहीं माना जाएगा और (ii) आयकर अधिनियम की धारा 10 के तहत एक नई उपधारा (43) शामिल करना ताकि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित योजना के तहत आरएमएल के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक द्वारा प्राप्त भुगतानों को "आय" नहीं माना जाएगा, क्योंकि वे पूंजी प्राप्ति की प्रकृति के होते हैं।

भारत सरकार ने अब दिनांक 30.09.2008 के राजपत्र अधिसूचना द्वारा विपरीत बंधक योजना को अधिसूचित कर दिया है। आयकर विभाग द्वारा आवश्यक संशोधन भी कर दिए गए हैं कि आरएमएल के तहत वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्राप्त आय को आय नहीं माना जाएगा, क्योंकि वे पूंजी प्राप्ति के हैं।

23 बैंकों और 2 एचएफसी ने आरएमएल योजना शुरू की है। और करीब 1516 करोड़ रु के 7474 आरएमएल संस्वीकृत किए हैं।

(ग) **विपरीत बंधक ऋण प्रदत्त वार्षिकी (आरएमएलईए)** : आरएमएल के अंतर्गत भुगतान को उधारकर्ता के शेष जीवन काल तक देने को ध्यान में रखते हुए, एनएचबी द्वारा एक नये प्रकार का उत्पाद अर्थात् विपरीत बंधक ऋण प्रदत्त वार्षिकी (आरएमएल की परिकल्पना की गयी और दिसम्बर 2009 में शुरू किया गया।

आरएमएल भारत में पहली बार आवास वित्त बाजार और बीमा क्षेत्र के बीच प्रत्यक्ष उत्पाद एकीकरण का निष्कर्ष है। इस योजना में बीमा कंपनी के माध्यम से बैंक एचएफसी वरिष्ठ नागरिक उधारकर्ता को आशवासित जीवनपर्यंत भुगतानों की परिकल्पना है। एनएचबी ने प्राथमिक ऋणदात्री संस्था द्वारा कार्यान्वयन के लिए आरएमएलईए के परिचालन दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। अब तक स्टार यूनिवर्सिटी दायइचू लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. (एसयूडी लाइफ) के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आरएमएल योजना कार्यान्वित की गई है।

एनएचबी नियमित सेमिनार/कार्यशालाओं/ अंत क्रियाओं के माध्यम से आरएमएल/आरएमएलईए पर सूचनाओं का व्यापक प्रसार कर रहा है। एनएचबी ने कार्यक्रम के परिचालन के लिए वरिष्ठ नागरिकों के मुद्दों के निवारण में लगे प्रतिष्ठित एनजीओ के साथ "भागीदारी" अपनाते हुए वरिष्ठ नागरिकों के लिए विपरीत बंधक ऋण परामर्श केन्द्र शुरू किए हैं। अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत आठ आरएमएल परामर्श केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं।

इस योजना के अंतर्गत अब तक (दिसम्बर 2010 तक) 60 करोड़ रु. की राशि के 22 खाते संस्वीकृत किए जा चुके हैं।

(घ) **10 लाख रुपए के आवास ऋणों पर 1% ब्याज सहायता** : 10 लाख रुपये के आवास ऋणों पर 1% ब्याज सहायता, बशर्ते कि घर की लागत 20 लाख रुपये से अधिक नहीं हो, योजना के लिए बजट प्राक्कलन में 700 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था। वित्तीय सेवाएं विभाग ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।

इस योजना के उद्देश्य पात्र उधारकर्ताओं के आवास वहनीयता में सुधार लाने के उपाय के रूप में आवास ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान करना और ऋण के लिए अतिरिक्त मांग सृजित करना है। यह योजना 1 अक्टूबर, 2009 से 31 मार्च, 2011 तक परिचालन में है। यह योजना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो एससीबी भी हैं सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) से पंजीकृत आवास वित्त पोषण कम्पनियों (एचएफसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।

भारतीय रिजर्व बैंक और एनएचबी इस योजना के लिए नोडल एजेंसी हैं। पात्र ऋणों की संस्वीकृति एवं संवितरण के उपरांत कार्यान्वयनकारी एजेंसियां संबंधित नोडल एजेंसी से सब्सिडी के संवितरण का दावा करेंगी।

एन एच बी से प्राप्त 1% की ब्याज सहायता योजना के दावों की स्थिति रिपोर्ट नीचे सारणी में दी गयी है :

क्रम सं.	विवरण	ब्याज सब्सिडी सराशि	लाभार्थियों की संख्या
1.	एचएफसी से प्राप्त कुल दावे	28.61 करोड़ रु.	80186
2.	मंत्रालय को भेजे गए कुल दावे	13.49 करोड़ रु.	38150
3.	एचएफसी को संवितरित धनराशि	8.40 करोड़ रु.	23750

ड.) आवास बंधक समर्थित प्रतिभूतिकरण : एनएचबी ने अब तक 14 आवास बंधक समर्थित प्रतिभूतिकरण अंतरण पूरे किए हैं जिनमें 6 आवास वित्त कम्पनियों (एचएफसी) और एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के 862.20 करोड़ रुपये के 38,809 व्यक्तिगत आवास ऋण शामिल हैं। आरएमबीएस के निर्गमों की सफलता ने ऐसे अंतरणों और ऐसे निर्गमों के लिए सहायक वातावरण के लिए विभिन्न नीतिगत मुद्दों के विधिक, विनियामकीय, राजकोषीय, लेखा और अन्य पूंजीगत बाजार सम्बन्धी मसलों को बेहतर समझने और निवारण के लिए महत्वपूर्ण रूप से एक साधन प्रदान किया है।

एनएचबी के आरएमबीएस निर्गमों की संरचना राष्ट्रीय आवास बैंक संशोधन अधिनियम 2000 (धारा 14 (ड. क.)), 14(ड.ख) 14(ड.ग.) और 18) के प्रावधानों के अन्तर्गत तैयार की गयी है जो बैंक को प्रतिभूतिकरण अंतरण करने और बंधक समर्थित प्रतिभूतियों को लाभकारी हित के न्यास प्रमाणपत्र के रूप में जारी करने तथा ऐसी प्रतिभूतियों के धारकों के लिए तथा न्यासी की भूमिका निभाने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

वर्ष 2009-10 में प्रदर्शन : वर्ष 2009-10 के दौरान कर पूर्व लाभ पिछली वर्ष के दौरान 350.10 करोड़ रुपये की तुलना में 422.10 करोड़ रु थे जो 20.50 प्रतिशत की संवृद्धि दर्शाता है। करोपरान्त लाभ पिछले वर्ष के 235.62 करोड़ रुपये की तुलना में 280.24 करोड़ रुपये रहा जो 18.94 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। लाभ के आरक्षित में लगाने के परिणामस्वरूप बैंक की निवल स्वाधिकृत निधि 2,230.49 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,485.32 करोड़ रु हो गई। समग्र आधार पर वर्ष के दौरान बैंक की लाभ प्रदत्ता में पिछले वर्ष के मुकाबले सुधार हुआ है।

व्यय विभाग

प्रस्तावना

संगठन और कार्य-कलाप

व्यय विभाग केन्द्र में सार्वजनिक व्यय प्रबंधन प्रणाली और राज्य की वित्तीय स्थिति से संबंधित मामलों की देख-रेख के लिए नोडल विभाग है। इस विभाग के प्रमुख कार्य-कलापों में सभी प्रमुख स्कीमों/परियोजनाओं (योजना और गैर योजना, दोनों ही) का स्वीकृति-पूर्व मूल्यांकन; राज्यों को अंतरित केन्द्रीय बजटीय संसाधनों का रख-रखाव; वित्त आयोग की संस्तुतियों को लागू करना; वित्तीय सलाहकारों के माध्यम से केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में व्यय प्रबंधन की जांच करना; वित्तीय नियमों, विनियमों तथा लेखापरीक्षा टिप्पणियों/प्रेक्षणों की मॉनिटरिंग संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन करना और उन्हें जारी करना; केन्द्रीय सरकारी लेखों को तैयार करना; केन्द्र सरकार में कार्मिक प्रबंधन के वित्तीय पहलुओं को देखना; सार्वजनिक सेवाओं की लागत व मूल्य नियंत्रण में संलग्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की सहायता करना; तथा सार्वजनिक व्यय के इष्टतम निष्कर्षों और परिणामों की प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करके संगठन की पुनः इंजीनियरिंग करना शामिल है। यह विभाग वित्त मंत्रालय में समन्वय का कार्य तथा संसद से संबंधित कामकाज भी देखता है। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एन.आई.एफ.एम.), फरीदाबाद भी इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है।

विभाग को आर्बिट्रित कामकाज निम्नलिखित प्रभागों/एककों द्वारा किया जाता है:-

प्रशासन प्रभाग

- प्रशासन प्रभाग, विभाग के सचिवालयी कामकाज को देखता है तथा इसमें वित्त मंत्री का कार्यालय, संवर्ग प्रशासन अनुभाग, लेखा तथा बजट, सामान्य तथा कार्मिक प्रशासन, राजभाषा अनुभाग तथा आंतरिक कार्य अध्ययन एकक शामिल हैं।

संस्थापना प्रभाग

- संस्थापना प्रभाग, केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों की वेतन संरचना तथा सेवा-शर्तों के निर्धारण, वेतन नीति के निर्धारण, वेतनमानों के संशोधन, पदों के सृजन, वेतन निर्धारण के आधारभूत सिद्धांतों, मकान किराया भत्ता, यात्रा/दैनिक भत्ता, महंगाई भत्ता तथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से संबंधित अन्य विविध प्रतिपूरक भत्तों के निर्धारण संबंधी कामकाज के लिए उत्तरदायी है।

नीति एवं समन्वय स्कंध

- नीति एवं समन्वय स्कंध आउटकम बजट, वार्षिक रिपोर्ट, सामान्य वित्तीय नियमावली एवं वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी नियमावली के प्रशासन; रक्षा अधिग्रहण; गैर-योजना व्यय समिति; सरकारी प्रापण प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं; संस्थापना संबंधी व्यय के पुनर्विनियोजन; विदेश में प्रतिनियुक्ति संबंधी प्रस्तावों; व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों तथा व्यय प्रबंधन में किफायत बरतने संबंधी अनुदेशों को लागू कराने; लोक लेखा समिति; मासिक लेखों की समीक्षा; सूचना का अधिकार अधिनियम; पुनरीक्षण/टिप्पणी के लिए प्राप्त विधिक प्रस्तावों; रिपोर्टों/रिटर्न; विभिन्न समितियों और स्वायत्त निकायों में विभागीय प्रतिनिधित्व; वित्त मंत्रालय में संसद संबंधी समन्वय कार्य; मंत्रिमंडल/मंत्रीसमूह/सचिवों की समिति के लिए नियत उन सभी नीतिगत मामलों एवं

प्रस्तावों को देखता है जो कि विभाग में किसी अन्य स्कंध/प्रभाग द्वारा नहीं देखे जाते हैं।

योजना वित्त-I प्रभाग

- योजना वित्त-I प्रभाग, योजना आयोग से निकट समन्वय बनाए रखते हुए राज्यों की वित्तीय स्थिति और योजना परिव्यय संबंधी सभी मामलों को देखता है, राज्यों में विकास कार्यों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को निधियां जारी करता है तथा राज्यों के ओवरड्राफ्टों का निपटान करता है। यह राज्यों के अर्थोपायों और संसाधन स्थिति को मॉनिटर करता है तथा राज्यों के आपदा राहत संबंधी मामलों, केन्द्र-राज्य तथा अंतरराज्यीय वित्तीय मामलों को भी देखता है।

योजना वित्त-II प्रभाग

- योजना वित्त-II प्रभाग मुख्यतया केन्द्रीय योजना से जुड़े मामलों से संबंधित है और केन्द्रीय सरकार की परियोजनागत तथा सैक्टरल नीति स्तर, दोनों ही स्तर पर विकासात्मक गतिविधियों के समूचे परिप्रेक्ष्य के अवलोकन के प्रयोजन से वित्त मंत्रालय में एक विन्डो (खिड़की) के तौर पर कार्य करता है। इसका फोकस बेहतर परियोजना निरूपण, परिणामों व डिलीवरेबल पर विशेष बल, प्रभाव के आकलन, परियोजनाकरण (मिशन एप्रोच) एवं संकेन्द्रीकरण के द्वारा विकासात्मक व्यय की गुणवत्ता बेहतर बनाने पर रहा है। यह प्रभाग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पुनर्संरचना के लिए ब्यूरो (बीआरपीएसई) की सिफारिशों पर केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय पुनर्संरचना से भी संबंधित कार्य करता है। यह प्रभाग केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता देने के लिए कार्यविधि तैयार करने, बजट की तैयारी के लिए आई एंड ईबीआर उत्पादन के मात्रा निर्धारण, उत्पादन में अधिक दक्षता सुनिश्चित करने हेतु संयंत्र एवं उपकरण के आधुनिकीकरण को अंतिम रूप देने में सक्रिय रूप से शामिल है, को देखता है। माइक्रो स्तर पर योजना वित्त-II प्रभाग खाद्य, उर्वरक तथा पेट्रोलियम सब्सिडी से संबंधित मुद्दों, जिनमें उनका मात्रा निर्धारण तथा स्टेक होल्डर्स का सहायता देना शामिल है, को देखता है। माइक्रो स्तर पर यह प्रभाग संबंधित विभाग/मंत्रालय के साथ सरकार की भावी सब्सिडी नीति तैयार करने जिससे सरकार पर कम भार पड़ने के साथ प्रभावी लक्ष्य सुनिश्चित किए जा सकें, में सक्रिय रूप में भाग लेता है।

वित्त आयोग प्रभाग

- इसका संबंध वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से है।

एकीकृत वित्त एकक

- एकीकृत वित्त एकक मांग संख्या 38 - व्यय विभाग, जिसमें सामान्य सचिवालयी सेवाएं तथा अन्य प्रशासनिक सेवाएं शामिल हैं तथा मांग संख्या- 39 - पेंशन, जिसमें सेवानिवृत्ति के विभिन्न लाभों का प्रावधान है, के तहत व्यय तथा बजट संबंधी प्रस्तावों को देखता है। दो अन्य मांगों अर्थात् मांग संख्या- 35 - राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को अंतरण तथा मांग संख्या- 40 - भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के संबंध में संबंधित प्रभाग बजटीय अनुमानों को प्रत्यक्ष रूप से डील करते हैं। तथापि,

समग्र मॉनिटरिंग एकीकृत वित्त एकक द्वारा की जाती है। यह एकक विभाग के खर्च को मॉनिटर और नियंत्रित करने तथा विभाग के विभिन्न संगठनों द्वारा अनुपालन हेतु मितव्ययिता अनुदेशों को लागू कराने के लिए भी उत्तरदायी है।

विविध विभाग प्रभाग

- वित्तीय सलाहकार (वित्त) के अधीन विविध विभाग प्रभाग, राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के लिए एसोसिएट फाइनेंस के रूप में कार्य करता है।

वेतन अनुसंधान एकक

- वेतन अनुसंधान एकक मुख्यतः केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के कर्मचारियों के वेतन एवं विभिन्न प्रकार के भत्तों पर होने वाले वास्तविक व्यय तथा कर्मचारियों की संख्या से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण, समेकन और विश्लेषण के लिए उत्तरदायी है।

कर्मचारी निरीक्षण एकक

- कर्मचारी निरीक्षण एकक का गठन 1964 में प्रशासनिक दक्षता के अनुरूप सरकारी संगठनों में स्टाफिंग में मितव्ययिता बरतने तथा निष्पादन मानकों और कार्य मानकों को विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी, अब यह एकक पाँच विशिष्ट क्षेत्रों यथा- संगठनात्मक प्रणाली, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, डिलीवरी प्रणाली, ग्राहक-संतुष्टि तथा कर्मचारियों से संबंधित मामलों आदि क्षेत्रों में संगठनात्मक विश्लेषण संबंधी अध्ययन के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों और स्वायत्त निकायों की संगठनात्मक दक्षता और कुशलता को बढ़ाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है।

लागत लेखा शाखा

- लागत लेखा शाखा का गठन एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में उत्पादन की लागत का आकलन करने और ख़ा-ख़रीद सहित सभी किस्म की सरकारी ख़रीद का उचित बिक्री मूल्य निर्धारित करने और प्रशासित मूल्य तंत्र (ए.पी.एम.) के तहत अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कई उत्पादों जैसे पेट्रोलियम, इस्पात, कोयला, सीमेंट आदि का मूल्य निर्धारित करने के लिए किया गया है। यह विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी एजेंसियों को लागत, प्रबंधन तथा वित्तीय जवाबदेही में पेशेवर सहायता भी प्रदान करता है।

महालेखा नियंत्रक

- महालेखा नियंत्रक, केन्द्र सरकार का शीर्षस्थ लेखाकरण प्राधिकरण है, जो कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर केंद्र तथा राज्य सरकारों के लेखांकन के विनिर्दिष्ट प्रारूपों के लिए संविधान के अनुच्छेद 150 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है।

मॉनिटरिंग सेल

- मॉनिटरिंग सेल, महालेखा नियंत्रक कार्यालय के तहत कार्य करता है। यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.एंड.ए.जी.) की रिपोर्ट में निहित विभिन्न पैराओं पर की गई सुधारात्मक/उपचारात्मक कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों को प्रस्तुत करने, और उनके समन्वय, समेकन और प्रबोधन के लिए भी जवाबदेह है। यह लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) की रिपोर्टों में शामिल पैराओं/सिफारिशों के निपटान को भी मॉनिटर करता है।

केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय

- केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, 'केन्द्रीय सरकारी सिविल पेंशनरों के लिए प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से पेंशन भुगतान स्कीम' का संचालन करता है। यह मुख्यतः पेंशन अनुदान के लिए बजट तैयार करने और उसके लेखांकन; विशेष सील प्राधिकार (एस.एस.ए.) जारी करने तथा बैंकों द्वारा किए गए पेंशन भुगतान की लेखापरीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है।

मुख्य लेखा नियंत्रक

- मुख्य लेखा नियंत्रक, वेतन बिलों, अन्य सभी व्यक्तिगत भुगतानों, पेंशनरी भुगतानों, विभाग द्वारा राज्य सरकारों को स्वीकृत ऋणों और अनुदानों के भुगतान के लिए जवाबदेह है तथा यह ऋणों की मूल तथा ब्याज राशि की प्राप्ति पर भी नज़र रखता है। यह विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा के तौर पर भी काम करता है तथा लेखांकन संबंधी मामलों में तकनीकी सलाह भी देता है। यह मासिक लेखों और विनियोजन लेखों का समेकन भी करता है।

शासकीय लेखा एवं वित्त संस्थान

- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके तीन क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र कोलकाता, चेन्नई और नवी मुंबई में हैं जो वित्तीय प्रबंधन एवं शासकीय लेखा और वित्त की विविध विधाओं में लगे लेखा कर्मियों और सिविल मंत्रालयों/विभागों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देते हैं। इसने वर्ष 1995 से अन्य देशों के कर्मियों के लिए भी सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किए हैं।

परिव्यय और परिणामों का विवरण 2011-12

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12 (करोड़ रुपए में)			परिमेय डिलीवरेबल्स/ वास्तविक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समय-सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना	योजना	सीईबीआर*				
1.	मुख्य शीर्ष 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय योजना स्कीम	राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान द्वारा लेखा और वित्त संबंधी मामलों को डील करने वाले अधिकारियों के लिए बिजनेस मैनेजमेंट (फाइनेंस) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के मूलभूत तत्वों को कवर करने वाला उच्च स्तरीय प्रोफेशनल कोर्स का संचालन और संस्थान की अवसंरचना में वृद्धि करना।	-	5.00	-	केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के 50 अधिकारियों को प्रशिक्षण। इस कार्यक्रम में छह तिमाही कार्यक्रम हैं और प्रत्येक तिमाही की अवधि 12 से 14 सप्ताह है। यह क्लासरूम टीचिंग और परियोजना कार्य का संयोजन है।	वित्त प्रबंधन कौशल तथा वाणिज्यिक और शासकीय लेखांकन, सार्वजनिक वित्त, बजटिंग, वित्तीय नीति निरूपण/निर्णय लेने की क्षमता और परियोजना प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में क्षमता निर्माण। वर्ष 2011 में इस स्कीम के अंतर्गत 50 अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।	दो वर्ष	राजस्व खंड के तहत 3.00 करोड़ रुपए जिसमें इस कार्यक्रम के शुल्क घटक को कवर करने तथा पूंजीगत खंड के तहत 2.00 करोड़ रुपए संस्थान में अतिरिक्त अवसंरचना का सृजन करने के लिए।

* सीईबीआर - पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन अर्थात् केन्द्र सरकार से भिन्न संस्थाओं द्वारा इस प्रयोजन के लिए किया गया व्यय।

सुधार उपाय और नीतिगत पहल

व्यय विभाग

व्यय विभाग ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन की प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए कई उपायों की शुरुआत की है जिससे बेहतर गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री के प्रमुख क्षेत्रों में संस्थागत सुधारों यथा-विकेन्द्रीकरण, सरलीकरण, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं ई-गवर्नेंस की पाँच घोषणाएं शामिल हैं। इसकी प्रतिध्वनि बजट 2005-06 में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत तैयार की गई राजकोषीय नीति संबंधी कार्यनीति विवरण (एफ.पी.एस.एस.) में वित्त मंत्री द्वारा घोषित व्यय प्रबंधन संबंधी पहलों में देखी जा सकती है तथा कार्य योजना स्थापित करने संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांत बन गई हैं।

परिणाम बजट/निष्पादन बजट के लिए संशोधित दिशा-निर्देश

परिणाम बजट और निष्पादन बजट दस्तावेजों को एक ही दस्तावेज में समेकित करने, मॉनिटरिंग तंत्र (मैकेनिज्म) के विशिष्ट उल्लेख को निर्धारित करने तथा सार्वजनिक सूचना प्रणाली को मंत्रालय द्वारा स्थापित करने के लिए 12 दिसम्बर, 2006 के का.ज्ञा. सं. 2(1)/कार्मिक/संस्था समन्वय/ओ.बी./2005 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, ताकि वर्ष के दौरान वास्तविक और वित्तीय प्रगति को नियमित तौर पर मॉनीटर किया जा सके तथा सामान्य जन समुदाय को भी इस बारे में सूचित किया जा सके। इस संबंध में दिशा-निर्देश मई, 2009 में जारी किए गए थे, जिनमें इस बात पर जोर दिया गया था कि जहां तक व्यवहार्य हो, विभिन्न विकास स्कीमों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ से संबंधित स्कीमों के अंतर्गत लाभ पाने वाली महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को शामिल किए जाने से संबंधित उप-लक्ष्यों का अलग-अलग उल्लेख किया जाए। नवीनतम दिशा-निर्देश नवंबर, 2010 में जारी किए गए हैं।

व्यय को युक्तिसंगत बनाना

गैर-विकास संबंधी व्यय को नियंत्रित करने और इस प्रकार प्राथमिक स्कीमों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जारी करके वित्त मंत्रालय समय-समय पर सरकार में मितव्ययिता उपायों के संबंध में दिशानिर्देश जारी करता रहा है। ऐसे उपायों का उद्देश्य सरकार की प्रचालन संबंधी कुशलता को सीमित किए बगैर राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देना है। इन निर्देशों का पिछला सेट 7 सितम्बर, 2009 के का. ज्ञा. सं. 7(1)/ई कॉर्ड/2009 के तहत जारी किया गया था। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ गैर-योजना (ब्याज के भुगतान, ऋण अदायगी, रक्षा पूंजी, पेंशन और राज्यों के लिए वित्त आयोग के अनुदान को छोड़कर) भुगतान में कटौती और नए वाहनों की खरीद, विदेशी यात्राओं पर प्रतिबंध आदि शामिल हैं। यद्यपि 2010 के दौरान कोई नए निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, वित्त सलाहकारों से यह उम्मीद की जाती है कि वे विभिन्न व्यय प्रस्तावों को अपनी सहमति प्रदान करते समय उचित किफायत बरतेंगे।

राज्य वित्त

राज्य योजना स्कीमों के तहत अनुदान- योजना पक्ष से संबंधित स्कीमों के लिए धनराशि योजना आयोग/संबंधित नोडल मंत्रालय की सिफारिश पर जारी की जाती है। ऐसी महत्वपूर्ण स्कीमों जिनके लिए वर्ष 2010-11 में योजना शीर्ष के अंतर्गत धनराशि प्रदान की जा रही है, उनमें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र/पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि स्कीम, बुन्देलखंड क्षेत्र सूखा प्रशमन आदि शामिल हैं। वर्ष 2010-11 में योजना स्कीमों के लिए 74,009.47 करोड़ रुपए के परिव्यय

(संशोधित प्राक्कलन, 2010-11) के मुकाबले में 11.02.2011 की स्थिति के अनुसार 53,867.50 करोड़ रु. जारी किए जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2011-12 के लिए राज्य योजना स्कीमों के लिए 80,741.61 करोड़ रु. का बजट प्रावधान किया गया है जो 2010-11 के लिए 70,156.25 करोड़ रु. के बजट प्राक्कलन के मुकाबले में 15.09 प्रतिशत अधिक है।

वित्त आयोग अनुदान- वर्ष 2010-11, तेरहवें वित्त आयोग (एफसी-XIII) की अधिनिर्णय अवधि का प्रथम वर्ष है। 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए गैर-योजना अनुदान और स्थानीय निकायों, शिक्षा, आपदा राहत (क्षमता निर्माण सहित), वन, न्याय प्रणाली, यूआईडी, सांख्यिकीय प्रणाली, कर्मचारी और पेंशन डाटा बेस, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल, राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं आदि के लिए 2010-11 में 32,639 करोड़ रु. का बजट प्रावधान है तथा राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के लिए 3560 करोड़ रु. प्रदान किए जा रहे हैं। व्यय विभाग ने 13वें वित्त आयोग के विभिन्न अनुदानों के लिए 26,706 करोड़ रु. (09.02.11 की स्थिति के अनुसार) और राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष के तहत 2109.71 करोड़ रु. और इस प्रकार कुल 28815.71 करोड़ रु. जारी किए हैं। वित्त वर्ष 2011-12 के लिए गैर-योजना अनुदानों हेतु 49,298.62 करोड़ रु. का बजट प्रावधान किया गया है जो बजट प्राक्कलन 2010-11 के मुकाबले में 51 प्रतिशत अधिक है।

उधार-13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप वर्ष 2010-15 के दौरान राज्यों की वार्षिक उधार सीमा निर्धारित करने की कार्यविधि तैयार कर ली गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित राजकोषीय सुधार विधि के अनुसार राज्यों के लिए उधार सीमाओं की गणना की जा रही है और उसे लागू किया जा रहा है। इस वर्ष से वित्त मंत्रालय फिक्स्ड डिपॉजिट से सकल राज्य घरेलू उत्पाद(जीएसडीपी) अनुपात और ऋण से सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के लिए निर्धारित मापदण्डों के अंदर कार्य कर रहा है। इससे 2014-15 तक ऋण कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 24.3 प्रतिशत हो जाएगा।

ऋण समेकन एवं राज्यों को दी गई ऋण माफी: 13वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि 12वें वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि के लिए ऋण समेकन एवं राहत सुविधा के तहत प्रदान की गई ऋण माफी का लाभ अब किसी अन्य राज्य को नहीं मिलना चाहिए। इसलिए यह स्कीम 31 मार्च, 2010 को समाप्त हो गई। तथापि, वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए राज्यों की ऋण माफी की पात्रता के मूल्यांकन का कार्य 2011-12 के अंत तक जारी है क्योंकि राज्यों के वित्त लेखों के आधार पर उनके राजकोषीय निष्पादन के आधार पर आवश्यक समायोजन किए जाने अपेक्षित हैं। त्रिपुरा, आन्ध्रप्रदेश और उड़ीसा को ऋण राहत प्रदान करने के लिए ऋण समेकन और राहत सुविधा के अंतर्गत ऋण राहत के लिए बजट प्राक्कलन 2010-11 में 100 करोड़ रु. के प्रावधान को संशोधित प्राक्कलन 2010-11 में बढ़ाकर 1100 करोड़ रु. किया जा रहा है।

13वें वित्त आयोग ने 12वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ऋण समेकन सुविधा 2010-15 के दौरान सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों को प्रदान कर दी है बशर्ते कि ये राज्य 13वें वित्त आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अपने एफआरबीएम अधिनियम लागू करें। इस शर्त को पूरा करने पर इन राज्यों द्वारा 31 मार्च, 2004 तक अनुबंधित और इस अधिनियम को लागू किए जाने के पिछले वर्ष की समाप्ति पर बकाया ऋण 12वें वित्त आयोग द्वारा यथाअनुसंशित उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर समेकित किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, 13वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि वित्त मंत्रालय से भिन्न अन्य मंत्रालयों के माध्यम से केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों/केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए राज्य सरकारों को दिए गए और 2009-10 के अंत में बकाया केन्द्रीय ऋण माफ कर दिए जाएं बशर्ते राज्य 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप एफआरबीएमए बनाए/संशोधित करें। राज्य सरकारें अपने एफआरबीएमए बना रही हैं/संशोधित कर रही हैं। ये अधिनियम जैसे ही राज्यों से प्राप्त होंगे, वित्त मंत्रालय से भिन्न मंत्रालयों के माध्यम से केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों/केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए 2009-10 के अंत में बकाया केन्द्रीय ऋणों की पात्रता के अनुसार माफी के लिए कार्रवाई की जाएगी।

राज्य सरकारों की अर्थोपाय स्थिति: वर्ष 2004-05 से पूर्ववर्ती वर्षों में राज्य सरकारों द्वारा सामना की जा रही नकदी के भारी दबाव की स्थिति की तुलना में बहुत सारे राज्यों की अर्थोपाय स्थिति वर्ष 2005-06 से सुधर रही है। ऐसा मुख्यतः केन्द्रीय और राज्य करों के संग्रहण में वृद्धि, राज्यों को अंतरित की गई राशि में वृद्धि, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर केन्द्र द्वारा ऋण माफी, राज्यों द्वारा व्यय पर नियंत्रण तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान आदि का दृढ़ता से पालन करने के कारण हुआ।

10.02.2011 की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा-सूचित राज्य सरकारों की नकदी की स्थिति यह दर्शाती है कि राज्यों की वित्तीय स्थिति अच्छी है और उन्होंने 14 दिनों में ट्रेजरी बिलों में 72327.73 करोड़ रुपए तथा ऑक्शन ट्रेजरी बिलों में 19911.90 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

व्यय वित्त समिति और सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा परियोजनाओं की स्वीकृति

01 जनवरी से 31 दिसम्बर, 2010 की अवधि के दौरान सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की 62 बैठकों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के 3,88,061.00 करोड़ रु. के 62 योजना निवेश प्रस्तावों/स्कीमों पर विचार किया। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक निवेश बोर्ड की भी 6 बैठकें हुईं जिनमें 17,595.65 करोड़ रु. के मामलों पर विचार किया गया तथा निम्नलिखित विवरण के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्तुत किए गए थे :-

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग	अनुमोदन के लिए अनुशंसित परियोजनाओं की संख्या	लागत (करोड़ रु.)
1	विद्युत	5	11,999.87
2	कोयला	1	5,595.78
	जोड़	6	17,595.65

राज्य ऋण इकाइयों का कम्प्यूटरीकरण

इसके फलस्वरूप राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में ऋणों/सहायता अनुदान और निवेश के लिए केन्द्रीकृत डाटा बेस तैयार किया जा सका है। इससे डाटा अनुसंधान और डाटा प्रबंधन में सुधार हुआ है तथा आंतरिक नियंत्रण और अंत्य प्रयोक्ता (एंड यूजर्स) की आवश्यकताओं के लिए एमआईएस रिपोर्ट तैयार करने में मदद मिली है। यह डाटा बेस राज्य ऋण डाटा निर्मुक्ति पहल के रूप में वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर रखा जाता है तथा दैनिक आधार पर निर्मुक्ति और अदायगी आदि के लिए इसे अद्यतन बनाया जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक अंतर-सरकारी समायोजन सूचना की शुरुआत

राज्य ऋण एकक, वित्त मंत्रालय ने केन्द्रीय लेखा अनुभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर को डिजीटल रूप से हस्ताक्षरित अंतर-सरकारी समायोजन सूचनाओं को ई-मेल करने की शुरुआत की है। इन सूचनाओं से विलम्ब और हस्तगत (मैनुअल) गलतियों से बचने तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति के अनुसार राज्य सरकारों को विभिन्न योजना और गैर-योजना स्कीमों के अंतर्गत निधियों के अंतरण को सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

वित्त मंत्रालय में ई-लेखा का कार्यान्वयन

'ई-लेखा' नाम के वेब आधारित सॉफ्टवेयर के शुरु करने के फलस्वरूप, वित्त मंत्रालय के सभी भुगतान और लेखा कार्यालय अब ऑनलाइन हो गए हैं तथा 'ई-लेखा' पर अपने व्यय आदि की अपलोडिंग रोजाना कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, वे अपने मासिक लेखों को भी उपर्युक्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रधान लेखा कार्यालय भी महालेखा नियंत्रक (सी.जी.ए.) कार्यालय को मासिक लेखे ऑनलाइन प्रस्तुत कर रहा है। उपर्युक्त वेब आधारित सॉफ्टवेयर की सहायता से न केवल व्यय पर निगरानी रखी जा सकती है, बल्कि भुगतान और लेखा कार्यालय की कार्य-पद्धति पर भी निगरानी रखी जा सकती है।

आंतरिक लेखापरीक्षा का सुदृढीकरण

महालेखा नियंत्रक के कार्यालय ने भारत सरकार में आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र को सुदृढ करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। इसमें तकनीकी सलाह/मार्गदर्शन देने और आंतरिक लेखापरीक्षा की सर्वोत्तम पद्धतियों का आदान-प्रदान, गुणता बढ़ाने तथा जोखिम से निपटने के लिए नियंत्रण की प्रभावशीलता के बारे में प्रबंधन को आश्वस्त करने के उद्देश्य से एक उत्कृष्ट केन्द्र (सी.ओ.ई.) की संस्थापना शामिल है।

परिणाम बजट 2009-10 के परिणाम की स्थिति

क्र. सं.	स्कीम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	2009-10 में परिव्यय (₹ करोड़ में)		परिमेय डेलिवरेबल्स/ वास्तविक उत्पादन	प्रक्रियाएं/ समयावधि	31 मार्च, 2010 के अनुसार स्थिति
1	2	3	4		5	6	7
			4(i) ब.अनु.	4(ii) सं.अनु.			
1.	मुख्य शीर्ष 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता के विस्तार और संस्थान क्षेत्र अवसंरचनात्मक विकास के लिए केन्द्रीय योजना स्कीम	राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान सोसाइटी द्वारा प्रदान किए जाने वाला लेखा और वित्त मामलों को देखने वाले अधिकारियों के लिए एम.बी.ए. (वित्त) के मूलभूत तत्वों से परिपूर्ण एक उच्च स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम।	10.00 (योजना) (राजस्व 3.60) (पूँजीगत 6.40)	8.20 (योजना) (राजस्व 1.80) (पूँजीगत 6.40)	केन्द्र/संघ राज्य क्षेत्रों के 100 अधिकारियों को प्रशिक्षण। यह कार्यक्रम त्रैमासिक है और इसके प्रत्येक सत्र की अवधि 12-14 सप्ताह है। यह कक्षा शिक्षण और परियोजना कार्य का एक संयोजन है।	2 वर्ष	(i) राजस्व खंड क्षेत्र तहत एन.आई.एफ.एम., फरीदाबाद में 25 अभ्यर्थियों ने पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। उम्मीद से कम भागीदारी के कारण संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान कम कर दिया गया। इसका पूरा उपयोग कर लिया गया है। (ii) पूँजीगत खंड के अंतर्गत इस संस्थान में अवसंरचना के सुदृढीकरण के लिए 3.20 करोड़ रु. जारी किए गए। शेष राशि वापस कर दी गई।

परिणाम बजट 2010-11 के परिणाम की स्थिति

क्र. सं.	स्कीम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	2010-11 में परिव्यय (₹ करोड़ में)		परिमेय डेलिवरेबल्स/ वास्तविक उत्पादन	प्रक्रियाएं/ सहयावज़ि	31 दिसम्बर, 2010 के अनुसार स्थिति
1	2	3	4		5	6	7
			4(i) ब.अनु.	4(ii) सं.अनु.			
1.	मुख्य शीर्ष 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं । राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता के विस्तार और संस्थान क्षेत्र अवसंरचनात्मक विकास के लिए केन्द्रीय योजना स्कीम	राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान सोसाइटी द्वारा प्रदान किए जाने वाला लेखा और वित्त मामलों को देखने वाले अधिकारियों के लिए एम.बी.ए. (वित्त) के मूलभूत तत्वों से परिपूर्ण एक उच्च स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम।	10.50 (योजना) (राजस्व 3.30) (पूंजीगत 7.20)	9.51 (योजना) (राजस्व 2.31) (पूंजीगत 7.20)	केन्द्र/संघ राज्य क्षेत्रों के 100 अधिकारियों को प्रशिक्षण। यह कार्यक्रम त्रैमासिक है और इसके प्रत्येक सत्र की अवधि 12-14 सप्ताह है। यह कक्षा शिक्षण और परियोजना कार्य का एक संयोजन है।	2 वर्ष	(i) राजस्व खंड के अंतर्गत एन.आई.एफ.एम., फरीदाबाद में 40 अभ्यर्थियों ने पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। 31 दिसम्बर, 2010 तक वास्तविक व्यय 1.57 करोड़ रु. है। (ii) पूंजीगत खंड के अंतर्गत व्यय 3.70 करोड़ रुपए है। शेष धनराशि चालू वित्त वर्ष में जारी कर दी जाएगी।

वित्तीय समीक्षा
वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के लिए वास्तविक व्यय और साथ ही साथ बजट अनुमान/संशोधित अनुमान प्रावधानों
को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	विवरण	मुख्य शीर्ष	2008-09			2009-10			2010-11		
			बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक (31.12.10 तक)
1.	सचिवालयी सामान्य सेवाएं	2052	31.64	41.59	39.34	51.27	51.18	50.99	55.45	52.28	39.20
2.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070	10.22	17.37	11.43	20.33	24.36	23.27	31.85	52.99	24.57
	i) सिविल लेखा संगठन (शासकीय लेखा एवं वित्त संस्थान (इनगैफ) में प्रशिक्षण केन्द्र		3.64	3.42	3.28	3.32	3.14	3.12	3.14	3.27	2.35
	ii) एन.आई.एफ.एम. सोसाइटी की प्रशिक्षण क्षमता बढ़ने के लिए स्कीम		5.40	3.70	3.70	5.00	3.20	3.20	4.70	3.71	2.61
	iii) अंशदान		0.01	0.01	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	-
	iv) महालेखा नियंत्रक के कार्यालय का आधुनिकीकरण		0.35	0.85	0.66	-	-	-	-	-	-
	v) छठा केन्द्रीय वेतन आयोग		0.82	0.39	0.39	-	-	-	-	-	-
	vi) नई पेंशन स्कीम के तहत राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमि. के सेवा प्रभार		-	9.00	3.39	12.00	18.00	16.94	24.00	46.00	19.50
3.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं										
	i) राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का विकास	4070	6.00	3.00	3.00	6.40	6.40	3.20	7.20	7.20	-
	(ii) महालेखा नियंत्रक के कार्यालय के लिए नया कार्यालय परिसर	4059	-	-	-	-	-	-	26.35	-	-
	जोड़		47.86	61.96	53.77	78.00	81.94	77.46	120.85	112.47	63.66

वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के लिए ब.अनुमान/ सं.अनुमान के मुकाबले में मद शीर्षवार व्यय

क्र.सं.	विवरण	(₹ करोड़ में)								
		2008-09			2009-10			2010-11		
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक (दिसम्बर 2010 तक)
राजस्व खंड										
1	वेतन	20.69	31.00	30.99	40.19	39.93	39.29	36.45	37.51	30.20
2	मजदूरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	समयोपरि भत्ता	0.18	0.15	0.16	0.18	0.15	0.15	0.18	0.17	0.12
4	चिकित्सा उपचार	0.64	0.40	0.42	0.54	0.57	0.45	0.54	0.65	0.33
5	घरेलू यात्रा व्यय	0.81	0.62	0.69	0.80	0.70	0.63	0.78	0.81	0.46
6	विदेश यात्रा व्यय	0.88	1.07	0.99	0.57	0.52	0.38	0.60	0.58	0.24
7	कार्यालयी व्यय	9.99	9.98	7.57	9.31	8.67	8.49	15.94	9.45	6.60
8	किराया, दर एवं कर	0.30	0.14	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	प्रकाशन	0.24	0.21	0.22	0.23	0.21	0.01	0.23	0.44	0.31
10	अन्य प्रशासनिक खर्चे	0.38	9.37	3.58	12.38	18.30	17.23	24.38	46.32	19.70
11	विज्ञापन एवं प्रचार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.05	0.01	0.00
12	लघु निर्माण कार्य	0.02	0.00	0.00	0.15	0.32	1.28	0.65	0.65	0.65
13	व्यावसायिक सेवाएं	0.95	1.25	1.10	1.03	1.63	1.58	0.84	1.57	1.13
14	सहायता अनुदान	5.40	3.70	3.70	5.00	6.40	3.20	4.70	3.71	2.62
15	अंशदान	0.01	0.01	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00
16	सूचना प्रौद्योगिकी	1.37	1.06	1.22	1.21	1.30	1.56	1.95	3.39	1.30
	जोड़	41.86	58.96	50.77	71.60	78.74	74.26	87.30	105.27	63.66
पूंजीगत खंड										
17	मुख्य निर्माण कार्य	6.00	3.00	3.00	6.40	3.20	3.20	33.55	7.20	0.00
	सकल जोड़	47.86	61.96	53.77	78.00	81.94	77.46	120.85	112.47	63.66

राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान: कार्य निष्पादन की समीक्षा

उद्देश्य

राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय (सोसायटी) है, जिसके अध्यक्ष वित्त मंत्री, भारत सरकार हैं। इस संस्थान की स्थापना वित्त, लेखा एवं लेखापरीक्षा, लोक अर्थशास्त्र, मानव संसाधन प्रबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने, अनुसंधान करने और परामर्शदायी सेवाएं प्रदान करने के लिए देश में एक अग्रणी ज्ञान पार्टनर के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी। इसे सहभागी सेवाओं के समूह "क" के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण एवं सतत व्यावसायिक शिक्षा देने का कार्यभार भी सौंपा गया है।

कार्य-निष्पादन

यह संस्थान जनवरी, 1994 से कार्य कर रहा है तथा निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा है:

व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

अब तक, विभिन्न लेखा, लेखापरीक्षा और वित्त सेवाओं के परिवीक्षाधीन कार्मिकों के सत्रह बैच 42 सप्ताह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किए गए हैं। नवम्बर, 2010 में पूर्ण हुए 17वें बैच में 11 परिवीक्षाधीन कार्मिकों ने पाठ्यक्रम पूरा किया। 03 जनवरी, 2011 में शुरू हुए 18वें बैच में 30 परिवीक्षाधीन कार्मिकों (लगभग) द्वारा पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जाएगा।

प्रबंधन विकास कार्यक्रम

एन.आई.एफ.एम. प्रतिवर्ष विभिन्न अवधि के प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित करता है। इनमें से कुछ कार्यक्रम विभिन्न सरकारी विभागों, विदेशी सरकारों, विश्व बैंक आदि द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि संस्थान द्वारा आयोजित विशेषज्ञ पाठ्यक्रमों के लिए अभ्यर्थियों को प्रायोजित करते हैं। वर्ष 2009-10 में 42 कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष 2010-11 में अब तक 31 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस समय, प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एम.डी.पी.) का फोकस निम्नलिखित विषयों पर है:

- (क) बजटिंग एवं लोक व्यय प्रबंधन
- (ख) सरकार की लेखांकन प्रणालियां एवं वित्तीय प्रबंधन
- (ग) सामान एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति
- (घ) निविदा देना और अनुबंधन (कॉन्ट्रैक्टिंग)
- (ङ) लोक वित्तीय प्रबंधन
- (च) सामान, निर्माण कार्यों और सेवाओं की प्रक्रिया हेतु विश्व बैंक की मानक नियमावली एवं प्रक्रियाएं
- (छ) साइबर क्राइम एवं फोरेन्सिक

मैनेजमेंट (वित्तीय प्रबंधन) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा:

एन.आई.एफ.एम. वर्ष 2002 से मैनेजमेंट (वित्तीय प्रबंधन) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा का संचालन कर रहा है। पी.जी.डी.एम.(एफ.एम.) का मौजूदा बैच 05 मई, 2010 से शुरू हो गया है, जिसमें विभिन्न केन्द्र/राज्य और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से 40 अभ्यर्थियों ने दाखिला लिया है। पी.जी.डी.एम. (एफ.एम.) का नया बैच 09 मई, 2011 से शुरू होगा, जिसमें 50 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।

लेखांकन एवं आंतरिक लेखापरीक्षा में डिप्लोमा:

लेखांकन एवं आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम में एक वर्षीय डिप्लोमा केंद्र सरकार की संगठित लेखा सेवाओं के अधिकारियों की तकनीकी दक्षता को उन्नत करने के लिए है। यह पाठ्यक्रम नए भर्ती अधिकारियों को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में अधिक जिम्मेदारियां उठाने में समर्थ बनाने के लिए बनाया गया है। लेखांकन और आंतरिक लेखापरीक्षा में डिप्लोमा (डीजीए एंड आईए) का मौजूदा बैच 10 मई, 2010 से शुरू हुआ जिसमें 33 प्रतिभागियों ने प्रवेश लिया। डीजीए एंड आईए का नया बैच मई/जून, 2011 से आरंभ होगा जिसमें 35 प्रतिभागियों को प्रवेश देने का लक्ष्य है।

प्रबंधन में फैलो कार्यक्रम:

यह कार्यक्रम सक्षम अनुसंधानकर्ताओं, शिक्षकों तथा परामर्शकों को तैयार करने हेतु एक खुला कार्यक्रम है, ताकि अनुसंधान कार्य जारी रखा जा सके। इस कार्यक्रम का ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदन किया गया है। 5 भागीदारों के साथ इस कार्यक्रम का दूसरा बैच 10 मई, 2010 को शुरू हुआ।

पूंजी बाजार में बी.एस.ई. के साथ कार्यकारी कार्यक्रम

एन.आई.एफ.एम. ने बी.एस.ई. के सहयोग से एक वर्षीय सप्ताहांत कार्यकारी कार्यक्रम शुरू किया है, जो सभी वित्तीय बाजारों जैसे कि नकद इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स, करंसी डेरिवेटिव्स, कोमोडिटीज़ तथा विदेशी एक्सचेंजों को कवर करते हुए स्टॉक एक्सचेंजों, कमोडिटी एक्सचेंजों, विनियामक निकायों, बाजार मध्यस्थों, बैंकों, म्यूच्युअल फंडों तथा परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों और इसी तरह के संगठनों में जिम्मेदार पदों पर कार्य करने हेतु प्रशिक्षित व्यावसायिकों को विकसित करने पर ध्यान संकेन्द्रित करता है। 23 भागीदारों के साथ इस कार्यक्रम का दूसरा बैच 06 मार्च, 2010 से शुरू हुआ था। मार्च, 2011 से शुरू होने वाले अगले बैच के लिए 30 प्रतिभागियों का लक्ष्य रखा गया है।

परामर्शदायी परियोजनाएं:

वर्ष 2010-11 के दौरान, दो परामर्शदायी परियोजनाएं द्वारा पूरी की गई हैं। वर्तमान में, "उड़ीसा सामान्य वित्तीय नियमावली का संशोधन" और "वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली" संबंधी परियोजना प्रगति पर है।

वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय का लेखा निम्नप्रकार है:

	(राशि रूपए में)	
आय	31.03.2010	31.03.2009
सेवाओं से आय	8,78,96,779	10,20,94,914
अनुदान	1,40,00,000	1,40,00,000
अर्जित ब्याज	89,91,311	71,75,564
अन्य आय	17,34,486	15,02,446
कुल (क)	11,26,22,576	12,47,72,924
व्यय		
संस्थापना संबंधी खर्चे	3,41,81,881	2,86,31,447
अन्य प्रशासनिक खर्चे	6,08,68,382	6,01,69,163
मूल्य ह्रास	93,06,251	88,96,977
कुल (ख)	10,43,56,514	9,76,97,587
व्यय की तुलना में आय का अधिशेष/आय में हुई कमी की शेष राशि (क-ख)	82,66,062	2,70,75,337
घटाएं: अवधि-पूर्व समायोजन (निवल)		
जोड़ें: सरकारी अनुदान से प्राप्त की गई संपत्तियां पर मूल्य ह्रास (वर्ष के लिए) दिखलाने वाली पूंजीगत निधि से अंतरित राशि	(7,54,824)	(2,11,195)
	31,56,219	33,25,483
निवल अधिशेष/घाटा	1,06,67,457	3,01,89,625
तुलन-पत्र में आगे ले जाई गई अधिशेष/घाटे की शेष राशि	1,06,67,457	3,01,89,625

राजस्व विभाग

प्रस्तावना

1. राजस्व विभाग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से संबंधित सभी मामलों का दो सांविधिक बोर्डों, नामतः केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के माध्यम से नियंत्रण करता है। प्रत्येक बोर्ड के प्रमुख अध्यक्ष होते हैं जो भारत सरकार के पदेन विशेष सचिव भी होते हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा सभी प्रत्यक्ष करों के लगाने और संग्रहण का कार्य किया जाता है, जबकि सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर लगाने व संग्रहण का कार्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के कार्य क्षेत्र में आता है। ये दोनों बोर्ड, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत गठित किए गए थे। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में 6 सदस्य और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में 6 सदस्य हैं।
2. राजस्व विभाग मुख्यतया निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार है :-
 - प्रत्यक्ष कर लगाने और संग्रहण से जुड़े सभी मामले।
 - अप्रत्यक्ष कर लगाने और संग्रहण से जुड़े सभी मामले।
 - आर्थिक अपराधों की जाँच और आर्थिक कानून का प्रवर्तन।
 - अफीम की खेती, निर्यात और मूल्य-निर्धारण के लिए नीति तैयार करना।
 - स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी द्रव्यों के दुरुपयोग तथा उनके अवैध व्यापार का मुकाबला करना एवं रोकथाम करना।
 - फेमा का प्रवर्तन एवं कोफेपोसा के तहत नज़र बन्दी हेतु सिफारिश।
 - तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छल साधक (संपत्ति समपहृत) अधिनियम, 1976 और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत सम्पत्ति को जब्त करने से संबंधित कार्य।
 - अन्तर राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री पर कर लगाना।
 - भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत स्टाम्प शुल्क के भुगतान के संबंध में समेकन/कमी/छूट से संबंधित मामले।
 - स्वर्ण नियंत्रण से जुड़ा शेष कार्य।
3. राजस्व विभाग निम्नलिखित अधिनियमों को प्रशासित करता है :-
 - आयकर अधिनियम, 1961;
 - धनकर अधिनियम, 1958;
 - व्यय कर अधिनियम, 1987;
 - बेनामी कारोबार(प्रतिषेध) अधिनियम, 1988;
 - अधिलाभ कर अधिनियम, 1963;
 - कम्पनी (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964;
 - अनिवार्य जमा (आयकर दाता) योजना अधिनियम, 1974;
4. यह विभाग उपर्युक्त अधिनियमों से संबंधित मामलों पर प्रभागों एवं सम्बद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों के माध्यम से कार्य करता है जिनके कार्य निम्न प्रकार हैं :-
 - वित्त (सं0 2) अधिनियम, 2004 का अध्याय VII (प्रतिभूति, कारोबार कर लगाने से संबंधित)
 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और संबंधित मामले
 - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और संबंधित मामले
 - औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955;
 - केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956;
 - स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985;
 - स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ का अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988;
 - तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सफेम) (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976;
 - भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जहां तक यह संघ के अधिकार क्षेत्र में आता हो)
 - विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974;
 - विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999; और
 - धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002;
 - * इन अधिनियमों का प्रशासन केवल उस अवधि के दौरान हुए मामलों के लिए सीमित है, जब ये लागू थे।
4. यह विभाग उपर्युक्त अधिनियमों से संबंधित मामलों पर प्रभागों एवं सम्बद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों के माध्यम से कार्य करता है जिनके कार्य निम्न प्रकार हैं :-
 - **केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड :**
प्रत्यक्ष कर लगाने और वसूल करने से संबंधित सभी मामले
 - **केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड**
अप्रत्यक्ष कर लगाने और वसूल करने से संबंधित सभी मामले
 - **राज्य कर स्कन्ध :**
बिक्री कर कानून (वैधीकरण) अधिनियम, 1956, केन्द्रीय बिक्री कर, राज्य स्तरीय मूल्यवर्धित कर (वैट), भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1989 आदि का प्रशासन।

■ स्वापक नियंत्रण प्रभाग:

अफीम पोस्त की खेती, अफीम के उत्पादन और निर्यात के लिए लाइसेंस नीति तैयार करना तथा अफीम एवं क्षारोद का मूल्य निर्धारण। प्रबंध समिति के कार्य का समन्वय करना और संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से संबंधित मुद्दे।

■ प्रबंध समिति :

विभागीय उपक्रमों, नामतः सरकारी अफीम और क्षारोद कार्य नीमच (म0प्र0) और गाजीपुर (उत्तर प्रदेश)का प्रशासन करता है जो निर्यात प्रयोजनों के लिए कच्ची अफीम का संसाधन और अफीम से क्षारोद निष्कर्षण का भी कार्य करते हैं, जिनका भेषज उद्योग द्वारा प्रयोग किया जाता है।

■ प्रशासन प्रभाग:

राजस्व विभाग के सभी प्रशासनिक मामले। भारतीय राजस्व सेवा (समूह-क), भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और के0उ0शु0) (समूह-क) विभाग के स्टाफ और अधिकारियों के गोपनीय रिपोर्ट डोजियर्स का रख-रखाव। समन्वय कार्य और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं अनुवाद संबंधी कार्य।

■ पुनरीक्षा आवेदन एकक:

सीमा शुल्क आयुक्त (अपील) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील) के आदेशों के विरुद्ध दाखिल पुनरीक्षा याचिकाओं और के0उ0शु0 एवं सी0शु0 बोर्ड के समक्ष 11.10.1982 से पहले दाखिल मामलों से संबंधित कार्य।

■ एकीकृत वित्त एकक :

राजस्व विभाग और सी0बी0डी0टी0 एवं सी0बी0ई0सी0 के तहत इसके संघटक एककों और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित सभी वित्तीय मामलों में सलाह देना। व्यय और वित्तीय प्रस्तावों का कार्य करती है। राजस्व विभाग, प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों से संबंधित अनुदानों के लिए व्यय बजट तैयार करती है।

■ सक्षम प्राधिकारी:

तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 के तहत सम्पत्ति के समपहरण और स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अध्याय-5 क से संबंधित कार्य।

■ सम्पत्ति अपील अधिकरण:

सफेम (एफ ओ पी) अधिनियम, 1976 और एन0डी0पी0एस0 अधिनियम, 1985 के अध्याय 5 क के तहत सक्षम प्राधिकारियों द्वारा पारित सम्पत्तियों के समपहरण के आदेशों के विरुद्ध व्यक्तियों

द्वारा दाखिल अपीलों का न्याय-निर्णयन। धन शोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए) की धारा 25 के अंतर्गत दिनांक 1 जुलाई 2005 से उक्त अधिनियम के अंतर्गत न्यायनिर्णयन प्राधिकारी और प्राधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों सुनने के लिए एक अन्य अपील अधिकरण को अधिसूचित किया गया।

■ सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर अपील अधिकरण:

कार्यकारी आयुक्तों और आयुक्त (अपील) के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई।

■ सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 क ग के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सामाजिक और आर्थिक कल्याण की परियोजनाओं की सिफारिश करना।

■ अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण :

आवेदक द्वारा किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है, ऐसे लेन-देन, के संबंध में अनिवासियों द्वारा दाखिल आवेदन में विनिर्दिष्ट कानून अथवा तथ्य के प्रश्न पर अग्रिम विनिर्णय देना।

■ सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग :

सीमा शुल्क अधिनियम और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत निर्धारितियों द्वारा दाखिल आवेदनों का निपटान।

■ समझौता आयोग (आयकर/धन कर):

आयकर अधिनियम, 1961 और धन कर अधिनियम 1957 के तहत निर्धारितियों द्वारा दाखिल आवेदनों का निपटान।

■ केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो:

आसूचना एकत्रित करने की गतिविधियों, जांच-पड़ताल के प्रयासों और आर्थिक अपराधों की जांच से संबंधित विभिन्न एजेंसियां द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई और आर्थिक कानूनों के प्रवर्तन का समन्वय करना और उसे सुदृढ़ बनाना।

■ प्रवर्तन निदेशालय:

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार है। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण गतिविधि अधिनियम, 1974 के तहत नजरबंदी के लिए मामलों की सिफारिश करना। विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत प्रवर्तन निदेशालय को मुख्यतः जांच और न्याय-निर्णयन एजेंसी के रूप में कार्य सौंपा गया है, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के संगत उपबंधों के तहत निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय को शक्तियां भी दी गई हैं।

■ वित्तीय आसूचना एकक:

धन शोधन और संबंधित अपराधों का मुकाबला करने के लिए प्रभावी राष्ट्रीय क्षेत्रीय और वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से वित्तीय आसूचना के एकत्रण और आदान-प्रदान को समन्वित और सुदृढ़ करना। निदेशक, भारत वित्त आसूचना एकक को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के संगत उपबंधों के तहत शक्तियां दी गई हैं।

■ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत न्यायनिर्णयन प्राधिकरण:

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अथवा द्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार शक्तियों व प्राधिकार का प्रयोग करना। प्राधिकरण को यह अधिकार है कि वह असंतुष्ट पक्षों को सुनने के बाद संपत्ति की अंतिम कुर्की की पुष्टि करें ताकि यह सुनिश्चित करें नियत अपराध अथवा धन शोधन अपराध के लिए चल रहे मुकदमे के लंबित रहने के दौरान संपत्ति को बेचा न जाए।

■ आयकर लोकपाल :

करदाताओं की शिकायतों की जांच करने के लिए सात शहरों में आयकर लोकपालों को तैनात किया गया है।

5. प्रत्यक्ष कर :

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड शीर्ष संस्था है जिसे भारत में प्रत्यक्ष कर कानूनों अर्थात् आयकर, धनकर, बैंक कारी नकद संव्यवहार कर, प्रतिभूति संव्यवहार कर, आदि के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा छः सदस्य हैं तथा यह आयकर विभाग का संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण है। दिल्ली में निम्नलिखित सम्बद्ध कार्यालय केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को उनके काम काज में सहायता करते हैं :

- (i) आयकर महा निदेशालय (प्रशासन)
 - (क) आयकर निदेशालय (जनसम्पर्क, मुद्रण, प्रकाशन एवं राजभाषा)
 - (ख) आयकर निदेशालय (वसूली)
 - (ग) आयकर निदेशालय (आयकर एवं लेखा परीक्षा)
- (ii) आयकर महानिदेशालय (प्रणाली)
- (iii) आयकर महानिदेशालय (विधिक एवं अनुसंधान)
- (iv) आयकर निदेशालय (संगठन एवं प्रबंधन सेवाएं)

(v) आयकर निदेशालय (अवसंरचना)

(vi) आयकर निदेशालय (कारोबार प्रक्रिया पुननिर्माण)

(vii) आयकर निदेशालय (मानव संसाधन विकास)

(viii) आयकर महानिदेशालय (छूट)

(ix) आयकर महानिदेशालय (अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं अन्तरण मूल्य)

पूरे देश में तैनात विभिन्न मुख्य आयकर आयुक्त प्रत्यक्ष कर संग्रहण का पर्यवेक्षण करते हैं तथा करदाता सेवाएं प्रदान करते हैं। आयकर महानिदेशक (जांच) कर अपवंचन को रोकने और बेहिसाबी धन का पता लगाने के लिए जांच तंत्र का पर्यवेक्षण करते हैं। मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक की सहायता आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक अपने-अपने क्षेत्राधिकार में करते हैं। यहां प्रथम अपीलीय तंत्र भी है जिसमें आयकर आयुक्त (अपील) होते हैं जो कर निर्धारण अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों के निपटान का कार्य करते हैं। प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड स्थानीय वेतन एवं लेखा अधिकारियों की सहायता से विभाग द्वारा राजस्व संग्रहण तथा किए गए व्यय के लेखांकन के लिए जिम्मेदार हैं।

6. अप्रत्यक्ष कर

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड प्रशासनिक अप्रत्यक्ष कर नियमों के लिए एक शीर्ष निकाय है। यह बोर्ड अपने क्षेत्रीय कार्यालयों जिनमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के लिए 23 मुख्य आयुक्त के ज़ोन है, सीमा शुल्क के लिए 11 मुख्य आयुक्त ज़ोन हैं, 12 महानिदेशालय एवं 5 निदेशालय, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीली अधिकरण के लिए एक मुख्य विभागीय प्रतिनिधि व्यवस्था एवं कर बकाया वसूली (टी ए आर) के लिए एक मुख्य आयुक्त शामिल है, के माध्यम से अपने विभिन्न कार्यों को संपन्न करता है। मुख्य आयुक्तों की सहायता आयुक्त करते हैं तथा महानिदेशक की सहायता अपर महानिदेशक और निदेशक आदि करते हैं। स्थानीय वेतन एवं लेखा अधिकारियों की सहायता से प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, विभाग द्वारा राजस्व संग्रहण तथा किए गए व्यय के लेखांकन के लिए जिम्मेदार है।

7. राजस्व विभाग में तीन अनुदान मांगे हैं:

मांग सं0 41 - राजस्व विभाग

मांग सं0 42 - प्रत्यक्ष कर और

मांग सं0 43 - अप्रत्यक्ष कर

परिव्यय एवं परिणाम का विवरण - 2011-12

क्रम सं०	स्कीम /कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय 2011-12 (करोड़ रुपये में) गैर योजना योजना		प्रमात्रात्मक प्रदाय / वास्तविक उपादान	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समयसीमा	टिप्पणी / जोखिम अवयव	
1	2	3	4	4(i)	4(ii)	5	6	7	8
1.	मुख्य शीर्ष -2052 वैटयोजना का कार्यान्वयन (बजट प्रावधान पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में वैट से संबंधित कम्प्यूटरीकरण एवं अन्य वैट संबंधी व्ययों के लिए है)	पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम में आधुनिक वैट प्रशासन प्रणाली की स्थापना तथा अन्य राज्यों में तत्समान कार्रवाई करने को सुसाध्य बनाना तथा माल एवं सेवाकर संबंधी आई ई सी/ प्रशिक्षण देना	1.79	...	अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एवं सिक्किम पूर्वोत्तर राज्यों में वैट प्रशासन का कम्प्यूटरीकरण । इस परियोजना के अंतर्गत हाल ही में मेघालय राज्य ने भी इस परियोजना के तहत कुछ सहायता हेतु अनुरोध किया है ।	वैट वटा प्रभावी वर्तमान प्रणाली का रखरखाव और वगार्यान्वयन एवं उन्नयन किया जाएगा ।	प्रशासन		
						माल एवं सेवा कर से संबंधित आई ई सी /प्रशिक्षण		भविष्य में माल एवं सेवा कर आरम्भ किए जाने की संभावना है । माल एवं सेवा कर से संबंधित आई ई सी / प्रशिक्षण के लिए निधियां अलग रखी गई है ।	
2.	मुख्य शीर्ष -2052 कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली की स्थापना (अधिकार प्राप्त समिति को कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली परियोजना के कार्यान्वयन, जम्मू एवं कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में वैट कम्प्यूटरीकरण के लिए अधिकार प्राप्त समिति के प्रशासनिक खर्चों के लिए अनुदान के लिए बजट प्रावधान है ।	कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली के माध्यम से अन्तरराज्यीय संव्यवहारों का प्रभावी रूप से पता रखना एवं अधिकार प्राप्त समिति का व्यवस्थित रूप से कार्य करना और हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर में वैट कम्प्यूटरीकरण	11.08	...	कर सूचना आदान प्रदान प्रणाली, परियोजना का कार्यान्वयन ।	अन्तरराज्यीय संव्यवहारों का प्रभावी रूप से पता करना जो राजस्व रिसाव को रोकने के लिए समर्थ होगा ।	कर सूचना आदान प्रदान परियोजना का कार्यान्वयन अधिकार प्राप्त समिति द्वारा सुविधा प्रदाता के माध्यम से बूट माडल पर किया जा रहा है ।		
					अधिकार प्राप्त समिति का व्यवस्थित रूप से कार्य करना।	जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आधुनिक वैट प्रशासन	जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में वैट कम्प्यूटरीकरण परियोजना को अनुमोदित किया गया है और वर्ष 2010-11 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है ।		

1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i)	4(ii)			
3.	मुख्य शीर्ष-3601/3602 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वैट के कार्यान्वयन के कारण हुए राजस्व हानि एवं अन्य वैट संबंधी व्ययों के लिए (राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को (i) वैट प्रतिपूर्ति के लिए और (ii) अन्य वैट संबंधी व्ययों और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कराधान अध्ययन के लिए दो संस्थानों की स्थापना/उन्नयन के लिए स्थापना सहायता अनुदान देने के लिए बजट प्रावधान किया गया है)	- राज्य वैट का व्यवस्थित एवं प्रभावी कार्यान्वयन	734.00	...	सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा वैट का कार्यान्वयन	- राज्य वैट का व्यवस्थित एवं प्रभावी कार्यान्वयन	- सहमत फॉर्मूले के आधार पर वैट प्रतिपूर्ति 2005-06 (राजस्व हानि का 100 प्रतिशत), 2006-07 (राजस्व हानि का 75 प्रतिशत) और 2007-08 (राजस्व हानि का 50 प्रतिशत) के लिए उपबंधित किया जाना था। अधिकतर दावों का पहले ही निपटान कर दिया गया है। महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु के लंबित दावों के निपटान के लिए प्रावधान पहले रखा गया है।
				राज्य कर प्रशासन का आधुनिकीकरण			- बेहतर सेवाएं प्रदान करने तथा राज्य वैट प्रशासनों की दक्षता को बढ़ाने के लिए वाणिज्य कर प्रशासन के कंप्यूटरीकरण हेतु मिशन मोड परियोजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परियोजनाओं को पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को और अनुदान दिए जाएंगे।
				- राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कराधान अध्ययन के लिए दो संस्थानों की स्थापना/उन्नयन			- सी टी एस के राष्ट्रीय लोक वित्त संस्थान के रूप में उन्नयन के लिए प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है तथा निधि राज्य सरकारों को जारी कर दी गई है। लोक वित्त में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के लिए सामाजिक विज्ञान केन्द्र, कोलकाता में एक राष्ट्रीय एनडोमेंट केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रस्ताव भी हाल ही में अनुमोदित किया गया है तथा सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद केन्द्र को निधि जारी की जाएगी।

1	2	3	4	5	6	7	8	
			4(i)	4(ii)				
4.	मुख्य शीर्ष-3601/3602 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) समाप्त करने के कारण होने वाली राजस्व हानि (राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय बिक्री कर की क्षतिपूर्ति के लिए सहायता अनुदान उपलब्ध कराने के लिए बजट प्रावधान है)	माल एवं सेवा कर को लागू करने को सरल बनाने के लिए केन्द्रीय बिक्री कर संबंधी क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान	12000.00	...	- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वयन - केन्द्रीय बिक्री कर की चरणबद्ध रूप से समाप्ति	केन्द्रीय बिक्री कर की व्यवस्थिति एवं प्रभावी समाप्ति पर घौट क्रियान्वयन के लिए सिद्धांत	केन्द्रीय बिक्री कर को 1.4.2.2007 से 3 वर्ष के समय में समाप्त करने की योजना केन्द्रीय बिक्री कर की दर वर्ष 2007-08 में 4 प्रतिशत से कम कर के 3 प्रतिशत की गई और वर्ष 2008-09 में 2 प्रतिशत की गई । सहमत फार्मूले के अनुसार केन्द्रीय बिक्री कर की क्षतिपूर्ति राज्यों को 2009-2010 तक दी जानी थी तथा माल एवं सेवा कर को 01.04.2010 से लागू किया जाना था । चूंकि माल एवं सेवा कर को अब तक लागू नहीं किया गया है, इसलिए यह निर्णय लिया गया था कि वर्ष 2009-10 में भी राज्यों को क्षतिपूर्ति दी जाए तथा इस संबंध में राज्यों के दावों पर 2011-12 में कार्रवाई की जाएगी ।	

1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i)	4(ii)			
5.	मुख्य शीर्ष 2875 सरकारी अफीम एवं क्षारोद फैक्टरी	गाजीपुर और नीमच में सरकारी अफीम एवं क्षारोद फैक्टरियां दो विभागीय उपक्रम है जो राजस्व विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं है । इनमें से प्रत्येक उपक्रम की दो अलग इकाइयां, अर्थात् अफीम फैक्टरी एवं क्षारोद संयंत्र है । अफीम फैक्टरियों में अफीम की मांग को पूरा करने के कार्य में लगी है और खेती से प्राप्त कच्ची अफीम के प्रमुख भाग का निर्यात किया जाता है ।	364.08	...	1114 मीट्रिक टन कच्चे अफीम की अधिप्राप्ति 42 मीट्रिक टन कोडीन फास्फेट (आयातित) की अधिप्राप्ति अफीम का निर्यात (400 मी0टन) क्षारोध की बिक्री(66 मी0 टन) इसके परिणामस्वरूप 312 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति होगी ।	312 करोड़ रुपये के राजस्व वसूली की तुलना में व्यय की प्रगति की मासिक/तिमाही रूप से समीक्षा की जाएगी ।	राजस्व वसूली एवं किया गया व्यय अनेक कारणों पर निर्भर करता है जैसे कि अन्तरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय अफीम की मांग, विदेशी मुद्रा विनिमय की दर में उतार चढ़ाव क्षारोद वना उत्पादन, सरकारी खरीद के लिए उपलब्ध अफीम की मात्रा, आदि।

सुधारात्मक उपाय एवं नीतिगत पहल

मूल्यवर्धित कर (वेट) योजना का कार्यान्वयन

राज्य वेट को लागू करना राज्य स्तर पर हाल ही में किया गया सबसे उल्लेखनीय कर सुधार उपाय है । 18-6-2004 को हुई अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में राज्य वेट को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया था जहां 1-4-2005 से वेट को लागू करने के लिए राज्यों के बीच व्यापक सहमति हुई थी । तदनुसार, संघशासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार समूह एवं लक्षद्वीप को छोड़कर अब तक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वेट को लागू कर दिया गया है।

यद्यपि बिक्री कर / वेट राज्य का विषय है, केन्द्र सरकार वेट के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए सुसाध्यकर्ता की भूमिका निभा रही है । केन्द्र सरकार राज्य स्तर के वेट को लागू करने के अपने प्रयास में राज्यों को भी सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध करा रही है । इस संबंध में उठाए कुछ कदम निम्नानुसार है :

- क) वेट को लागू करने के कारण किसी भी राजस्व हानि के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति की अदायगी के लिए एक पैकेज लागू किया गया है ।
- ख) पूर्वोत्तर /विशेष श्रेणी के राज्यों को वेट कम्प्यूटरीकरण करने के लिए तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है ।
- ग) वेट के लिए प्रचार एवं जानकारी अभियान चलाने के लिए अधिकार प्राप्त समिति के साथ-साथ राज्यों को वित्तीय सहयोग दिया गया ।
- घ) अंतर-राज्यीय संव्यवहारों पर नजर रखने के लिए कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली (टी आई एन एक्स एस वाई एस) परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति को 50 प्रतिशत की निधि प्रदान की जा रही है।

वेट लागू करने के कारण होने वाले राजस्व में घाटे की क्षतिपूर्ति के रूप में 31 मार्च, 2010 तक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की कुल 17,856.45 करोड़ रूपए की क्षतिपूर्ति की गयी है ।

राज्य स्तर पर वेट लागू करने में केन्द्रीय सरकार की सुसाध्यकर्ता की भूमिका के संदर्भ में विभिन्न वेट संबंधी योजना के लिए भी 2011-12 में बजट प्रावधान करने का प्रस्ताव रखा गया है ।

केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करना

यह राज्य वेट कार्यान्वयन का प्राकृतिक उप परिणाम है । केन्द्रीय बिक्री कर गैर छूट प्राप्त स्रोत आधारित कर होने के कारण वेट के अनुरूप नहीं है तथा इसे चरणबद्ध रूप से समाप्त किए जाने की आवश्यकता है । केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करना एक एकीकृत राष्ट्र स्तरीय माल एवं सेवा कर (जी एस टी) को लागू करने की योजना के परिप्रेक्ष्य में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है । केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के विषय पर राज्य सरकारों से चर्चा के दौरान राज्यों ने इस बात पर जोर दिया कि केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण होने वाली राजस्व हानि के लिए क्षतिपूर्ति की जाए । केन्द्रीय बिक्री कर को 3 वर्षों अर्थात् प्रत्येक वर्ष एक प्रतिशत घटाते हुए समाप्त करने के लिए अब राज्यों के साथ एक व्यापक सहमति हो गयी है ताकि 31-3-2010 तक इसे समाप्त किया जा सके । इसी क्रम में केन्द्रीय बिक्री कर की दर को 1.4.2007 से 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया तथा 1-6-2008 से 3 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है।

केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण राजस्व हानि के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति के लिए एक पैकेज पर भी सहमति हो गई है । इस पैकेज के तहत राज्यों की आर्थिक एवं गैर आर्थिक उपायों के संयोजन से क्षतिपूर्ति की जा रही है । 31 दिसम्बर, 2010 तक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय बिक्री कर की क्षतिपूर्ति के रूप में 21249.92 करोड़ रूपये जारी किये गये हैं ।

वाणिज्यिक करों की मिशन मोड परियोजना

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना(एनईजीपी) के अंतर्गत, राजस्व विभाग वाणिज्यिक कर की एक मिशन मोड परियोजना (एमएमपीसीटी) का समन्वय कर रहा है जो कि राज्य करों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण ई-प्रशासन पहल है । केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी,2010 में राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना (एन ई जी पी) के तहत राज्य सरकारों के वाणिज्यिक कर प्रशासनों के कम्प्यूटरीकरण हेतु मिशन मोड परियोजना अनुमोदित की थी । 1133 करोड़ रूपये की कुल लागत वाली यह परियोजना राज्यों के वाणिज्यिक कर प्रशासनों हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के विकास एवं उन्नयन में सहायक होगी । इस परियोजना का उद्देश्य, जहां एक ओर डीलरों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है, वहीं दूसरी ओर, राज्य सरकारों के वाणिज्यिक कर प्रशासनों की दक्षता को बढ़ाना है । इस परियोजना के तहत केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा निधि लगभग 70:30 के अनुपात में बांटी जानी अपेक्षित है । तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों के विशेष श्रेणी के दर्जे को ध्यान में रखते हुए, उनके मामलों में यह अनुपात 90:10 (केन्द्रीय भाग:राज्य सरकारों का भाग) निर्धारित किया गया है; जबकि विधान मंडल के बिना एवं संघ राज्य क्षेत्रों में 100% निधि केन्द्र सरकार द्वारा दी जाएगी ।

वाणिज्यिक कर विभागों के कम्प्यूटरीकरण हेतु राज्यों के प्रस्तावों को स्वीकृत करने के लिए राजस्व सचिव की अध्यक्षता में एक परियोजना अधिकार प्राप्त समिति (पी ई सी) गठित की गई है । परियोजना अधिकार समिति की बैठकें क्रमशः दिनांक 22.3.2010, 14.6.2010 तथा 27.8.2010 को आयोजित की गई थी जिनमें 31 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के 936.50 करोड़ रूपये की कुल लागत की परियोजनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। 31 दिसम्बर,2010 तक 31 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय भाग के 275.64 करोड़ रूपये जारी किये जा चुके हैं ।

अंतर-राज्यीय लेन देन को सरल बनाने के लिए कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली (टी आई एन एक्स एस वाई एस) को स्थापित कर दिया गया है ताकि राज्य फार्म सी जारी करने के संबंध में तथा अन्य अंतर-राज्यीय बिक्री के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकें । इस परियोजना की परियोजना लागत की 50% निधि केन्द्र सरकार द्वारा दी जाएगी जबकि शेष राशि राज्यों द्वारा सामूहिक रूप से वहन की जाएगी।

माल एवं सेवा कर (जीएसटी)

01 अप्रैल,2010 तक राष्ट्रीय स्तर पर एक माल एवं सेवा कर (जी एस टी) प्रारंभ करने का प्रस्ताव पहली बार वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2006-07 के अपने बजट भाषण में रखा था । चूंकि इस प्रस्ताव में न केवल केन्द्र द्वारा अपितु राज्यों द्वारा भी लगाये जा रहे अप्रत्यक्ष करों में सुधार/पुनर्गठन अपेक्षित था, इसलिए माल एवं सेवा कर की रूप रेखा और निदेश तैयार करने की जिम्मेवारी पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री डा0 असीम के दास गुप्ता की अध्यक्षता में गठित राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति को दी गई है।

अधिकार प्राप्त समिति ने अप्रैल,2008 में केन्द्र सरकार जिसमें माल एवं सेवा कर की संरचना एवं रूप-रेखा के संबंध में व्यापक सिफारिशों की गई थी । इस पेपर में एक संघटक चूंकि केन्द्रीय जी0एस0टी0 और दूसरा राज्य जी0एस0टी0 था के साथ दोहरे जी0एस0टी0 मॉडल को प्रस्तावित किया गया है । रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में राजस्व विभाग ने प्रस्तावित माल एवं सेवा कर की रूप रेखा एवं संरचना में शामिल करने हेतु कुछ सुझाव दिये ।

राजस्व विभाग, भारत सरकार एवं राज्यों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर, अधिकार-प्राप्त समिति (ई0सी0) ने 10 नवम्बर,2009 को नई दिल्ली में "भारत में माल और सेवा कर संबंधी प्रथम विचार-विमर्श पत्र" जारी किया । इस विमर्श पत्र का उद्देश्य सभी स्टाकहोल्डरों- करदाताओं, उद्योग, व्यापार और कृषि व साथ ही उपभोक्ताओं से प्रतिक्रिया प्राप्त करके एक बहस प्रारंभ करना था । राजस्व विभाग ने भी उक्त पत्र पर अधिकार प्राप्त समिति को अपना उत्तर भेजा है ।

राजस्व विभाग द्वारा विधि मंत्रालय के परामर्श से जी0एस0टी0 को शुरू करने के संबंध में अपेक्षित संवैधानिक संशोधन के प्रारूप को तैयार किया गया था। इस प्रारूप को ई0सी0 के पास भेजा गया था। ई0सी0 से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, संशोधित प्रारूप को तैयार किया गया और सहमति हेतु ई0सी0 को भेजा गया। कुछ राज्यों ने संशोधित प्रस्तावित बिल पर भी कतिपय चिंताएं जताए हैं। विभाग द्वारा तैयार प्रारूप बिल में केन्द्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जी0एस0टी0 समिति जिसमें प्रत्येक राज्य से एक मंत्री हो की स्थापना की परिकल्पना है। इस समिति द्वारा मुख्य पैरामीटर जैसे केन्द्र और राज्य सरकारों को अवसीमा, छूट, कर की दरें इत्यादि पर विचार-विमर्श और संस्तुति करना अपेक्षित है। केन्द्र और राज्यों को की गई सिफारिशों की अनुपालन करना आवश्यक है। प्रारूप में जी0एस0टी0 विवाद निपटान प्राधिकरण के गठन का उल्लेख है और किसी राज्य या केन्द्र द्वारा इससे सम्पर्क किया जा सकता है, बशर्ते ऐसा राज्य या केन्द्र, जैसी भी स्थिति हो की कार्रवाई द्वारा जोकि जी0एस0टी0 समिति द्वारा की गई सिफारिशों के विचलन से प्रोद्भूत होती हों, के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता हो। सर्वसम्मत बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि संवैधानिक संशोधन बिल का पारस्परिक रूप से स्वीकृत हुए प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा सके और शीघ्रतापूर्वक इसे संसद में पुरः स्थापित किया जा सके। संसद में ऐसे बिल को रखने और पारित होने के बाद, देशविधि बनने से पहले कम से कम 50% अनुसमर्थन अपेक्षित होगा।

विभाग द्वारा अधिकारियों को तीन उप कार्यकारी समूहों को जी0एस0टी0 के विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्यों पर कार्य करने के लिए गठित किए गए हैं। पंजीकरण, प्रतिलाभ भुगतान इत्यादि के संबंध में प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के संबंध में एक उप-कार्यकारी समूह क्रियाशील है और इसका जी0एस0टी0 प्रणाली में अनुपालन किया जाना है। दूसरी उप-कार्यकारी समूह केन्द्रीय जी0एस0टी0 और आदर्श राज्य जी0एस0टी0 विधान का प्रारूप बनाने में क्रियाशील है। तीसरा उप कार्यकारी समूह जी0एस0टी0 से संबंधित आई0टी0 अवसरचना सम्बद्ध मुद्दों को अंतिम रूप देने में प्रयासरत है। डा0 नंदन निलकानी की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति स्थापित की गई है जो माल एवं सेवा कर (जी0एस0टी) प्रणाली हेतु अपेक्षित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के विकास के लिए है। इस अधिकार प्राप्त समिति द्वारा कार्यनीति पत्र भी प्रकाशित किया गया है और राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा भी इसे अनुमोदित किया गया।

राष्ट्रीय स्तरीय लोक नियंत्रण नीति संस्थान के उन्नयन के लिए समर्थन

कराधान अध्ययन केन्द्र को गुलाटी वित्त एवं कराधान संस्थान (जी आई एफ टी) के रूप में उन्नयन हेतु 33.13 करोड़ रुपये की कुल लागत का एक प्रस्ताव पहले ही सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। राजस्व विभाग ने इसमें से 23.63 करोड़ रुपये तक की सहायता अनुदान प्रदान करने को अपनी सहमति दे दी है। केन्द्र एवं राज्य सरकार एवं संस्थान के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर (एम ओ यू) हस्ताक्षर कर दिया गया है तथा मदद के केन्द्रीय हिस्से के रूप में 4 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी कर दी गई है। इस संस्थान की भवन की आधारशिला जनवरी, 2011 में केन्द्रीय वित्त मंत्री के द्वारा रखा गया।

राष्ट्रीय लोक वित्त संस्थान के उन्नयन हेतु दूसरे संस्थान (सामाजिक विज्ञान और अध्ययन केन्द्र, कोलकाता का चयन हो गया है। इस संस्थान के लिए कॉर्पस निधि की व्यवस्था का प्रस्ताव मूल रूप से अनुमोदित हो गया है।

भारत - वित्त आसूचना एकक (एफ आई यू - इंड)

भारत - वित्त आसूचना एकक (एफ आई यू - इंड) ने फिन-नेट वित्तीय आसूचना नेटवर्क परियोजना कुल 60.01 करोड़ रुपये की लागत पर सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर का चयन एवं नियुक्ति हो चुकी है। कुल परियोजना अवधि पाँच वर्ष की है जिसमें पूर्ण समाधान की स्वीकृति एवं वैधता के लिए समय सीमा ठेके की प्रभावी तिथि से दो वर्ष होगी। पूर्ण समाधान की स्वीकृति की तिथि से सिस्टम इंटीग्रेटर एक वर्ष के लिए बढ़ी सहायता प्रदान करेंगे। सिस्टम

इंटीग्रेटर साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के लिए अतिरिक्त दो वर्षों (अर्थात् पांचवें वर्ष के अंत तक) रख-रखाव सहायता भी प्रदान करेंगे। यह परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

परिणामी बजट की निगरानी व्यवस्था

परिणामी बजट के अंतर्गत प्रशासनिक एवं समन्वयकारी यूनितों द्वारा अपनी-अपनी मदों के संबंध में मासिक रिपोर्ट देने की प्रणाली आरंभ की गई है। परिणामी बजट के अंतर्गत व्यय के रूझान व प्रगति की मासिक व त्रैमासिक समीक्षा विभाग/मंत्रालय के स्तर पर की जाती है। प्रमुख परियोजना संबंधी मदों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए परियोजना मानीटरिंग / कार्यान्वयन समितियां स्थापित की गई हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा किये जा रहे व्यापक स्तर पर कम्प्यूटरीकरण के प्रयासों के संबंध में समन्वय प्रयासों एवं शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति भी कार्य कर रही है जिसमें निजी क्षेत्र के प्रसिद्ध विशेषज्ञ सदस्य हैं।

सरकारी अफीम एवं क्षारोद फैक्टरियां

गाजीपुर (उ0प्र0) व नीमच (म0प्र0) स्थित सरकारी अफीम एवं क्षारोद फैक्टरियां (जीओएडब्ल्यू) निर्यात के लिए कच्ची अफीम के संसाधन, अफीम क्षारोद के विनिर्माण तथा अन्य संबंधित कार्यों को अपने गाजीपुर (उ0प्र0) व नीमच (म0प्र0) स्थित दोनों कारखानों के द्वारा पूरा करने के लिए जिम्मेदार है। सरकारी अफीम एवं क्षारोद फैक्टरियां (जीओएडब्ल्यू) द्वारा किये गये कुछ प्रमुख सुधार एवं पहल निम्न प्रकार से हैं :-

- (क) अफीम पोस्त की अधिक पैदावार वाली किस्म के विकास व मौसम नियंत्रित कक्ष की स्थापना के लिए लखनऊ स्थित राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान में एक परियोजना आरंभ की जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य अफीम पोस्त की उस किस्म की खेती करना और वाणिज्यिक विकास करना है जिसमें उच्च कोटि के एल्कालाइड होंगे जिनसे अधिक मात्रा में एल्कालाइड के उत्पादन में सहायता होगी। इससे राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि होगी तथा आयात पर निर्भरता भी कम होगी। इससे अफीम खेतिहरों को अधिक आय होगी / मुआवजे में वृद्धि होगी।
- (ख) क्षारोद एवं सक्रिय भेषज संघटकों के उत्पादन में देश की निजी क्षेत्र की भेषज कंपनियों को शामिल करने की प्रक्रिया में प्रगति हुई है और बोली की प्रक्रिया के पश्चात लाइसेंस जारी करने के लिए दो कम्पनियों को चुना गया है।
- (ग) सी पी एस (सांद्रित पोस्त के फूस) के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती हेतु एक मार्गदर्शिका की पहचान के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो द्वारा अफीम पोस्त के खेतीहरों के लिए स्मार्ट कार्ड की परियोजना का कार्यान्वयन

चित्तौड़गढ़ -1 एवं नीमच -1 के दो अफीम के प्रभागों में फसल वर्ष 2004-05 एवं वर्ष 2005-06 के लिए खेती से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने की प्रक्रिया तथा आगे रिपोर्ट हेतु आंकड़ों के संकलन एवं रिपोर्ट तैयार करने के लिए आंकड़ों के सम्प्रेषण की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने हेतु एक स्मार्ट कार्ड परियोजना का परीक्षण किया गया था। इस परियोजना का विस्तार किया गया ताकि मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्यों में स्थित 17 अफीम के प्रभागों में नीमच, कोटा और लखनऊ के उप स्वापक आयुक्तों के कार्यालयों में स्थापित यूनित मुख्यालयों तथा ग्वालियर में स्थित स्वापक आयुक्त के कार्यालय केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो मुख्यालय को भी इसमें शामिल किया जा सके।

वर्तमान में इस परियोजना की अभिकल्पना हस्तचालित /सामान्य क्रियाशीलता के तरीके से तथा आंकड़ों के अभिलेखन के अतिरिक्त इसकी कुशलता का परीक्षण करने के लिए की जा रही है। एक बार इस परियोजना के पूरी तरह और सफलतापूर्वक लागू होने पर खेती संबंधी विभिन्न गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सकेगी और इस नियंत्रण को सुदृढ़ करने के लिए मानव शक्ति और संसाधनों की अनुकूलतम तैनाती सहित नीति संबंधी निर्णय लेने में भी उपयोगी साबित होगी।

मांग स. 41 के अंतर्गत योजनाओं की संक्षिप्त स्थिति - राजस्व विभाग

(रूपये करोड़ों में)

योजना	2009-10			2010-11			2011-12
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	दिसम्बर, 10 तक वास्तविक	ब.अ.
वैट योजना का कार्यान्वयन	8.00	8.00	5.71	20.00	5.97	0.10	1.79
कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली आदि को स्थापित करना	26.65	13.29	8.50	15.84	12.80	1.36	11.08
वैट संबंधी अन्य व्यय और वैट लागू करने के कारण राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को होने वाले राजस्व हानि के लिए प्रतिपूर्ति	3020.50	3152.00	3151.00	401.00	884.95	179.25	734.00
केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण राजस्व हानि के लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को प्रतिपूर्ति	6001.00	8735.18	8735.18	10000.00	14000.00	8396.24	12000.00
सरकारी अफीम और क्षारोघ फैक्टरियां	355.32	283.27	247.71	477.44	350.32	194.64	364.08
कुल	9411.47	12191.74	12148.10	10914.28	15254.04	8771.59	13110.95

परिव्यय 2009-10 ते सन्दर्भ में परिणाम की स्थिति

क्रम सं०	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2009-10 (करोड़ रुपये)		प्रमात्रात्मक प्रदाय	प्रक्रियाएं/ समय	31 मार्च, 2010 तक की स्थिति	
1	2	3	ब.अ.	सं.अ.	4	5	6	7
1.	मुख्य शीर्ष 2052- वैट योजना का कार्यान्वयन	पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम में आधुनिक वैट प्रशासन प्रणाली को स्थापित करना तथा अन्य राज्यों में तत्समान कार्रवाई को सुसाध्य बनाना	8.00	8.00	पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम में वैट प्रशासन का कम्प्यूटरीकरण	परियोजना का टर्नकी आधार पर कार्यान्वयन का प्रारंभिक चरण पूरा हो गया है। 2009-10 के दौरान कार्य पहले से तैयार प्रणाली का प्रभावी रूप से उपयोग करना था, एवं उसमें नये आवश्यकता आधारित साफ्टवेयर अनुप्रयोग जोड़ना एवं अवरोधों को, यदि कोई हो, को हटाना।	इस योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम में वैट के कम्प्यूटरीकरण को और बढ़ाने के लिए एवं वैट संबंधी अन्य व्यय के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। सिक्किम में वैट कम्प्यूटरीकरण का कार्य एन0आई0सी0 द्वारा तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में टी सी एस द्वारा (टर्नकी आधार पर) किया गया है। परियोजना के कार्यान्वयन का प्रारंभिक चरण पूरा हो गया है और 2004-5 से 31.3.2010 तक इसमें 32.53 करोड़ रुपये का कुल व्यय किया जा चुका है, जिसमें प्रचालन व रखरखाव का व्यय भी शामिल है।	
2.	मुख्य शीर्ष 2052- कर सूचना विनिमय प्रणाली (टीआईएनएक्सएसवाईएस)	कर सूचना विनिमय प्रणाली के माध्यम से अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों का प्रभावी रूप से पता लगाना एवं अधिकार प्राप्त समिति का व्यवस्थित रूप से कार्य करना।	26.65	13.29	अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों की प्रभावी खोज के लिए कर सूचना विनिमय प्रणाली का कार्यान्वयन। अधिकार प्राप्त समिति का व्यवस्थित कार्यकरण	कर सूचना विनिमय प्रणाली को एक सेवा प्रदाता के माध्यम से बूट मॉडल के आधार पर अधिकार प्राप्त समिति द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। आरंभिक कार्यान्वयन कार्य 2009-10 के दौरान पूरा किया जाना था। इसके बाद उच्चाधिकार प्राप्त समिति को अंतरित किये जाने से पूर्व इसे सेवा प्रदाता द्वारा लगभग 2 वर्षों तक चलाया जाना है। जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर कम्प्यूटरीकरण परियोजना:	कर सूचना विनिमय प्रणाली परियोजना का कार्यान्वयन केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच 50:50 के अनुपात की भागीदारी के आधार पर 5 वर्षों की अवधि में कुल 30 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से किया जा रहा है। इस परियोजना पर कुल व्यय 31.3.2010 तक 14.49 करोड़ रु० था। ई सी द्वारा परियोजना की समीक्षा और इसे मॉनीटर किया गया है। परियोजना के कार्यान्वयन की अवधि को 31.10.2010 तक बढ़ाया गया था। 2 करोड़ रु० की पहली किस्त को परियोजना के अनुमोदन के समय जारी किया गया था। 5 करोड़ रु० की दूसरी किस्त को मार्च, 2010 में जारी किया गया है। ई सी ने चयनित विक्रेताओं के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और दोनों राज्यों में कार्य शुरू हुआ है।	

1	2	3	4	5	6	7	
3.	मुख्य शीर्ष 3601/ 3602 वैट कार्यान्वयन और अन्य वैट संबंधी व्यय के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति	राज्यों को (i) वैट क्षतिपूर्ति और (ii) अन्य वैट संबंधित व्ययों के लिए सहायता अनुदान	3020.50	3152.00	सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के वैट कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से वैट लागू करने के कारण राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को होने वाली राजस्व हानि और साथ ही राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के वैट से संबंधित अन्य व्यय को पूरा करने के लिए प्रतिपूर्ति करना।	सहमत फार्मूले के अनुसार, वैट की क्षतिपूर्ति 2005-2006, 2006-07 तथा 2007-08 के लिए की जानी है। 2007-08 के अंतिम भाग के दावे का 2009-10 के दौरान निपटारा किये जाने की आवश्यकता है। 2009-10 तक राज्य वैट प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए सहायता। राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में कराधान के अध्ययन के लिए दो संस्थानों की स्थापना/ उन्नयन करना	इस स्कीम के तहत, राज्यों को सहायता अनुदान मूल्य वर्धित कर लागू करने के कारण उनको होने वाली राजस्व हानि की भरपाई के लिए दिया जाता है। 31.3.2010 तक इन्हें 17807.83 करोड़ रुपये की कुल राशि जारी की गई है, जिसमें से 2005-06 के दौरान 2471.27 करोड़ रुपये, 2006-07 के दौरान 4092.13 करोड़ रुपए तथा 2007-08 में 3880.48 करोड़ रुपये, 2008-09 में 4361.95 करोड़ रुपये तथा 2009-10 में 3002 करोड़ रुपये जारी किये गये थे। मंत्रिमंडल द्वारा वाणिज्यिक कराधान हेतु मिशन मोड प्रोजेक्ट (एम एम पी - सी टी) को 1133 करोड़ रुपये की समग्र लागत के साथ अनुमोदित किया गया था, जिसमें से केन्द्रीय अंश करीब 800 करोड़ रु० है। 145 करोड़ रुपये की राशि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मार्च, 2010 में जारी की गई थी। कराधान अध्ययन केन्द्र केरल को 23.63 करोड़ रुपये की कुल लागत से गुलाटी वित्त एवं कराधान संस्थान (जी आई एफ टी) के रूप में उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है तथा 4 करोड़ रुपये के अनुदान की पहली किश्त संस्थान को जारी कर दी गई है। दूसरे संस्थान का भी चयन किया गया था और प्रस्ताव पर कार्रवाई की गई।
4.	मुख्य शीर्ष 3601/3602- राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण होने वाली राजस्व हानि हेतु क्षतिपूर्ति	केन्द्रीय बिक्री कर क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान	6001.00	8735.18	केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण राजस्व हानि हेतु राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को क्षतिपूर्ति करना।	केन्द्रीय बिक्री कर को तीन वर्षों में समाप्त किया जा रहा है। सहमत हुए फार्मूले के अनुसार राज्यों को केन्द्रीय बिक्री कर क्षतिपूर्ति की व्यवस्था 2009-10 तक करने की आवश्यकता होगी। इस योजना के अंतर्गत, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय बिक्री कर समाप्त करने के कारण होने वाले राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के लिए सहायता अनुदान जारी की जाती है। इनको क्षतिपूर्ति करने के लिए 12854.06 करोड़ रु० 31.3.2010 तक राज्य सरकारों को जारी की गई थी जिसमें 2007-08 में जारी 2168 करोड़ रु०, 2008-09 में 1950 करोड़ रु० और 2009-10 में 8735.18 करोड़ रु० की राशि शामिल थी।	

1	2	3	4	5	6	7	
5.	मुख्य शीर्ष 2875 सरकारी अफीम एवं क्षारोद फैक्टरी	अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के साथ-साथ घरेलू खपत के लिए अफीम एवं क्षारोद की मांग को पूरा करना।	355.32	283.27	अफीम की खरीद (559 मीट्रिक टन) 30 मीट्रिक टन कोडीन फास्फेट की खरीद अफीम का निर्यात (400 मी0 टन) क्षारोद वही विद्युती (46.300 मीट्रिक टन) इसके परिणामस्वरूप 301 करोड़ रुपये की राजस्व की प्राप्ति हुई थी।	राजस्व की वसूली की तुलना में व्यय की प्रगति की मासिक/तिमाही रूप से समीक्षा की जानी थी।	परिकल्पित मात्रा के सामने केवल 408 मीट्रिक टन अफीम और 20 मीट्रिक टन कोडीन फोस्फेट का मार्च 2010 तक प्रापण किया गया । अफीम का निर्यात 336.43 मीट्रिक टन था और क्षारोद की बिक्री मार्च 2010 तक 46.5 मीट्रिक टन थी । 2009-10 में राजस्व प्राप्तियां बजट अनुमान स्तर पर 300.97 करोड़ रुपये की परिकल्पित राजस्व प्राप्ति के सामने 299.86 करोड़ रू0 थी । मार्च, 2010 तक सरकारी एवं क्षारोद कार्य पर 247.71 करोड़ रुपए का व्यय किया गया ।

परिव्यय 2010-11 के संदर्भ में परिणाम की स्थिति

क्रम सं०	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2009-10 (करोड़ रुपये)		प्रमात्रात्मक प्रदाय	प्रक्रियाएं/ समय	31 मार्च, 2010 तक की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुख्य शीर्ष 2052-वैट योजना का कार्यान्वयन	पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम में आधुनिक वैट प्रशासन प्रणाली को स्थापित करना तथा अन्य राज्यों में सदृश कार्रवाई को सुसाध्य बनाना	20.00	5.97	अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एवं सिक्किम और मेघालय के पूर्वोत्तर राज्यों में वैट प्रशासन का कम्प्यूटरीकरण	परियोजना का टर्नकी आधार पर कार्यान्वयन का प्रारंभिक चरण पूरा हो गया है।	इस योजना के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एवं सिक्किम के पूर्वोत्तर राज्यों में वैट के कम्प्यूटरीकरण को और बढ़ाने के लिए एवं वैट संबंधी अन्य व्यय के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। सिक्किम में वैट कम्प्यूटरीकरण का कार्य एन0आई0सी0 द्वारा तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में टी सी एस द्वारा (टर्नकी आधार पर) किया गया है। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन का प्रारंभिक चरण पूरा हो गया है। वर्ष 2009-10 के दौरान 6.21 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है और 2010-11 में 4.08 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। 2004-05 से अब तक इसमें 36.61 करोड़ रुपये का कुल व्यय है जिसमें प्रचालन का रखरखाव का व्यय भी शामिल है। इस समय, मूल ध्यान परियोजना के तहत सृजित सुविधाओं का सर्वोत्तम प्रयोग करना, उसमें परियोजना की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए नये साफ्टवेयर अनुप्रयोग को जोड़ना है जिससे इसका पूर्णतः प्रयोग किया जा सके।
2	मुख्य शीर्ष 2052 कर सूचना विनिमय प्रणाली (टी आई एन एक्स एस वाई एस) की स्थापना।	कर सूचना विनिमय प्रणाली के माध्यम से अन्तर राज्यीय संव्यवहारों का प्रभावी रूप से पता लगाना एवं अधिकार प्राप्त समिति का व्यवस्थित रूप से कार्य करना तथा	15.84	12.80	-अन्तर राज्यीय संव्यवहारों की प्रभावी जांच के लिए कर सूचना विनिमय प्रणाली का कार्यान्वयन।	कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली को एक सेवा प्रदाता के माध्यम से बूट मॉडल के आधार पर अधिकार प्राप्त समिति द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। आरंभिक कार्यान्वयन कार्य 2009-10 के दौरान पूरा किया जाना था। इसके	कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली परियोजना का कार्यान्वयन केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच 50 : 50 के अनुपात की भागीदारी के आधार पर 5 वर्षों की अवधि में कुल 30 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से किया जा रहा है। कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली परियोजना के कार्यान्वयन संबंधी कार्य में अच्छी प्रगति हो

1	2	3	4	5	6	7
		हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में वैट का कम्प्यूटरीकरण।			बाद अधिकार प्राप्त समिति को अंतरित किये जाने से पूर्व इसे सेवा प्रदाता द्वारा लगभग 2 वर्षों तक चलाया जाना है।	रही है। अधिकार प्राप्त समिति द्वारा परियोजना की समीक्षा और मॉनीटर की गई है। परियोजना विशिष्ट समीक्षा/मॉनीटरिंग बैठकें अधिकार-प्राप्त समिति के अनुरोध पर अब अपर सचिव (राजस्व) और सदस्य - सचिव, अधिकार प्राप्त समिति के संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है। चूंकि परियोजना के कार्यान्वयन की चालू अवधि 31.10.2010 को समाप्त हो गई है, अतः अधिकार प्राप्त समिति शीघ्र ही परियोजना के विस्तारण हेतु औपचारिक प्रस्ताव को भेजने की आशा है।
					अधिकार प्राप्त समिति द्वारा बेहतर जांच के लिए 'सी' फार्म को डीमेट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 1.39 करोड़ ₹ की राशि अधिकार-प्राप्त समिति को इस परियोजना हेतु 31.12.2010 तक जारी की गई है।	
					जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर कम्प्यूटरीकरण परियोजना के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृति 3.7.2009 को जारी की गई है। अधिकार प्राप्त समिति को परियोजना को कार्यान्वित करना है।	7 करोड़ रुपए की राशि अभी तक केन्द्रीय अंश के रूप में जारी की गई है। अधिकार प्राप्त समिति ने चयनित विक्रेताओं के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इन दो राज्यों में कार्य शुरू हो गया है। वेबसाइट दोनों राज्यों के लिए शुरू की गई है। दो समीक्षा बैठकें इस वित्त वर्ष में की गई हैं।
3	मुख्य शीर्ष 3601/ 3602 वैट कार्यान्वयन और अन्य वैट संबंधी व्यय के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति	राज्यों को (i) वैट क्षतिपूर्ति और (ii) अन्य वैट संबंधित व्ययों के लिए सहायता अनुदान	401.00	884.95	सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के वैट कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से वैट लागू करने के कारण राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को होने वाली राजस्व हानि और साथ ही राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के वैट से संबंधित अन्य व्यय को पूरा करने के लिए प्रतिपूर्ति करना।	इस स्कीम के तहत, राज्यों को सहायता अनुदान मूल्य वर्धित कर लागू करने के कारण उनको होने वाली राजस्व हानि की भरपाई के लिए दिया जाता है। अब तक इन्हें 17856.45 करोड़ रुपये की कुल राशि जारी की गई है, जिसमें से 2005-06 के दौरान 2471.27 करोड़ रुपये, 2006-07 के दौरान 4092.13 करोड़ रुपये तथा 2007-08 में 3880.48 करोड़ रुपये तथा 2008-09 में 4361.95 करोड़ रुपये की तथा 2009-10 के दौरान 3002 करोड़ ₹, 2010-11 के दौरान 48.62 करोड़ ₹ (31 दिसम्बर, 2010 तक) की राशि जारी की गई थी। असम, मध्यप्रदेश तमिलनाडु और महाराष्ट्र के अवशिष्ट दावों का ही निपटान किया जाना है। जारी की गई राशियों एवं लंबित दावों के

राज्य वार एवं वर्ष वार ब्यौरे अध्याय - V में दिये गये हैं ।

राज्य वेट प्रशासन वेट मंत्रिमंडल द्वारा राज्य वेट, प्रशासनों के आधुनिकीकरण हेतु वाणिज्यिक कराधान के लिए मिशन मोड परियोजना (एम एम पी सी टी) को अनुमोदित कर दिया गया है । 31 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के परियोजना प्रस्तावों को 1133 करोड़ रुपये की समग्र राशि के साथ पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है, जिसमें केन्द्र का भाग करीब 800 करोड़ रुपये है । केन्द्र के भाग के रूप में अब तक 275.64 करोड़ रुपये (वर्ष 2009-10 में 145 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2010-11 में 130.64 करोड़ रुपये) की राशि जारी की गई ।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में दो कराधान अध्ययन केन्द्र को 23.63 करोड़ रुपये की कुल लागत पर गुलाटी इंस्टीट्यूट फॉर फाइनेंस एंड टैक्सेशन (जी आई एफ टी) के रूप में बेहतर बनाने और वित्तीय सहायता हेतु परियोजना के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया और संस्थान को 4 करोड़ रुपये की पहली किस्त भी जारी कर दी गई है । कराधान अध्ययन केन्द्र, केरल को बेहतर बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं । इस संस्थान के नए भवन की आधारशिला जनवरी, 2011 में वित्त मंत्री के द्वारा रखी गयी ।

दूसरे संस्थान (सामाजिक विज्ञान अध्ययन केन्द्र, कोलकाता) के लिए भी जगह देख ली गई है । इस संस्थान के लिए समग्र निधि की व्यवस्था करने का प्रस्ताव मूल रूप से अनुमोदित कर दिया गया है । इस संस्थान के संबंध में मार्च, 2011 तक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने की संभावना है । समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के तत्काल बाद ही संस्थान के लिए निधि जारी कर दी जाएगी ।

1	2	3	4	5	6	7	
4	मुख्य शीर्ष 3601/3602- राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण होने वाली राजस्व हानि हेतु क्षतिपूर्ति	केन्द्रीय बिक्री कर हेतु क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान	10000.00	14000.00	केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण हुई राजस्व हानि हेतु राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को क्षतिपूर्ति करना।	केन्द्रीय बिक्री कर को तीन वर्ष के समय में समाप्त किया जा रहा है। सहमत हुए फार्मूले के अनुसार राज्यों को केन्द्रीय बिक्री कर क्षतिपूर्ति की व्यवस्था 2009-10 तक करने की आवश्यकता होगी।	इस योजना के अंतर्गत, केन्द्रीय बिक्री कर समाप्त करने के कारण हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को सहायता अनुदान राशि जारी की गयी है। 21249.92 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है जिसमें 2007-08 में जारी किये गये 2168.88 करोड़ रुपये की राशि, 2008-09 में जारी किये गये 1950 करोड़ रुपये की राशि तथा 2009-10 में 8735.18 करोड़ रुपये की राशि और वर्ष 2010-11 (31 दिसम्बर, 2010 तक) में जारी की गई 8395.86 करोड़ रुपये की राशि शामिल हैं। महाराष्ट्र, उत्तराखण्ड, गुजरात, तमिलनाडु और नागालैंड के लंबित मामलों का अभी निपटान किया जाना है। राज्य वार और वर्ष वार दी गई राशि और लंबित मामलों की जानकारी अध्याय - V में दी गई है।
5	मुख्य शीर्ष 2875 सरकारी अफीम एवं क्षारोद फैक्टरी	अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के साथ-साथ घरेलू खपत के लिए अफीम एवं क्षारोद की मांग को पूरा करना।	477.44	350.32	अफीम की अधिप्राप्ति (641 मीट्रिक टन) 38.5 मीट्रिक टन कोडीन फास्फेट की अधिप्राप्ति अफीम का निर्यात (400 मी0 टन) क्षारोद की बिक्री (58 मीट्रिक टन) इसके परिणामस्वरूप 285.60 करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति।	राजस्व की वसूली की तुलना में व्यय की प्रगति की मासिक/तिमाही रूप से समीक्षा की जानी थी। परियोजना मात्रा के मुकाबले दिसम्बर, 2010 तक केवल 641 मीट्रिक टन अफीम और 13.5 मीट्रिक टन कोडीन फास्फेट की खरीद की गई है। 400 मीट्रिक टन निर्यात के लक्ष्य के मुकाबले दिसम्बर, 2010 तक 309 मीट्रिक टन अफीम निर्यात की गई है। बजट अनुमान स्तर पर 301 करोड़ रुपये की अनुमानित राजस्व प्राप्ति के मुकाबले 2010-11 (दिसम्बर, 2010 तक) में राजस्व प्राप्तियां 180.87 करोड़ रुपये हुई है। सरकारी अफीम एवं क्षारोद कार्य पर व्यय दिसम्बर, 2010 तक 194.64 करोड़ रुपये है।	

वित्तीय समीक्षा

वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के लिए बजट अनुमान/संशोधित अनुमान प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(रूपये करोड़ों में)

मुख्य शीर्ष	2008-09			2009-10			2010-11			
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय (अंतिम)	
सचिवालय द्र सामान्य सेवाएं	2052	87.89	103.79	86.86	140.73	123.40	110.00	144.50	132.03	65.88
कुल	2052	87.89	103.79	86.86	140.73	123.40	110.00	144.50	132.03	65.88
अन्य वित्तीय सेवाएं										
प्रवर्तन निदेशालय	2047	27.45	37.74	28.57	51.42	36.91	35.34	34.51	38.40	28.86
राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान	2047	3.63	8.67	8.67	11.19	10.17	10.17	6.94	7.30	6.74
अन्तरराष्ट्रीय सहयोग	2047	0.36	0.51	0.51	0.59	0.70	0.62	0.72	0.76	0.60
अन्य व्यय.(एटीएफपी/सीस्टैट)	2047	11.51	14.84	13.91	20.29	19.84	17.72	18.55	19.91	12.40
जोड़	2047	42.95	61.76	51.66	83.49	67.62	63.85	60.72	66.37	48.60
अन्य प्रशासनिक सेवाएं										
स्वापक नियंत्रण	2070	22.00	30.45	26.85	34.30	37.23	35.19	34.18	41.97	27.10
अन्तरराष्ट्रीय सहयोग इत्यादि	2070	1.80	2.22	1.87	2.26	1.46	1.96	1.46	3.55	0
नशीले पदार्थ को रोकने के लिए राष्ट्रीय अनुदान के लिए अन्तरण	2070	1.00	0.01	0.00	0.01	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
कुल	2070	24.8	32.68	28.72	36.57	40.69	39.15	37.64	47.52	27.10
अफीम और क्षारोद फैक्टरी										
राजस्व व्यय	2875	237.50	218.86	203.11	354.55	282.61	247.05	476.87	349.60	194.02
मुख्य नियंत्रक, सरकारी अफीम एवं क्षारोद फैक्टरी	2875	0.50	0.65	0.62	0.77	0.66	0.66	0.57	0.72	0.62
जोड़	2875	238.00	219.51	203.73	355.32	283.27	247.71	477.44	350.32	194.64
वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क										
विदेश यात्रा कर संग्रहण	2045	9.90	9.90	8.83	6.90	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

मुख्य शीर्ष	2008-09			2009-10			2010-11			
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय अनंतिम	
अन्तरराष्ट्रीय हवाई यात्रा कर संग्रहण जोड़	2045	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
	2045	10.00	10.00	8.83	7.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
आय एवं व्यय पर कर संग्रहण	2020									
अन्य प्रभार जोड़	2020	0.36	0.36	0.30	0.45	0.42	0.38	0.45	0.40	0.16
	2020	0.36	0.36	0.30	0.45	0.42	0.38	0.45	0.40	0.16
आवासीय भवन बने बनाए आवासों की खरीद	4216	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	4059	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00
राज्यों को सहायता अनुदान (वैट)	3601	3275.00	4290.37	4361.95	3018.50	3151.00	3151.00	376.00	874.95	177.27
संघ शासित क्षेत्रों को सहायता अनुदान (वैट)	3602	17.50	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	25.00	10.00	1.98
राज्यों को सहायता अनुदान (सीएसटी)	3601	2450.00	1950.00	1950.00	6000.00	8735.18	8735.18	10000.00	14000.00	8396.24
संघशासित क्षेत्रों को सहायता अनुदान(सीएसटी)	3602	50.00	50.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल		5792.50	6292.37	6311.95	9021.50	11887.18	11886.18	10401.00	14884.95	8575.49
सहायता सामग्री एवं उपस्कार	3606	0.50	0.50	0.00	0.50	0.35	0.00	0.35	0.35	0.00
कुल (राजस्व भाग)		6197.00	6720.97	6692.05	9645.56	12402.93	12347.27	11122.12	15508.04	8911.87
पूँजी भाग										
पूँजी व्यय	4875	0.82	0.70	0.55	2.31	1.64	1.47	0.77	1.77	0.08
कुल पूँजी भाग	4875	0.82	0.70	0.55	2.31	1.64	1.47	0.77	1.77	0.08
महायोग		6197.82	6721.67	6692.60	9647.87	12404.57	12348.74	11122.89	15509.81	8911.95
घटा										
(I) राजस्व प्राप्तियां		300.52	311.14	314.29	300.97	300.97	299.86	308.00	285.60	180.87
(ii) वसूलियां		36.30	45.53	41.55	39.90	56.17	53.55	54.89	58.82	1.28
निवल		5861.00	6365.00	6336.76	9307.00	12047.43	11995.33	10760.00	15165.39	8729.80

वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 बजट अनुमान/संशोधित अनुमान की तुलना में वस्तु शीर्षवार व्यय दर्शाने वाला विवरण

(रूपये करोड़ों में)

	2008-09			2009-10			2010-11		
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय (अंतिम)
राजस्व भाग									
वेतन	88.96	135.62	123.05	172.96	166.88	160.43	143.45	150.46	115.00
मजदूरी	0.30	0.37	0.37	0.42	0.49	0.48	0.50	0.49	0.30
समयोपरि भत्ता	1.00	0.91	0.79	2.08	1.10	0.71	1.89	1.58	0.52
पेंशन प्रभार	0.82	1.21	1.33	1.51	1.47	1.53	1.25	1.23	0.00
पुरस्कार	0.07	0.10	0.02	0.12	0.33	0.29	0.32	0.32	0.01
चिकित्सा उपचार	2.80	2.72	2.14	3.04	2.48	2.00	2.61	3.03	1.49
घरेलू यात्रा व्यय	4.81	4.61	4.53	5.47	5.09	5.17	5.46	6.77	3.45
विदेश यात्रा व्यय	3.29	2.96	1.69	3.50	3.05	3.04	3.46	4.59	2.36
कार्यालय व्यय	22.99	21.33	21.37	24.32	23.16	21.85	23.87	30.38	22.61
किराया, दर और कर	5.34	6.57	4.76	7.69	6.90	6.30	7.19	8.91	3.69
प्रकाशन	0.27	0.37	0.39	0.38	0.34	0.34	0.39	0.50	0.23
बैंक संव्यवहार कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1.57	1.71	1.88	1.89	2.11	1.99	1.89	2.43	0.62
आपूर्ति और सामग्री दत्तमत	153.77	124.84	112.90	259.54	171.06	141.00	371.64	245.59	163.56
आपूर्ति और सामग्री प्रभारित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विज्ञापन एवं प्रचार	0.09	0.18	0.10	0.20	0.45	0.39	0.24	0.57	0.05
लघु निर्माण कार्य	1.06	1.02	0.85	1.39	1.53	1.43	1.20	1.75	0.73
व्यावसायिक सेवाएं	8.53	8.53	9.25	11.32	11.61	11.26	11.58	12.38	9.32
अन्य संविदागत सेवाएं	0.50	0.50	0.00	0.50	0.35	0.00	0.35	0.35	0.00
सहायता अनुदान	5811.53	6316.44	6324.86	9059.74	11912.85	11906.93	10426.07	14912.44	8584.87
पूँजीगत सम्पदा के सृजन हेतु अनुदान	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.01	0.01	0.00
अन्तरराष्ट्रीय योगदान	2.17	2.73	2.38	2.85	2.16	2.58	2.18	4.31	0.58
गुप्त सेवा व्यय	1.92	1.56	1.43	1.94	1.56	1.45	1.92	1.90	1.63

	2008-09			2009-10			2010-11		
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय (अंतिम)
पूँजी पर ब्याज	18.29	13.81	13.81	11.68	12.83	10.93	12.41	11.21	0.00
अन्य प्रभार									
प्रभारित	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00
दत्तमत	18.11	19.45	16.28	17.02	9.75	7.25	21.76	7.42	0.85
मशीनरी एवं उपस्कर	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.00
अन्तर खाता अन्तरण	38.68	46.39	43.17	40.77	57.45	55.33	56.3	55.15	0.00
सूचना प्रौद्योगिकी	10.07	6.98	4.66	15.17	7.88	4.56	24.12	18.11	0.00
कुल - राजस्व भाग	6197.00	6720.97	6692.05	9645.56	12402.93	12347.27	11122.12	15481.94	8911.87
प्रभारित	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00
दत्तमत	6196.98	6720.95	6692.05	9645.54	12402.91	12347.27	11122.10	15481.92	8911.87
पूँजी भाग									
मशीनरी एवं उपस्कर	0.68	0.54	0.42	1.88	1.21	1.08	0.37	1.37	0.01
मुख्य कार्य	0.14	0.16	0.13	0.43	0.43	0.39	0.40	26.40	0.07
निवेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
कुल - पूँजी भाग	0.82	0.70	0.55	2.31	1.64	1.47	0.77	27.87	0.08
महायोग	6197.82	6721.67	6692.60	9647.87	12404.57	12348.74	11122.89	15509.81	8911.95
प्रभारित	0.02	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00
दत्तमत	6197.80	6721.67	6692.60	9647.85	12404.55	12348.74	11122.87	15509.79	8911.95

वित्तीय समीक्षा- बजट अनुमान/संशोधित अनुमान की तुलना में व्यय के समग्र रूझानों का विश्लेषण

मांग सं0 41 के संबंध में तीन वर्षों में व्यय की स्थिति – संक्षेप में राजस्व विभाग निम्नानुसार है:-

(रूपये करोड़ों में)

	2008-09			2009-10			2010-11		
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (31.12.10 तक)
वैट * - मुख्य शीर्ष 2052	21.50	22.55	9.86	34.65	21.29	14.21	35.84	18.77	1.46
वैट/सीएसटी ** - 3601/3602	5792.50	6240.37	6311.95	9021.50	11887.18	11886.18	10401.00	14884.95	8575.49
गैर-वैट/सीएसटी	383.82	458.75	370.79	591.72	496.10	448.35	686.05	606.09	335.00
जोड़	6197.82	6721.67	6692.60	9647.87	12404.57	12348.74	11122.89	15509.81	8911.95
गैर-वैट/सीएसटी	383.82	458.75	370.79	591.72	496.10	448.35	686.05	606.09	335.00
सीसीएफ (श.एल्का.क्षारो.कार्य)									
2875	238.00	219.51	203.72	355.32	283.27	247.71	477.44	350.32	194.64
4875	0.82	0.70	0.56	2.31	1.64	1.47	0.77	1.77	0.08
अन्य *** – गैर-वैट/सीएसटी और गैर-श.एल्का.क्षारो.कार्य	145.00	238.54	166.51	234.09	211.19	199.17	207.84	254.00	140.28
कुल वोटन	88.96	135.62	123.05	172.95	166.88	160.43	143.45	150.46	115.00
गैर-वोटन	6108.86	6586.05	6569.55	9474.92	12237.69	12188.31	10979.44	15359.35	8796.95

* मूल्यवर्धित कर स्कीम और टी आई एन एस एक्स वाई एस परियोजना कार्यान्वयन और राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति और इसके स्थापना व्यय हेतु बजट प्रावधान है।

** ये बजट प्रावधान राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों के वैट लागू करने और केन्द्रीय बिक्री कर की समाप्ति एवं वैट संबंधी व्यय के कारण होने वाली राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के लिए है।

*** केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो सहित राजस्व विभाग के विभिन्न घटकों पर स्थापना के लिए बजट प्रावधान है।

व्यय में रूझान

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन होने के कारण वेतन पर व्यय 2008-09 की तुलना में 2009-10 में 30.38% बढ़ा है जबकि गैर वेतन व्यय इसी अवधि के दौरान वैट/केन्द्रीय बिक्री कर के व्यय के कारण 85.53 प्रतिशत तक बढ़ा है। वर्ष 2009-10 के दौरान वैट / के0बि0 क0 प्रतिपूर्ति के लिए राज्यों को अनुदान एवं वैट / के0बि0कर संबंधी व्यय, व्यय का एक बड़ा हिस्सा है अर्थात् अनुदान सं0 41 - राजस्व विभाग के अंतर्गत कुल व्यय का 96.25 प्रतिशत है। वर्ष 2010-11 में 31 दिसम्बर 8396.24 करोड़ रूपये के केन्द्रीय बिक्री कर प्रतिपूर्ति राज्य सरकारों को जारी की गई जबकि 31 दिसम्बर, 2010 तक वैट और वैट संबंधी व्यय के लिए 179.25 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई। इस प्रकार 31 मार्च, 2010 तक 17,856.45 करोड़ रूपये की कुल राशि वैट प्रतिपूर्ति के लिए राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई गई और 21,249.92 करोड़ रूपये की के0बि0क0 प्रतिपूर्ति के लिए राशि निम्नानुसार उपलब्ध कराई गई है :

वैट प्रतिपूर्ति

(रूपये करोड़ों में)

क्रम सं०	राज्य सरकार का नाम	2005-06 में किया गया प्रतिपूर्ति भुगतान	2006-07 में किया गया प्रतिपूर्ति भुगतान	2007-08 में किया गया प्रतिपूर्ति भुगतान	2008-09 में किया गया प्रतिपूर्ति भुगतान	2009-10 में किया गया प्रतिपूर्ति भुगतान	2010-11 में किया गया प्रतिपूर्ति भुगतान	कुल प्रतिपूर्ति	31 दिसम्बर, 09 की स्थिति के अनुसार लंबित दावे
1.	आन्ध्रप्रदेश	404.06	0	1.88	0	0	0	405.94	0
2.	असम	0	0	30.06	38.73	150.10	0	218.89	78.12
3.	बिहार	165.87	78.23	0	0	0	0	244.10	0
4.	छत्तीसगढ़	0	0	75.00	281.59	31.91	0	388.50	0
5.	हरियाणा	0	0	0	27.84	59.85	0	87.69	0
6.	कर्नाटक	1038.92	625.36	354.71	369.05	180.30	0	2568.34	0
7.	केरल	456.47	426.23	123.19	243.46	0	0	1249.35	0
8.	मध्यप्रदेश	0	0	46.24	0	0	0	46.24	40.74
9.	महाराष्ट्र	259.89	2814.72	1203.83	1895.00	1475.00	0	7648.44	277.40
10.	सिक्किम	1.84	4.03	0	0	0	10.92	16.79	0
11.	त्रिपुरा	5.12	3.81	5.57	19.81	0	0	34.31	0
12.	प० बंगाल	139.10	139.75	0	0	0	0	278.85	0
13.	तमिलनाडु	0	0	2040.00	1000.00	0	0	3040.00	321.36
14.	दिल्ली	0	0	0	362.81	855.07	37.70	1255.58	0
15.	उड़ीसा	0	0	0	18.93	163.32	0	182.25	0
16.	झारखंड				104.73	86.45	0	191.18	0
कुल		2471.27	4092.13	3880.48	4361.95	3002.00	48.62	17856.45	717.62

सी एस टी प्रतिपूर्ति

(रुपये करोड़ों में)

क्रम सं०	राज्य सरकार का नाम	2007-08 में किया गया प्रतिपूर्ति भुगतान	2008-09 में किया गया प्रतिपूर्ति भुगतान	2009-10 में किया गया प्रतिपूर्ति भुगतान	2010-11 में किया गया प्रतिपूर्ति भुगतान	कुल प्रतिपूर्ति	31 दिसम्बर, 09 की स्थिति के अनुसार लंबित दावे
1.	आन्ध्रप्रदेश	0	905.24	1095.50	1540.86	3541.60	0
2.	असम	70.89	0	228.79	150.90	450.58	0
3.	छत्तीसगढ़	101.37	48.64	794.95	463.97	1408.93	0
4.	दिल्ली	183.70	154.76	1052.00	1200.80	2591.46	0
5.	गुजरात	338.14	156.57	796.04	661.21	1951.96	0
6.	हरियाणा	150.00	400.00	1177.12	552.30	2279.42	689.60
7.	झारखंड	69.47	35.55	394.58	418.76	918.36	0
8.	कर्नाटक	350.00	155.00	710.30	1098.87	2314.17	0
9.	उड़ीसा	131.53	5.49	483.90	425.99	1046.91	0
10.	पंजाब	0	24.32	9.95	324.55	358.82	0
11.	राजस्थान	126.24	18.56	311.78	373.39	829.97	0
12.	तमिलनाडु	647.54	0	759.00	469.61	1876.15	579.47
13.	उत्तराखंड	0	0	131.00	0	131.00	9.46
14.	प० बंगाल	0	45.87	464.77	464.81	975.45	0
15.	महाराष्ट्र	0	0	123.00	0	123.00	83.67
16.	मध्यप्रदेश	0	0	110.96	106.06	217.02	55.96
17.	नागालैंड	0	0	4.43	0	4.43	1.63
18.	पुडुचेरी	0	0	86.91	143.78	230.69	0
19.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	118.87
कुल		2168.88	1950.00	8735.18	8395.86	21249.92	1538.66

वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान समग्र वित्तीय निष्पादन नीचे दिए गए हैं :-

(रुपये करोड़ों में)

	2008-09			2009-10			2010-11		
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (31.12.10 तक)
वैट योजना का कार्यान्वयन	6.50	7.55	5.96	8.00	8.00	5.71	20.00	5.97	0.10
कर सूचना विनिमय प्रणाली की स्थापना इत्यादि	15.00	15.00	3.89	26.65	13.29	8.50	15.84	12.80	1.36
राज्यों/ संघशासित क्षेत्रों को वैट के लागू करने और अन्य वैट संबंधी वैट व्यय की प्रतिपूर्ति	3292.50	4292.37	4361.95	3020.50	3152.00	3151.00	401.00	884.95	179.25
राज्यों /संघ शासित क्षेत्रों को सी एस टी को खत्म करने के लिए प्रतिपूर्ति	2500.00	2000.00	1950.00	6001.00	8735.18	8735.18	10000.00	14000.00	8396.24
जोड़	5814.00	6314.92	6321.83	9056.15	11908.47	11900.39	10436.84	14903.72	8576.95

सरकारी अफीम एवं क्षारोद कार्य :


वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 सकल व्यय और राजस्व प्राप्तियों पर वास्तविक व्यय की स्थिति नीचे बताए अनुसार है :

(रुपये करोड़ों में)

	व्यय			प्राप्तियां		
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक
2008-09	238.00	219.51	203.72	300.52	311.14	314.29
2009-10	355.32	283.27	247.71	300.97	300.97	299.86
2010-11	477.44	350.32	194.64 (दिसंबर, 10 तक)	308.00	285.60	180.87 (दिसंबर, 10 तक)



वैट के पश्चात व्यय का द्वितीय मुख्य घटक सरकारी अफीम एवं कार्य है जोकि 2009-10 में कुल व्यय का 2.02 प्रतिशत है। अफीम के कम प्रापण के कारण वर्ष 2009-10 में संशोधित अनुमान स्तर में कमी हुई है। वित्तीय वर्ष 2009-10 में 300.97 करोड़ रूपए की अनुमानित राजस्व प्राप्तियों की तुलना में 299.86 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्रित किया गया।

4.6 वर्ष 2008-09 , 2009-10 और 2010-11 के दौरान किए गए आवंटन और वास्तविक व्यय का विवरण



वास्तविक आंकड़े 2009-10 (करोड़ रुपए)

संशोधित अनुमान (करोड़ रुपए)



वर्ष 2009-10 के अनुदान के तहत वास्तविक व्यय 12348.74 करोड़ रुपये है। केन्द्रीय बिक्री कर समाप्त करने और वैट को लागू करने के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति और वैट से संबंधित 11886.18 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है जो व्यय का 96.25% है। आपूर्ति और सामग्री पर 141.00 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था जो कुल व्यय का 1.15% है। यह व्यय मुख्यतः अफीम की खरीद और कोडीन फास्फेट के आयात के कारण हुआ है। वेतन पर व्यय कुल व्यय का 1.30% है जबकि अन्य मदों पर होने वाला व्यय कुल व्यय का 1.30% है।

वर्ष 2010-11, में वैट / केन्द्रीय बिक्री कर प्रतिपूर्ति और वैट संबंधित व्यय बढ़कर 14884.95 करोड़ रुपये हो गया है जो कुल व्यय का 95.97% है। अगला मुख्य संघटक आपूर्ति एवं सामग्री है जिसमें 245.59 करोड़ रुपये की राशि है तथा जो कुल व्यय का 1.58% है। वेतन पर व्यय की राशि 150.46 करोड़ रुपये है जोकि कुल व्यय का 0.97% के लगभग है तथा अन्य मदों पर कुल व्यय का 1.48% है।

वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत सांविधिक और स्वायत्तशासी निकायों के कामकाज की समीक्षा

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

परिणामी बजट

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली को वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, विभिन्न मुख्य राज्य सरकारों, विशिष्ट विद्याविदों एवं स्वतंत्र प्रतिष्ठित व्यक्तियों, गैर-लाभकारी संगठनों की संयुक्त पहल से 1976 में स्थापित किया गया था और इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया। यह एक स्वतंत्र अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संगठन है

वर्ष 2009-10 के दौरान राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के विभिन्न स्रोतों से अनुदान/आय और व्यय के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

क्रम सं०	निधि का स्रोत	अनुदान/आय (रुपए करोड़ों में)	व्यय (रुपए करोड़ों में)
1	वित्त मंत्रालय	10.17*	10.17*
2	अन्य स्रोत	6.85	2.36
3	कुल	17.02	12.53

* (डा० राजा जे० चैल्लया स्मारक वार्षिक व्याख्यानमाला की स्थापना करने हेतु अक्षय निधि अनुदान के रूप में 200 करोड़ रुपए शामिल है।)

वर्ष 2006-07 से वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे अनुदान का ब्यौरा -

	(रुपए करोड़ में)
वास्तविक 2006-07	2.26
वास्तविक 2007-08	5.58
वास्तविक 2008-09	8.67
वास्तविक 2009-10	10.17
बजट अनुमान 2010-11	6.94
संशोधित अनुमान 2010-11	7.30
वास्तविक 2010-11 (31-10-2010 तक)	7.30

अनुदान के संघटक और उसके उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

(क) संस्थान को दिए जाने वार्षिक अनुदान के संबंध में 23 मई, 2007 को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ किए गए समझौता ज्ञापन में संस्थान को शामिल कर लिया गया है।

(ख) समझौता ज्ञापन के अनुसार वेतन, महंगाई भत्ते, मकान किराया भत्ते और परिवहन भत्ते आदि जैसे भत्ते अथवा अन्य किन्हीं भत्तों

में 90 प्रतिशत व्यय को पूरा करने के लिए वेतन अनुदान या महंगाई भत्ते की किश्तों के जारी होने के बाद संस्थान के कोर स्टाफ के वेतन संशोधन के लिए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों या/ और वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतन संशोधन के लिए भी है। इस आवर्ती अनुदान के तहत पूरा किए जाने वाले वेतन के 90 प्रतिशत का आकलन संस्थान की अन्य प्रायोजित परियोजनाओं पर प्रभारित कोर स्टाफ के वेतन और भत्तों का उल्लेख किए बिना परिशिष्ट I से IV में बताए गए कोर स्टाफ को दिए जाने वाले वेतनमान के मध्य बिन्दु पर आकलित वेतन और भत्तों पर लगने वाले कुल व्यय पर आधारित होगा।

(ग) मूल अनुदान, संस्थान के गैर-वेतन व्यय को पूरा करने के लिए पैरा 3 (क) में आकलित किए गए वेतन अनुदान के 20 प्रतिशत के बराबर होगा।

(घ) वित्त मंत्रालय की प्रतिवर्ष 20.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता से 9 जून, 2005 से संस्थान में एक कर अनुसंधान एकक(टी आर सी) स्थापित किया गया है।

संस्थान में चल रहे/पूर्ण अध्ययन / वर्किंग पेपर निम्नानुसार हैं:

(2009-10) में पूर्ण किए गए अध्ययन :

1. केन्द्रीय वित्तीय सहायता एवं व्यय का अन्तरराज्यीय वितरण।
2. भारत- लोक व्यय और वित्तीय उत्तरदायित्व पी एफ एम निष्पादन प्रबंधन मूल्यांकन रिपोर्ट।
3. भारत में वैश्विक वित्तीय संकट और राजकोषीय नीति की चुनौतियां।
4. भारत वित्तीय संकट के प्रभाव और अवसर।
5. पिछड़े राज्यों में क्षेत्र आधारित छूट का लागत लाभ विश्लेषण।
6. केन्द्रीय बिक्री कर अधिमान का राज्यों पर प्रभाव : महत्वपूर्ण कर अधिमान का विश्लेषण।
7. मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी मॉडलिंग (एम पी एम) फेस-1
8. भारत राजकोषीय संघ की पुनरीक्षा।
9. माल एवं सेवा कर (जी एस टी) राजस्व निहितार्थ और राजस्व निराकरण दरों का अनुमान: कर्नाटक का अध्ययन।
10. राज्यों के लिए राजस्व निराकरण जी एस टी दर का अनुमान।
11. राजस्व बढ़ाने के लिए राज्य क्षमता को बढ़ाने तथा राज्य कर जुटाने संबंधी अध्ययन : झारखंड
12. 11 वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में राज्यों के राजकोषीय निष्पादन।

13. अमूल्यांकित एवं अल्प मूल्यांकित शहरी सम्पत्ति बाजार का आकार
14. गन्दी बस्ती मुक्त शहर व शहरी गरीबों के लिए नए उपाय।
15. भारतीय वित्तीय मानव विकास।
16. केरल में वित्तीय मानव विकास : मामले और चुनौतियां।
17. एच आई वी / एड्स पर व्यय के लिए संसाधन व्यवस्था करने हेतु टूलकिट्स ।
18. एशिया पैसिफिक और सी आई एस / सी ई ई क्षेत्र में लिंग आधारित प्रतिक्रियाशील बजट: तकनीकी विश्लेषण और अन्तरराज्यीय प्रशिक्षण कार्यशाला ।
19. राजस्थान में लिंग आधारित प्रतिक्रियाशील बजट (इनवेंटरी) विश्लेषण और प्रशिक्षण कार्यशाला ।
20. शिक्षा के लिए कर प्रोत्साहन : एक मूल्यांकन ।
21. प्रारम्भिक शिक्षा पर सरकारी व्यय ।
20. केन्द्र द्वारा जारी निधियों को अधिक प्रभावी और उपयोगी बनाने के तरीकों पर राज्यो/एजेन्सियों द्वारा उपयोग में लाने के लिए समय और तरीकों में उपयुक्त परिवर्तन लाने पर विचार करना।
21. प्रारंभिक शिक्षा पर लोक व्यय (अगस्त 20, 2010 से जुलाई 31 -2011 तक)।
22. नगर निगम अधिनियम, 2000 और नगर निगम अधिनियम 2000(जम्मू एवं कश्मीर) के अनुसार सम्पत्ति कर अधिनियम और सम्पत्ति कर नियम और संहिता बनाना ।
23. महाराष्ट्र के शहरों/ नगरों में शहरी स्थानीय निकायों (यू एल बी) शहरी क्षेत्र सुधार 9 यू आई डी एस एस एम टी का मूल्यांकन।
24. भारत विकेन्द्रीकरण साहित्य समीक्षा और कार्यशाला - भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा सेवा प्रदान करना (20 मई, 2010 से 30 दिसम्बर, 2010)
25. हिमाचल प्रदेश के लिए राजस्व संभावना और अन्य संबंधित सुधार उपायों का अध्ययन (परियोजना प्रारंभ होने के 5 माह के भीतर अंतिम रिपोर्ट और परियोजना प्रारंभ होने के 6 माह में अंतिम रिपोर्ट)।
26. भारत में स्वास्थ्य देखभाल व्यय ।

चल रहे अध्ययन (दिसम्बर 2010 तक की स्थिति)

1. एन आई पी एफ पी - डी ई ए पूंजी प्रवाह और उसके प्रभाव पर अनुसंधान कार्यक्रम ।
2. आर्थिक और वित्तीय सुधार हेतु क्षमता निर्माण एवं सहमति ।
3. माइक्रो इकोनामिक पॉलिसी मॉडलिंग फेज-1।
4. भारत के लिए एक मुख्य संकेतक आधारित पूर्वानुमान मॉडल।
5. भारत के लिए माल एवं सेवा कर ।
6. मेघालय : दृष्टिकोण 2030
7. भारत निगम वित्त ।
8. झारखंड में शहरी स्थानीय निकायों के प्रकार्य और वित्त ।
9. पंचायत और आर्थिक विकास ।
10. भारत में राजकोषीय विकेन्द्रीकरण ।
11. भारत सरकार की बीमा योजनाएं ।
12. लोक वित्त सूचना प्रणाली ।
13. रिफाईनरी परियोजनाओं में आर्थिक एवं सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण - गुरु गोविन्द सिंह रिफाइनरी (भटिंडा) पंजाब की केस स्टडी ।
4. कम्पिटिटिवनेस आफ जिंक - लीड माइनिंग इन इंडिया - स्ट्रैले (इंडो) द्वारा रायल्टी रिजीम की भूमिका ।
15. एफ आर बी- सिक्किम राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम ।
16. 2009-10 के लिए फार्मा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम फार्मास्यूटिकल्स विभाग ।
17. भारत में व्यवसाय चक्र की अवधारणा एक नया अनुसंधान ।
18. भारत के राजकोषीय सेक्टर में इकोनोमेट्रिक मॉडल ।
19. इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री-टी आर ए आई पर कर और शुल्क लगाने का भार ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम /कार्यशालाएं(दिसम्बर, 2010 तक की स्थिति)

1. 25 जनवरी, से 29 जनवरी, 2010 तक राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान में आर्थिक एवं वित्तीय सुधार के लिए परियोजना निर्माण की क्षमता और सामंजस्य के अन्तर्गत डी एस जी ई मॉडलिंग फार भारत पर कार्यशाला ।
2. 8 फरवरी, से 19 फरवरी, 2010 के दौरान राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए लोक वित्त पर दो साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम।
3. 4-5 मार्च, 2010 के दौरान राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली में राज्यों के कर अधिकारियों के लिए सामान्य बिक्री कर पर दो दिवसीय कार्यक्रम ।
4. 22 मार्च, 24 मार्च, 2010 तक "आर्थिक सिद्धान्त, बाजार एवं शासन संस्थान" पर राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, आर्थिक अध्ययन एवं योजना, जे एन यू और अंतरराष्ट्रीय शासन नवप्रवर्तन केन्द्र, ओटावा, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान एवं जे एन यू द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस।
5. वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान केन्द्र, सेंट माइकल अस्पताल, टोरंटो, कनाडा एवं भारत में लोक स्वास्थ्य फाउंडेशन के सहयोग से दिनांक 8 अप्रैल, 2010 में तंबाकू एवं तंबाकू कराधान अर्थशास्त्र पर आधा दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया जिसकी मेजबानी राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली द्वारा की गई ।

6. दिनांक 2 जून, 2010 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए वित्तीय प्रबंधन एवं अधिप्राप्ति नियमावली संबंधी कार्यशाला आयोजित की गई ।
7. 10 मई से 4 जून, 2010 तक राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान में महाविद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए लोक अर्थशास्त्र में छठा पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
8. 8 जून, एवं 9 जून, 2010 को विश्व बैंक - राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली में भारत में लोक वित्तीय प्रबंधन पर कार्यशाला ।
9. 12 जुलाई, से 23 जुलाई, 2010 तक भारतीय राजस्व सेवा परीक्षार्थियों के लिए दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
10. 31 अगस्त, से 01 सितम्बर, 2010 तक इंडिया हेबिटेट सेंटर में हुई , एन आई पी एफ पी - डी डी ए की 7 वीं अनुसंधान बैठक।
11. 02 अगस्त से 13 अगस्त, 2010 तक मुंबई में भारतीय राजस्व सेवा प्रशिक्षुओं हेतु दो साप्ताहिक कार्यक्रम ।
12. 13 सितम्बर से 24 सितम्बर, 2010 तक बजट की तैयारी में लगे हुए मध्य स्तर के अधिकारियों के लिए दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
13. 30 सितम्बर से 01 अक्टूबर, 2010 तक इंडिया हेबिटेट सेंटर में माल एवं सेवा कर प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
14. 16 नवम्बर से 19 नवम्बर, 2010 तक मंसूरी में आई ए एस प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
15. अंतरराष्ट्रीय एवं विकास अर्थशास्त्र , क्राफर्ड स्कूल, आस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के निदेशक, प्रोफेसर स्टीफन हाउस द्वारा 1 से 02- दिसम्बर, 2010 तक केन्द्रीयकरण एवं सुधार पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ।
16. 30 नवम्बर से 1 दिसम्बर, 2010 तक राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान एवं डी ई ए द्वारा समावेशी विकास हेतु आर्थिक नीतियों पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी ।
17. 20 दिसम्बर से 24 दिसम्बर, 2010 तक माल एवं सेवा कर कार्यक्रम ।

प्रत्यक्ष कर

प्रस्तावना

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) सर्वोच्च संस्था है जिसे भारत में प्रत्यक्ष करों के अभिशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहां 42,791 अधिकारियों एवं कर्मचारियों का कार्यबल तैनात है जिसमें से 19% समूह 'क' एवं 'ख' श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी तथा शेष अराजपत्रित कर्मचारी हैं। निम्नलिखित संबद्ध कार्यालय भी सीबीडीटी के राजकाज में सहायता करते हैं :

- (i) आयकर निदेशालय (जन संपर्क, मुद्रण, प्रकाशन एवं राजभाषा)
- (ii) आयकर निदेशालय (वसूली)
- (iii) आयकर निदेशालय (लेखा परीक्षा)
- (iv) आयकर निदेशालय (आयकर)
- (v) आयकर निदेशालय (संगठन एवं प्रबंध सेवाएं)
- (vi) आयकर निदेशालय (प्रणालियां)
- (vii) आयकर निदेशालय (जांच)
- (viii) आयकर निदेशालय (सतर्कता)
- (ix) आयकर निदेशालय (छूट)
- (x) आयकर निदेशालय (कानूनी एवं अनुसंधान)
- (xi) आयकर निदेशालय (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)
- (xii) आयकर निदेशालय (अवसंरचना)
- (xiii) आयकर निदेशालय (स्रोत पर कटौती)
- (xiv) आयकर निदेशालय (मानव संसाधन विकास)

- (xv) आयकर निदेशालय (कारोबार प्रक्रिया रिइंजीनियरिंग)
- (xvi) आयकर निदेशालय (आसूचना)

19 संवर्ग नियंत्रक मुख्य आयकर आयुक्त हैं जो पूरे देश में तैनात हैं तथा क्षेत्रीय स्तर पर प्रत्यक्ष करों के निर्धारण एवं वसूली के लिए समग्र प्रभारी हैं। आयकर महानिदेशक (जांच) क्षेत्रीय स्तर पर जांच तंत्र के समग्र प्रभारी हैं। जिसका उद्देश्य कर अपवंचन को रोकना तथा गैर-लेखागत धन को उजागर करना है। आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक अपने-अपने क्षेत्राधिकार में मुख्य आयकर आयुक्तों/आयकर महानिदेशकों की सहायता करते हैं। अपील तंत्र भी है जिसमें आयकर आयुक्त (अपील) शामिल हैं, जो कर निर्धारण अधिकारियों के आदेशों के खिलाफ अपीलों के निर्णय का अर्ध न्यायिक कार्य संपन्न करते हैं।

क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के साथ नागपुर स्थित राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी (एनएडीटी) कर्मचारियों एवं अधिकारियों की प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आयकर महानिदेशक के समग्र पर्यवेक्षण में काम करता है।

वेतन एवं लेखा कार्यालयों की सहायता से प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक सीबीडीटी विभाग के राजस्व संग्रहण एवं व्यय के लिए जिम्मेदार है।

2011-12 के परिचयों एवं परिणामों का विवरण

योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिचय 2011-12 (करोड़ रु. में)	परिमाणनीय व्युत्पत्तियां/ भौतिक उत्पाद	निरूपित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	अभ्युक्तियां/जोखिम कारक	
2	3	4	5	6	7	8	
		4(i) योजनेतर	4(ii) योजना गत				
1. मुख्य शीर्ष 2020 – आयकर संग्रहण; सूचना प्रौद्योगिकी		225.00	-				
I. व्यापक कम्प्यूटरीकरण के चरण 3 के लिए संदर्शी योजना	क) सॉफ्टवेयर की अधिप्राप्ति के साथ सिस्टम इंटीग्रेटर के लिए योजना			<ul style="list-style-type: none"> 2014-15 तक निरूपित कार्यभार को संभालने के लिए संगणन क्षमता प्रत्यक्ष करों से संबंधित सभी संव्यवहारों को संभालने के लिए एकल राष्ट्रीय डाटाबेस आयकर विभाग के कार्यालयों में सुविधा प्रबंधन 	राष्ट्रीय डाटा केन्द्र की स्थापना एवं रखरखाव, क्षेत्रीय डाटाबेसों का एकल राष्ट्रीय डाटाबेस में समेकन।	जारी है।	डाटाबेस के समेकन का काम पूरा हो गया है। वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान अनुमानित व्यय 39 करोड़ रुपये लगभग है।
	ख) आयकर भवन, वैशाली का एक सुरक्षित सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र के रूप में आधुनिकीकरण एवं इसका अनुसंधान।			वैशाली भवन के आधुनिकीकरण के बाद, राष्ट्रीय कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित किया जाएगा	परियोजना पूरी होने वाली है।	मैसर्स ईआईएल के परामर्श-दाताओं पर किया हुआ व्यय लगभग 1.30 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त कीमत में वृद्धि तथा अतिरिक्त पारिश्रमिक के कारण 1 करोड़ रुपये का दावा किया गया है जो विचाराधीन है। उपर्युक्त के अतिरिक्त सुविधा प्रबंधन सेवाओं (एफएमएस) अर्थात् हाउस कीपिंग, सुरक्षा परिवहन, कैंटीन एवं संबद्ध सेवाओं पर व्यय किया जाएगा। इसके प्रयोजनार्थ गैर योजनागत व्यय की एक समिति ने 13 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यह	

1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजना गत			
							भी प्रस्तावित है कि इस भवन में एक केन्द्रीकृत प्रसंस्करण केन्द्र (टीडीएस) की स्थापना की जाए।
		ग) अखिल भारतीय कर नेटवर्क की स्थापना, मानीटरिंग एवं कार्यान्वयन		पूरे देश के आयकर कार्यालयों का नेटवर्क	515 शहरों के अधिकारी एवं कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए टैक्स नेट पर केन्द्रीय डाटा केन्द्र को एक्सेस करने में समर्थ होंगे। डाटा के त्वरित एवं विश्वसनीय स्थानान्तरण से करदाताओं को सेवाओं की समय पर सुपुर्दगी का सुनिश्चयन होगा।	जारी है ।	सभी भवनों में लैन/वैन की संयोजकता का काम पूरा हो गया है । वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान अनुमानित व्यय 60 करोड़ रुपए होगा।
		घ) प्राथमिक, कारोबार सततता आयोजना (बी सी पी) एवं आपदा वसूली (डी आर) स्थलों के लिए डाटा केन्द्र को किराए पर करना।		<ul style="list-style-type: none"> उद्योग के मानकों को पूरा करते हुए डाटा केन्द्रों में हार्डवेयर उपकरणों की सह-अवस्थिति। उपकरण एवं डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बी एस 7799 का सुरक्षा प्रमाणन 	विभिन्न प्रबंधन नियंत्रणों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षित डाटा उपलब्ध होगा।	जारी है ।	तीनों डाटा केन्द्र अर्थात् पीडीसी, बीसीपी एवं डीआर स्थल क्रियाशील हैं। इस परियोजना पर अनुमानित व्यय 62 करोड़ रुपए लगभग है ।
II.	कर सूचना नेटवर्क (टिन)	निम्नलिखित से संबंधित सूचना के आधान के रूप में नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लि. (एनएस डी एल) द्वारा मेजबानी		<ul style="list-style-type: none"> अधिक जोखिम वाले कर अपवंचन के संभावित मामलों की पहचान टी डी एस कटौतियों की सटीक एवं त्वरित क्रेडिट, विवरणी न जमा करने वालों/ बंद कर देने वालों की पहचान तथा अल्प कटौतियों के मामले 	करदाता वार्षिक कर विवरण फार्म 26 ए एस के माध्यम से स्वयं वित्त वर्ष के दौरान ही सतत आधार पर अपनी ओर से कटवाए गए कर का ब्यौरा प्राप्त करेंगे । कंप्यूटर आधारित संवीक्षा मामलों के चयन की सुविधा हेतु एआईआर से व्यवसाय आसूचना डाटाबेस		इस परियोजना पर वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान अनुमानित व्यय 53 करोड़ रुपये लगभग है।

1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजना गत			
			<ul style="list-style-type: none"> टी डी एस विवरणियों से आने वाली कर कटौतियां इलेक्ट्रॉनिक टी डी एस लेखा के सृजन की सुविधा वार्षिक सूचना विवरणियों के माध्यम से आने वाले उच्च मूल्य के वित्तीय लेन देन। 	<ul style="list-style-type: none"> टीडीएस विवरणियों की प्रोसेसिंग करदाताओं द्वारा या उनकी ओर से कर कटौतीकर्ताओं द्वारा किए गए कर भुगतान को देखने की सुविधाएं। करों की प्रभावी मानीटरिंग एवं संग्रहण के लिए विभाग के वरिष्ठ प्रबंधकों को डैशबोर्ड की सुविधाएं 			
III. कारोबार प्रक्रिया रीइंजीनियरिंग (बीपीआर)	पणधारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्यमान कारोबार प्रक्रियाओं का पूर्ण सुधार		<ul style="list-style-type: none"> परामर्शदाता एवं बीपीआर रोलआउट प्लान की रिपोर्ट प्रस्तुत करना । ‘‘अभिशासन में नैतिकता’’ पर प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट की संभाव्य सिफारिशों का कार्यान्वयन 		जारी है ।		जनवरी, 2008 में बोर्ड (सीबीडीटी) को बीपीआर पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है । 64 सिफारिशों में से 13 संशोधित की गई तथा स्वीकृत की गई 47 को उसी रूप में स्वीकार कर लिया गया तथा 4 को अस्वीकृत किया गया।
IV. करदाता सेवाएं	<p>- हेल्पलाइन (आयकर सम्पर्क केन्द्र), आयकर विभाग की वेबसाइट तथा ई-फ्रेडली सेवाओं के जरिए सूचना के प्रसार के लिए करदाताओं के साथ सरल, पारदर्शी, प्रत्यक्ष एवं प्रयोक्ता अनुकूल अंतःक्रिया रखना ।</p> <p>- करदाताओं को आयकर विवरणियों की ई-फाइलिंग के लिए आनलाइन सुविधाएं प्रदान करना, करों का ई-भुगतान।</p>		<ul style="list-style-type: none"> आयकर सम्पर्क केन्द्रों (ए एस के) से व्युत्पत्तियां इस प्रकार हैं <ul style="list-style-type: none"> पैन, चालान, विवरणी फार्म एवं संबद्ध सूचना का प्रावधान ई- मेल से फार्म भेजने की सुविधा पैन संबंधी शिकायतों का निपटारा। विभिन्न फार्म/ चालान तथा विवरणी तैयार करने वाले 	<ul style="list-style-type: none"> सूचना का आसान एवं सुविधाजनक प्रसार सुविधा में वृद्धि जिससे मैनुअल इंटरफेस घटेगा तथा करदाताओं की संतुष्टि में वृद्धि होगी । 	जारी गतिविधियां	- कोई लक्ष्य नहीं।	- अंतिम प्रयोक्ताओं तथा करदाताओं पर आधारित लेन-देन की मात्रा ।

1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजना गत			
			- प्रतिदाय स्थिति का आनलाइन पता लगाना	साफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए कर संबद्ध सूचना सुविधा का प्रावधान।		-	
				<ul style="list-style-type: none"> आयकर विवरणियों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए देश व्यापी सुविधाएं। निर्दिष्ट प्रतिदाय बैंकर के माध्यम से प्रतिदायों का केन्द्रीकृत निर्गम। प्रत्यक्ष करों के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधाएं। 			
V. प्रतिदाय बैंकर	(क) आयकर प्रतिदायों का पता लगाना, सृजित करना, जारी करना, निर्गमित करना, क्रेडिट करना तथा उसकी सुरक्षित सुपुर्दगी करना। (ख) प्रतिदाय प्रक्रिया को पूर्णतः स्वचालित, त्वरित एवं पारदर्शी बनाना तथा एक शीघ्रतर 'टर्न अराउंड टाइम' हासिल करना	आयकर प्रतिदायों का पता लगाने, सृजित करने, जारी, निर्गमित एवं क्रेडिट करने के लिए एक कम्प्यूटर चालित प्रक्रिया जो आयकर प्रतिदायों की प्रभावी एवं सुरक्षित सुपुर्दगी सुनिश्चित करती है। प्रक्रिया को पूर्णतः स्वचालित, त्वरित एवं पारदर्शी बनाने तथा एक शीघ्रतर 'टर्न अराउंड टाइम' हासिल करने के लिए प्रतिदायों को भौतिक रूप से जारी अथवा क्रेडिट करने में तीसरी पार्टी को प्रस्तुत करना	प्रतिदाय बैंकर योजना के तहत विभाग के अभिकरण के रूप में मनोनीत भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा प्रतिदाय सीधे इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन योजना (ईसीएस) के माध्यम से करदाताओं को भेजा गया। इन मॉडलों में, एसबीआई को सुपुर्द हुए 1-3 दिनों के भीतर प्रतिदायों को करदाताओं के खातों में क्रेडिट किया गया।	प्रतिदायों को जारी कर निर्धारण अधिकारी की भूमिका कम्प्यूटर पर आय की विवरणी प्रोसेस करने तक सीमित है।			(i) दिल्ली एवं पटना में प्रायोगिक आधार पर योजना के पूरे हो जाने के बाद योजना का विस्तार 4 (चार) और केन्द्रों नामतः कोलकाता, मुम्बई, बंगलुरु ओर चेन्नई में किया गया। (ii) अक्टूबर, 2009 से योजना का विस्तार 9(नौ) और केन्द्रों में किया गया। (iii) इसके आगे, अगस्त/ सितम्बर, 2010 से योजना का विस्तार देश भर के सभी गैर-कंपनी प्रभागों में चरणबद्ध तरीके से किया गया है (iv) प्रतिदाय बैंकर योजना के माध्यम से वित्त वर्ष 2010-11 में (31.12.2010 तक) भेजे गए प्रतिदायों की संख्या लगभग 37 लाख रूपए है तथा यह इस अवधि के दौरान भारत वर्ष में जारी कुल प्रतिदायों का 69% है।

1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजना गत			
VI. केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग केन्द्र (सी पी सी) परियोजना	(क) कागज आधारित एवं इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर आयकर विवरणियों (आई टी आर) की केन्द्रीकृत प्रॉसेसिंग । (ख) सी पी सी विभाग को करदाताओं की संख्या में तीव्र वृद्धि से निपटाने में और परिणामतः कर्मचारियों के लिए कार्य की मात्रा से निपटने में समर्थ बनाएगा। (ग) यह विभाग को पूरे विश्व में सर्वोत्तम कर प्रशासनों द्वारा प्रदत्त आधुनिक नागरिक सेवाएं तथा अधिक दक्ष प्रक्रियाएं शुरू करने में समर्थ बनाएगा।	(क) कागज आधारित एवं इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर सभी आयकर विवरणियों तथा बंगलुरु में भौतिक आई टी आर के लिए लेन- देन प्रोसेस करेगा। (ii) जब सी पी सी स्थिर हो जाएगा, कर्नाटक एवं गोवा तथा समीपवर्ती राज्य के भौतिक आई टी आर भी प्रचालन बढ़ाने के लिए सी पी सी को दिए जाएंगे। (iii) बंगलौर स्थित सी पी सी के पास अंचल से 20 लाख कागजी विवरणियों एवं 60 लाख इलेक्ट्रॉनिक विवरणियों को प्रोसेस करने की क्षमता होगी। (iv) अंततः, ऐसी परिकल्पना है कि बंगलौर के सी पी सी से अनुभव एवं सबक लेकर पूरे देश में सी पी सी मॉडल को दोहराया जाएगा।	(i) सी पी सी शुरू में देश भर में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर सभी आयकर विवरणियों तथा बंगलुरु में भौतिक आई टी आर के लिए लेन- देन प्रोसेस करेगा। (ii) जब सी पी सी स्थिर हो जाएगा, कर्नाटक एवं गोवा तथा समीपवर्ती राज्य के भौतिक आई टी आर भी प्रचालन बढ़ाने के लिए सी पी सी को दिए जाएंगे। (iii) बंगलौर स्थित सी पी सी के पास अंचल से 20 लाख कागजी विवरणियों एवं 60 लाख इलेक्ट्रॉनिक विवरणियों को प्रोसेस करने की क्षमता होगी। (iv) अंततः, ऐसी परिकल्पना है कि बंगलौर के सी पी सी से अनुभव एवं सबक लेकर पूरे देश में सी पी सी मॉडल को दोहराया जाएगा।	● बेहतर करदाता सेवाएं तथा शिकायतों में कमी ● करदाताओं के लिए अनुपालन लागत में कमी ● विभाग के लिए प्रशासनिक लागत में कमी ● त्वरित प्रोसेसिंग जिससे प्रतिदायों की शीघ्रता से सुपुर्दगी होगी जिससे ब्याज कम देना पड़ेगा ● जन शक्ति एवं कार्यालय स्थान का दक्ष प्रयोग	● बंगलुरु स्थित सीपीसी को माननीय वित्त मंत्री द्वारा 29 मई, 2010 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है । सीपीसी बंगलुरु अब पूरी तरह से कार्य कर रहा है । मानेसर एवं पुणे में भी दो सीपीसी की स्थापना की जानी है । ● वित्त वर्ष 2011-12 में इस सीपीसी परियोजना पर अपेक्षित व्यय 45 करोड़ रुपये है ।		
VII. बायोमीट्रिक पैन परियोजना	(क) पैन की डुप्लीकेट अर्थात एक ही व्यक्ति को एक से अधिक पैन संख्या न मिले इसको सुनिश्चित करने के लिए एक बायोमीट्रिक उपाय करना । (ख) बायोमीट्रिक सूचना समय के साथ ज्यादा स्थिर होने तथा बदलने में कठिन होने के कारण डुप्लीकेट पैन का पता लगाने	(क) पैन की डुप्लीकेट अर्थात एक ही व्यक्ति को एक से अधिक पैन संख्या न मिले इसको सुनिश्चित करने के लिए एक बायोमीट्रिक उपाय करना । (ख) बायोमीट्रिक सूचना समय के साथ ज्यादा स्थिर होने तथा बदलने में कठिन होने के कारण डुप्लीकेट पैन का पता लगाने	● डुप्लीकेट पैन का आबंटन रोकने के लिए पैन के आवेदकों की बायोमीट्रिक (चेहरा + 4 अंगुलिया) विशेषताएं ग्रहण करना। ● कार्ड के पुनः मुद्रण अथवा पैन डाटा में परिवर्तन के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों	● स्थापित पैन की विशेषता लंबित होने के कारण परियोजना को आस्थगित रखा गया। ● डुप्लीकेट पैन का आसानी से पता लगाना ● पैन डाटा की विश्वसनीयता को सुदृढ़ करना	यूआईडीए आई से स्पष्टीकरण वे लंबित होने के कारण परियोजना को आस्थगित रखा गया। यूआईडीएआई वे महेनजर बायोमीट्रिक पैन परियोजना का पुनरून्वयन किया गया जिसमें विभिन्न अभिकरणों के साथ व्यष्टियों के विद्यमान डाटाबेस की बायोमीट्रिक लेने का निर्णय लिया गया । परियोजना के परामर्शदाता के कार्य के विस्तार को पुनः परिभाषित किया गया । परियोजना		

1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजना गत			
			में ज्यादा सटीकता से समर्थ होगी।	की बायोमीट्रिक विशेषताओं का सत्यापन करना।			वित्त वर्ष 2011-12 में शुरू की जा सकती है।
				<ul style="list-style-type: none"> • विक्रेता लॉक-इन के बिना समग्र एवं स्केलेबस उपाय का खरीदा जाना • पैन के नए आवेदनों के साथ तथा विद्यमान पैनधारकों के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए उपाय को एकीकृत करना। 			
2	मुख्य शीर्ष 4059-सार्वजनिक कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-कार्यालय भवन	877.70	-				
I.	सिविक सेंटर, मिंटो रोड, नई दिल्ली में कार्यालय स्थाना का क्रय			दिल्ली में कार्यालय स्थान की कमी को दूर करने के लिए तकरीबन 51,768 वर्गमीटर सुपर निर्मित क्षेत्रफल का कार्यालय स्थान उपलब्ध होगा।	विभाग के लिए कार्यालय स्थान की उपलब्धता में सुधार	31.3.2012	इस कार्य के लिए वित्त वर्ष 2011-12 में परिव्यय 680 करोड़ रूपए का है। परिणाम अधीन होगा - I. भवन को समय पर दिल्ली नगर निगम को सौंपना II. विक्रेता द्वारा फर्नीशिंग का समय पर निष्पादन
II.	साकेत, नई दिल्ली में कार्यालय स्थान की कमी को कार्यालय भवन का निर्माण दूर करना। एवं उसकी फर्नीशिंग						इस कार्य के लिए वित्त वर्ष 2011-12 में परिव्यय 20 करोड़ रूपए है। विभाग राजस्व सेवा अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने की सोच रहा है। परियोजना का निष्पादन सक्षम प्राधिकारियों के आवश्यक अनुमोदनों पर निर्भर करता है।

1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजना गत			
III.	एनएडीटी, नागपुर में उन्नत राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, प्रशिक्षण केन्द्र, मैस/हॉस्टल का निर्माण	नागपुर में आवास सुविधा की बढ़ती जरूरत को पूरा करने तथा विदेशी अधिकारियों सहित उन्नत पाठ्यक्रम संचालित करना।				31.03.2013	परियोजना को मंजूरी अगस्त , 2010 को 101 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर दी गई । इस कार्य के लिए वित्त वर्ष 2011-12 में परिव्यय 60 करोड़ रुपए है । परियोजना का पूरा होना मैसर्स एनबीसीसी के कार्य को समय पर पूरा करने पर निर्भर करता है।
IV.	एनएडीटी, नागपुर में नए छात्रावास का निर्माण	राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर में प्रशिक्षण के लिए अवसंरचना का विस्तार करना				30.06.2011	इस कार्य के लिए वित्त वर्ष 2011-12 में परिव्यय 14.10 करोड़ रुपए है । परियोजना को मंजूरी दिसम्बर में 24.10 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर दी गई थी। निर्माण प्रगति पर है ।
V.	गोल्फ लिन्क्स, नई दिल्ली में अतिथि गृह का निर्माण	नई दिल्ली मिलने आने वाले अधिकारियों के लिए अतिथिगृह सुविधा में कमी को कम करना ।				31.03.2013	इस कार्य के लिए वित्त वर्ष 2011-12 में परिव्यय 4 करोड़ रुपए है।
VI.	नोएडा में कार्यालय भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी को कम करना				31.03.2013	इस कार्य के लिए वित्त वर्ष 2011-12 में परिव्यय 10 करोड़ रुपए है।
VII.	फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में कार्यालय भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी को कम करना				31.03.2013	इस कार्य के लिए वित्त वर्ष 2011-12 में परिव्यय 5 करोड़ रुपए है।
VIII.	थाणे, महाराष्ट्र में रेडी बिल्ट कार्यालय स्थान का क्रय	कार्यालय स्थान की कमी को कम करना				30.09.2011	इस कार्य के लिए वित्त वर्ष 2011-12 में परिव्यय 52.05 करोड़ रुपए है ।

1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजना गत			
IX.	मोहाली, चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष कार्यालय स्थान की कमी को कर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (डीटीआरटीआई) का निर्माण दूर करना						प्रस्ताव अभी सूत्रीकरण के चरण पर है। लक्ष्य की तिथि इंगित नहीं की गई है। वित्त वर्ष 2011-12 में इस कार्य के लिए परिव्यय 10 करोड़ रूपए है।
3	मुख्य शीर्ष 4216- सार्वजनिक कार्य पर पूंजीगत परिव्यय- आवासन		27.00	-			
I.	नरिमन प्वाइंट, मुंबई में आवासीय तथा कार्यालय स्थान आवासीय व कार्यालय भवन का निर्माण की कमी को दूर करना।						परियोजना अभी सूत्रीकरण के चरण पर है। इस कार्य हेतु परिव्यय वित्त वर्ष 2011-12 में 15 करोड़ रूपए है।
II.	छदापसर, पुणे में एक सामुदायिक हॉल सहित आवासीय कॉम्प्लेक्स का निर्माण आवासीय स्थान की कमी को दूर करना						40 करोड़ रूपए के अनुमानित लागत पर कार्य अभी निर्माणाधीन है। इस कार्य के लिए परिव्यय, वित्त वर्ष 2011-12 में 8 करोड़ रूपए है।
III.	जम्मू में टाईप-V एवं टाईप-VI क्वार्टरों का निर्माण आवासीय स्थान की कमी को दूर करना						12 करोड़ रूपए के अनुमानित लागत पर कार्य अभी निर्माणाधीन है। इस कार्य के लिए परिव्यय, वित्त वर्ष 2011-12 में 2 करोड़ रूपए है।

सुधार उपाय एवं नीतिगत पहलें

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड बेहतर करदाता सेवाओं के लिए पहलें

हाल के वर्षों में करदाता सेवाओं में सुधार के लिए आयकर विभाग द्वारा अनेक पहलें की गई हैं। इन उपायों का लक्ष्य वस्तुनिष्ठता लाना तथा करदाता एवं अधिकारियों के बीच मानव इंटरफेस को घटाना है। कुछ महत्वपूर्ण उपायों का नीचे उल्लेख किया गया है :

- **बेहतर सेवा के लिए पैन संबंधी सेवा का बहिर्सोतन** - आवेदकों के साथ पैन इंटरफेस का बहिर्सोतन यूटीआईटीएससल को और फिर एनएसडीएल को किया गया। 6,478 फ्रंट कार्यालयों (पैन केन्द्रों) के अपने नेटवर्क के माध्यम से सेवा प्रदाता आवेदन प्राप्त करते हैं तथा प्रोसेस करते हैं। वित्त वर्ष 2009-10 में 1.52 करोड़ पैन आर्बिट किए गए। 31.12.2010 की स्थिति के अनुसार अब पैन धारकों की संख्या बढ़कर 11.37 करोड़ हो गई है। नए पैन कार्ड जारी करने का औसत समय घटकर 15 कैलेंडर दिन हो गया है। पैन संबद्ध सेवा आयकर संपर्क केन्द्र (एएसके) नामक एक लिंक के माध्यम से तथा आयकर विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर भी उपलब्ध है।
- **एक ही स्थान पर आयकर विवरणियों की केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग संभव बनाने के लिए केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग केन्द्र (सीपीसी)** - विभाग की प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाने तथा राइट टर्नअराउंड समय सीमा में प्रतिदाय जारी करने के लिए, विभाग ने बेंगलूर में केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग केन्द्र (सीपीसी) स्थापित किया है जिसे वित्त मंत्री द्वारा 29 मई, 2010 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। सीपीसी अधुनातन सुविधा केन्द्र है जो स्वचालित ढंग से विवरणियों को प्रोसेस करेगा। 31.12.2010 तक 73 लाख आयकर विवरणियां प्रोसेस की गई हैं। सीपीसी द्वारा 16 लाख से अधिक प्रतिदाय सृजित किए गए हैं। करदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए इस केन्द्र में एक समर्पित काल सेंटर भी होगा। 2010-11 की बजट घोषणा के अनुसार, क्रमशः मानेसर एवं पुणे में दो नए सीपीसी स्थापित करने की योजना है।
- **विवरणियों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग तथा आयकर विवरणियों का पूर्ण अंकीकरण** : आयकर विवरणियों की वेब आधारित ई-फाइलिंग वित्त वर्ष 2006-07 में शुरू की गई। यह 24X7X365 सुविधा है जो करदाता एवं कर अधिकारियों के बीच इंटरफेस का निवारण करती है। यह क्षेत्राधिकार मुक्त फाइलिंग योजना है तथा कारपोरेट एवं 44कख कर निर्धारितियों के लिए अनिवार्य है। ई-फाइलिंग करदाता के साथ अत्यधिक लोकप्रिय हुई है। वित्त वर्ष 2009-10 में प्राप्त 52.53 लाख ई-विवरणियों की तुलना में वित्त वर्ष 2010-11 में 31 दिसम्बर, 2010 तक 60.44 लाख से अधिक विवरणियां प्राप्त हुईं। प्राप्त विवरणियों में से 80% से अधिक स्वैच्छिक श्रेणी से हैं तथा लगभग 34% विवरणियां कार्यालय समय के बाद प्राप्त हुईं। ई-फाइलिंग पोर्टल न केवल आयकर विवरणियों प्राप्त करने के लिए एक सशक्त गेटवे अपितु करदाता सेवाएं प्रदान करने के लिए एक प्रमुख चैनल के रूप में साबित हुआ है।
- **प्रतिदाय बैंकर योजना** - दिल्ली एवं पटना में प्रतिदाय बैंकर की योजना प्रायोगिक आधार पर लागू की गई। इसके सकारात्मक प्रभावों के आधार पर योजना को मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलौर, अहमदाबाद,

इलाहाबाद, भुवनेश्वर, कोचीन, हैदराबाद, कानपुर, पटियाला एवं चंडीगढ़ में भी लागू किया गया। 2.8.2010 से पूरे देश में चरणबद्ध ढंग से सभी गैर-कारपोरेट प्रभागों में योजना को लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 31.12.2010 तक जारी किए गए प्रतिदाय इस प्रकार हैं :-

कागज	ईसीएस
संख्या ₹ 45,96,467	17,62,847
राशि ₹ 7,433.56 करोड़	₹ 4,369.87 करोड़

वर्ष के दौरान इंडिया पोस्ट एंड नेशनल डिपाजिटरी लि. (एनएसडीएल) के साथ मिलकर एक वेब आधारित स्थिति जांच सुविधा भी शुरू की गई है। प्रतिदाय की स्थिति आईटीडी वेबसाइट के माध्यम से इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। संदत्त प्रतिदायों पर सूचना करदाताओं को प्रदान किए जा रहे 'कर क्रेडिट विवरण' (फार्म नं. 26 एएस) में उपलब्ध है।

- **व्यवसाय प्रोसेस रि-इंजीनियरिंग (बीपीआर)** - निदेशालय ने सूचना प्रौद्योगिकी आधारित व्यवसाय प्रक्रिया पर अधिक निर्भरता के परिवर्तित परिवेश में विभाग की कार्यात्मक दक्षता एवं कारगरता में सुधार के लिए प्रक्रियाओं एवं तंत्रों की पहचान करने के लिए एक अध्ययन किया है। सी बी डी टी द्वारा बीपीआर समिति की अधिकतर सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। व्यवसाय प्रक्रिया रि-इंजीनियरिंग के अंतर्गत प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं :-
- **फ्रंट कार्यालय (एफ ओ)** - फ्रंट कार्यालय आई टी डी को अधिक नागरिक अनुकूल बनाने के लिए परियोजना है। एकल खिड़की इंटरफेस के लिए सभी आई टी डी भवनों में एक सामान्य सेवा केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। एफ ओ डाक के सभी प्रेषण एवं प्राप्ति का ध्यान रखेगा (आंतरिक पत्राचार समेत) तथा ट्रैकिंग एवं मानीटरिंग की सुविधाएं होंगी।
- **केन्द्रीय अपील रजिस्ट्री (सी ए आर)** - केन्द्रीय अपील रजिस्ट्री 3 से अधिक तैनात सी आई टी (ए) वाले केन्द्रों में आयकर आयुक्त (अपील) के कामकाज को मुख्य धारा में लाने के लिए एक पहल है। सी ए आर का उद्देश्य अपील प्रक्रिया एवं कर वाद को स्वचालित करना है।
- **अभिलेख प्रबंधन (आर एम)** - अभिलेखागारीय एवं निराई नीति निर्मित करने के संबंध में, हाल में अभिलेख प्रबंधन पर एक समिति गठित की गई तथा समिति ने 29.10.2010 को अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है। रिपोर्ट पर विचार चल रहा है।
- **कागजरहित कार्यालय/ई-कार्यालय** - बी पी आर निदेशालय के कागजी अभिलेखों की स्कैनिंग एवं कंप्यूटरीकरण, अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा अन्य कार्यालयों के बीच इटैक्सनेट एवं पत्राचारों के लिए अंकीय हस्ताक्षरों के प्रयोग के लिए बी पी आर एक प्रायोगिक परियोजना भी चला रहा है। आगे चलकर, प्रायोगिक परियोजना के सफल होने पर इस संकल्पना को कागजरहित कार्यालय (ई-कार्यालय) के लिए आई टी डी के सभी केन्द्रों में लागू करने का प्रस्ताव है।

- **प्रबंधन प्रणाली (के एम एस)** अधिगम, सर्वोत्तम प्रथा आदेश तथा विभाग के अधिकारियों द्वारा शुरू किए गए उपायों से संबंधित संसाधनों में वृद्धि के लिए स्थापित किया गया है। के एस एस अधिकारियों की निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने तथा सूचित एवं वस्तुनिष्ठ आदेश पारित करने संबंधी अपने कर्तव्यों के निर्वाह में उनको सुविधा प्रदान करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। आयकर विभाग ने 'लेट अस शेयर' शीर्षक से सर्वश्रेष्ठ आदेशों एवं प्रथाओं का संग्रह भी संकलित किया है जो अधिकारियों के कौशल सुदृढीकरण और इस प्रकार अधिक अध्यक्षीय ढंग से करदाताओं की सेवा करने में उन्हें समर्थ बनाने में काफी मददगार होगा।
- **'सेवोत्तम'** योजना सार्वजनिक सेवा सुपुर्दगी में उत्कृष्टता लाने के विचार से तथा नवलिखित नागरिक चार्टर के आधार पर शुरू की गई है। इसमें प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र का सृजन एवं क्षमता निर्माण शामिल है। डाक की केन्द्रीकृत प्राप्ति, पंजीकरण एवं वितरण के लिए एकल खिड़की वाला कंप्यूटरीकृत सेवा तंत्र यानी 'आयकर सेवा केन्द्र' वित्त वर्ष 2010-11 में 12 केन्द्रों में शुरू किए जा रहे हैं।

ई-गवर्नेंस पहल

आयकर विभाग के विज्ञान दस्तावेज़ 2010 को करदाता सेवा क्वालिटी के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचान की गई। इस संबंध में विभाग के मुख्य उद्देश्य को इस रूप में परिभाषित किया गया है कि करदाताओं को आयकर कार्यालय के चक्कर काटे बिना सुविधाजनक तरीके से अपने सामान्य कर दायित्वों को पूरा करने के लिए सक्षम बनाया जाए। तदनुसार विभाग के कम्प्यूटरीकरण कार्य को संरक्षित किया गया है ताकि निम्नलिखित उपायों के रूप में उपर्युक्त लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

- करदाताओं सेवाओं की ई-डेलिवरी
- विभागीय कम्प्यूटर अवसंरचना में वृद्धि तथा डाटाबेस का समेकन; और
- कर सूचना नेटवर्क (टिन) की स्थापना।

करदाता सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डेलिवरी

इस पहल में निम्नलिखित शामिल हैं :

- बेबसाइट के माध्यम से कर सूचना तथा कर सुविधा सेवाओं का प्रचार-प्रसार
- पैन के ऑन लाइन फाइलिंग तथा आबंटन से संबंधित सुविधा
- आयकर विवरणियों की ऑन लाइन तैयारी तथा ई-फाइलिंग
- करों का ई-पेमेंट
- सीधे ही करदाताओं के बैंक खाते में प्रतिदायों की इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन के लिए ई सी एस सुविधा।
- किसी निर्दिष्ट राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रतिदाय बैंकर) के द्वारा प्रतिदाय जारी करना।
- टी डी एस/ टी सी एस विवरणियों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग।
- लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संवीक्षा हेतु कम्प्यूटर समर्थित मामलों का चयन (सी ए एस एस)।

विभागीय कम्प्यूटर अवसंरचना में वृद्धि : इस पहल के अन्तर्गत विभाग द्वारा शुरू किए गए प्रमुख कार्यकलाप निम्नवत हैं:-

- 36 क्षेत्रीय डाटाबेसों को एकल प्राइमरी डाटा सेंटर (पी डी सी) में समेकित करके एकल राष्ट्रीय डेटाबेस की स्थापना करना।

- डाटा की किसी क्षति तथा अबाध सेवाएं प्राप्त करने के लिए बिजनेस कांटेन्यूटी प्रोसेस (बी पी सी) सेंटर, डिजास्टर रिकवरी (डी आर) साइट्स, प्राइमरी डाटा सेंटर (पी डी सी) की रिप्लिका की स्थापना करना।
- नेशनल डाटाबेस को संस्थागत रूप देने के लिए नेशनल डाटा सेंटर की स्थापना करना।
- टैक्स नेट की स्थापना करना- जो पूरे देश में 510 शहरों में 715 आयकर कार्यालय को अत्यधिक सुरक्षित एवं सक्षम अखिल भारतीय वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वी पी एन) से जोड़ने के लिए है।
- आय की विवरणियों की केन्द्रीकृत प्रासेसिंग को सक्षम बनाने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना करना।

कर सूचना नेटवर्क (टिन) की स्थापना करना

कर सूचना नेटवर्क की स्थापना कार्य आसूचना संबंधी सूचना के आधान के रूप में निम्नलिखित तरीके से की गई है :

- कर सूचना नेटवर्क के माध्यम से बैंकों द्वारा प्राप्त तथा अपलोड किए गए कर भुगतान।
- इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दाखिल की गई टी डी एस विवरणियां तथा डिजिटलाइज्ड कागजी विवरणियां।
- वार्षिक सूचना विवरणियों (ए आई आर) के अन्तर्गत दायर किए गए उच्च मूल्य के वित्तीय संव्यवहार से संबंधित आंकड़े।
- ओल्टास के माध्यम से कर संदायों के व्यक्तिगत खाते।

विभाग में अवसंरचना को सुदृढ करने के लिए 1% प्रोत्साहन स्कीम

संगठनात्मक कार्य क्षमता, अवसंरचना में वृद्धि करने के लिए 1% के क्रमिक राजस्व का उपयोग करने हेतु स्कीम तैयार करने के लिए विभाग को राजस्व सृजन में अनुमति देने वाले व्यय प्रबंध पर विभाग के दिनांक 22.07.2006 के दिशा निर्देशों के अनुसरण में प्रत्यक्ष करों के संबंध में वर्ष 2006-07 के संग्रहण लक्ष्यों को अधिक करने के लिए कुल 195 करोड़ रूपए की राशि संस्वीकृत की गई थी। इसे तीन वर्षों अर्थात् 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 में निम्नलिखित मदों पर खर्च किया गया है:

- प्रचालनात्मक वाहनों/ स्टाफ कारों को किराये पर लेना/ खरीदना
- मध्यम आकार के वाहनों को किराये पर लेना
- नोटिस तामीलकर्ताओं को पेट्रोल भत्ता देना
- रेंज में मोबाइल फोन के खर्चों की प्रतिपूर्ति करना
- माडल रेंज/ कैंटीनों का आधुनिकीकरण
- आयकर अधिकारी तथा इससे उच्च स्तर के अधिकारियों को लैपटाप कम्प्यूटर प्रदान करना

तदनंतर, 2007-08 के बजट लक्ष्यों से अधिक 1% के क्रमिक संग्रहण के रूप में 470 करोड़ रूपए के उपयोग के लिए वित्त मंत्री द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान, इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित मदें अनुमोदित की गई हैं :

- क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर में प्रशिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रावधान
- आयकर विभाग के 100 रेंज कार्यालयों का आधुनिकीकरण
- आई आर एस अधिकारियों का उन्नत मध्यावधि करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम

परिव्यय 2009-10 के संदर्भ में परिणाम की स्थिति

क्र.स.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिव्यय 2009-10 (करोड़ रु. में)	मात्रात्मक प्रदेय/ भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान		
1.	मुख्य शीर्ष 2020 – आयकर की वसूली: सूचना प्रौद्योगिकी		225.00	213.75		31.03.2010 तक वास्तविक व्यय - ₹191.02 करोड़
I.	व्यापक कम्प्यूटरीकरण के चरण 3 के लिए भावी योजना	क) सॉफ्टवेयर की अधिप्राप्ति के साथ सिस्टम इंटीग्रेटर के साथ		<ul style="list-style-type: none"> 2014-15 तक अनुमानित कार्यभार के निपटान के लिए कंप्यूटिंग क्षमता सभी प्रत्यक्ष कर संबंधी संव्यवहारों के निपटान के लिए एकल नेशनल डाटाबेस आयकर विभाग के कार्यालयों में प्रबंधन सुविधाएं 	जारी	डाटाबेस के समेकन का काम पूरा हो गया है। वेंडर द्वारा संविदा की शर्तों के कार्यान्वयन के मूल्यांकन के बाद मई, 2009 में परियोजना की स्वीकृति पूरी कर ली गई है। वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान 2.54 करोड़ से अधिक विवरणियां को प्रोसेस किया गया।
		ख) आयकर भवन, वैशाली का एक सुरक्षित सूचना प्रौद्योगिकी हब में परिवर्तित करना तथा इसका रख रखाव करना		वैशाली भवन में परिवर्तन करने के बाद नेशनल कंप्यूटर सेंटर की स्थापना की जाएगी।	30.09.2009	कार्य प्रगति पर है और आशा है कि शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। यह समय सीमा संविदा के सफलता पूर्वक निष्पन्न होने पर निर्भर करती है।
		ग) अखिल भारतीय कर नेटवर्क की स्थापना, मानीटरिंग एवं कार्यान्वयन		पूरे देश में आयकर कार्यालयों का नेटवर्क	जारी	पूरे 510 शहरों में अभिनिर्धारित सभी भवनों में लैन/ वैन कनेक्टिविटी का कार्य पूरा कर लिया गया है। तदनुसार नेटवर्क पर उपलब्ध इस विभाग के अधिकारी/ कर्मचारी अब केन्द्रीय डाटा सेंटर तक पहुंच सकेंगे।
		घ) प्राथमिक, बिजनेस कान्टिन्यूटि प्लानिंग तथा डिजास्टर रिकवरी साइटों के लिए डाटा सेंटर्स को किराए पर लेना।		<ul style="list-style-type: none"> उद्योगों के मानकों को पूरा करते हुए डाटा केन्द्रों में हार्डवेयर उपकरणों का को-लोकेशन उपकरण तथा आंकड़ों की हिफाजत सुनिश्चित करने के लिए बी.एस. 7799 का सुस्था प्रमाण पत्र 	जारी	तीनों डाटा केन्द्र अर्थात् प्राथमिक डाटा केन्द्र पीडीसी व्यवसाय सततता एवं आयोजना बीसीपी एवं आपदा समुत्थान डीआर साइटें प्रचालन कर रहीं हैं।

1	2	3	4	5	6	7
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान		
II.	कर सूचना नेटवर्क (टिन)	<p>नेशनल सिक्वोरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित से संबंधित सूचना के आधान के रूप में मेजबानी किया जाना:</p> <ul style="list-style-type: none"> ऑन लाइन कर लेखांकन प्रणाली ओल्टास टीडीएस विवरणियों से आने वाली कर कटौतियां वार्षिक सूचना विवरणियों के माध्यम से आने वाले उच्च मूल्य के वित्तीय संव्यवहार तथा इलैक्ट्रॉनिक टीडीएस खातों के सृजन के लिए सुविधा 		<ul style="list-style-type: none"> अधिक जोखिम वाले कर अपवंचन के संभावित मामलों की पहचान टीडीएस कटौतियों की सटीक एवं त्वरित क्रेडिट, विवरणी न जमा करने वालों/बंद कर देने वालों की पहचान तथा अन्य कटौतियों के मामले करदाताओं द्वारा या उनकी ओर से कर कटौतीकर्ताओं द्वारा किए गए कर भुगतान की देखने की सुविधाएं। 	जारी	वित्त 2009-10 के दौरान, ओल्टास के माध्यम से कुल 2,71,89,644 चालान प्राप्त किए गए जिनमें प्रत्यक्ष कर संग्रहण के 4,27,624.73 करोड़ रु. शामिल थे।
III.	करदाता सेवाएं	<p>हेल्पलाइन आयकर सम्पर्क केन्द्र विभाग की वेबसाइट तथा ई-फ्रेंडली सेवाओं के माध्यमों से सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए करदाताओं के साथ सहज, पारदर्शी, डाइरेक्ट एवं यूजर फ्रेंडली इंटरैक्शन स्थापित करना</p>		<ul style="list-style-type: none"> आयकर सम्पर्क केन्द्र से दी जाने वाली सुविधाएं निम्नवत हैं:- <ul style="list-style-type: none"> पैन, चालान, विवरणी फार्म तथा संबद्ध जानकारी उपलब्ध करना ई-मेल से फार्म भेजने की सुविधा पैन संबंधी शिकायतों का निवारण विभिन्न फार्मों, चालानों तथा विवरणी तैयारी साफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कर संबंधी सूचना उपलब्ध कराना आयकर विवरणियों की ई-फाइलिंग की देशव्यापी सुविधा। निर्दिष्ट प्रतिदाय बैंकर के माध्यम से केन्द्रीकृत प्रतिदाय जारी करना। प्रत्यक्ष करों की ई-पेमेंट सुविधा। 	जारी	<ul style="list-style-type: none"> विभाग द्वारा स्थापित काल सेंटर आयकर संपर्क केन्द्रों ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 4 लाख से अधिक काल प्राप्त किया। विभाग की वेबसाइट www.incometax.india.gov.in को साइट पर प्रतिदिन हिट्स की दृष्टि से अच्छा प्रायुत्तर मिला है। वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान, 52.53 लाख ई-विवरणियां प्राप्त हुई हैं।

1	2	3	4	5	6	7
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान		
IV.	केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग केन्द्र (सी पी सी) परियोजना	(क) कागज आधारित एवं इलेक्ट्रानिक रूप से दायर आयकर विवरणियों (आई टी आर) दोनों की केन्द्रीकृत प्रॉसेसिंग । (ख) सी पी सी विभाग को करदाताओं की संख्या में तीव्र वृद्धि तथा परिणामतः कर्मचारियों के लिए कार्य की मात्रा से निपटने में समर्थ बनाएगा। (ग) यह विभाग को पूरे विश्व में सर्वोत्तम कर प्रशासनों द्वारा प्रदत्त आधुनिक नागरिक सेवाएं तथा अधिक दक्ष प्रक्रियाएं शुरू करने में समर्थ बनाएगा।		(i) सीपीसी शुरू में बंगलौर के लिए इलेक्ट्रानिक रूप से एवं भौतिक रूप से दाखिल सभी आयकर विवरणियों के लिए लेन-देन को प्रोसेस करेगा। (ii) जब सीपीसी स्थिर हो जाएगा, कर्नाटक एवं गोवा तथा किसी समीपवर्ती राज्य की भौतिक आयकर विवरणियां भी सीपीसी को प्रदान की जाएगी ताकि प्रचालन में विस्तार हो। (iii) बंगलौर स्थित सीपीसी में क्षेत्र से दाखिल 20 लाख कागजी विवरणियों एवं 60 लाख इलेक्ट्रानिक विवरणियों को प्रोसेस करने की क्षमता होगी। (iv) अंततः, बंगलौर स्थित सीपीसी से अनुभव एवं सबक हासिल करने के बाद परिकल्पना है कि सीपीसी मॉडल की पूरे देश में पुनरावृत्ति की जाएगी	01.09.2009	पांच वर्ष की अवधि में 255.56 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से सीपीसी का गठन किया गया है । सीपीसी ने अक्टूबर, 2009 से परिणाम देना शुरू कर दिया है ।
V.	बायोमैट्रिक पैन परियोजना	(क) एक बायोमैट्रिक समाधान लागू करना ताकि सुनिश्चित हो कि कोई डुप्लीकेट पैन जारी न हो अर्थात एक ही व्यक्ति एक से अधिक पैन नम्बर प्राप्त न करे। (ख) समय के साथ ज्यादा स्थिर तथा परिवर्तित करने में कठिन होने के कारण बायोमैट्रिक सूचना अधिक स्टीकता से पैन के डुप्लीकेट आवेदन का पता लगाने में समर्थ होगी।		<ul style="list-style-type: none"> डुप्लीकेट पैन का आवंटन रोकने के लिए पैन के आवेदकों की बायोमैट्रिक विशेषताएं चेहरा 34 अंगुलियां ग्रहण करना। कार्ड के पुनर्मुद्रण या पैन डाटा में परिवर्तन का आवेदन करने वालों की बायोमैट्रिक विशेषताओं का सत्यापन करना। वेंडर लॉक-इन के बिना संयुक्त एवं परिमाणनीय समाधान प्राप्त करना। पैन के नए आवेदन तथा विद्यमान पैन धारकों के लिए संदर्शी प्रयोग के लिए भी समाधान को एकीकृत किया जाएगा। 	31.03.2010	परियोजना को आस्थगित रखा गया है तथा यूआईडी परियोजना में हाल के घटनाक्रमों के कारण आरएफपी जारी नहीं किया गया है। प्रयासों की द्विरावृत्ति रोकने के लिए यूआईडी परियोजना के व्यवसाय नियमों को अंतिम रूप दिए जाने तक बायोमैट्रिक पैन परियोजना को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।

1	2	3	4	5	6	7
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान		
2.	मुख्य शीर्ष 4059- लोक निर्माण पर पूंजी परिव्यय - कार्यालय आवास		602.00	17.00		31.03.2010 तक वास्तविक व्यय 7.42 करोड़ रूपए
	(i) सिविक सेंटर, मिंटो रोड, नई दिल्ली में कार्यालय आवास का क्रय	कार्यालय स्थान की अल्पता कम करना		कालम 2 में उल्लिखित कार्यालय भवन तथा प्रशिक्षणार्थी छात्रावास विभाग द्वारा सृजित एवं स्वामित्व प्राप्त भौतिक परिसंपत्तियां होंगे।	31.03.2010	कार्य विचार के चरण पर है। बजट अनुमान 2009-10 में प्रदत्त 575 करोड़ रु. का परिव्यय संशोधित अनुमान स्तर पर लौटा दिया गया है तथा अगले वर्ष के लिए कार्य आस्थगित कर दिया गया है।
	(ii) साकेत, नई दिल्ली में कार्यालय भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान की अल्पता कम करना			31.03.2010 (कार्य आवंटित करने के लिए)	चालू वित्त वर्ष के दौरान परियोजना रोक दी गई है।
	(iii) भोपाल में कार्यालय भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान की अल्पता कम करना			31.03.2010 (कार्य आवंटित करने के लिए)	प्रारंभिक अनुमान प्राप्त हो गया है तथा गैर योजना व्यय समिति (सीएनई) के विचार के लिए प्रक्रिया के अधीन है। अगले वर्ष हाथ में लेने की संभावना है।
	(iv) एनएडीटी, नागपुर में उन्नत प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण	राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर में प्रशिक्षण की अवसंरचना में विस्तार करना।			31.03.2010 (कार्य आवंटित करने के लिए)	प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। अगले वर्ष हाथ में लेने की संभावना है।
	(v) एनएडीटी, नागपुर में नए छात्रावास का निर्माण				31.03.2010 (कार्य आवंटित करने के लिए)	24.10 करोड़ रु. के अनुमानित लागत से कार्य संस्वीकृत किया गया है। 5 करोड़ रु. की राशी जारी की गई है। अगले वर्ष के दौरान कार्य का और निष्पादन किया जाएगा।
3.	मुख्य शीर्ष 4216- लोक निर्माण पर पूंजी परिव्यय - आवास		15.00	3.10		वर्ष के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ।
	(i) गोल्फ्लिक, नई दिल्ली में अतिथि गृह का निर्माण	अतिथि गृह आवास की अल्पता को दूर करना			परिसंपत्ति सृजन 31.03.2010 (कार्य आवंटित करने के लिए)	प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
	(ii) नरिमन प्वाइंट, मुम्बई में आवासीय व कार्यालय भवन का निर्माण	आवासीय मकानों की अल्पता दूर करना			परिसंपत्ति सृजन 31.03.2010 (कार्य आवंटित करने के लिए)	एफएसआई में वृद्धि के कारण प्रारंभिक अनुमान (पीई) को संशोधन किया जा रहा है। कार्य अगले वर्ष हाथ में लिया जाए

परिव्यय 2010-11 के संदर्भ में परिणाम की स्थिति

क्र.स.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11 (करोड़ रु. में)		मात्रात्मक प्रदेय/ भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	31 दिसम्बर, 2010 के अनुसार स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान			
1	मुख्य शीर्ष 2020- आयकर का संग्रहण; सूचना प्रौद्योगिकी		275.00	200.00			
I.	व्यापक कंप्यूटरीकरण के चरण -III की भावी योजना	क) सिस्टम इंटीग्रेशन के साथ साफ्टवेयर की अधिप्राप्ति			<ul style="list-style-type: none"> वर्ष 2014-15 तक अनुमानित कार्यभार के निपटान के लिए कंप्यूटिंग क्षमता सभी प्रत्यक्ष कर संबंधी संव्यवहारों के निपटान के लिए एकल नेशनल डाटाबेस आयकर विभाग के कार्यालयों में प्रबंधन सुविधाएं 	जारी कोई संव्यवहार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। कार्यालय उनकी लंबिता के अनुसार आयकर विवरणियों को प्रोसेस करते हैं।	डाटाबेस समेकन की कार्यवाही पूरी हो गई है। किसी अप्रत्याशित घटना के मामले में विभिन्न केन्द्रों में स्थित पीडीसी से बीसीपी साइट में परिवर्तन की जांच करने के लिए 2010-11 में छमाही बीसीपी कवायद पूरी की गई। ई-फाइलिंग एवं सीपीसी के लिए डाटा के अलावा यह प्रणाली आयकर विभाग के 4000 समवर्ती प्रयोक्ताओं को आनलाइन सुविधाएं प्रदान कर रही है। 752 स्थानों पर 13000 आईटीडी अप्लीकेशन प्रयोक्ताओं को एसआई परियोजना के माध्यम से सुविधा प्रबंधन सेवाएं (एफएमएस) भी प्रदान की जा रही है। वेंडर द्वारा संविदा की शर्तों को लागू किए जाने के सत्यापन के बाद मई, 2009 में परियोजना स्वीकृति पूरी कर ली गई है। वित्त वर्ष 2009-10 में एसआई के पूरा होने के बाद, 2.54 करोड़ से अधिक आयकर विवरणियों को प्रोसेस किया गया है। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान 31.12.2010 तक, 1.5 करोड़ विवरणियों को प्रोसेस किया गया। परियोजना अधिवास के चरण पर आ चुकी है।
		ख) आयकर भवन वैशाली का एक सुरक्षित सूचना प्रौद्योगिकी हब में परिवर्तन तथा इसका रख रखाव			वैशाली भवन में परिवर्तन के बाद नेशनल कंप्यूटर सेंटर की स्थापना की जाएगी	परियोजना पूरा होने के उन्नत चरण पर है।	
		ग) अखिल भारतीय कर नेटवर्क की स्थापना, निगरानी एवं कार्यान्वयन			पूरे देश में आयकर कार्यालयों का नेटवर्क	चल रहा कार्यकलाप	सभी भवनों में लैन / वैन की संयोजकता पूरी कर ली गई है।
		घ) प्राथमिक, व्यवसाय सततता आयोजना तथा आपदा समुत्थान साइटों के लिए डाटा केन्द्रों को किराए पर लेना।			<ul style="list-style-type: none"> उद्योग मानकों को पूरा करने के लिए डाटा केन्द्रों में हार्डवेयर उपकरणों का को-लोकेशन 	चल रहा कार्यकलाप कोई लक्ष्य नहीं	सभी तीनों डाटा केन्द्रों अर्थात् प्राथमिक डाटा केन्द्र, व्यवसाय सततता आयोजना एवं आपदा समुत्थान स्थल संचालित हैं तथा हार्डवेयर की अपेक्षा के अनुसार उन्हें संवधित करने के लिए परिवर्तन अनुरोध जारी किए गए हैं।

1	2	3	4	5	6	7
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान		
II. कर सूचना नेटवर्क (टिन)	नेशनल सिक्स्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित से संबंधित सूचना के आधान के रूप में मेजबानी किया जाना	<ul style="list-style-type: none"> ऑन लाइन कर लेखांकन प्रणाली, टीडीएस विवरणियों से आनेवाली कर कटौतियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से टीडीएस खाता सृजित करने की सुविधा। वार्षिक सूचना विवरणियों के माध्यम से आने वाले उच्च मूल्य के वित्तीय संव्यवहार 	<ul style="list-style-type: none"> उपकरण तथा डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बीएस 7799 के सुरक्षा प्रमाण पत्र 	<ul style="list-style-type: none"> संभावी उच्च जोखिम कर अपवंचन मामलों की पहचान करना टीडीएस कटौतियों की ठीक-ठीक तथा तुरंत क्रेडिट, विवरणी दाखिल न करने वालों/विवरणी को बीच-बीच में दाखिल करने में चूक करने वालों की पहचान करना तथा कटौतियां कम करने के मामले टीडीएस विवरणियों की प्रोसेसिंग करदाताओं द्वारा अथवा उनकी और से कर कटौतीकर्ताओं द्वारा किए गए कर संदायों को देखने की सुविधाएं। करों की प्रभावी मानीटरिंग तथा संग्रहण के लिए विभाग के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए डैसबोर्ड सुविधाएं 	चल रहा कार्यकलाप	वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान 31.12.2010 तक, 3,44,834.00 करोड़ रूपए के लिए ओल्टास में 2,02,16,560 चालान प्राप्त हुए। पिछले वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान संग्रहण के लिए 4,27,624.73 करोड़ रूपए के लिए ओल्टास में 2,71,89,644 चालान प्राप्त हुए।
III. व्यवसाय प्रक्रिया रि-इंजीनियरिंग (बीपीआर)	साझेदारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्यमान व्यवसाय प्रक्रियाओं का सम्पूर्ण नवीकरण		<ul style="list-style-type: none"> बीपीआर रोलआउट प्लान तथा सलाहकार की रिपोर्ट को प्रस्तुत करना गवर्नेंस में आचार नियम पर प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट में शामिल व्यावहारिक संस्तुतियों का कार्यान्वयन 	<ul style="list-style-type: none"> बीपीआर रोलआउट प्लान तथा सलाहकार की रिपोर्ट को प्रस्तुत करना गवर्नेंस में आचार नियम पर प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट में शामिल व्यावहारिक संस्तुतियों का कार्यान्वयन 	चल रहा कार्य कलाप	बीपीआर पर रिपोर्ट केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को जनवरी, 2008 में प्रस्तुत किया गया तथा 18/19 एवं 24 मार्च, 2008 को पूर्ण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 64 संस्तुतियों में से 13 को परिवर्तित एवं स्वीकार किया गया, 47 को सम्पूर्णतः स्वीकार किया गया तथा 4 को अस्वीकार किया गया।
IV. कर दाता सेवाएं	हेल्पलाइन (आयकर सम्पर्क केन्द्र), आय कर विभाग की वेबसाइट तथा ई-अनुवृत्त सेवाओं के रूप में सूचना का		<ul style="list-style-type: none"> आयकर सम्पर्क केन्द्र से प्रदेय निम्नलिखित है <ul style="list-style-type: none"> पैन्, चालान, विवरणी प्रपत्र तथा संबंधित सूचना का प्रावधान 	<ul style="list-style-type: none"> आयकर सम्पर्क केन्द्र से प्रदेय निम्नलिखित है <ul style="list-style-type: none"> पैन्, चालान, विवरणी प्रपत्र तथा संबंधित सूचना का प्रावधान 	<ul style="list-style-type: none"> चालू कार्य कलाप कोई लक्ष्य नहीं। 	(i) विभाग द्वारा एक काल सेंटर, आयकर सम्पर्क केन्द्र स्थापित किया गया है जिसमें वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान 31.12.2010 तक 4,75,301 कॉल प्राप्त हुई।

1	2	3	4	5	6	7
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान		
		<p>प्रचार- प्रसार करने के लिए कर-दाताओं के साथ सहज, पारदर्शी, प्रत्यक्ष एवं प्रयोक्ता अनुकूल तालमेल कायम रखना,</p> <ul style="list-style-type: none"> - आयकर विवरणियों की ई-फाइलिंग वेब साइट पर करदाताओं को आनलाइन सुविधा प्रदान करना, - करों का ई-भुगतान, - प्रतिदाय की स्थिति का पता आन लाइन लगाना 	<ul style="list-style-type: none"> • प्रपत्रों को ई-मेल से भेजने की सुविधा • पैन संबंधी समस्याओं का निपटान • विभिन्न फार्मों/ चालानों तथा विवरणी तैयारी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कर संबंधी सूचना सुविधा का प्रावधान • आयकर विवरणियों की ई-फाइलिंग के लिए देशव्यापी सुविधा • निर्दिष्ट प्रतिदाय बैंकरों के माध्यम से प्रतिदायों का केन्द्रीकृत निर्गमन • प्रत्यक्ष कर के ई-भुगतान की सुविधा 	<p>अंतरण का परिमाण अंत प्रयोक्ता तथा कर दाताओं पर आधारित है।</p> <ul style="list-style-type: none"> - साफ्टवेयर का विमोचन तथा ई-फाइलिंग को सक्षम बनाना 	<ul style="list-style-type: none"> (ii) वेबसाइट में औसतन 13 लाख हिट्स प्रतिदिन हो रहे हैं तथा 2010-11 के दौरान अधिकतम हिट्स 55 लाख से अधिक रही। (iii) वेबसाइट को संवर्धित गतिविधियों एवं द्विभाषी/सक्षम विशेषताओं के साथ एक नए टेंडर के माध्यम से पुनः विकसित किया जा रहा है। (iv) वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए 31 दिसम्बर, 2010 तक 60,44,104 ई-विवरणियां प्राप्त हुईं। (v) अगले 5 वर्ष के लिए नए एस आई की नियुक्ति के लिए ई-फाइलिंग के लिए नई निविदा का कार्य चल रहा है। 	
V. प्रतिदाय बैंकर		<p>(क) आयकर प्रतिदायों का निर्धारण, उन्पादन, निर्गमन, प्रेषण, क्रेडिट तथा सुरक्षित सुपुर्दगी।</p> <p>(ख) प्रतिदाय प्रक्रिया को पूर्णतया स्वचालित गतिशील एवं पादरशी बनाना तथा एक बेहतर समय सीमा प्राप्त करना।</p>	<p>आयकर प्रतिदायों के निर्धारण, उत्पादन, निर्गमन, प्रेषण एवं प्रतिदायों की क्रेडिट तथा प्रभावी एवं सुरक्षित सुपुर्दगी के लिए एक प्रणाली आधारित प्रक्रिया। प्रतिदायों के वास्तविक निर्गमन अथवा क्रेडिट में एक तीसरे पक्षकार को शामिल किया गया है ताकि प्रक्रिया पूर्णतया स्वचालित, गतिशील तथा पारदर्शी रहे और एक बेहतर समय सीमा प्राप्त की जा सके।</p> <p>प्रतिदाय की सुपुर्दगी के लिए एक वेब आधारित स्थिति का पता लगाने की सुविधा।</p>		<ul style="list-style-type: none"> (i) दिल्ली तथा पटना में प्रयोगों की समाप्ति के पश्चात इस योजना को 4 (चार) और स्टेशनों अर्थात कोलकाता, मुम्बई, बंगलौर तथा चेन्नई में विस्तारित की गई (ii) अक्तूबर, 2009 से इस योजना को 9 (नौ) और स्टेशनों में विस्तारित किया गया। (iii) इसके अतिरिक्त अगस्त/सितम्बर, 2010 से इस योजना को देश भर में चरणबद्ध रूप से सभी कारपोरेट प्रभागों के लिए विस्तारित कर दी गई। (iv) वित्तीय वर्ष 2010-11 (31.12.2010 तक) में प्रतिदाय बैंकर योजना के माध्यम से भेजे गए प्रतिदायों की संख्या 37 लाख (लगभग) थी और यह इस अवधि के दौरान पूरे भारत में निर्गमित कुल प्रतिदायों का 69 प्रतिशत है। 	
VI. केन्द्रीकृत संसाधन केन्द्र (सीपीसी) परियोजना		<p>(क) कागज आधारित एवं इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर आय कर विवरणियों (आई टी आर) का केन्द्रीकृत संसाधन।</p>	<ul style="list-style-type: none"> (i) सीपीसी शुरू में देश भर के इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर आयकर विवरणियां (आईटी आर) तथा बंगलौर के लिए भौतिक आई टी आर के अंतरणों का संसाधन करेगा 	<ul style="list-style-type: none"> • सीपीसी 1.9.2009 से प्रयोग परिणाम शुरू करेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> • जनवरी, 2010 से बंगलौर के कर निर्धारण वर्ष (ए वाई) 2008-09 के कागजी वेतन विवरणियों का डिजिटलीकरण एवं संसाधन शुरू हुआ। • अप्रैल, 2010 तक कर निर्धारण वर्ष 2009-10 के इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल विवरणियों का संसाधन शुरू किया गया। 	

1	2	3	4	5	6	7
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान		
		(ख) सी पी सी विभाग को करदाताओं की संख्या में तीव्र वृद्धि से निपटाने में और परिणामतः कर्मचारियों के लिए कार्य की मात्रा से निपटने में समर्थ बनाएगा।		(ii) जब सीपीसी स्थिर हो जाएगा तब कर्नाटक एवं गोवा तथा समीपवर्ती राज्य के भौतिक आई टी आर भी प्रचालन बढ़ाने के लिए सीपीसी को दिए जाएंगे।	• मार्च, 2010 तक व्यापक उत्पादन।	<ul style="list-style-type: none"> • नवम्बर, 2010 में कर निर्धारण वर्ष 2010-11 की ई-विवरणियों का भी संसाधन शुरू किया गया। • 73 लाख से अधिक आयकर विवरणियों का संसाधन किया गया (कर निर्धारण वर्ष 2008-09, कर निर्धारण वर्ष 2009-10 तथा कर निर्धारण वर्ष 2010-11 का) • 16 लाख से अधिक प्रतिदायों का सृजन किया गया (कर निर्धारण वर्ष 2008-09, कर निर्धारण वर्ष 2009-10 तथा कर निर्धारण वर्ष 2010-11 का) • कर निर्धारण वर्ष 2009-10 तथा कर निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए करदाताओं से 80 लाख से अधिक आई टी आर दृज (करदाताओं द्वारा अपनी ई-विवरणियों को विधिमान्य बनाने के लिए हस्ताक्षरित एवं प्रस्तुत एक पृष्ठ का सत्यापन फार्म) प्राप्त हुए तथा ई मेल द्वारा उनकी पावती भेजी गई। • वित्त वर्ष 2007-08 से आगे के 75 करोड़ से अधिक टीडीएस एवं कर भुगतान डाटा एन्ट्री तथा 932,000 शेष बकाया मांग एन्ट्री जो 1.64 लाख करोड़ रूपए के बराबर थी, वित्तीय लेखांकन प्रणाली में आयातित की गई। • आयकर विवरणियों के कर संसाधन के लिए 2000 से अधिक कारोबार नियमों की रूपरेखा तैयार की गई तथा उनको कार्यान्वित किया गया। • 1.5 लाख से अधिक आयकर विवरणियों का भिन्नता एवं परीक्षण हेतु मामला दर मामला सत्यापन किया गया। • कॉल सेंटर द्वारा 1.5 लाख से अधिक कर दाताओं के कॉल एटेन्ड किया गया। • प्रतिदिन 1 लाख से अधिक विवरणियां संसाधित करने की क्षमता। • इसके अतिरिक्त, अब एक समग्र वित्तीय लेखांकन प्रणाली सहित एक पूर्णतया नई सॉफ्टवेयर प्रणाली ने पुरानी प्रणाली का स्थान ले लिया है।
		(ग) यह विभाग को पूरे विश्व में सर्वोत्तम कर प्रशासनों द्वारा प्रदत्त आधुनिक नागरिक सेवाएं तथा अधिक दक्ष प्रक्रियाएं शुरू करने में समर्थ बनाएगा।		(iii) बंगलौर स्थित सी पी सी में अंचल के 20 लाख कागजी विवरणी तथा 60 लाख इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल विवरणियों को संसाधित करने की क्षमता होगी।		
				(iv) अंततः ऐसी परिकल्पना है कि बंगलौर के सी पी सी से अनुभव व सबक लेकर पूरे देश में सीपीसी मॉडल को दोहराया जाएगा।		

1	2	3	4	5	6	7
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान		
2.	मुख्य शीर्ष-4059 लोक निर्माण- कार्यालय भवनों में पूंजीगत परिव्यय		1663.00	1561.59		
I.	सिविक सेंटर, मिंटो रोड, कार्यालय के लिए स्थान की नई दिल्ली में कार्यालय के लिए स्थान को खरीद	कार्यालय के लिए स्थान की कमी को दूर करना		दिल्ली में कार्यालय स्थान की कमी को दूर करने के लिए लगभग 51,768 वर्ग मीटर माप का उत्कृष्ट निर्मित क्षेत्र का कार्यालय स्थान उपलब्ध होगा।	31.3.2011	सहमत शर्तों के अनुसार 600 करोड़ रूपए की पहली किश्त का भुगतान दिल्ली नगर निगम को कर दिया गया है। एम सी डी द्वारा भवन का हस्तांतरण किया जाना अभी बाकी है।
II.	साकेत, नई दिल्ली में कार्यालय भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करना।		परिसम्पत्ति सर्जन	31.3.2011	इस भूमि पर राजस्व सेवा अनुसंधान संस्थान के निर्माण पर अंतिम निर्णय लंबित होने के कारण इस परियोजना को स्थगित रखा गया है।
III.	भोपाल में कार्यालय भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करना।		परिसम्पत्ति सर्जन	-	परियोजना मैसर्स एन बी सी से वापस ले लिया गया है और इसे केन्द्रीय लोक विभाग को दिए जाने की संभावना है जिसके लिए उनसे प्राथमिक आकलन की प्रतीक्षा की जा रही है।
IV.	एन ए डी टी, नागपुर में आधुनिक प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण	राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर में प्रशिक्षण के लिए अवसंरचना का विस्तार करना		परिसम्पत्ति सर्जन	31.12.2011	प्रशासनिक अनुमोदन तथा वित्तीय स्वीकृति 4 अगस्त, 2010 को दे दी गई है और कार्य प्रगति पर है।
V.	एन ए डी टी, नागपुर में नए छात्रावास का निर्माण	राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर में प्रशिक्षण के लिए अवसंरचना का विस्तार करना		परिसम्पत्ति सर्जन	30.6.2011	परियोजना का कार्यसम्पादन मैसर्स राष्ट्रीय भवन निर्माण कम्पनी द्वारा किया जा रहा है और 30.6.2011 तक पूरा होने की संभावना है।
VI.	सेक्टर 24, नोयडा में कार्यालय भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी दूर करना		परिसम्पत्ति सर्जन	31.3.2012	प्रस्ताव विचाराधीन स्थिति में है।
VII.	आसनसोल में चार-दीवारी सहित कार्यालय भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी दूर करना		परिसम्पत्ति सर्जन	-	इस परियोजना को इस अनुदान से वापस ले लिया गया है और अब इसे शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदान के अन्तर्गत केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यसम्पादित किया जाएगा।
VIII.	चौकीटिंगी, डिब्रुगढ़ में कार्यालय भवन तथा कर्मचारी क्वार्टरों का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी दूर करना		परिसम्पत्ति सर्जन	-	इस परियोजना को वापस ले लिया गया है।


केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के समग्र निष्पादन की प्रमुख विशेषताएं

हाल के वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में समग्र रूप से आयकर विभाग का भौतिक निष्पादन निम्नवत रहा है :

- (i) इस अवधि के दौरान 25.75% की औसत वार्षिक वृद्धि पर प्रत्यक्ष करों का संग्रहण वर्ष 2004-05 में 1,32,771 करोड़ रुपये से तिगुना बढ़कर वर्ष 2009-10 में 3,77,982 करोड़ रुपये हो गया है।

भी जारी रही जिससे केन्द्रीय करों में लगभग 65% का योगदान हुआ।

- (iii) प्रत्यक्ष कर द्र सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में वर्ष 2003-04 में 3.81% से वर्ष 2009-10 में 6.07% प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
- (iv) हाल के वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रहण की लागत में निरंतर गिरावट आ रही है। इसमें वर्ष 2001-02 में संगृहीत 1.35 पैसे प्रति रूपए से वर्ष 2009-10 में संगृहीत 0.72 पैसे प्रति रूपए तक जबड़दस्त गिरावट आई।



- (ii) वर्ष 2007-08 में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा प्रथम बार अप्रत्यक्ष करों के हिस्से से अधिक हुआ तथा केन्द्रीय करों में लगभग 52.6% का योगदान किया। यह प्रवृत्ति वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में

- (v) 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार विभाग के स्वामित्व वाली भौतिक परिसम्पत्ति 2241.26 करोड़ रूपए थी। परिसम्पत्ति का ब्यौरा निम्नवत चित्रित किया गया है।

परिणामी बजट 2010-11 के अन्तर्गत स्कीमों की संक्षिप्त स्थिति अनुदान संख्या 42 - प्रत्यक्ष कर

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	स्कीम	2009-10			2010-11			2011-12
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	31.12.2010 को वास्तविक	ब.अ.
1	प्रमुख शीर्ष 2020 - आयकर संग्रहण - गैर योजनागत के संबंध में "सूचना प्रौद्योगिकी" के अन्तर्गत स्कीमों	225.00	213.75	191.02	275.00	200.00	96.16	225.00
2	कार्यालय भवन का क्रय	602.00	17.00	7.42	1663.00	1561.59	643.44	877.70
3	तैयार निर्मित फ्लैटों का क्रय	15.00	3.10	0	15.00	47.41	43.40	27.00
योग		842.00	233.85	198.44	1953.00	1809.00	783.00	1129.70
संशोधित अनुमान के संबंध में प्रतिशतता				84.86				43.28

वित्तीय समीक्षा

वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के लिए बजट अनुमान/संशोधित अनुमान के प्रावधानों के मुकाबले में वास्तविक व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़)

विवरण	मुख्य शीर्ष	2008-09			2009-10			2010-11			31.12.2010 तक वास्तविक
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.		
राजस्व खंड											
आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण	2020	1620.49	2128.17	2052.96	2637.42	2748.91	2488.66	2773.88	2666.93	1927.65	
सम्पदा शुल्क, धन पर कर तथा उपहार कर का संग्रहण	2031	151.51	198.96	195.45	246.58	70.49	237.19	71.12	68.38	0.00	
कुल राजस्व खंड		1772.00	2327.13	2248.41	2884.00	2819.40	2725.85	2845.00	2735.31	1927.65	
पूंजीगत खंड											
तैयार निर्मित कार्यालय भवन का क्रय	4059	198.00	188.25	82.88	602.00	17.00	7.42	1663.00	1561.59	643.44	
तैयार शुदा निर्मित आवासीय भवन का क्रय	4216	3.00	1.00	0.00	15.00	3.10	0.00	15.00	47.41	43.40	
आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण	4075	2.00	1.25	0.61	1.00	0.90	1.88	1.00	1.00	0.69	
कुल पूंजीगत खंड		203.00	190.50	83.49	618.00	21.00	9.30	1679.00	1610.00	687.53	
महा योग		1975.00	2517.63	2331.90	3502.00	2840.40	2735.15	4524.00	4345.31	2615.18	

वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के लिए बजट अनुमान/संशोधित अनुमान के मुकाबले में लक्ष्य शीर्ष-वार व्यय

(₹ करोड़)

विवरण	2008-09			2009-10			2010-11			31.12.2010 तक वास्तविक
	मुख्य शीर्ष	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	
राजस्व खंड										
वेतन		958.00	1431.00	1399.95	1859.40	1859.40	1833.85	1700.00	1710.25	1401.18
मजदूरी		12.00	14.00	14.10	18.00	17.10	16.05	18.00	17.00	11.37
समयोपरि भत्ता		1.20	1.08	0.72	1.20	1.05	0.69	1.00	0.80	0.35
चिकित्सा उपचार		21.00	19.95	17.55	21.00	19.95	17.82	21.00	21.00	12.52
घरेलू यात्रा व्यय		25.00	25.00	23.83	29.00	35.00	33.76	35.00	35.00	23.84
विदेश यात्रा व्यय		0.75	0.68	0.23	1.00	1.00	0.37	1.10	1.10	0.39
कार्यालय व्यय (प्रभारित)		0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00
कार्यालय व्यय (स्वीकृत)		319.98	399.98	392.83	461.98	400.04	398.59	499.98	450.94	255.33
किराया, दरें एवं कर		100.00	100.00	94.58	180.00	180.00	147.28	200.00	160.00	76.94
प्रकाशन		2.50	2.50	2.27	2.70	2.43	2.00	2.80	2.50	1.52
बैंककारी नकद संव्यवहार कर		0.10	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य प्रशासनिक व्यय		5.75	7.68	6.83	10.50	11.35	10.60	10.30	17.42	8.37
विज्ञापन एवं प्रचार		30.00	30.00	29.91	38.00	40.00	39.13	40.00	80.00	24.25
लघु कार्य		7.00	7.00	7.17	7.50	7.10	5.67	9.00	7.50	1.47
व्यावसायिक कार्य		15.00	15.00	14.55	20.00	23.00	21.96	23.00	23.00	9.30
चंदा		0.20	0.20	0.17	0.20	0.19	0.15	0.30	0.30	0.00
गुप्त सेवा व्यय		4.00	3.80	3.23	4.00	3.80	3.69	4.00	4.25	3.07
अन्य प्रभार		4.50	4.22	2.56	4.50	4.22	3.21	4.50	4.25	1.59
अन्तर लेखा अंतरण		40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सूचना प्रौद्योगिकी		225.00	225.00	197.92	225.00	213.75	191.02	275.00	200.00	96.16
कुल राजस्व खंड		1772.00	2327.13	2248.41	2884.00	2819.40	2725.85	2845.00	2735.31	1927.65


विवरण	2008-09			2009-10			2010-11		31.12.2010 तक वास्तविक
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	
पूंजीगत खंड									
एम एच - 4059									
तैयार निर्मित कार्यालय भवन का अधिग्रहण	198.00	188.25	82.88	602.00	17.00	7.42	1663.00	1561.59	643.44
एम एच - 4216									
तैयार निर्मित फ्लैटों का अधिग्रहण	3.00	1.00	0.00	15.00	3.10	0.00	15.00	47.41	43.40
एम एच - 4075									
आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-XX ग के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण	2.00	1.25	0.61	1.00	0.90	1.88	1.00	1.00	0.69
कुल पूंजीगत अनुभाग	203.00	190.50	83.49	618.00	21.00	9.30	1679.00	1610.00	687.53
महा योग	1975.00	2517.63	2331.90	3502.00	2840.40	2735.15	4524.00	4345.31	2615.18

अनुदान संख्या 42 - प्रत्यक्ष कर में व्यय प्रवृत्तियों का विश्लेषण

वर्ष 2010-11 के दौरान 31 दिसम्बर, 2010 तक किया गया कुल व्यय 2615.18 करोड़ रुपये है जो कुल बजट अनुमान प्रावधान का 58 प्रतिशत बैठता है। इसमें से, राजस्व खंड के अंतर्गत व्यय 1927.65 करोड़ रुपये है जो इस खंड के अन्तर्गत बजट अनुमान 2010-11 कर 68 प्रतिशत है। 'वेतन' के लिए प्रावधान 1700 करोड़ रूपए है जिसके विपरीत दिसम्बर तक व्यय 1401.18 करोड़ रूपए है। राजस्व खंड के अन्तर्गत व्यय का अन्य प्रमुख संघटक 'कार्यालय व्यय' है जिसमें 500 करोड़ रूपए का बजट अनुमान का प्रावधान है जिसके विपरीत दिसम्बर, 2010 तक किया गया व्यय 255.33 करोड़ रूपए है। 'सूचना प्रौद्योगिकी' के अन्तर्गत 275

करोड़ रूपए के बजट अनुमान का प्रावधान किया गया है जिसके विपरीत दिसम्बर, 2010 तक व्यय 96.16 करोड़ रूपए है। 'पूंजीगत खंड' के अन्तर्गत दिसम्बर, 2010 तक व्यय 687.53 करोड़ रूपए है जो इस खंड के अन्तर्गत बजट अनुमान प्रावधान का 41 प्रतिशत बैठता है।

व्यय की वर्तमान प्रवृत्ति तथा कार्य की भौतिक प्रगति का ध्यान में रखते हुए संशोधित अनुमान 2010-11 में 4345.31 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। संशोधित अनुमान 2010-11 के प्रमुख संघटकों को नीचे चित्रित किया गया है-



अप्रत्यक्ष कर

प्रस्तावना

यह मांग केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना से संबंधित है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर की उगाही एवं संग्रहण से संबंधित नीतियों के सूत्रपात के लिए तथा तस्करी एवं शुल्क अपवंचन की रोकथाम के लिए जिम्मेदार है। यह आर्बटिब कार्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के 94 आयुक्तालयों, सीमा शुल्क के 35 आयुक्तालयों तथा सेवा कर के 6 आयुक्तालयों की सहायता से किया जाता है। आयुक्त से नीचे के रैंक के अधिकारियों द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील का निर्णय करने के अर्धन्यायिक अपीलीय एवं कर वसूली की मशीनरी है। कामकाज में बोर्ड की सहायता के लिए निम्नलिखित संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय कार्य करते हैं:-

- | | |
|--|--|
| (i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना निदेशालय | (ix) लेखा परीक्षा निदेशालय |
| (ii) राजस्व आसूचना निदेशालय | (x) रक्षोपाय निदेशालय |
| (iii) निरीक्षण निदेशालय | (xi) निर्यात संवर्धन निदेशालय |
| (iv) मानव संसाधन विकास निदेशालय | (xii) सेवा कर निदेशालय |
| (v) राष्ट्रीय सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं स्वापक अकादमी | (xiii) मूल्यांकन निदेशालय |
| (vi) सर्तकता निदेशालय | (xiv) प्रचार एवं जन संपर्क निदेशालय |
| (vii) प्रणाली निदेशालय | (xv) संभारतंत्र निदेशालय |
| (viii) डेटा प्रबंधन निदेशालय | (xvi) विधायी कार्य निदेशालय |
| | (xvii) मुख्य विभागीय प्रतिनिधि का कार्यालय |
| | (xviii) केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला |

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड का प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक राजस्व संग्रहण एवं विभाग द्वारा किए गए व्यय के लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है।

यह मांग 56,233 अधिकारियों और स्टाफ के कार्यबल के प्रावधान को कवर करता है जिसमें से 29.79% राजपत्रित तथा शेष गैर-राज पत्रित अधिकारी होते हैं।

आगामी विवरण में वित्तीय वर्ष 2011-12 का परिव्यय एवं परिणाम दर्शाया गया है।

परिव्ययों एवं परिणामों का विवरण 2011-12

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2011-12 (करोड़ रु. में)		परिमाणात्मक विवरण/ भौतिक उत्पादन	परिलक्षित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम
1	2	3	4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत	5	6	7	8
1	मुख्य शीर्ष 2037 और 2038 सूचना प्रौद्योगिकी	ई-गवर्नेन्स हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढीकरण	150.00	शून्य	- अखिल भारतीय विस्तृत क्षेत्रीय नेटवर्क की स्थापना - केन्द्रीय सर्वरों को लगाना (हार्डवेयर, भंडारण सुरक्षा अवसंरचना) अर्थात् प्रणाली समेकन	- केन्द्रीय उत्तपाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अंतर्गत सभी कार्यालयों का राष्ट्रीय डेटा केन्द्र, व्यसाय सततता और विपदा निराकरण साईटों के साथ देश-व्यापी संपर्क - विभाग केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड/ प्रणाली तक पहुंचने के लिए सभी विभागीय एवं बाहरी प्रयोक्ताओं को कम्प्यूटिंग, आंकड़ा भंडारण, प्रणाली सुरक्षा अवसंरचना, केन्द्रीय सुविधा प्रबंधन एवं संबंधित कार्य विशिष्टताओं की सुविधा प्रदान करने हेतु नई पीढी के सर्वरों और भंडारण का अधिग्रहण करेगा। ये राष्ट्रीय आंकड़ा केन्द्र, व्यवसाय सततता और विपदा निराकरण साईटों पर स्थित होंगे। विभाग के सभी आवेदन केन्द्रीयकृत रूप से इस अवसंरचना में दर्ज होंगे।	539 में से 506 साईट प्रदान किए गए हैं। चरण-I और चरण-II का कार्यान्वयन कार्य को बंद घोषित कर दिया गया है। वेंडर द्वारा अन्य साईटें शीघ्र प्रदान की जाएंगी। उपस्कर लगाए और चालू किए जा चुके हैं। प्रणाली स्वीकृति लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है अर्थात् सीमा शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के लिए साफ्टवेयर लगा दिये गये हैं और तीन राष्ट्रीय डाटा केन्द्रों से ये काम कर रहे हैं।	परिवर्तन प्रबंधन में व्यापक प्रयास अपेक्षित है। संशोधित लागत के लिए सी एन ई/सी सी ई ए अनुमोदन क्रमशः दिनांक 09.08.2007 और 29.11.2007 को प्राप्त कर लिया गया था।
					- सभी विभागीय प्रयोक्ताओं	- इस नेटवर्क का प्रयोग	- 1210 साईटों में से 1154	संशोधित लागत के

1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत			
				के लिए स्थानीय क्षेत्रीय नेटवर्क का प्रावधान	करते हुए विभागीय प्रयोक्ताओं सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर में दिए गए सभी आवेदनों को देख सकते हैं।	साइटों में एल ए एन कनेक्टिविटी प्रदान कर दी गई है केवल उन्ही साइटों में यह कनेक्टिविटी दी गई है जो हटाये जाने वाले है या किसी बड़े मुद्दे से ग्रस्त हैं।	लिए सी एन ई/सी सी ई ए अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।
				- डेटा वेयर हाऊस की स्थापना	- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर सभी के आंकड़ों का केन्द्रीयकृत भंडारण बन जाएगा। ये आंकड़े वेब पर सभी प्रयोक्ता वर्गों को प्रयोक्ता सुलभ इंटरफेस के साथ उपलब्ध होगा।	सभी सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर रिपोर्टों को जिनकी उपयोग कर्ताओं को जरूरत होती है, पब्लिक पोर्टल पर दे दिया गया है जो अब चुनिदा उपयोगकर्ताओं को सुलभ हो गई हैं। प्रयोगकर्ता स्वीकृति परिक्षण का कार्य पूरा हो गया है और अभिज्ञात सी बी ई सी प्रयोगकर्ताओं के लिए परियोजना को रोल आउट किया जा रहा है।	
				- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर (ए सी ई एस) का स्वचलन	- सभी व्यवसाय प्रक्रियाओं के स्वचालित कार्य प्रवाह के जरिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर निर्धारितियों के लिए सर्वाधिक पारदर्शिता एवं कम इंटरफेस को सुनिश्चित करना।	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के सभी 104 आयुक्तालयों में दिनांक 23.12.2009 को सभी माड्यूलों के साथ एसीई एस को अखिल भारतीय स्तर पर पूरा कर लिया है।	----
				- सीमा शुल्क उन्नयन के लिए गेटवे परियोजना	सीमा शुल्क के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज हेतु प्रणाली स्थानीय स्तरों पर चालू थी। सीमा शुल्क समुदाय को एक सूत्र में जोड़ने के	कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। 90 स्वचलित सीमा शुल्क केन्द्रों पर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज सुविधा शुरू हो गई है। हवाई अड्डों और आई सी डी के 37 स्थानों को	समुद्रीय आई सी ई एस 1.5 के अनुप्रयोग की और व्यापार साझेदारों की तत्परता।

1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत			

दृष्टिकोण से गेटवे परियोजना शुरू की गई थी। इस परियोजना के जरिए सीमा शुल्क दस्तावेजों की ई-फाइलिंग से ऑनलाईन मूल्यांकन, शुल्क भुगतान और क्लियरेंस प्रक्रिया में सुधार हुआ है। गेटवे परियोजना के लिए उत्थान कार्य का लक्ष्य समेकित माहौल में इलेक्ट्रॉनिक कारोबार को देखने हेतु क्षमताओं का विकास करना और सीमा शुल्क व्यापार साझेदारों को सेवा प्रदान करने की गुणवक्ता में वृद्धि करना है।

जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आर एम एस) की स्थापना

सभी प्रमुख पत्तनों/वायुपत्तनों जोखिम प्रबंधन प्रणाली शुरू कर दी गई है जिसके अंतर्गत भारत का 85% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कवर होता है। इन सभी स्थानों पर 24 निर्यात संवर्द्धन योजनाओं में जोखिम प्रबंधन प्रणाली लागू हो गई है।

इस परियोजना के 2011 तक पूरा हो जाने की आशा है।

आई सी ई एस 1.5 अनुप्रयोग की उपलब्धता

1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत			
					<p>जोखिम प्रबंधन प्रणाली के एक नये संस्करण (आर एम एस 3.1) को केन्द्रीय सर्वर पर लागू कर दिया गया है और यह 47 स्थानों पर कार्य करने लगा है।</p> <p>शेष स्थानों पर आर एम एस 3.1 को चालू करना इन स्थानों पर आई सी ई एस 1.5 के रोल आउट पर निर्भर करता है। अधिकृत ग्राहक कार्यक्रम (एक्रेडिटेड क्लाइट प्रोग्राम इस आर एम एस को एक प्रमुख भाग है जिसके द्वारा कुछ बड़े-बड़े आयातकर्ताओं को प्रमुख अनुपालन कर्ता के रूप में अभिज्ञात किया जाता है और ऐसे सी पी को आर एम एस की विश्वसनीय सुविधा प्रदान की जाती है।</p>		
			करदाताओं की सुविधा के लिए बड़ी करदाता यूनिटों हेतु पोर्टल का गठन	पोर्टल करदाताओं का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर तथा आयकर/ कारपोरेट कर के साथ पत्राचार को सुकर बनाता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड/ केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के कर प्रशासन और बड़े कर दाताओं के बीच एकल बिन्दु इंटरफेस होगा ।	एक एल टी यू विशिष्ट वेबसाइट विकसित किया गया है। वर्तमान समय में एल टी यू बंगलोर, चेन्नई, मुम्बई और दिल्ली में चल रही है।	एल टी यू की वेबसाइट स्थापित कर दी गई है।	

1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत			
2.	मुख्य शीर्ष 4047 - निवारक कार्य-जहाजों एवं बेड़े की अधिप्राप्ति	तस्करी रोधी क्षमता का सुदृढीकरण एवं संवर्धित तटीय सुरक्षा	13.50	शून्य	वर्ष 2011-12 के दौरान विभाग को वर्ग-II के 08 जहाज उपलब्ध करा दिये जायेंगे ।	आधुनिक फास्ट वेसल से सीमा शुल्क विभाग की तस्करी रोधी क्षमता सुदृढ होगी। संवर्धित तटीय सुरक्षा से घातक/निषिद्ध माल की तस्करी को रोकने, पर्यावरणीय खतरों का निवारण करने तथा खतरे में पड़ी प्रजातियों का संरक्षण करने में मदद मिलेगी ।	संवर्ग I,III क और III ख की कुल 87 जलयानों को प्राप्त करने के आदेश मार्च, 2007 में बोट निर्माताओं को दे दिए गए हैं। संवर्ग II के 22 जलयानों की आपूर्ति के आदेश दिसम्बर, 2008 में वोट निर्माताओं को दे दिया गया है । संवर्ग-IIIक और IIIख में सभी जलयान (IIIक में 30 और IIIख में 33) बोर्ड निर्माता द्वारा सुपुर्द कर दिया गया है। संवर्ग-I में 24 जलयान अगस्त 2010 तक प्राप्त कर लिये गये है। इस संवर्ग में सभी जलयानों की सुपुर्दगी वर्ष 2010-11 तक पूरी हो जाएगी। संवर्गII में 8 यान दिसम्बर, 2010 तक प्राप्त हो गये है। इस संवर्ग में सभी 22 वेसलों की सुपुर्दगी वर्ष 2011-12 तक पूरी हो जाएगी।

1	2	3	4	5	6	7	8	
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत				
3.	मुख्य शीर्ष 4047 तस्करोधी उपस्करों का अधिग्रहण	कार्गो क्लियरेंस, कंटेनर ट्रेफिक की अधिकता के प्रभावी निपटान, नन-इंट्रूसिव जांच के माध्यम से संबंधित सीमा शुल्क नियंत्रण	70.00	शून्य	172.94 करोड़ रु. (आवर्ती) और 18.61 करोड़ रु. (अनावर्ती)की कुल परियोजना लागत से 3 मोबाइल गामा रे स्कैनरों को लगाना, आदेश देना और 4 फिक्स्ड एक्स रे स्कैनरों के लिए सिविल निर्माण की शुरुआत ।	कंटेनरों की नन- इंट्रूसिव स्कैनिंग ट्यूटी कोरिन, चेन्नई और कांडला पोर्टों पर शुरु होगी। फिक्स्ड स्कैनरों को ट्यूटी कोरिन, चेन्नई, कांडला और मुम्बई पोर्टों पर लगाया जाएगा । अनियमिता की बड़ी संख्या में मामलों का पता लगाने में इससे और अधिक राजस्व संग्रहीत होगा और कार्गो के क्लियरेंस में तेजी आयेगी आदि	वर्ष 2011-12 और 2012-13 में क्रमशः 3 मोबाइल स्कैनर और 4 फिक्स्ड स्कैनर लगाये जाने की आशा है। पात्र बोली लगाने वालों को ठेका दिये जाने की स्वीकृति मोबाइल स्कैनरों के मामले में 6 अगस्त, 2010 को और फिक्स्ड स्कैनरों के मामले में 24 सितम्बर, 2010 को जारी कर दी गई है। चयनित बोली लगाने वालों को अभी आपूर्ति आदेश नहीं दिये गये हैं क्योंकि इन स्कैनरों को लगाने के लिये जमीन को संबंधित पोर्ट प्राधिकारियों द्वारा सीमा शुल्क विभाग को अभी अंतरित किया जाना है।	परियोजना की प्रगति पोर्ट प्राधिकरण से भूमि के अधिग्रहण और सांविधिक प्राधिकरण से समय पर अनुमोदन पर निर्भर करता है। परियोजना कार्यान्वयन समिति द्वारा प्रगति की मानीटरिंग की जा रही है।
4.	मुख्य शीर्ष 4059 - कार्यालय गृह का अधिग्रहण	कार्यालय के लिए जगह की कमी को पूरा करने के लिए	40.00	शून्य	कार्यालय के लिये जगह की खरीद से कार्यालय की स्थान संबंधी कमी पूरी हो जायेगी ।	कार्यालय के लिए अपने पास पर्याप्त जगह रहने से विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी	-एन बी सी सी बिल्डिंग, साकेत, नई दिल्ली में कार्यालय के लिए स्थान की मार्च, 2008 में खरीद के लिये और आगे भुगतान। नवम्बर, 2006 में युनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के विशिष्ट प्रतिष्ठानों से भवनों की खरीद के मामले में स्थानीय प्राधिकरण यथा मुम्बई नगर निगम को स्टाम्प ड्यूटी और प्रभारों का भुगतान।	ऐसे मामले में भुगतान विभिन्न औपचारिकताओं पर निर्भर करता है जिसमें संबंधित प्राधिकारियों से परामर्श करना भी शामिल है।

1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत			
5.	मुख्य शीर्ष 4216 रिहायशी आवासों का अधिग्रहण	रिहायशी आवास संबंधी कमी को पूरा करना	4.00	शून्य	रिहायशी आवासों की खरीद से आवास संबंधी कमी पूरी हो जायेगी	रिहायशी आवासीय सुविधाओं की उपलब्धता से कर्मचारियों में संतोष पैदा होगा और इससे प्रेरणा और परिणाम में बढ़ोत्तरी होगी	गुवहाटी में कार्यालय के लिए भी भवन की खरीद और अन्य छोटे मोटे प्रस्तावों के लिए भुगतान किये जाने की आशा है। ऐजल में आवासीय परिसरों की खरीदारी के लिए भुगतान तथा अन्य जारी परियोजनाओं के संबंध में संभावित अन्य भुगतान जे एफ आर में विहित प्रक्रिया का पालन करने के बाद इन प्रस्तावों में सी पी डब्लू डी, शहरी विकास मंत्रालय, एस एफ सी आदि से क्लियरेंस प्राप्त करना भी शामिल है।

**सुधारात्मक उपाय और नीतिगत कदम
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड**

कम्प्यूटरीकरण और आटोमेशन के क्षेत्र में उठाये गये कदम

कम्प्यूटरीकरण की एक भावी और महत्वाकांक्षी परियोजना शुरु की गई है जिससे की सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर सेवाओं को समेकित किया जा सके, सभी प्रणाली को एक ही नेटवर्क/फ्लेटफार्म पर लाया जा सके और डाटा वेयर हाउस तथा डिजास्टर रिकवरी साइट को स्थापित किया जा सके। यह योजना अभी चल रही है। ड्यूटी का अपवंचन करने वाले बड़े-बड़े लोगों, तश्करों का पता लगाने और अनुपालन सहित व्यापार को सुकर बनाने की दृष्टि से एक रिस्क एसेसमेण्ट/ मैनेजमेण्ट साफ्टवेयर विकसित किया गया है। एक जोखिम प्रबंधन प्रभाग स्थापित किया गया है जिससे कि इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा सके।

विभाग और क्लाइन्ट्स दोनों को लाभ पहुंचाने की की दृष्टि से किये गये उपर्युक्त उपायों का उद्देश्य आंकलन कार्य में और शुल्क के संग्रहण में सहायता पहुंचाना है और निम्नलिखित तरीके से विभाग की क्षमता में और अधिक वृद्धि करना है यथा:-

- (क) कार्गो के क्लियरन्स में तेजी लाना
- (ख) प्रक्रिया के चरणों की सं. संव्यवहार के समय और खर्च में कमी लाना
- (ग) गेटवे के माध्यम से सीमा शुल्क दस्तावेजों की ई-फाइलिंग आन लाइन मूल्यांकन, शुल्क भुगतान और क्लियरन्स प्रक्रिया
- (घ) कोर बैंकिंग समाधान के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से सीमा शुल्क का ई-भुगतान
- (ङ.) बैंक में प्रति अदायगी की इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट
- (च) टेली इन्क्वायरी, टच स्क्रीन कियोस्क, एस एम एस आदि जैसे इन्टरेक्टिव वायस रिस्पान्स सिस्टम्स
- (छ) स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना
- (ज) प्रक्रिया का सरलीकरण
- (झ) विभिन्न कर प्रणालियों के बीच सहवर्ती प्रक्रिया
- (ञ) पारदर्शिता
- (ट) मैनुअल इन्टरफेश को न्यूनतम करना

598.97 करोड़ रुपये के खर्च वाली-समेकित कम्प्यूटरीकरण परियोजना को मंत्रिमंडल ने नवम्बर, 2007 में मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के विभिन्न घटकों को पूरा करने के लिये ठेका देने का काम पूरा हो गया है और इस समय कार्य प्रगति पर है।

बड़ी करदाता ईकाईयां (एल टी यू)

व्यापार में सुविधा प्रदान करने के महत्वपूर्ण उपाय के रूप में, उत्पाद शुल्क, आयकर/निगमकर और सेवाकर का भुगतान करने वाले बड़े-बड़े करदाताओं के लिये एक सिंगल विण्डों सर्विस की अवधारणा की शुरुआत की गई है इस प्रकार की पहली एल टी यू 2006-07 में बेंगलुरु में स्थापित की गई है। दूसरी एल टी यू वर्ष 2007-08 से चेन्नै में अपना कार्य शुरु कर दिया है। वर्ष 2008-09 में मुम्बई और दिल्ली में भी एल टी यू ने कार्य करना आरंभ कर दिया है।

सहायता केन्द्र

जुलाई, 2005 से सभी सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोनों में सहायता केन्द्र खोले गये हैं जो कि कर संग्रहण के सम्प्रभुता सम्पन्न कार्य में

सार्वजनिक और निजी भागीदारी के क्षेत्र में एक अग्रगणी उद्यम है। ये केन्द्र छोटे करदाताओं, निर्धारितियों, आयातकों, निर्यातकों और सेवा प्रदाताओं को दिशा-निर्देश और जानकारी देने के मामले में एक संस्थागत तंत्र का काम करता है।

कन्टेनर स्कैनर

जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, न्हावा शेवा, मुम्बई में एक मोबाइल गामा रे कन्टेनर स्कैनर और एक फिक्स्ड एक्स रे कन्टेनर स्कैनर लगाने से एक प्रायोगिक परियोजना सफलतापूर्वक पूरी हो गई है जिससे कार्गो क्लियरन्स, बहुत बड़ी तादात् में कन्टेनर ट्रैफिक की देखभाल, गैर हस्तक्षेप जांच के माध्यम से उन्नत सीमा शुल्क नियंत्रण के क्षेत्र में एक बड़ा कदम हासिल हुआ है। उत्साहवर्द्धक परिमाणों को देखते हुए अक्टूबर, 2006 में मंत्रिमण्डल की मंजूरी मिल जाने के बाद अन्य प्रमुख पत्तनों पर भी लगाने के लिए 172.94 करोड़ रुपये (अनावर्ती) और 18.61 करोड़ रुपये (आवर्ती) के खर्च से 3 मोबाइल गामा रे स्कैनर और 4 फिक्स्ड एक्स रे स्कैनर को खरीदने की प्रक्रिया जारी है। कान्डला, चेन्नै और तूतीकोरिन में लगाये जाने के लिए 3 मोबाइल स्कैनरों की खरीद के लिए जनवरी, 2009 में दुबारा निविदा जारी कर दी गई थी और काण्डला, चेन्नै, तूतीकोरिन और मुम्बई में स्थापित किये जाने के लिए 4 फिक्स्ड स्कैनरों की खरीद के लिए नवम्बर, 2008 में निविदायें जारी कर दी गई थी। मोबाइल स्कैनरों की खरीद की लिये 6 अगस्त, 2010 को और फिक्स्ड स्कैनरों की खरीद के लिये 24 सितम्बर, 2010 को स्वीकृति जारी कर दी गई है। हालांकि चयन किये गये बोलीकर्ताओं को अभी तक ठेका नहीं दिया जा सका है क्योंकि अभी सीमा शुल्क विभाग को पत्तन प्राधिकारियों द्वारा इन स्कैनरों को लगाने के लिए जगह उपलब्ध कराया जाना बाकी है। इसके लिए जहाज रानी मंत्रालय से बात चीत की गई है ताकि लीज-डीड को अंतिम रूप दिया जा सके जिसपर सीमा शुल्क विभाग को जमीन देने के लिए हस्ताक्षर किया जाना है।

समुद्री बेड़ा

देश के समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखने और सीमा शुल्क अधिनियम के आयात/ निर्यात संबंधी प्रावधानों को लागू करने की दृष्टि से विभाग के एक प्रतिरोधात्मक अस्त्र के रूप में तथा समुद्रीतट के साथ-साथ काम करने वाले सीमा शुल्क समुद्री बेड़े के रणनीतिक महत्व के विधिवत स्वीकार किया गया है, विशेषकर उस परिस्थिति में जब आतंकवाद के अस्त्रों और शस्त्रों की तस्करी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और नशीली दवाओं के व्यापार से खतरा बढ़ता जा रहा है। वर्तमान बेड़े और भविष्य में इनकी आवश्यकता की समीक्षा की गयी है और बेकार, पुराने, टूटे फूटे यानों के स्थान पर 277.27 करोड़ रुपये के खर्च से चरणवद्ध तरीके से आधुनिक और तेज चलने वाले यानों को खरीदने के एक प्रस्ताव को मंत्रिमण्डल ने फरवरी, 2007 में मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सीमा शुल्क संगठन विभिन्न वर्ग के 109 आधुनिक यानों की खरीद कर रहा है जिसकी विशेषतायें और उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:-

यानों का संवर्ग	विशेषतायें	उद्देश्य
संवर्ग-I (24 यान)	चाल-25 नाट, लम्बाई 20 मीटर तथा उच्च सहिष्णुता	तटीय गश्ती और निगरानी
संवर्ग-II (22 यान)	उच्च चाल-40 नाट, लम्बाई-12 मीटर, कम सहिष्णुता	संदिग्ध यानों में तत्कालिक हस्तक्षेप
संवर्ग-IIIक (30यान)	चाल-30 नाट, लम्बाई 9 मीटर, कम सहिष्णुता	छिछले पानी, क्रीक और बंदरगाओं में उपयोगी
संवर्ग-IIIख (33यान)	चाल-35 नाट, लम्बाई 6 मीटर, कम सहिष्णुता	

वर्ग-I के 15 यान प्राप्त हुए हैं। संवर्ग- III क और IIIख के सभी यान भी प्राप्त हो गये हैं और इन्हें तस्करी रोधी कार्यों के लिए आयुक्तालयों के अंतर्गत लगाया गया है। संवर्ग-II के 8 यान प्राप्त हो गये हैं और बाकी सभी यानों की खरीद जून, 11 तक पूरी कर ली जायेगी।

1% राजस्व वृद्धि का उपयोग प्रोत्साहन प्रावधान के रूप में करना

व्यय प्रबंधन के बारे में व्यय विभाग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसरण में, जिनसे राजस्व पैदा करने वाले विभागों को यह अनुमति मिलती है कि वे ऐसी योजना तैयार कर सकें जिससे कि 1% राजस्व वृद्धि का उपयोग ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहन देने में हो सके जिनसे राजस्व का संकलन अधिकाधिक हो, संगठनात्मक क्षमता, बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि हो सके।

वर्ष 2005-06 और 2006-07 में संग्रहीत 1% राजस्व वृद्धि, जो कि क्रमशः 71.42 करोड़ रुपये और 113.63 करोड़ रुपये है कुल 185.05 करोड़ रुपये को इस योजना में नियत करने के प्रस्ताव को व्यय विभाग की मंजूरी मिल गयी है। जिसमें अप्रत्यक्ष कर के अनुदान के संबंध में वर्ष 2007-08 से 2009-10 के तक वर्ष के व्यय बजट में 73.23 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं।

वर्ष	(करोड़ रु. में)	
	किया गया व्यय	व्यय
2007-08	29.41	
2008-09	16.12	
2009-10	27.70	
योग	73.23	

वर्ष 2010-11 में 1% के राजस्व प्रोत्साहन के लिए इस योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय कर्मचारियों को 33.28 करोड़ रुपये जारी कर दिये गये हैं। वर्ष 2011-12 के व्यय बजट में इस निर्मित 25.00 करोड़ रुपये रखे गये हैं।

बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कुछ योजनायें स्वीकृत की गई हैं:-

- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क दायरों में क्षमता- सृजन/ अवसंरचना सुधार
- नासेन में प्रशिक्षण सुविधाओं में क्षमता-सृजन
- पी ए ओ में क्षमता- संवर्द्धन
- क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के मोबाइल फोन के प्रभार की प्रतिपूर्ति जिससे कि वे मुख्यालय में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सम्पर्क में हमेशा बने रहें।
- क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए लैपटाप की व्यवस्था जिससे कि वे कर संग्रहण, जांच और आसूचना कार्य की मानीटरिंग में सुधार ला सकें।
- संगठनात्मक कार्यक्षमता में सुधार लाने और बाहर की निवारक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए वाहनों को किराये पर लेना।

परिव्ययों एवं परिणामों का विवरण 2009-10

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2009-10 (करोड़ रु. में)		परिमाणात्मक विवरण/भौतिक उत्पादन	प्रक्रियाएं/समय सीमा	जोखिम कारक	31 मार्च 2010 की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
1.	मुख्य शीर्ष 2037 और 2038 सूचना प्रौद्योगिकी	ई-गवर्नेन्स के लिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता को सुदृढ़ करना	200.00	200.00				200.00 करोड़ रुपये के संशोधित प्राक्कलन के एवज में 2009-10 के दौरान 186.41 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके थे।
					- आल इंडिया वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना	चरण-I और चरण-II के कार्य के अक्टूबर, 2009 तक पूरा हो जाने की संभावना है।	परिवर्तन प्रबंधन में अत्यधिक प्रयास किये जाने की जरूरत है।	77 करोड़ रुपये के कुल खर्च से एक डाटा सेन्टर और आल इंडिया वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना का ठेका बी एस एन एल, वी एस एन एल और एच पी के व्यापार मण्डल को दे दिया गया था। 539 स्थलों में से 506 स्थलों को डेलीवर कर दिया गया है। क्रियान्वयन के चरण को बंद कर दिया गया है शेष स्थलों को शीघ्र ही वेन्डरों को डेलीवर कर दिया जायेगा।
					- सेन्ट्रल सर्वर्स हार्डवेयर स्टोरेज एण्ड सेक्यूरिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर) अर्थात् सेस्टम इन्टिग्रेशन की स्थापना	उपकरणों को लगाकर चालू कर दिया गया है। सेस्टम एक्सेप्टांस के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है।	संशोधित लागत पर सी ई एन/ सी सी ई ए का अनुमोदन क्रमशः 09.08.2007 और 29.11.2007 को प्राप्त हो गया है।	उपकरणों को लगाने और चालू करने तथा सेस्टम एक्सेप्टांस के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। अर्थात् सीमा

1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.			<p>शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के लिये साफ्टवेयर उपलब्ध करा दिये गये हैं और 3 राष्ट्रीय डाटा केन्द्रों पर ये काम करने लगे हैं। प्रयोगकर्ताओं के लिये और अवसंरचनाओं की मानीटरिंग के लिये</p> <p>एक नेटवर्क आफरेशन सेंटर स्थापित किया गया है। अंतिम उपयोगकर्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिये अवसंरचनात्मक और प्रयोगात्मक सहायता देने के लिए एक हेल्प डेस्क चालू कर दिया गया है।</p> <p>एक सिंगल साइन आन प्रयोग तैयार किया गया है जिससे अधिकारी लोग नीतिगत आधार पर विभिन्न प्रयोगों तक पहुंच सकें।</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
		4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
				- सभी विभागीय प्रयोगकर्ताओं के लिए लोकल एरिया नेटवर्क का प्रावधान	175 भवनों में कार्यरत सी बी ई सी उपयोगकर्ताओं को एल ए एन कनेक्टिविनी उपलब्ध करा दी गई है। 200 शहरों के 1035 भवनों में चरण-II का कार्य, कुछ अपवादों और बड़े मुद्दों को छोड़कर जून, 2009 तक पूरा हो जाने की आशा है	संशोधित लागत पर सी एन ई / सी सी ई ए का अनुमोदन प्राप्त हो गया है।	एल ए एन वन क्रियान्वयन जारी है। 1210 स्थलों में 1114 स्थलों पर ए ए एन का क्रियान्वयन हो गया है और 44 स्थलों पर इसका काम प्रगति पर है। 52 स्थलों पर बड़े कुछ बड़े मुद्दे हैं जिनका समाधान किया जा रहा है।
				- डाटा वेयर हाउस की स्थापना	अन्य परियोजनाओं की समय सीमा के आधार पर चरण-I (सीमा शुल्क डाटा) और चरण-II (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर डाटा) को मई, 2010 तक क्रियान्वित कर दिये जाने की आशा है।	कार्य को निचले स्तर से शुरू किया गया है ए सी ई एस और आई सी ई एस 1.5 के उत्पादन आंकड़े डाटा सेंटर पर उपलब्ध हो जाने के बाद ही डाटा वेयर हाउट से डाटा के निष्कर्षण और लोडिंग का कार्य शुरू हो पायेगा। विकास कार्य के लिए सेंटल हार्डवेयर उपलब्ध करा दिया गया है और इसका कान्फिजुरेशन भी कर दिया गया है।	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के डाटा बेस माडलिंग चरण का कार्य पूरा कर लिया गया है और रिपोर्टस तैयार कर ली गई हैं। पाइलट योजना के एक भाग के रूप में प्रारंभिक रिपोर्टों को सी बी ई सी के पोर्टल पर दे दिय गया है जिससे कि उपयोगकर्ताओं के लिए एक प्रशिक्षण सह कार्यशाला का भी आयोजन किया गया।

1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.			
							सीमा शुल्क चरण के लिये डिजाइन और डाटा बेस माडलिंग का काम प्रगति पर है और इसे शीघ्र ही पूरा किए जाने की आशा है।
				- आटोमेशन आफ सेन्ट्रल एक्साइज एण्ड सर्विस टैक्स (ए सी ई एस)	ए सी ई एस को पाइलट आधार पर रोल आउट किया गया है और इसके 6 आयुक्तालयों यथा एल टी यू बंगलोर एल टी यू चेन्नै, सेवाकर आयुक्तालय चेन्नै, और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय कोयम्बटूर, बेलापुर ओर भुवनेश्वर-II में लागू किया गया है यह पंजीकरण, सी एल आई माड्युल्स के साथ शुरू किया गया है अन्य स्थानों पर भी सितम्बर, 2009 तक ए सी ई एस के रोल आउट कर दिये जाने की आशा है।	इसकी समयबद्धता एल ए एन/ डब्लू ए एन के साथ-साथ सभी स्थानों पर संबंधित हार्डवेयर की उपलब्धता पर निर्भर करती है।	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर के भारत भर में सभी 104 आयुक्तालयों में एसी ई एस 23-12-2009 से शुरु कर दिया गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8	
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
					- सीमा शुल्क के उन्नयन के लिये गेटवे परियोजना	80%कार्य पूरा हो गया है। शेष कार्य जो कि मुख्यता बैंक इण्ड आई सी ई एस 1.5 के अनुप्रयोग के लिए मानचित्र के एकीकरण और ट्रेडिंग पार्टनर्स एप्लीकेशन से संबंधि है के सितम्बर, 2009 तक पूरा हो जाने की आशा है।	आकाश, समुद्र और आई सी डी के लिए ए सी ई एस 1.5 की उपलब्धता और ट्रेडिंग पार्टनर्स की तत्परता ए सी ई एस 1.5 एप्लीकेशन की उपलब्धता	कार्य लगभग पूरा हो गया है। शेष कार्य मानचित्राण वे एकीकरण और ट्रेडिंग पार्टनर्स एप्लीकेशन से संबंधित है।
					- जोखिम प्रबंधन प्रणाली की स्थापना (आरएमएस)	- एल टी यू से संबंधित एक वेबसाइट तैयार की गयी है ये एल टी यू बंगलोर चेन्नै, दिल्ली, मुम्बई में पहले से ही काम कर रहे हैं। 2009 के दौरान और कोलकाता में भी अन्य एल टी यू के काम शुरू कर देने की संभावना है।	ए सी ई एस 1.5 एप्लीकेशन की उपलब्धता	13 शहरों के 23 आई सी ई एस स्थानों पर जोखिम प्रबंधन प्रणाली शुरु/स्थापित की गई है जोखिम प्रबंधन प्रणाली क केन्द्रीय अनुप्रयोग विकसित किया गया है और इसका यूजर एक्सेप्टान्स टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है चार स्थल डाटा सेंटर को दे दिये गये हैं।
					- कर प्रदाताओं को सुविधा पहुंचाने की दृष्टि से बड़ी करदाता ईकाईयों (एलटीयू) के लिये पोर्टल की स्थापना	एल टी यू से संबंधित एक वेबसाइट तैयार की गयी है ये एल टी यू बंगलोर चेन्नै, दिल्ली, मुम्बई में		(-एलटीयू) के लिए बेवसाइट तैयार कर ली गई है। बंगलोर, चेन्नै

1	2	3	4	5	6	7	8	
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
					पहले से ही काम कर रहे हैं। 2009 के दौरान और कोलकाता में भी अन्य एल टी यू के काम शुरु कर देने की संभावना है।		मुम्बई और दिल्ली में एलटीयू काम करने लगे हैं।	
2.	मुख्य शीर्ष 4047 – निवारक कार्य-जहाजों और बेड़ों की अधिप्राप्ति	तस्करी विरोधी क्षमता और उन्नत तटीय सुरक्षा को मजबूत बनाना	120.00	102.00	निम्नलिखित यानों को दिसंबर, 2009 तक विभाग के सौंप दिये गये हैं। वर्ग - यानों की सं. I 15 II 00 III क 30 III ख 33 योग 78 संवर्ग II में तीन पोतों को दिनांक 31.03.2010 तक सौंप दिए जाने की आशा है।	वर्ग I, III क और IIIख के 87 यानों की खरीद के लिये मार्च, 2007 में बोट बिल्डर्स को आर्डर दे दिये गये हैं। वर्ग II के 22 यानों की आपूर्ति के लिये, जिसके लिए फिर से टेन्डर जारी किया गया था, 2008 में आर्डर दे इन यानों की डिलीवरी की संभावना इस प्रकार है:- वर्ग प्रत्याशित समय I जून, 2010 II सितम्बर, 11 III क पूरा हो गया है। III ख पूरा हो गया है।	-----	स्समुद्री यानों की खरीद के लिये 277.27 करोड़ रुपये की लागत से 109 यानों की खरीद के लिए सी सी ई ए ने 22.02.2007 को एक नये प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। वर्ग-I के 24 यानों की खरीद के लिये मेसर्स गोल्ड ब्रिज मलेशिया को और वर्ग -IIIक के 30 यानों की खरीद के लिये और वर्ग-IIIख की 33 यानों की खरीद के लिये मेसर्स बुन्सविक सिंगापुर को आर्डर दे दिये गये हैं। वर्ग -II के 22 यानों की आपूर्ति के लिये मेसर्स अल ढायन

1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.			<p>क्राफ्ट्स, बहरीन से एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं।</p> <p>वर्ग-I की डिलीवरी बोट बिल्डर ने सितम्बर, 2008 में शुरू कर दी है और मार्च, 2010 तक 18 यान प्राप्त भी हो गये हैं। वर्ग-IIIक और IIIख के यानों की डिलीवरी जनवरी, 08 से शुरू हो गयी है। बोट बिल्डर्स ने वर्ग (IIIक और IIIख) के सभी यानों की डिलीवरी जून, 2009 तक कर दी है।</p> <p>वर्ग-II के दो यान 31.03.2010 तक प्राप्त हो गये है।</p> <p>102.00 करोड़ रुपये के संशोधित प्राक्कलन के एवज में 2009-10 में 78.65 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं।</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
3.	मुख्य शीर्ष 4047 तस्करीरोधी उपकरणों का प्रापण	अभेद्य परीक्षण के माध्यम से माल की निकासी, कंटेनर ट्रैफिक की बढ़ी तादात की कुशल हैंडलिंग, संवर्धित सीमा शुल्क नियंत्रण को सुकर बनाना।	100.00	57.00	कुल 172.94 करोड़ (आवर्ती) तथा 18.61 करोड़ प्रति वर्ष (गैर आवर्ती) परियोजना लागत से 3 सचल गामा रे स्कैनरों का संस्थापन, 4 स्थिर एक्स-रे का आर्डर देना तथा सिविल निर्माण की शुरूआत।	3 सचल स्कैनर 2009-10 के दौरान स्थापित और चालू किए जाएंगे। 4 स्थिर स्कैनरों की स्थापना के आपूर्ति आदेश 2009-10 के दौरान तक जाएंगे। स्थापना के बाद, स्थिर स्कैनरों के 2010-11 में चालू होने की संभावना है	परियोजना की प्रगति पत्तन स्कैनरों की प्राप्ति के लिए परियोजना प्राधिकरणों से भूमि की प्राप्ति सांविधिक प्राधिकरणों से क्रियांवयन समिति समय पर अनुमोदन पर निर्भर कार्यरत है। परियोजना कार्यावयन समिति द्वारा प्रगति की निगरानी की जा रही है	चार स्थानों तूतीकोरिन, चेन्नै, मुम्बई और काण्डला में स्कैनरों की स्थापना के लिए पत्तन प्राधिकरणों से भूमि अधिग्रहण के लिए पत्तनों को पट्टा किराया अदा करने के लिए नौ परिवहन मंत्रालय द्वारा सामान्य दरों का 30% निर्धारित किया गया है तथा पत्तन प्राधिकरणों के साथ पट्टा अनुबंध अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में है। 3 सचल गामा रे स्कैनरों के अधिग्रहण के लिए निविदा जनवरी, 2009 में पुनः जारी की गयी तथा मूल्य बोलियां 7.12.2009 को खोली गयीं। निविदा मूल्यांकन

1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.			<p>समिति द्वारा निविदा का 22.12.2009 को मूल्यांकन किया गया। एल-1 बोली की स्वीकृति का प्रस्ताव विचाराधीन था। 4 एक्सरे स्कैनरों के लिए विश्वव्यापी निविदा नंबर, 2008 में जारी की गयी, तकनीकी बोलियां 23.3.2009 को खोली गयी तथा तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा 22.12.2009 को विचार किया गया। स्थिर स्कैनरों के लिए मूल्य बोलियां 29.3.2010 को खोली गयीं।</p> <p>57 करोड़ रु. के संशोधित अनुमान के समक्ष 2009-10 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया ।</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
4.	मुख्य शीर्ष 4059 कार्यालय आवास का अधिग्रहण	कार्यालय आवास की कमी को पूरा करने के लिए	50.00	12.00	कार्यालय आवास की खरीद, कार्यालय आवास की जरूरतों में कमी को पूरा करेगा।	-एनबीसीसी भवन, साकेत, नई दिल्ली के अधिग्रहण के लिए आगे का भुगतान। नवंबर,2006 में, मुंबई में यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया की विनिर्दिष्ट इकाई से भवन की खरीद के संबंध में स्थानीय प्राधिकरण अर्थात् मुंबई नगर निगम को स्टाप शुल्क एवं अन्य प्रभारों का भुगतान। टी एन एस सी बी से कार्यालय आवास की खरीद के लिए, कोलकाता में एल टी यू के लिए कार्यालय आवास तथा अन्य छोटे संभावित प्रस्तावों के लिए भुगतान।	ऐसे मामलों में भुगतान कई औपचारिकताओं पर निर्भर करती है जिसमें विभिन्न संबंधित प्राधिकारणों से परामर्श शामिल है। एस यू यू टी आई से मुंबई में खरीदे गए भवन के संदर्भ में स्थानीय प्राधिकरण अर्थात् वृहत मुंबई नगर निगम को स्टाप शुल्क एवं अन्य प्रभारों की अदायगी अभी	सी बी ई सी द्वारा प्रयोग के लिए नई दिल्ली में एन बी सी सी से कार्यालय स्थान की खरीद के लिए मार्च, 2008 में 30 करोड़ रु. का अग्रिम भुगतान किया गया। कार्यालय आवास के आंतरिक सज्जा का 75% काम पूरा हो जाने पर कार्य 2010 तक एन बी सी सी तक एन बी सी सी का 7.95 करोड़ रु. का खंड भुगतान भी किया गया। अन्य भुगतान नहीं किए गए क्यों कि एन बी सी सी द्वारा समापन प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया है जो एन बी सी सी और सीबीईसी के बीच उप पट्टा अनुबंध के लिए आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7	8	
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
							<p>तक लंबित है क्योंकि स्टाप शुल्क की दर से संबंधित विवाद का अभी निपटारा नहीं हुआ है।</p> <p>चेन्नै में टी एन एस सी बी से और कोलकाता में एल टी यू कार्यालय आवास खरीदने के अन्य प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।</p> <p>12.00 करोड़ रु. के संशोधित बजट के समक्ष 2009-10 का व्यय 6.05 करोड़ रु. था</p>	
5.	मुख्य शीर्ष 4216 आवासीय स्थान का अधिग्रहण	आवासीय स्थान की कमी को पूरा करने के लिए	19.80	1.80	आवासीय स्थान की खरीद से आवश्यकता की पूर्ति होगी ।	इलाहाबाद विधानास प्राधिकरण से फ्लैटों की खरीद के आंशिक भुगतान, रांची में फ्लैटों की खरीद के लिए बकाया भुगतान, शिलांग में आवासीय परिसर की खरीद के लिए	जी एफ आर में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन के बाद प्रस्ताव में सी पी डब्लू डी, शहरी विकास मंत्रालय से अनापत्ति प्राप्त करने का प्रस्ताव है।	31.3.2005 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत इलाहाबाद विधानास प्राधिकरण से 11.04 करोड़ रु. की लागत

1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.			
					भुगतान तथा चल रही अन्य परियोजनाओं के संबंध में अन्य भुगतान किए जाने की संभावना है।		से 134 फ्लैट प्राप्त करने के लिए 4.97 करोड़ रु. (31.0.2005 को 2.76 करोड़ रु. तथा 8.11.2006 को 2.21 करोड़ रु.) का भुगतान किया गया। इसके बाद एम ओ यू के उल्लंघन में ए डी ए ने एकपक्षीय रूप से फ्लैटों की लागत बढ़ाकर 14.97 करोड़ रु. कर दिया। अतः विभाग ने ए डी ए से फ्लैट न खरीदने का फैसला किया है। ए डी ए ने विभाग द्वारा अदा किया गया 4.97 करोड़ रु. वापस कर दिया है। राष्ट्रीय खेल आवासीय परिसर, रांची में 67 फ्लैटों की खरीद के लिए दो किस्तों में 12.04 करोड़ रु. का भुगतान किया गया। शेष 1.24

1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.			करोड़ रु. का भुगतान कब्जा लेते समय किया जाएगा। 1.80 करोड़ रु. के संशोधित बजट के समक्ष 2009-10 का व्यय 0.30 करोड़ रु. था ।

परिव्ययों एवं परिणामों का विवरण 2010-11

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2010-11 (करोड़ रु. में)	परिमाणुत्मक विवरण/ भौतिक उत्पादन	प्रक्रियाएं/ समय सीमा	जोखिम कारक	31 मार्च 2010 की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.			
1.	मुख्य शीर्ष 2037 और 2038 सूचना प्रौद्योगिकी	ई-गवर्नेन्स के लिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता को सुदृढ़ करना	150.00	106.00	- आल इंडिया वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना। 539 में से 506 साइटों की सुपुर्दगी हो चुकी है। प्रयास किये जाने की जरूरत चरण-I और चरण-II सहित क्रियान्वयन के कार्य को बंद घोषित कर दिया गया है। वेंडरों द्वारा अन्य साइट्स की शीघ्र सुपुर्दगी हो जाएगी।	परिवर्तन प्रबंधन में अत्यधिक प्रयास किये जाने की जरूरत है। 77 करोड़ रुपये के कुल खर्च से एक डेटा सेन्टर और आल इंडिया वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना का ठेका बी एस एन एल, वी एस एन एल और एच पी के व्यापार मण्डल को दे दिया गया है। 539 स्थलों में से 506 स्थलों पर डब्ल्यूएन का कार्यावयन हो चुका है। इसके साथ ही जिना स्थलों की शिफ्टिंग हो रही है या वे अन्य अतिप्राकृतिक स्थितियों का सामना कर रहे हैं, उनके अलावा सभी पर डब्ल्यूएन परियोजना पूरी हो चुकी है। प्रयोक्ताओं की शिकायतें दूर करने के लिए सहायता डेस्क की व्यवस्था की गयी है।	106.00 करोड़ रु. के संशोधित बजट के समक्ष दिसंबर, 2010 तक का व्यय 53.17 करोड़ रु. था।
					- सेन्ट्रल सर्वर्स (हार्डवेयर स्टोरेज एण्ड सेक्यूरिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर) उपकरण लगा दिये गये हैं और उनको चालू कर दिया	उपकरण लगा दिये गये हैं और उनको चालू कर दिया	संशोधित लागत के लिए उपकरणों को लगाने और स्थापित करने का

1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i) व.अ.	4(ii) सं.अ.	अर्थात् सिस्टम इन्टिग्रेशन की स्थापना	गया है। प्रणाली स्वीकृति का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है जैसे कि सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर की व्यवस्था हो गयी है और तीन राष्ट्रीय डेटा केन्द्रों से इनको संचालित किया जा रहा है।	अनुमोदन 09.08.2007 और 29.11.2007 को प्राप्त हो गया था। द्रमशः और प्रणाली स्वीकृति के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है जैसे कि सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर की व्यवस्था हो गयी है और तीन राष्ट्रीय डेटा केन्द्रों से इनको संचालित किया जा रहा है। उपकरणों का प्रयोग करने वालों की सहायता के लिये और बुनियादी संरचनाओं के क्रियात्मक मानीटरिंग के लिये एक नेटवर्क आपरेशन सेंटर स्थापित किया गया है। प्रचालनों तथा अंतिम प्रयोक्ता की समस्याओं के समाधान के लिए अवसंरचना और अप्लीकेशंस सहायता के लिए एक सहायता डेस्क कार्यरत है। विभिन्न उपकरणों तक अधिकारियों की नीति आधारित पहुंच हो सके, इसके लिये एक सिंगल साइन आन अनुप्रयोग तैयार किया गया है और रोल आउट किया गया है। कार्यालयी मेल खाता उपलब्ध कराने के लिए

1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.			
							डेटा सेंटर से मेल मेसेजिंग समाधान को ऑनलाइन बना दिया गया है।
				- सभी विभागीय प्रयोगकर्ताओं के लिए लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन) का प्रावधान	चरण-I के अंतर्गत, 175 भवनों में काम कर रहे सीबीईसी प्रयोगकर्ताओं के लिये एलएएन कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है। चरण-II के अंतर्गत, 900 साइटों पर एलएएन कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है। अतिप्राकृतिक समस्याओं का सामना कर रहे 65 साइटों सहित जिनका निराकरण किया जा रहा है, 70 साइटों पर कार्य प्रगति पर है।	संशोधित लागत पर सी एन ई / सी सी ई ए का अनुमोदन प्राप्त हो गया है।	1210 स्थलों में से, 1154 साइटों पर एलएएन कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है। एलएएन का प्रयोग करके, सीबीईसी के अधीन कार्यालय केंद्रीय संगणन सुविधा से जुड़ने/ उसे अक्सेस करने में समर्थ हैं। इसके साथ ही जिन स्थलों की शिफ्टिंग हो रही है या वे अन्य अतिप्राकृतिक स्थितियों का सामना कर रहे हैं, उनके अलावा सभी पर एलएएन परियोजना पूरी हो चुकी है। प्रयोक्ताओं की शिकायते दूर करने के लिए सहायता डेस्क की व्यवस्था की गयी है।

1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i) व.अ.	4(ii) सं.अ.			
					- डेटा वेयरहाउस की स्थापना अन्य परियोजनाओं की समबद्धता के आधार पर, चरण-I (सीमा शुल्क डेटा) और चरण-II (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर डेटा) दोनों के ही मई, 2010 तक पूरा हो जाने की संभावना है।	रिपोर्ट का पहला सेट जिसमें केंद्रीय उत्पादशुल्क और सेवाकर समय-वार, निर्धारित-वार और स्थान-वार, लघु लेखा शीर्ष-वार इत्यादि संग्रहण दर्शाया गया है, लाइव हो चुका है।	सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर पर विभिन्न विशेषणात्मक रिपोर्टों विकसित और सीबीईसी के पोर्टल पर होस्ट की जा चुकी हैं। प्रयोक्ता स्वीकृति परीक्षण का चरण पूरा हो चुका है मॉडलिंग पूरा हो चुका है तथा यह परियोजना सीबीईसी के अभिचिह्नित प्रयोक्ताओं के लिए प्रारंभ होने की प्रक्रिया में हैं। रिपोर्ट का विकास शुरू हो चुका आयात तथा केंद्रीय उत्पादशुल्क के लिए संदर्भ मूल्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न डेटा माइनिंग रिपोर्टें तैयार की जा चुकी हैं।
					- आटोमेशन आफ सेन्ट्रल एक्साइज एण्ड सर्विस टैक्स (एसीईएस)	सभी माड्यूलों सहित, एसीईएस को 23.12.2009 तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के सभी 104 आयुक्तालयों में अखिल भारतीय स्तर पर प्रारंभ कर दिया गया है।	- आटोमेशन आफ सेन्ट्रल एक्साइज एण्ड सर्विस टैक्स (एसीईएस) एसीईएस को 23.12.2009 तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर के सभी 104

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

4(i)
ब.अ.

4(ii)
सं.अ.

आयुक्तालयों और बड़ी करदाता इकाईयों में राष्ट्रीय तौर पर रोल आउट कर दिया गया है। लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नामक खुद सीखने का ऑनलाइन ट्यूटोरियल विकसित कर लिया गया है और एसीईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

- सीमा शुल्क के उन्नयन के लिए गेटवे परियोजना

काम लगभग पूरा हो गया है। शेष कार्य मुख्यतया बैंक एंड आईसीईएस 1.5 के अनुप्रयोग और व्यापारिक भागीदारों से विकसित मानचित्रों के एकीकरण से संबंधित है।

आकाश, समुद्र और आईसीडी के लिए आईसीईएस 1.5 एप्लीकेशन की उपलब्धता और व्यापारिक भागीदारों की तत्परता।

काम लगभग पूरा हो गया है। सीमाशुल्क के 104 प्रमुख अवस्थानों में से, 90 अवस्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा अंतर्विनिमय (ईडीआई) कार्यरत हैं। 37 अवस्थान (एयरपोर्ट और आईसीडी) आईसीईएस 1.5 पर चल रहे केंद्रीयकृत डेटाबेस पर आप्रवास कर चुके हैं। अभिरक्षक और एयरलाइन्स से संबंधित मेसेज विकसित किए जा चुके हैं। शेष कार्य मर्दाने मुख्यतया बैंक एंड आईसीईएस 1.5 के अनुप्रयोग से विकसित

1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i) व.अ.	4(ii) सं.अ.			मानचित्रों, विशेषकर समुद्री पत्तनों से संबंधित संदेशों, के एकीकरण से संबंधित है।
			- जोखिम प्रबंधन प्रणाली की स्थापना (आरएमएस)	- 13 शहरों में, सभी 23 स्थानों में आर एस एस के आयात माडयूल सफलतापूर्वक शुरू किए जा चुके हैं। डेटा केंद्र में निर्यात माडयूल पोर्ट किए जा चुके हैं और प्रयोक्ता स्वीकृति परीक्षण का काम प्रगति पर है। कंटेनर के चयन के लिए, न्हावा शेवा सीमाशुल्क गृह में आर एम एस काम कर रहा है।	आईसीईएस 1.5 एप्लीकेशन की उपलब्धता।		सभी प्रमुख सीमाशुल्क पत्तनों/ एयरपोर्ट पर आरएमएस प्रचालनरत हैं जो भारत के 85% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कवर करते हैं। इन सभी अवस्थानों पर 24 निर्यात संवर्धन योजनाओं में भी आरएमएस प्रचालनरत हैं।
							आर ए म ए स अप्लीकेशन का एक नया संस्करण (आरएमएस 3.1) वेंद्रीय सर्वर पर नियोजित किया जा चुका है और 47 अवस्थानों पर कार्य कर रहा है जिसमें 20 पुरानी

1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.			आरएमएस साइटें तथा 27 अन्य ईडीआई अवस्थान शामिल हैं। प्रत्यायित ग्राहक कार्यक्रम (एसीपी) आरएमएस की प्रमुख विशेषता है, जिसके द्वारा कतिपय आयातकों को उच्च अनुपालक वेब रूप में अभिचिह्नित किया जाता है और इन एसीपी ग्राहकों को आरएमएस द्वारा आश्चर्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
				- कर प्रदाताओं को सुविधा देने की दृष्टि से बड़ी करदाता इकाईयों (एलटीयू) के लिये पोर्टल की स्थापना	- एलटीयू के लिए एक विशेष वेबसाइट तैयार कर ली गई है। ये एलटीयू इस समय बंगलोर, चेन्नै, दिल्ली और मुंबई में काम कर रहे हैं। 2010 के दौरान कोलकाता में अन्य एलटीयू के चालू कर देने की योजना बनायी गयी है।		एलटीयू पर वेबसाइट स्थापित की जा चुकी है। एलटीयू इस समय बंगलोर, चेन्नै, दिल्ली और मुंबई में काम कर रहे हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8									
			4(i) व.अ.	4(ii) सं.अ.												
2.	मुख्य शीर्ष 4047 निवारक कार्य- जहाजों और बड़ों की अधिप्राप्ति	तस्करी विरोधी क्षमता और उन्नत तटीय सुरक्षा को मजबूत बनाना	48.00	42.00	<p>वर्ष 2010-11 के दौरान, विभाग को निम्नलिखित यानों की सुपुर्दगी किए जाने की संभावना है:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>श्रेणी</th> <th>यानों की संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>06</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td></td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>	श्रेणी	यानों की संख्या	I	06	II	12		18	<p>वर्ग I, III क और III ख के 87 यानों की खरीद के लिये मार्च, 2007 में बोट बिल्डर्स को आर्डर दिए गए थे। वर्ग II के 22 यानों की आपूर्ति के लिये दिसंबर, 2008 में बोट बिल्डर्स को आर्डर दे दिये गये हैं।</p> <p>वर्ग -III क और III ख में सभी (III-में 33) यानों की बोट बिल्डर्स द्वारा सुपुर्दगी कर दी गयी है। वर्ग-I के 24 यानों में से, अभी तक 15 यान प्राप्त हो चुके हैं तथा मार्च, 2010 तक 3 और यान प्राप्त होने की संभावना है। इस श्रेणी के सभी यानों की सुपुर्दगी 2010-11 में पूरी हो जाएगी।</p> <p>वर्ग -II में, मार्च, 2010 तक 3 यान प्राप्त होने की संभावना है। इस श्रेणी के 22 यानों की सुपुर्दगी 2011-12 में पूरी हो जाएगी।</p>	-----	<p>समुद्री यानों की खरीद के लिये 277.27 करोड़ रुपये की लागत से 109 यानों की खरीद के लिए सी सी ई ए ने 22.02.2007 को एक संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। वर्ग-I के 24 यानों की खरीद के लिये मेसर्स गोल्ड ब्रिज मलेशिया को और वर्ग -III क के 30 यानों की खरीद के लिये और वर्ग-III ख के 33 यानों की खरीद के लिये मेसर्स बुन्सविक सिंगापुर को आर्डर दे दिये गये हैं। वर्ग-II के 22 यानों की आपूर्ति के लिये मेसर्स अल टायन क्राफ्ट्स, बहरीन के साथ दिसम्बर, 2008 में एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं। वर्ग- I में, बोट बिल्डर्स ने सितंबर 2008 में</p>
श्रेणी	यानों की संख्या															
I	06															
II	12															
	18															

1	2	3	4	5	6	7	8	
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
							यानों की सुपुर्दगी शुरू की और अगस्त, 2010 तक 24 सभी यान प्राप्त हो चुके हैं। III क और III ख के यानों की सुपुर्दगी जनवरी, 2008 से शुरू हुई थी और जून, 2009 तक इस श्रेणी के सभी यान प्राप्त हो चुके हैं। वर्ष 2009-10 के दौरान प्राप्त 2 यानों साहित 31.12.2010 तक वर्ग- II के 8 यान प्राप्त हो चुके हैं। 42.00 करोड़ रु. के संशोधित बजट के समक्ष दिसंबर, 2010 तक का व्यय 13.15 करोड़ रु. था।	
3.	मुख्य शीर्ष तस्करी रोधी उपकरणों का प्रापण	अभेद्य परीक्षण के माध्यम से माल की निकासी, कंटेनर ट्रैफिक की बढ़ी तादात की कुशल हैंडलिंग, संवर्धित सीमा शुल्क नियंत्रण को सुकर बनाना।	73.00	36.95	कुल 172.94 करोड़ (आवर्ती) तथा 18.61 करोड़ प्रति वर्ष (गैर आवर्ती) परियोजना लागत से 3 सचल गामा रे स्कैनरों का संस्थापन, 4 स्थिर एक्स-रे का आर्डर देना तथा सिविल निर्माण की शुरुआत	3 सचल स्कैनरों के 2010-11 के दौरान स्थापित और चालू हो जाने की संभावना है। 4 स्थिर स्कैनरों की स्थापना के पूर्ण आदेश 2010-11 के दौरान तक जाएंगे। स्थापना के बाद स्थिर स्कैनरों के 2011-12 में चालू होने की संभावना है।	परियोजना की प्रगति पत्तन प्राधिकरणों से भूमि की प्राप्ति तथा सांविधिक प्राधिकरणों से समय पर अनुमोदन पर निर्भर करती है। परियोजना कार्यालय समिति द्वारा प्रगति की	स्कैनरों की प्राप्ति के लिए परियोजना क्रियान्वयन समिति कार्यरत है। चार स्थानों तूतीकोरिन, चेन्नै, मुम्बई और

1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i) व.अ.	4(ii) सं.अ.			<p>निगरानी की जा रही है। ऐसे मामलों में भुगतान कई औपचारिकताओं पर निर्भर करती है जिसमें विभिन्न संबंधित प्राधिकारणों से परामर्श शामिल है।</p> <p>काण्डला में स्कैनरों की स्थापना के लिए पत्तन प्राधिकारणों से भूमि अधिग्रहण के लिए पत्तनों को पट्टा किराया अदा करने के लिए नौ परिवहन मंत्रालय द्वारा सामान्य दरों का 30% निर्धारित किया गया है। तथापि, पत्तन प्राधिकारणों के साथ पट्टा अनुबंध पर, जो सीमाशुल्क विभाग द्वारा पहले अंतिम रूप दिए प्रारूप से भिन्न है, अभी हस्ताक्षर नहीं किया गया है। पट्टे के संशोधित प्रारूप का मसला, जिसमें कुछ अव्यावहारिक खंड हैं, नौ परिवहन मंत्रालय के समक्ष उठाया गया है।³ सचल गामा रे स्कैनरों के अधिग्रहण के लिए निविदा जनवरी, 2009 में पुनः जारी की गयी तथा</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.			<p>मूल्या बोलियां 7.12.2009 को खोली गयीं। निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा निविदा वर 22.12.2009 को मूल्यांकन किया गया। चयनित बोलीदाताओं के माध्यम से 3 सचल स्कैनरों की प्राप्ति की स्वीकृति 06.08.2010 को जारी की जा चुकी है। 4 एक्सरे स्कैनरों के लिए विश्वव्यापी निविदा नवंबर, 2008 में जारी की गयी, तकनीकी बोलियां 23.3.2009 को खोली गयी तथा तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा 22.12.2009 को विचार किया गया। मूल्या बोलियां 29.3.2010 को खोली गयीं और चयनित बोलीदाताओं के माध्यम से 4 सचल स्कैनरों की प्राप्ति की स्वीकृति 24.09.2010</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	
			4(i) व.अ.	4(ii) सं.अ.				
							को जारी की जा चुकी है। 36.95 करोड़ रु. के संशोधित अनुमान के समक्ष दिसंबर, 2010 तक किया गया 11.32 करोड़ रु. था।	
4.	मुख्य शीर्ष 4059 - कार्यालय का अधिग्रहण	कार्यालय आवास की को करने के लिए	132.00	51.00	कार्यालय आवास की जरूरतों में कमी को पूरा करेगा।	2008 में खरीद एनबीसीसी भवन, साकेत, नई दिल्ली के संबंध में आगे का भुगतान। नवंबर, 2006 में, मुंबई में यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया की विनिर्दिष्ट इकाई से भवन की खरीद के संबंध में स्थानीय प्राधिकरण अर्थात् मुंबई नगर निगम को स्टाप शुल्क एवं अन्य प्रभारों का भुगतान। चन्ने में टीएनएससीबी से कार्यालय आवास की खरीद के लिए, कोलकाता में एलटीयू के लिए कार्यालय आवास तथा अन्य छोटे संभावित प्रस्तावों के लिए भुगतान।	ऐसे मामले में भुगतान विभिन्न औपचारिकताओं पर निर्भर करता है जिसमें संबंधित प्राधिकरणों से परामर्श करना भी शामिल है।	सीबीसीसी द्वारा प्रयोग के लिए नई दिल्ली में एनबीसीसी से कार्यालय स्थान की खरीद के लिए मार्च, 2008 में 30 करोड़ रु. का अग्रिम भुगतान किया गया। कार्यालय आवास के आंतरिक सज्जा का 75% काम पूरा हो जाने पर मार्च 2010 तक एनबीसीसी को 7.95 करोड़ रु. का खंड भुगतान भी किया गया। अन्य भुगतान नहीं किए गए क्योंकि एनबीसीसी

1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.			

शिलांग में आवासीय परिसर की खरीद के लिए भुगतान तथा चल रही अन्य परियोजनाओं के संबंध में अन्य भुगतान किए जाने

द्वारा समापन प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया है जो एनबीसीसी और सीबीईसी के बीच उपपट्टा अनुबंध के लिए आवश्यक है। एस यू यू टी आई से मुंबई में खरीदे गए भवन के संदर्भ में स्थानीय प्राधिकरण अर्थात् वृहत मुंबई नगर निगम को स्टाप शुल्क एवं अन्य प्रभारों की अदायगी अभी तक लंबित है क्योंकि स्टाप शुल्क की दर से संबंधित विवाद का अभी निपटारा नहीं हुआ है। चेन्नै में टीएनएससीबी से और कोलकाता में एलटीयू कार्यालय आवास खरीदने के अन्य प्रस्तावों को छोड़ दिया गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8	
			4(i) व.अ.	4(ii) सं.अ.				
							51.00 करोड़ रु. के संशोधित अनुमान के समक्ष दिसंबर, 2010 तक कोई व्यय नहीं किया गया।	
5.	मुख्य शीर्ष 4216 - आवासीय स्थान का अधिग्रहण	आवासीय स्थान की कमी को पूरा करने के लिए	11.00	2.00	आवासीय स्थान की खरीद शिलांग में आवासीय से आवश्यकता की पूर्ति होगी।	परिसर की खरीद के लिए भुगतान तथा चल रही अन्य परियोजनाओं के संबंध में अन्य भुगतान किए जाने की संभावना है।	जी एफ आर में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन के बाद प्रस्ताव में सीपीडब्लूडी, शहरी विकास मंत्रालय से अनापत्ति प्राप्त करने का प्रस्ताव है।	राष्ट्रीय सेल आवासीय परिसर, रांची में 67 फ्लैटों की खरीद के लिए दो किस्तों में 12.04 करोड़ रु. का भुगतान किया गया। शेष 1.24 करोड़ रु. का भुगतान कब्जा लेते समय किया जाएगा। शिलांग में आवासीय स्थान खरीदने के प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। 2.00 करोड़ रु. के संशोधित अनुमान के समक्ष दिसंबर, 2010 तक कोई व्यय नहीं किया गया।

समग्र निष्पादन

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के समग्र निष्पादन की प्रमुख विशेषताएं

- वर्ष 2009-10 में कुल अप्रत्यक्ष कर राजस्व 2,45,540 करोड़ रु. था। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण 42.33% (1,03,946 करोड़ रु.), सीमा शुल्क: 33.92% (82,275 करोड़ रु.) एवं सेवाकर: 23.75% (58,319 करोड़ रु.) था।
- अप्रत्यक्ष कर राजस्व 2003-04 के 1,46,910 करोड़ रूपए में 67.14% बढ़कर 2009-10 में 2,45,540 करोड़ रु. हो गया।
- पिछले वर्ष के मुकाबले 2009-10 के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण में 4.30% और सीमा शुल्क संग्रहण में 16.62% की कमी आयी है।
- पिछले वर्ष के मुकाबले सेवाकर संग्रहण में 2008-09 में 4.30% की कमी हुई। वास्तव में 2003-04 (7,891 करोड़ रु.) के मुकाबले 2008-09 (60,702 करोड़ रु.) में सेवाकर संग्रहण में 639% की वृद्धि हुई है। अप्रत्यक्ष कर में सेवाकर का हिस्सा 1995-96 के 1% से बढ़कर 2009-10 में 23.75% हो गया है।
- 2010-11 में दिसम्बर, 2010 तक अप्रत्यक्ष कर राजस्व संग्रहण 2,26,882 करोड़ रु. था जिसमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 85,923 करोड़ रु., सीमा शुल्क 96,703 करोड़ रु. और सेवाकर 44,256 करोड़ रु. था।
- दिसम्बर, 2010 तक संग्रहित कुल अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में पिछले वित्तीय वर्ष के तुलनात्मक अवधि की तुलना में 43.48% वृद्धि हुई है। पिछले वित्तीय वर्ष के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर संग्रहण में क्रमशः 37.37%, 65.04% और 19.65% की वृद्धि हुई है।
- सीमा शुल्क संग्रहण की लागत 2003-04 में 0.93% की तुलना में 2007-08 में कम होकर 0.51% हो गयी थी और अब बढ़कर 2009-10 में 1.09% हो गयी है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर संग्रहण की लागत भी 2006-07 में 0.63% की तुलना में कम होकर 2006-07 में 0.63% हो गयी थी और अब बढ़कर 2009-10 में 1.32% हो गयी है। अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण की लागत नीचे सारणीबद्ध है:-

संग्रहण की लागत

शुल्क का शीर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
सीमा शुल्क	0.93%	0.77%	0.72%	0.56%	0.51%	0.72%	1.09%
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर	0.76%	0.73%	0.67%	0.63%	0.64%	0.98%	1.32%

- अप्रत्यक्ष कर राजस्व 2004-05 की जी डी पी में 5.1% की तुलना में बढ़कर 2009-10 की जी डी पी में 4.0% हो गया है।
- पिछले तीन वर्षों का प्रति कर्मचारी वेतन एवं भत्तों पर व्यय और औसत राजस्व संग्रहण नीचे दिया गया है:-

वर्ष	प्रति कर्मचारी वेतन एवं भत्तों पर एवं भत्तों पर औसत व्यय (लाख रु. में)	प्रति कर्मचारी औसत राजस्व संग्रहण (करोड़ रु. में)
2007-08	2.08	5.07
2008-09	3.22	4.91
2009-10	4.20	4.37

ई-गवर्नेंस:

सी बी ई सी में ई-गवर्नेंस के विभिन्न घटक हैं जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

- वाईड एरिया नेटवर्किंग:-** इस परियोजना में एक अखिल भारतीय क्षेत्रीय नेटवर्क के माध्यम से 20000 प्रयोक्ताओं (विभागीय एवं बाहरी) को राष्ट्रीय डेटा केन्द्र, व्यवसाय सततता एवं आपदा से उबरने की साइटों से जोड़ने की परिकल्पना की गई है। यह बहिर्मुखित सेवा मॉडल पर है जिसमें वेंडर, विभाग को विश्वसनीय, सुरक्षित और उच्च स्तरीय नेटवर्क एवं डेटा केन्द्र सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। वेंडर का चयन अगस्त, 2006 में किया गया तथा ठेके पर हस्ताक्षर मार्च, 2007 में किया गया। 539 साइटों में से वेंडर ने 506 साइट का परिदान कर दिया है। शेष साइटों का शीघ्र परिदान किए जाने की संभावना है।
- केन्द्रीय सर्वरों की स्थापना:-** सी बी ई सी प्रणाली को प्राप्त करने वाले सभी बाहरी और विभागीय प्रयोक्ताओं को कम्प्यूटिंग, डेटा स्टोरेज, प्रणाली सुरक्षा अवसंरचना, केन्द्रीय सुविधा प्रबंधन और संबंधित कार्यात्मकताएं प्रदान करने के लिए विभाग नई पीढ़ी के सर्वर और भंडारण हासिल करेगा। ये राष्ट्रीय डेटा केन्द्र, व्यवसाय सततता एवं आपदा से उबरने की साइटों पर स्थित होंगे। विभाग के सभी संबंधित अप्लीकेशन केन्द्रीय रूप से इस केन्द्रीय अवसंरचना पर होस्ट किए जाएंगे। उपस्कर लगाने तथा चालू करने का कार्य पूरा कर लिया गया है। प्रणाली स्वीकृति का लक्ष्य अर्जित कर लिया गया है अर्थात् सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के लिए साफ्टवेयर अप्लीकेशन पोर्ट किए जा चुके हैं और तीन राष्ट्रीय डेटा केन्द्रों से चल रहे हैं।
- सभी विभागीय प्रयोक्ताओं के लिए स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क का प्रावधान:-** इस नेटवर्क का प्रयोग करके विभागीय प्रयोक्ताओं द्वारा सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के सभी अप्लीकेशनों को अक्सेस किया जाएगा। अंतरण अन्य अनिवार्य मुद्दों वाली साइटों को छोड़कर 11.54 साइटों को स्थानीय एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध करा दी गयी है।

(iv) **डेटा वेयर हाउस की स्थापना:-** सी बी ई सी सारे सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर डेटा का केन्द्रीय भंडारगृह बन जाएगा। एक प्रयोक्ता हितैषी अंतरापृष्ठ के माध्यम से वेब पर सारे प्रयोक्ता समूहों को डेटा उपलब्ध होंगे। प्रयोक्ता द्वारा अपेक्षित सभी शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर की रिपोर्ट चयनित प्रयोक्ताओं के लिए सुलभ विभागीय पोर्टल पर प्रकाशित की जा चुकी हैं।

(v) **केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर में स्वचालन:-** सभी व्यावसायिक प्रक्रियाओं के स्वचालित कार्य प्रवाह से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के निर्धारितियों के साथ संव्यवहार में व्यापक पारदर्शिता आएगी तथा अंतरापृष्ठ कम होगा। 23.12.2009 को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के सभी 104 आयुक्तालयों में राष्ट्रीय रूप से एसीईएस शुरु किया जा चुका है।

(vi) **सीमा शुल्क उन्नयन के लिए गेटवे:-** स्थानीय स्तरों पर सीमा शुल्क के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के लिए एक प्रणाली कार्यरत थी। एक एकल नेटवर्क से सीमा शुल्क समुदाय को जोड़ने के लिए गेटवे परियोजना शुरु की गयी। इस परियोजना के माध्यम से सीमा शुल्क प्रलेखों की ई-फाइलिंग से ऑन-लाइन मूल्यांकन, शुल्क भुगतान एवं निकासी क्रियाविधि में सुधार हुआ है। इस परियोजना से 90 स्वचालित सीमा शुल्क अवस्थान जुड़े हैं। साथ ही विमानपत्तनों और आई सी डी में 37 अवस्थानों को केन्द्रीयकृत डेटाबेस में अंतरित किया गया है। शेष काम मुख्यतः बैंक एंड अप्लीकेशन विशेष तौर पर बंदरगाहों से संबंधित संदेशों और व्यापारिक साझेदार अप्लीकेशनों से विकसित मानचित्रों के समेकन से संबंधित है।

(vii) **जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) की स्थापना:-** आयात से जुड़े जोखिम की पहचान के माध्यम से पारिषण आधारित नियंत्रण से 'अपवाद द्वारा हस्तक्षेप' की ओर प्रयाण। उच्च जोखिम वाले पारिषणों की कम्प्यूटर की सहायता से जांच के लिए कम जोखिम, व्यापार अनुकूल संसाधनों के ईष्टतम प्रयोग की सुविधा। आर एम एस सभी महत्वपूर्ण सीमा शुल्क बंदरगाहों/विमानपत्तनों पर कार्य कर रहा है और इसमें भारत का 85% से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। इन सभी स्थानों पर 24 निर्यात संवर्धन स्कीमों में आर एम एस कार्य कर रहा है। केन्द्रीय सर्वर पर आर एम एस अप्लीकेशन के नए वर्जन का प्रयोग किया गया है जो 47 स्थानों पर कार्य कर रहा है। अन्य स्थान पर आर एम एस का नया वर्जन शुरु करना इन स्थानों को केन्द्रीय सर्वर पर स्थानांतरित करने पर निर्भर है।

(viii) **करदाताओं की सुविधा के लिए वृहत करदाता इकाइयों पर एक पोर्टल की स्थापना:-** यह पोर्टल करदाताओं को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर तथा आयकर/निगम कर के लेन देन में सुविधा प्रदान करता है। सीबी ई सी/सीबीडीटी एवं वृहत करदाताओं के बीच अंतरापृष्ठ के लिए एक ही बिंदु होगा। एल टी यू पर, विशिष्ट वेबसाइटें विकसित की जा चुकी हैं। बंगलौर, चेन्नै, मुंबई और दिल्ली में एल टी यू कार्यरत हैं।

सीबीईसी के प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा कम्प्यूटरीकरण की शुरुआत: प्रधान सी सी ए कार्यालय ने कई आई टी परियोजनाएं शुरु की हैं। कई साफ्टवेयर अप्लीकेशन चल रहे हैं तथा कुछ प्रायोगिक चरण में हैं।

संहत साफ्टवेयर: यह वेतन एवं लेखा कार्यालय के अधिकांश कार्यों को शामिल करता है। यह साफ्टवेयर बिल की प्रविष्टि के समय ही डेटा ग्रहण कर लेता है। नियंत्रक महालेखाकार कार्यालय के परामर्श से इस साफ्टवेयर का विकास एन आई सी द्वारा किया गया है। यह साफ्टवेयर सीबीईसी के अधीन सभी वेतन एवं लेखा कार्यालयों में कार्यरत है।

ई-लेखा ई-लेखा एक वेब आधारित अनुप्रयोग है जो राजकोषीय प्रबंधन हेतु तथ्य आधारित आनलाइन वित्तीय सूचना पद्धति को सुकर बनाती है। लेखा महानियंत्रक के द्वारा अनुरक्षित इस वेब आधारित अनुप्रयोग में सभी वेतन एवं लेखा कार्यालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अंतर्गत काम्पेक्ट डाटा डालते हैं।

पी सी सी ए कार्यालय वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा डाले गए मासिक लेखाओं पर आधारित मासिक लेखाओं को प्रत्येक महीने इस साफ्टवेयर के जरिए संग्रहित करता है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर में इलेक्ट्रॉनिक लेखा पद्धति (इजिएस्ट)- इजिएस्ट कर अदायगी डाटा का बैंकों से आनलाइन पारिषण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभागों को करता है। इसका उद्देश्य सम्पूर्ण, सही एवं उपयोगी डाटाबेस प्राप्त करना है जो लेखा, लेखा समाधान और अन्य एम आई एस उद्देश्यों हेतु प्रयोग किया जा सके। इजिएस्ट को सम्पूर्ण देश में 1.4.2007 से लागू किया गया।

रीवेक्ट साफ्टवेयर: अर्थात् राजस्व लेखा साफ्टवेयर का केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर तथा वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा अनन्य रूप से प्रयोग किया जाता है। उसकी एन आई सी द्वारा उन्नत विशेषताओं के साथ काम्पेक्ट के प्रकार्यात्मक माड्यूल के रूप में पुनः अभिकल्पना की गयी है। साफ्टवेयर को प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के केन्द्रीय सर्वर से एकीकृत किया गया है। प्रस्तावित रीवेक्ट मोड्यूल की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:-

- हस्त अदायगी के मामले में चालान एवं सूची से डाटा डालना तथा ई अदायगी (अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक चालान, इलेक्ट्रॉनिक मेन स्कौल) के मामले में बैंको से प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक फाइलों से डाटा समाविष्ट करना।
- चालान, स्कौल एवं प्रेषण का स्वचालित समाधान
- विलम्बित प्रेषण की गणना
- चालानों की विस्तृत स्तर पर गणना और उनसे जुड़ी हुई सभी प्रक्रियाएं।
- मासिक लेखाओं को अलग से तैयार करना, ई लेखा एवं एम आई एस हेतु दैनिक डाटा सारांश तैयार करना।
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के लिए समाधान चालान डाटा को केन्द्रीय वी पी एन सर्वर पर केन्द्रीय एम आई एस के लिए लोड करना।

ई प्राप्तियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेखा समाधान (ईसेर)- यह विशेषकर लेखा एवं बैंकिंग के क्षेत्र में सभी व्यापार प्रक्रिया को अधिक सुकर बनाने एवं समर्थन प्रदान करने के लिए निर्बाध, कार्यक्षम, प्रभावी एवं प्रयोगकर्ता

अनुकूल तरीके से विकसित की गई है। इसका उद्देश्य एक उचित इलेक्ट्रॉनिकी लेखाकरण एवं समाधान प्रक्रिया स्थापित करना है। परियोजना का उद्देश्य 'जीरो एरर डाटा बेस' तैयार करना भी है जो कर सूचना नेटवर्क को सूचना देगा। ईसेर की मूल संकल्पना केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर की सभी ई-प्राप्तियों के लिए एक समुचित प्रणाली रखना है। चेन्नई में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के लिए और मुम्बई में सेवाकर के लिए 1.8.2008 से दो वेतन एवं लेखा कार्यालय स्थापित किए जा चुके हैं।

केन्द्रीयकृत विलम्ब निगरानी मोड्यूल (सी डी एम एम) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा वसूली के तिथि से सरकारी खाते में उसे जमा करने की तिथि तक किए गए विलम्ब की मानीटरिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर है। इसके जरिए रीवेक्ट का आउटपुट सी डी एम एम के इनपुट के तौर पर जाता है। विलम्ब मानीटरिंग माड्यूल को केन्द्रीय सर्वर पर चलने वाले केन्द्रीय राजस्व अप्लीकेशन के साथ जोड़ा गया है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर का ई भुगतान- यह करदाताओं द्वारा बैंकों को आनलाइन कर की अदायगी हेतु व्यवस्था है। ऐसे सभी निर्धारितियों के लिए दिनांक 01.04.2010 से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर का ई-भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है जिन्होंने पिछले वर्ष दस लाख या इससे अधिक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर का भुगतान किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों और आई डी बी आई बैंक को सभी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर एवं एल टी यू आयुक्तालयों से आयुक्तालय-वार प्राधिकार के प्रतिबंध के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर भुगतान संग्रहित करने की अनुमति प्रदान की गई है।

सीमा शुल्क के एकत्रीकरण का ई भुगतान- की संकल्पना आयातकों और निर्यातकों को ई- भुगतान सुविधा प्रदान करने के लिए की गयी थी। वाणिज्य विभाग की ई-व्यापार परियोजना के तहत एन आई सी के परामर्श से यह मामला प्रक्रियाधीन है।

मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग वरच्यूल प्राइवेट नेटवर्क (एम पी एल एस वी पी एन)- स्थापित किया जा चुका है। वी पी एन प्रधान सी सी ए के केन्द्रीय सर्वर से सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को जोड़ेगा तथा क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालयों पर चल रहे सॉफ्टवेयरों को नवीकरण एवं अनुसंधान की सुविधा उपलब्ध कराएगा। केन्द्रीय सर्वर के लिए अपेक्षित अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का विकास एन आई सी द्वारा रखी गई सॉफ्टवेयर कम्पनी द्वारा पी सी सी ए के परामर्श से किया जा रहा है।

स्कैनर्स की प्राप्ति

इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर्स की प्राप्ति आयात और निर्यात कार्गो कन्टेनरों की स्कैनिंग जो कि सीमा शुल्क निकासी के लिए आते हैं जिससे कि औषधि

अस्त्र एवं शस्त्र एवं अन्य अघोषित कार्गो का पता लगाने के लिए किया जाता है, एक पायलेट परियोजना जिसमें एक मोबाइल गामा रे स्कैनर एवं एक पुनस्थापित एक्स रे स्कैनर जवाहर लाल नेहरू पोर्ट न्हावा शेवा पर स्थापित करने के लिए कार्रवाई की गयी थी और जून, 2005 तक इसे पूरा किया गया। पायलेट परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने से एक मुख्य कदम कार्गो निकासी, कंटेनर यातायात के बढ़े हुए परिमाण एवं गैर हस्तक्षेप परीक्षा के द्वारा सुधरा हुआ सीमा शुल्क नियंत्रण को प्रभावी रूप में प्राप्त किया गया है। उत्साहवर्धक परिणामों को देखते हुए 3 मोबाइल स्कैनरों को कांडला, चेन्नै एवं तूतीकोरिन में स्थापित करने एवं 4 स्थाई स्कैनरों को मुम्बई कांडला चेन्नै एवं तूतीकोरिन में स्थापित करने के लिए अधिग्रहण हेतु निविदा आमंत्रित करने की प्राप्ति की प्रक्रिया शुरु की गई है। जहाजरानी मंत्रालय ने मुम्बई, कांडला, चेन्नै एवं तूतीकोरिन में स्कैनरों की स्थापना हेतु भूमि के आर्बटन का अनुमोदन कर दिया है। मोबाइल एवं फिक्स्ड स्कैनरों को क्रमशः वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में लगाए जाने की आशा है।

जे एन पी टी में लगाए गए स्कैनर संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं और 95% तक उपलब्ध है। विगत तीन वर्षों के दौरान इन स्कैनरों द्वारा स्कैन किए गए कंटेनरों की संख्या निम्न प्रकार है:-


वर्ष	स्कैन किए गए कंटेनर	
	मोबाइल स्कैनर	फिक्स्ड स्कैनर
2008	79,109	38,112
2009	83,828	38,943
2010	1,10,096	66,421

वर्ष 2010 के दौरान फिक्स्ड स्कैनर के जरिए 40 मामले दर्ज किए गए जिनमें जब्त माल का मूल्य 9.82 करोड़ रु. तथा शामिल सीमा शुल्क 1.60 करोड़ रु. था। मोबाइल स्कैनर के मामले में 9 मामले दर्ज किए गए जिनमें जब्त माल का मूल्य 1.15 करोड़ रु. तथा शामिल सीमा शुल्क 0.35 करोड़ रु. था।


समुद्री नावों की प्राप्ति

देश के सीमावर्ती पानी पर सीमा शुल्क की प्रभावी निगरानी में सुधार करने के क्रम में 109 विभिन्न कोटियों की आधुनिक एवं परिष्कृत नावें जो आवश्यकता एवं उद्देश्य जिसके लिए वे तैनात की जाएगी 227.27 करोड़ रु. की कुल संशोधित लागत का प्रस्ताव सी सी ई ए द्वारा 22.02.2007 को अनुमोदित किया गया। कुछ चुनिंदा फर्मों को आदेश दिए गए और विभाग ने 95 नावें दिसम्बर, 2010 तक प्राप्त की (24 नावें कोटि-I में और 8 नावें कोटि II और 30 नावें III क में तथा 33 नावें कोटि-IIIख)। संवर्ग-II में शेष 14 नावों की सुपुर्दगी जून, 2011 तक कर दिए जाने की संभावना है।


अप्रत्यक्ष करों से संग्रहण



प्रतिशता की दृष्टि से सीमा शुल्क संग्रहण की लागत



प्रतिशतता की दृष्टि से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर की लागत



बजट निष्पादन 2011-12 के अंतर्गत योजनाओं की संक्षिप्त स्थिति
अनुदान सं..43 - अप्रत्यक्ष कर

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	स्कीम	2009-10			2010-11			2011-12
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (दिसम्बर, 10) तक	ब.अ.
1.	ई गर्वनेन्स के लिए आई टी सक्षमता को सुदृढ़ करना	200.00	200.00	186.41	150.00	106.00	53.17	150.00
2.	जहाजों एवं बेड़ों का अधिग्रहण	120.00	102.00	78.64	48.00	42.00	13.16	13.50
3.	स्कैनर्स का अधिग्रहण	100.00	57.00	0.00	73.00	36.95	11.32	70.00
4.	कार्यालय परिसरों का अधिग्रहण	50.00	12.00	6.05	132.00	51.00	0.00	40.00
5.	आवासीय परिसरों का अधिग्रहण	19.80	1.80	0.30	11.00	2.00	0.00	4.00
	कुल	489.80	372.80	271.40	414.00	237.95	77.65	277.50
संशोधित अनुमानों की तुलना में प्रतिशतता				72.80				32.63

वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के योजना-वार वास्तविक व्यय बनाम
बजट अनुमान/संशोधित अनुमान को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	विवरण	मुख्य शीर्ष	2008-09			2009-10			2010-11		
			ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (दिसम्बर, 10) तक
राजस्व खंड											
1	एम एच-2037 शुल्क)										
	सीमा शुल्क का संग्रहण	2037	554.75	785.25	703.40	950.29	931.86	901.14	850.26	918.84	678.75
	सीमा शुल्क कल्याण कोष	2037	10.00	10.52	10.52	10.50	9.00	8.53	0.00	0.00	0.00
	विदेश मिशन	2037	1.15	1.15	1.15	1.20	1.30	1.30	1.40	1.55	1.40
2	एम एच-2038 शुल्क)										
	केन्द्र त्पाद शुल्क का संग्रहण	2038	1026.69	1505.92	1404.16	1855.67	1831.05	1832.68	1627.10	1827.38	1463.22
	बेन्डरोल्स इत्यादि का मुद्रण	2038	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	निरीक्षण महानिदेशालय	2038	17.78	23.49	24.94	28.62	31.51	30.93	27.97	30.48	23.34
	पद्धति एवं डाटा प्रबंधन	2038	120.37	269.17	145.82	146.64	157.24	154.22	131.80	83.78	56.04
	सर्तकता	2038	4.83	7.10	6.97	8.52	13.35	12.84	11.38	12.08	8.06
	सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं नारकोटिक्स राष्ट्रीय अकादमी	2038	13.17	19.04	20.56	21.16	26.37	30.44	21.57	36.58	26.18
	प्रचार एवं लोक संबंध निदेशालय	2038	23.50	22.02	18.07	24.68	24.64	24.91	26.29	27.02	6.07
	केन्द्रीय उत्पाद कर आसूचना निदेशालय	2038	20.30	28.31	23.31	32.35	31.21	25.45	27.56	29.33	19.12
	अन्य कार्यालय	2038	6.24	7.36	6.53	8.35	14.54	15.60	11.97	12.87	10.10
3	एम एच-2216 आवास)										
	आवास अनुरक्षण एवं सुधार	2216	6.50	6.15	2.94	6.50	8.00	5.39	6.00	4.75	0.98
4	एमएच-3606 सहायता सामग्री)										
	सहायता सामग्री एवं संयंत्र	3606	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल-राजस्व खण्ड		1805.80	2686.00	2368.37	3095.00	3080.07	3043.43	2743.30	2984.66	2293.26

क्र.सं.	विवरण	मुख्य शीर्ष	2008-09			2009-10			2010-11		
			ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (दिसम्बर, 10) तक
		पूँजी खण्ड									
5	एम एच -4047 (सीमा शुल्क)										
	मेरीन नावों का अधिग्रहण	4047	100.00	100.00	99.38	120.00	102.00	78.64	48.00	42.00	13.16
	कंटेनर स्कैनरों का अधिग्रहण	4047	50.00	26.51	0.50	100.00	57.00	0.00	73.00	36.95	11.32
	मुख्य कार्य	4047	0.20	0.20	0.00	0.20	0.20	0.15	0.20	0.05	0.00
6	एमएच-4059 (कार्यालय स्थान)										
	निर्मित कार्यालय भवनों का अधिग्रहण	4059	145.00	135.00	18.58	50.00	12.00	6.05	132.00	51.00	0.00
7	एमएच - 4216 (रिहायशी आवास)										
	तैयार आवासीय भवनों का अधिग्रहण	4216	20.00	14.29	12.80	19.80	1.80	0.30	11.00	2.00	0.00
	कुल-पूँजी		315.20	276.00	131.26	290.00	173.00	85.14	264.20	132.00	24.48
	समग्र जोड़		2121.00	2962.00	2499.63	3385.00	3253.07	3128.57	3007.50	3116.66	2317.74
	वसूलियां		-1.00	-1.00	-0.27	-1.00	-0.50	-0.19	-0.50	-0.50	0.00
	निवल		2120.00	2961.00	2499.36	3384.00	3252.57	3128.38	3007.00	3116.16	2317.74

वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के शीर्षवार वास्तविक व्यय बनाम

बजट अनुमान/संशोधित अनुमान को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	2008-09			2009-10			2010-11		
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (दिसम्बर,10) तक
राजस्व खण्ड										
1	वेतन	1178.10	1855.00	1764.05	2301.00	2333.00	2359.25	2014.73	2356.16	1932.38
2	मजदूरी	7.60	8.50	7.21	10.00	10.00	9.64	10.50	11.18	7.95
3	समयोपरी भत्ता	14.00	12.60	10.58	13.50	12.00	9.57	13.00	10.75	6.31
4	इनाम	22.50	21.50	19.87	23.00	19.00	14.18	20.00	16.80	8.79
5	चिकित्सा	27.00	26.00	20.80	27.50	22.50	19.01	25.00	24.00	14.06
6	घरेलू यात्रा खर्च	38.00	35.00	32.23	38.00	41.80	42.45	48.00	51.00	35.64
7	विदेश यात्रा खर्च	0.60	0.54	0.23	0.60	0.54	0.17	0.60	1.75	0.19
8	कार्यालय खर्च	205.00	215.00	192.73	285.00	232.00	216.66	280.00	233.73	150.17
9	किराया, दर एवं कर	90.00	103.00	89.89	103.00	120.00	109.03	105.00	99.00	59.79
10	प्रकाशन	0.90	0.95	0.77	1.13	1.00	1.08	1.00	1.15	0.52
11	बैंक नकद लेनदेन कर	0.26	0.02	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	अन्य प्रशासनिक खर्च	4.90	6.81	6.08	8.00	7.70	6.06	1.18	2.10	1.93
13	विज्ञापन एवं प्रचार	22.00	19.50	14.59	22.00	21.00	20.28	24.00	22.80	2.61
14	लघु कार्य	11.50	10.90	5.42	12.00	14.00	10.03	11.50	13.25	1.42
15	व्यावस्थापिक सेवाएं	11.00	11.00	10.63	12.00	12.00	14.10	12.00	13.35	6.14
16	अन्य संविदात्मक सेवाएं	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	अनुदान	0.09	0.09	0.05	0.10	0.09	0.06	0.09	0.09	0.01
18	गुप्त सेवा खर्च	4.00	3.85	3.96	4.15	4.10	4.06	4.20	4.40	2.92
19	अन्य प्रभार									
	(प्रभारित)	1.20	1.20	0.38	1.20	0.50	0.01	0.50	0.50	0.13
	(मत दिया)	1.65	1.62	1.53	1.80	1.84	1.75	2.00	2.15	1.93

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	2008-09			2009-10			2010-11		
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (दिसम्बर, 10) तक
20	मशीनरी एवं संयंत्र	14.00	16.90	9.67	20.00	18.00	11.10	20.00	14.50	7.20
21	अंत लेखा स्थानांतरण	10.00	10.52	10.52	10.50	9.00	8.53	0.00	0.00	0.00
22	सूचना प्रौद्योगिकी	141.00	325.00	167.17	200.00	200.00	186.41	150.00	106.00	53.17
	कुल-राजस्व खंड	1805.80	2686.00	2368.37	3095.00	3080.07	3043.43	2743.30	2984.66	2293.26
	पूँजी खंड									
	I. कुल मुख्य शीर्ष '4047'									
23	शिप एवं बेड़े का अधिग्रहण	100.00	100.00	99.38	120.00	102.00	78.64	48.00	42.00	13.16
24	तस्करी रोधी उपकरण का अधिग्रहण	50.00	26.51	0.50	100.00	57.00	0.00	73.00	36.95	11.32
25	मुख्य कार्य	0.20	0.20	0.00	0.20	0.20	0.15	0.20	0.05	0.00
	कुल - मुख्य शीर्ष '4047'	150.20	126.71	99.88	220.20	159.20	78.79	121.20	79.00	24.48
	II. मुख्य शीर्ष '4059'									
26	तैयार कार्यालय परिसर की खरीद	145.00	135.00	18.58	50.00	12.00	6.05	132.00	51.00	0.00
	III. मुख्य शीर्ष '4216'									
27	तैयार आवासीय परिसर की खरीद	20.00	14.29	12.80	19.80	1.80	0.30	11.00	2.00	0.00
	कुल - पूँजी खण्ड	315.20	276.00	131.26	290.00	173.00	85.14	264.20	132.00	24.48
	समग्र योग	2121.00	2962.00	2499.63	3385.00	3253.07	3128.57	3007.50	3116.66	2317.74
	वसूलियां	1.00	1.00	0.27	1.00	0.50	0.19	0.50	0.50	0.00
	निवल	2120.00	2961.00	2499.36	3384.00	3252.57	3128.38	3007.00	3116.16	2317.74

वित्तीय समीक्षा- व्यय में प्रवृत्ति का विश्लेषण

वर्ष 2009-10 में कुल व्यय 3128.57 करोड़ रु. था जो वर्ष 2008-09 के 2499.63 करोड़ रु. के व्यय से 25.16% अधिक था राजस्व खंड में वृद्धि 28.50% है जो मुख्यतः 6ठें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप संशोधित वेतन के 60% बकाए के भुगतान, उच्चतर दर्जे में कर्मचारियों की यात्रा करने की पात्रता, किराए के कार्यालय स्थान के किराए में संशोधन, सेवा कर के बारे में प्रचार अभियान तथा विभाग के कम्प्यूटरीकरण के कारण था।

पूंजी खंड में, 2008-09 के व्यय के समक्ष 2009-10 के व्यय में 35.14% की कमी हुई। यह कमी नौ पोतों के निर्माण एवं परिदान के विभिन्न चरणों में होने के कारण नौ-पोतों के अधिग्रहण के लिए कम भुगतान तथा विभाग को कार्यालय स्थान/फ्लैटों को सौंपने में विलम्ब के कारण नई दिल्ली में एनबीसीसी प्लाजा में कार्यालय स्थान तथा रांची में राष्ट्रीय खेल आवास परिसर की खरीद के संबंध में शेष राशि का भुगतान नहीं करने के कारण हुई है।

वर्ष 2010-11 में कुल प्राक्कलित 3116.66 करोड़ रु. का व्यय 2009-10 के 3128.57 करोड़ से 0.38% कम है। राजस्व खंड में अनुमानित कमी 1.93% है जो मुख्यतः विभाग के कम्प्यूटरीकरण के संबंध में कम व्यय के अनुमान के कारण है।

पूंजी खंड में, 2010-11 में 2009-10 के समक्ष 55.04% की वृद्धि प्रत्याशित है। यह वृद्धि स्कैनरों को लगाने के लिए संबंधित पत्तन प्राधिकरणों से भूमि के अधिग्रहण के समक्ष पट्टा किराए का अनुमानित भुगतान करने और स्कैनरों के प्रापण के लिए अग्रिम भुगतान तथा नई दिल्ली में एनबीसीसी प्लाजा में खरीदे गए कार्यालय स्थल के संबंध में संभावित और भुगतान के कारण है।

‘विज्ञापन एवं प्रचार’ के अंतर्गत वर्ष 2009-10 में व्यय 20.28 करोड़ रु. है जो वर्ष 2008-09 के 14.59 करोड़ रु. के व्यय से 39% अधिक है। इसकी कारण सामान्य रूप से प्रचार कार्यक्रम पर अधिक जोर देने तथा पिछले वर्ष के लंबित बिलों के समाशोधन के कारण है। 2010-11 का प्राक्कलित व्यय 22.80 करोड़ रु. है जो बाहरी एवं विविध मिडिया के जरिए प्रचार के व्यापक अभियानों के कारण 12.43% अधिक है।

वर्ष 2009-10 के दौरान ‘सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत व्यय 186.41 करोड़ रु. था जो 2008-09 के 167.17 करोड़ रु. के व्यय से 11.51% अधिक है। इसकी कारण 2009-10 के दौरान कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के समेकन के अधिकतर अवयवों के कार्यान्वयन की प्रगति है। 2010-11 के लिए प्राक्कलित व्यय 106.00 करोड़ रु. हो जो 2009-10 के व्यय से 43.14% कम है। इसका कारण है कि भुगतान कम्प्यूटरीकरण के विभिन्न चरणों के सम्पादन से जुड़ा है और भुगतान के कुछ चरण अगले वित्तीय वर्ष में जा सकते हैं।


नौ-पोतों के प्रापण के लिए वर्ष 2009-10 के दौरान व्यय 78.64 करोड़ रु. था जो वर्ष 2008-09 में किए गए 99.38 करोड़ रु. के व्यय से 20.87% कम है। व्यय में कमी का कारण बोटों के निर्माण और परिदान के साथ बोट निर्माताओं के भुगतान का जुड़ा होना है। पोतों के लिए निर्धारित भुगतानों के लिए वर्ष 2010-11 के दौरान किया जाने के लिए संभावित व्यय 42.00 करोड़ रु. है। प्राप्त किए जाने वाले 109 पोतों में से 95 पोत (संवर्ग-I में 24 संवर्ग-II में 08, संवर्ग-IIIक में 30 और संवर्ग-IIIख में 33) दिसम्बर, 2010 तक विभाग को दिए जा चुके हैं।

कंटेनर स्कैनरों के प्रापण के लिए 2009-10 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया क्योंकि संबंधित बंदरगाह न्यास प्राधिकरण से स्कैनरों को लगाने के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सका। वर्ष 2010-11 के दौरान संबंधित बंदरगाह प्राधिकरण से भूमि के अधिग्रहण के लिए पट्टा किराया भुगतान तथा स्कैनरों के प्रापण हेतु भुगतान के लिए 36.95 करोड़ रु. व्यय किए जाने की संभावना है।

कार्यालय आवास के अधिग्रहण के लिए वर्ष 2009-10 में व्यय 6.05 करोड़ रु. था जबकि वर्ष 2008-09 में यह व्यय 18.58 करोड़ रु. था। इसमें नई दिल्ली में एनबीसीसी प्लाजा में कार्यालय आवासकी आंतरिक सज्जा के लिए भुगतान शामिल है। वर्ष 2010-11 के लिए एनबीसीसी प्लाजा, नई दिल्ली में कार्यालय आवास के लिए और भुगतान हेतु प्राक्कलित व्यय 51.00 करोड़ रु. है।

आवासीय भवनों के अधिग्रहणों के लिए 2009-10 में नाममात्र व्यय 0.30 करोड़ था क्योंकि किसी नए प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया गया। 2010-11 के लिए प्राक्कलित व्यय 2.00 करोड़ रु. में राष्ट्रीय खेल समाप्त होने पर विभाग को सौंपे जाने वाले राष्ट्रीय खेल गृह परिसर, रांची में 67 फ्लैटों की खरीद के संबंध में शेष भुगतान शामिल है।

ब.अ. 2011-12 में अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत व्यय के मुख्य संघटक
(करोड़ रु. में)



विनिवेश विभाग

प्रस्तावना

विनिवेश मंत्रालय को 27 मई, 2004 से वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग में परिवर्तित कर दिया गया था। इस विभाग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:-

- (1) (क) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से केन्द्र सरकार की इक्विटी के विनिवेश से संबंधित सभी मामले ;
 - (ख) पूर्ववर्ती केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में केन्द्र सरकार की इक्विटी की, बिक्री की पेशकश या निजी व्यवस्था के माध्यम से बिक्री से संबंधित सभी मामले;
- (दिनांक 28 जून 2007 की संशोधन संबंधी अधिसूचना के माध्यम से सम्मिलित किया गया)

टिप्पणी: पूर्ववर्ती केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सामरिक भागीदार द्वारा क्रय विकल्प का उपयोग करने से संबंधित और उससे उत्पन्न मामलों सहित विनिवेश के बाद के अन्य सभी मामलों पर, जहां आवश्यक हो, विनिवेश विभाग के परामर्श से, प्रशासनिक मंत्रालय या संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती रहेगी।

- (2) पुनर्गठन सहित विनिवेश के तरीकों के संबंध में विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर निर्णय लेना ;
- (3) सलाहकारों की नियुक्ति, शेरों का मूल्य निर्धारण और विनिवेश के अन्य निबंधनों और शर्तों सहित विनिवेश संबंधी निर्णयों को कार्यान्वित करना ;

- (4) विनिवेश आयोग;
- (5) केवल सरकार की इक्विटी के विनिवेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम; और
- (6) राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा कराई गई विनिवेश से प्राप्त राशि के उपयोग से संबंधित वित्तीय नीति। (कार्य आबंटन नियमावली में दिनांक 12 जनवरी, 2006 के संशोधन के माध्यम से सम्मिलित)

विभाग के मुखिया सचिव (विनिवेश) हैं, जिनका सहयोग एक अपर सचिव और दो संयुक्त सचिव करते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय निवेश कोष का भी एक पद है। इनसे संबंधित कार्य अपर सचिव (विनिवेश) द्वारा देखा जा रहा है।

सरकार ने नवम्बर, 2005 में एक "राष्ट्रीय निवेश कोष" (एनआईएफ) का गठन किया है जिसे भारत की संचित निधि से अलग रखा जाएगा और जिसमें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से प्राप्त धनराशि को जमा किया जाएगा। सरकार ने 05 नवम्बर, 2009 को यह निर्णय लिया है कि एनआईएफ में अप्रैल, 2009 से मार्च, 2012 तक की तीन वर्ष की अवधि के लिए जमा की गई केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त संपूर्ण धनराशि को योजना आयोग/व्यय विभाग द्वारा निर्धारित सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के पूंजीगत व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। अप्रैल, 2012 से एनआईएफ की यथा-पूर्व स्थिति बहाल कर दी जाएगी ।

परिणाम बजट 2011-2012 में परिव्यय का विवरण

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	वर्ष 2011-12 का व्यय (करोड़ रुपए में)			मात्रात्मक परिणाम/ भौतिक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	अभ्युक्तियां/ जोखिम घटक
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
1	2	3	4(i)	4(ii)	4(iii)	5	6	7	8
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन*				
1.	सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का जन-स्वामित्व	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में जन-स्वामित्व को बढ़ावा देना केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में बेहतर निगमित नियंत्रण निवेशकों, कर्मचारियों तथा सरकार के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के वास्तविक मूल्य को निर्मुक्त करना	55.14	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की सार्वजनिक पेशकशों के माध्यम से 40000.00 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे।	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में व्यापक वितरण का लक्ष्य हासिल करना। फुटकर निवेशकों की वृहद भागीदारी के माध्यम से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में जन-स्वामित्व का लक्ष्य हासिल करना। ज्यादा संख्या में शेयरधारकों द्वारा छानबीन से पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सहित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यनिष्पादन और कार्य प्रणाली में सुधार होगा। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की वास्तविक क्षमता को निर्मुक्त करना। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के मूल्य को निर्मुक्त करने से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बाजार पूंजीकरण में वृद्धि होगी और जनता, कम्पनी, उसके कर्मचारियों और सरकार को लाभ होगा।	सार्वजनिक पेशकशें विनियामक प्राधिकरण जैसे सेबी, आरबीआई आदि द्वारा अनुमोदन पर निर्भर करती हैं। इसके अलावा, सार्वजनिक पेशकशों से पहले पूंजी बाजार के हालात और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की तैयारी का भी मूल्यांकन किया जाएगा। अतः कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती। हालांकि विभाग द्वारा एक रोडमैप तैयार किया जाता है जिस पर नियमित आधार पर निगरानी रखी जाती है।	- बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्त न होना। - घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक मार्केट में उतार-चढ़ाव

* सीईबीआर - पूरक इतर बजटीय यानि केन्द्रीय सरकार से इतर संगठनों द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रतिबद्ध व्यय।

सुधारात्मक उपाय तथा नीतिगत पहल

विनिवेश प्रक्रिया को और सक्षम तथा पारदर्शी बनाने के लिए इस वर्ष निम्नलिखित उपाय किए गए हैं

- किसी निर्गम के लिए मुख्य सलाहकार [बही संचालक अग्रणी प्रबंधक, (बीआरएलएम)] का चयन करने में विनिवेश विभाग द्वारा संयुक्त योग्यता-एवं-लागत आधारित चयन प्रक्रिया (सीक्यूसीसीबीएस) अपनाई गई थी और तकनीकी तथा वित्तीय बोलियों को 70:30 के अनुपात में महत्व दिया जा सकता है।
- बीआरएलएम के चयन में एक नए मापदंड "विनिवेश विभाग के सार्वजनिक निर्गमों में बीआरएलएम का विगत कार्यनिष्पादन" को शामिल किया गया है और इसे समायोजित करने के लिए मापदंडों के महत्व में भी संशोधन किया गया है।
- सरकार की विनिवेश नीति का आधार 'केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में आम जनमानस की भागीदारी' है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के स्वामित्व के आधार में वृद्धि करने के लिए बड़े स्तर पर सार्वजनिक पेशकशों में जनता की भागीदारी के लिए विभाग ने अनेक कदम उठाए हैं। निवेशकों, विशेषकर फुटकर निवेशकों से अच्छा प्रत्युत्तर प्राप्त करने में ब्रोकरों द्वारा निभायी गई महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए विभाग ने अक्टूबर, 2010 में कोल इंडिया लि. के आईपीओ से आरंभ करते हुए यह निर्णय लिया है कि ब्रोकरों को फुटकर निवेशकों के आबंटन पर 0.35% की दर पर, उच्चतर निवल संपत्ति वाले व्यक्तियों को आबंटन किए जाने पर 0.15% और कर्मचारियों के लिए आरक्षित कोटे में से उनको किए गए आबंटन पर 0.25% की दर पर प्रोत्साहन स्वरूप भुगतान किया जाए। इससे निवेशकों, विशेषकर फुटकर निवेशकों की सभी श्रेणियों से अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। फुटकर भागीदारी में वृद्धि के विभाग के प्रयासों के परिणामस्वरूप हाल ही में संपन्न आरंभिक सार्वजनिक पेशकशों में फुटकर निवेशकों की भागीदारी में वृद्धि हुई है।

- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निर्गमों के संबंध में फीडबैक लेने और उन्हें विनिवेश कार्यक्रमों के बारे में स्पष्ट करने के उद्देश्य से विभाग ने देश के विभिन्न शहरों में सेबी में पंजीकृत निवेशक संघों और ब्रोकरों के साथ बैठकें आयोजित की थीं। सरकार की विनिवेश नीति को बेहतर तरीके से समझाने और निवेशकों की अवधारणा प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी निवेशकों के साथ भी एक-एक करके और सामूहिक बैठकें भी की गई थीं। निवेशकों और उनके संघों एवं ब्रोकरों इत्यादि से प्राप्त फीडबैक के आधार पर समय-समय पर उपचारात्मक उपाय अपनाए गए हैं।
- सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था के एक भाग के रूप में, विनिवेश विभाग ने अपनी वेबसाइट (www.divest.nic.in) को सूचना मुहैया कराने के लिए नया रूप दिया है जोकि विनिवेश के संबंध में एक पारदर्शी रूप में बाजार के भागीदारों की आवश्यकता को पूरा कर सके। यह वेबसाइट उपभोक्ताओं के अनुकूल है और सूचना को अधिक सुनियोजित एवं संगठित रूप में उपलब्ध कराती है। इसमें नई मुख्य बातों में जैसे कि भावी, वर्तमान और विगत में हुई सार्वजनिक पेशकशों के संबंध में तथ्यपरक ब्यौरा भी जोड़ा गया है जोकि सभी उपभोक्ताओं - निवेशकों, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, मध्यस्थों, शिक्षाविदों, अनुसंधानकर्ताओं और मीडिया और साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति या संगठन जोकि विनिवेश प्रक्रिया में रुचि रखते हैं, सभी के लिए लाभप्रद होगी।
- इससे पहले, सार्वजनिक निर्गम के आवेदन पर अर्जित की गई समस्त राशि निर्गम के ब्रोकरों द्वारा रख ली जाती थी। हालांकि, विनिवेश विभाग ने फरवरी, 2010 में निर्गम का परीक्षण करने के बाद यह निर्णय लिया कि ब्रोकरों को उनकी सेवाओं के लिए भुगतान किया जाना चाहिए लेकिन इस प्रक्रिया में उन्हें समस्त अर्जित ब्याज रखने की अनुमति नहीं दी जाए। अब ब्रोकरों को उनके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए केवल ब्याज का 10% रखने की अनुमति होगी और शेष 90% राशि सरकार को दी जाएगी।

पिछले कार्यनिष्पादन की समीक्षा

विनिवेश विभाग की कोई योजनाबद्ध अथवा गैर-योजनाबद्ध स्कीम नहीं है। विनिवेश विभाग का समस्त बजट, वेतन, मजदूरी, व्यावसायिक सेवाओं के भुगतान और अन्य प्रशासनिक व्ययों आदि के लिए गैर-योजना बजट के अन्तर्गत आता है। वित्त वर्ष 2010-11 के लिए राजस्व भाग के लिए बजट अनुमान 63.36 करोड़ रुपए था और राजस्व खण्ड के लिए वित्त वर्ष 2010-11 के लिए संशोधित अनुमान भी वही अर्थात् 63.36 करोड़ रुपए रखा गया है।

II. वर्ष 2010-11 के दौरान (दिसंबर, 2010 तक) संपन्न किए गए विनिवेश सौदे

- सतलुज जल विद्युत निगम लि. में सरकारी शेयरधारिता में से 10.03% निर्गम-पूर्व प्रदत्त पूंजी के आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से विनिवेश। यह निर्गम फुटकर भाग 3.03 गुना सब्सक्राइब होने के साथ-साथ 6.51 गुना सब्सक्राइब हुआ था। सरकार को 1062.47 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे।
- इंजीनियर्स इंडिया लि. में सरकारी शेयरधारिता में से 10% प्रदत्त इक्विटी का अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से विनिवेश। यह निर्गम फुटकर भाग 2.99 गुना सब्सक्राइब होने के साथ-साथ 13.36 गुना सब्सक्राइब हुआ था। सरकार को इससे 959.65 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई।
- पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. में वंछानी द्वारा 10% इक्विटी के नए निर्गम के साथ-साथ सरकारी शेयरधारिता में से 10% निर्गम-पूर्व प्रदत्त इक्विटी का अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से विनिवेश। यह निर्गम फुटकर भाग 3.85 गुना सब्सक्राइब होने के साथ-साथ 14.87 गुना सब्सक्राइब हुआ था। सरकार को इससे 3721.17 करोड़ रुपए प्राप्त हुए।
- मैगनीज ओर इंडिया लि. में आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से 20% प्रदत्त इक्विटी पूंजी - भारत सरकार द्वारा 10% और मध्य प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार प्रत्येक द्वारा 5% का आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से विनिवेश। यह निर्गम फुटकर भाग 32.79 गुना सब्सक्राइब होने के साथ-साथ 56.38 गुना सब्सक्राइब हुआ। भारत सरकार को 618.76 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जबकि मध्य प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार प्रत्येक को 309.38 करोड़ रुपए प्राप्त हुए।

- कोल इंडिया लि. में सरकारी शेयरधारिता में से आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से 10% प्रदत्त पूंजी का विनिवेश। निर्गम फुटकर भाग 2.31 गुना सब्सक्राइब होने के साथ-साथ 15.3 गुना ओवर-सब्सक्राइब हुआ। सरकार को इससे 15199.44 करोड़ रुपए प्राप्त हुए।
- भारतीय जहाजरानी निगम लि. में वंछानी द्वारा 10% इक्विटी के नए निर्गम के साथ-साथ भारत सरकार की 10% इक्विटी का अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से विनिवेश। निर्गम फुटकर 6.56 गुना सब्सक्राइब होने के साथ-साथ 4.92 गुना सब्सक्राइब हुआ था। सरकार को इससे 582.45 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई।
- वर्ष 2010-11 के दौरान (दिसंबर, 2010 तक) संपन्न इन सौदों में आवेदन राशि पर ब्याज के रूप में 92.73 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है।

चल रहे विनिवेश सौदे

- सरकार ने 08 अप्रैल, 2010 को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. में सरकारी शेयरधारिता में से 10% प्रदत्त इक्विटी पूंजी के दो दौर में सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से घरेलू बाजार में विनिवेश के साथ-साथ वंछानी द्वारा 10% नई इक्विटी के निर्गम का अनुमोदन किया है। पहला दौर, जिसमें 5% सरकारी इक्विटी की बिक्री के साथ-साथ वंछानी द्वारा 5% इक्विटी का नया निर्गम शामिल है।
- सरकार ने 15 जून, 2010 को हिन्दुस्तान कॉपर लि. में सरकारी शेयरधारिता में से 10% प्रदत्त इक्विटी पूंजी के अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से घरेलू बाजार में विनिवेश के साथ-साथ वंछानी द्वारा 10% नई इक्विटी के निर्गम का अनुमोदन किया है।
- सरकार ने 01 दिसंबर, 2010 को तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि. में सरकारी शेयरधारिता में से 5% प्रदत्त इक्विटी के अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से विनिवेश का अनुमोदन किया है।
- 10 फरवरी, 2011 को सरकार ने सार्वजनिक अनुवर्ती पेशकश के जरिए वंछानी द्वारा 15% की निर्गम-पूर्व प्रदत्त पूंजी के नए निर्गम के साथ-साथ पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. में अपनी 5% की निर्गम-पूर्व प्रदत्त पूंजी के विनिवेश को अनुमोदित किया है।

III. वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान (31 दिसंबर, 2010 तक) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश के जरिए विनिवेश प्राप्तियों के लिए बजट अनुमान तथा प्राप्त धनराशि इस प्रकार हैं :-

वर्ष	बजट लक्ष्य (करोड़ रुपए में)	विनिवेश से प्राप्त धनराशि (करोड़ रुपए में)	अभियुक्ति (करोड़ रुपए में)
2009-10	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं	23552.93	नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन : 2012.85 ऑयल इंडिया लि. : 2247.05 नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन : 8480.09 रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन : 882.52 नेशनल मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन : 9330.42

वर्ष	बजट लक्ष्य (करोड़ रूपए में)	विनिवेश से प्राप्त धनराशि (करोड़ रूपए में)	अभियुक्ति (करोड़ रूपए में)
2010-11 (31 दिसंबर, 2010 तक)	40,000.00	22144.21	सतलुज जल विद्युत निगम लि. : 1062.74 इंजीनियर्स इंडिया लि. : 959.65 पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. : 3721.17 मैगनीजपएमैगनीज ओर इंडिया लि. : 618.76 कोलपएकोल इंडिया लि. : 15199.44 शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. : 582.45

IV. वर्ष 2009-10 में विनिवेश से प्राप्त 23552.97 करोड़ रूपए और वर्ष 2010-11 में बजट अनुमान के 40,000.00 करोड़ रूपए का उपयोग मंत्रिमंडल द्वारा 05.11.2009 को लिए गए निर्णय के अनुसार निम्नलिखित सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए किया जा रहा है/किया जाएगा।

(करोड़ रूपए में)

योजना का नाम	2009-2010	बजट अनुमान 2010-2011
त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)	1462.97	4656.00
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)	3000.00	5000.00
इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)	5280.00	8448.00
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा)	11730.00	18768.00
जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)	1922.00	3076.00
त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी)	158.00	52.00
कुल	23552.97	40000.00

वित्तीय संवीक्षा

वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के लिए शीर्षवार व्यय और साथ ही साथ बजट अनुमान/संशोधित अनुमान का उद्देश्य

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	विवरण	2008-09			2009-10			2010-11		
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय (31.12.2010 तक)
राजस्व भाग										
1	वेतन	1.80	2.37	2.08	3.06	3.06	2.92	2.75	2.79	2.30
2	मजदूरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3	समयोपरि भत्ता	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01
4	चिकित्सा उपचार	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.04	0.03
5	देशीय यात्रा व्यय	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.05	0.10	0.40	0.37
6	विदेश यात्रा व्यय	0.05	0.04	0.00	0.04	0.10	0.68	3.00	3.00	0.74
7	कार्यालय व्यय	0.50	0.40	0.40	0.50	0.45	0.45	0.60	1.00	0.67
8	प्रकाशन	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0
9	अन्य प्रशासनिक व्यय	0.01	0.01	0.02	0.03	0.02	0.01	0.03	0.03	0.01
10	व्यावसायिक सेवाएं	18.45	15.93	10.28	15.00	38.46	37.32	56.80	56.04	21.85
11	सूचना प्रौद्योगिकी (अन्य प्रभार)	0.10	0.07	0.07	0.05	0.03	-	0.03	0.03	0.01
	कुल राजस्व खण्ड	21.00	18.90	12.94	18.78	42.20	41.48	63.36	63.36	25.99
	<i>पूंजीगत खण्ड</i>	<i>2330.00</i>	<i>2330.00</i>	<i>326.89</i>	<i>2240.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>00.00</i>	<i>00.00</i>	<i>00.00</i>
	सकल योग	2351.00	2348.90	339.83	2258.78	42.20	41.48	63.36	63.36	25.99

व्यय में समग्र प्रवृत्ति का विश्लेषण

इस अनुदान के तहत समग्र राजस्व व्यय वर्ष 2008-09 में 12.94 करोड़ रुपए और वर्ष 2009-10 में 41.48 करोड़ रुपए था तथा वर्ष 2010-11 में (दिसंबर, 2010 तक) 25.99 करोड़ रुपए था। यह व्यय मुख्यतः विभाग के सचिवालय की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए है।